दशम माला, खंड 45, अंक 10

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1995
12 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पन्द्रहवाँ सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARL... ...ARY
No. 55
Date 21.1.97

सत्यमेव जयते

(खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद नही माना जाएगा)

लोक सभा के 8 दिसम्बर, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
मुख्य पृष्ठ	2	12 अग्रहायण	17 अग्रहायण
,, (ii)	नीचे से 1	नहीं माना जाएगा	प्रामाणिक नहीं माना जाएगा
,, (ii)	नीचे से 2	अंग्रजी	अंग्रेजी
विषय सूची	नीचे से 4	डा॰ सत्यानारायण जटिया	डा॰ सत्यनारायण जटिया
18	नीचे से 9	प्रो॰ उम्मारेड्डि वैंकटेस्वरलु	प्रो॰ उम्मारेड्डि वैंकटेस्वरलु
29	नीचे से 2	डा॰ देबी प्रसाद पाल	डा॰ देवी प्रसाद पाल
31	नीचे से 11	डा॰ देबी प्रसाद पाल	डा॰ देवी प्रसाद पाल
30	5	श्री रमेश वेन्नित्तला	श्री रमेश वेन्नित्तला
31	17	विनिदेशीकरण	विनिवेशीकरण
58	नीचे से 18	जिसमें से 95 व्यक्ति (25·40% के पश्चात "अनुसूचित जाति पढ़िए।	
64	5	वित्त मंत्रालय में राज्य के मंत्री	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
67, 87	17, 5	श्री मणिकराव होडल्या गावीत	श्री माणिकराव होडल्या गावीत
78	5	श्री एस॰ पी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एस॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति
84	8	डा॰ साक्षी जी	डा॰ साक्षीजी
179	12	"11·09 म॰ पू॰" का लोप कीजिए।	
179	पंक्ति 12 के ऊपर "11·09 म॰ पू॰" जोड़िए।		
193	नीचे से 6	श्री देवेन्दू प्रसाद यादव	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
193	नीचे से 12	श्री वी॰ एस॰ विजयराधवन	श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन
195	5	श्री भोगेन्दू झा	श्री भोगेन्द्र झा
228	15	रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग	रक्षा अनुसंधान तथा विकास
231	1	6·00 म॰ पू॰	600 म॰ प॰
238	नीचे से 2	20 अग्रहायण 1917	20 अग्रहायण, 1917

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पन्द्रहवाँ सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 10, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1995 / 17 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	181 से 200	3 – 19
अतारांकित प्रश्न संख्या	1924 से 2153	19 – 179
सभा पटल पर रखे गये पत्र		180 – 192
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
चौवनवां तथा छप्पनवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		193
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
चौंतीसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		193
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
चौबीसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		193
सभा का कार्य		194 – 195
सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के बारे में संकल्प - **जारी**		195 – 238
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य		196 – 198
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी		198 – 202
श्री रतिलाल वर्मा		202 – 206
श्रीमती सरोज दुबे		207 – 210
श्री मोहन सिंह (देवरिया)		210 – 212
श्री पी. सी. चाको		212 – 215
श्री रामेश्वर पाटीदार		215 – 218
श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार		218 – 220
श्री वी. एस. विजयराघवन		220 – 221
श्री लाल बाबू राय		221 – 223
श्री प्रभु दयाल कठेरिया		223 – 224
श्री मोहन रावले		224
श्री संतोष कुमार गंगवार		224 – 225
डा. सत्यानारायण जटिया		225 – 226
श्री सुकदेव पासवान		226 – 227
श्री ए. चार्ल्स		228 – 232
श्री के. करूणाकरण		232 – 238

लोक सभा

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1995/17 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11.01 म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, पहले सवालों के जवाब दिलवाईये, यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी आपने भी कहा था। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं हो रहा है। .....
(व्यवधान) *

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बात स्वीकार की गई है कि सरकार द्वारा यह अब तक की सर्वाधिक राशि की निविदा आमंत्रित की गई है जिससे हमारी संचार प्रणाली के मूलभूत ढांचे को बदला जा रहा है। अतः अपेक्षा यह की जाती है कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी; संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था; इस बारे में एक स्थायी समिति है, उसे तो और भी अधिक विश्वास में लिया जाना चाहिए था। जब इतने सारे प्रश्न हैं तो मंत्री जी एक वक्तव्य दे देते हैं अथवा मुझे कहना चाहिए कि एक विवरण रखने का आशय प्रकट करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। एक ऐसी कंपनी जिसकी इसके सिवाय कोई पहचान नहीं थी कि यह उस राज्य की है जिस राज्य के मंत्री जी है, जिसके बोर्ड निदेशकों को यहाँ कोई नहीं जानता, जिनके बाहर के लोगों से सम्पर्क हैं, जिनकी अपने देश में निंदा होती है। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है कि केवल एक पक्षीय बातें ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल हो।

.... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए तो कोई व्यक्ति इस बात का प्रतिवाद नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति इस बात का प्रतिवाद नहीं कर रहा है कि वह देश के उप प्रधानमंत्री थे। ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल उन्हें बोलने नहीं दिया गया। आज वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं। क्या केवल एक पक्षीय बातें ही कार्यवाही-वृतान्त में शामिल हो? ....
(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को यह करना चाहिए कि लोगों को विश्वास में ले, लोगों को बताएँ कि यह किया गया है ...... **(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जो वक्तव्य जारी किया गया है उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित अनेक सदस्यों—मैं उनका नाम नहीं लूंगा — ने भी अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया है कि इस मुद्दे को साधारण रूप में लिया जा रहा है जबकि इस देश की हजारों करोड़ रूपये की राशि इसमें अन्तर्गस्त है पूरी संचार प्रणाली अन्तर्ग्रस्त है। अतः सदस्यों के लिए सरकार के इस तरह के नाजुक मसले पर अभी भी **मौनी बाबा** की अवस्था में बैठे रहने और कोई अनुकूल उत्तर न देने की बात स्वीकार करना बड़ी कठिन बात है। मेरे विचार से कैबीनेट मंत्री लज्जित हैं; इसीलिए जब यह मामला उठाया जाता है तो वे खड़े होकर कोई भी बात नहीं कहते। अब देश और विपक्षी दल भी क्या कर सकते हैं?

अतः, महोदय मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि संसद की कार्यवाही चलती रहनी चाहिए लेकिन इस तरह के मामले को दबा और रफा दफा नहीं किया जाना चाहिए। इस पर तत्काल विचार विमर्श शुरू किया जाना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं और हमारा प्रस्ताव है कि इस संबंध में सभा में एक समिति गठित की जानी चाहिए। कोई भी सरकार इसका विरोध नहीं कर सकती। अतः यह सभा अपना कार्य जारी रख सकती है। कृपया आप उन्हें यह बता दीजिए। कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। दौरे करते रहने की बजाय, उन्हें यहाँ भी कुछ करना चाहिए।

बहुत से सवाल है जिन्हें उठाना है। इसलिए इन तीन बातें को सरकार को मानना चाहिए, यह हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। यदि सरकार का कोई मंत्री इस पर रेस्पोंड करता है तो सदन को चलाने का कोई मतलब है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट है और वहां से फैसले आ रहे हैं, लेकिन उनको हम यहां नहीं उठा पाते हैं। पैट्रोल पम्पस के बारे में बार-बार हम लोग यहां नहीं उठा पाए। दूसरे सदन में मामला उठा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मंत्रालय के अफसर, बड़े मंत्री या उन सब लोगों के रिश्तेदारों को गरीबों के नाम पर जो पैट्रोल पम्प और गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

यह सदन देश का सर्वोच्य सदन है। देश में सार्वजनिक सम्पति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मुट्ठी भर लोग इस देश में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लगातार पांच साल से हम लोग टालते आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया यह हम सब लोगों के लिए बड़ी बात है। यह एक बड़ा सवाल है कि हम लोग यहां किसलिए बैठे हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह से सदन चल नहीं सकता है, इस तरह से सदन को चलाने का कोई मतलब नहीं है। हम सब मैम्बर बहुत एजिटेटेड हैं। ...... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रश्न काल नहीं चाहते, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने दो नेताओं को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। मेरे विचार से एक ही पक्ष को अनुमति देना न्यायपूर्ण बात नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, तो मैं सभा की बैठक स्थगित कर देता हूँ। लेकिन केवल एक पक्षीय बात कहना-सुनना ठीक नहीं है। .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सभा **12.00 मध्यान्ह पर पुनः समवेत** होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

***181. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित व्यस्त समय (बिजी सीजन) संबंधी ऋण नीति के उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक प्राप्त उपलब्धियाँ क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वितीय वर्ष के उत्तरार्ध अर्थात् अक्तूबर, 1995 से मार्च, 1996 जिसे "व्यस्त मौसम" भी कहा जाता है, के लिए दिनांक 29 सितम्बर, 1995 को घोषित ऋण नीति मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने और साथ ही वास्तविक क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा पूर्ति की वृद्धि संयत करने का प्रयास करती है।

(ख) नई ऋण नीति के प्रभाव को निर्धारित करना जल्दबाजी होगी क्योंकि इसकी घोषणा के बाद छः महीनों में से केवल दो महीने ही बीते हैं। तथापि, चालू वितीय वर्ष में 10 नवम्बर तक मुद्रा पूर्ति (एम 3) में 30, 174 करोड़ रूपए (5.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है जो पिछले वितीय वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान 56,855 करोड़ रूपए (13.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है।

दूसरी ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-खाद्य ऋण ने 17 मार्च और 10 नवम्बर, 1995 के बीच 24,984 करोड़ रूपए (13.2 प्रतिशत) वृद्धि दर्ज की है जो 18 मार्च और 11 नवम्बर, 1994 के बीच की अवधि में हुए 15,407 करोड़ रूपए (10 प्रतिशत) से अधिक है। इस ऋण नीति के उत्पादन के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करते हुए मुद्रा पूर्ति की समग्र वृद्धि को नियंत्रित करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

निर्यात में वृद्धि

***182. श्री सुधीर सावन्त :**
श्री विजय एन. पाटील :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 में कितना निर्यात होने का अनुमान है;

(ख) क्या निर्यात की वृद्धि दर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के निर्यात की तुलना में चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य से अत्यधिक कम हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यातकों को सरकारी कोटे के अन्तर्गत कच्चे माल का वितरण न करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या बीजकों को अधिक बढ़ा कर दिखाने पर नियंत्रण रखने तथा निर्यात के सही-सही आंकड़े दर्ज करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध के सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान यू. एस. डालर के रूप में लगभग 20 प्रतिशत तक निर्यात में वृद्धि होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। दूसरी ओर चालू वर्ष में अप्रैल-अक्तूबर, 1995 वह अद्यतन अवधि है जिसके विदेशी व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं, में यू.एस. डालर के रूप में 24.5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 1994-95 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य नहीं तय किया गया था। वर्ष 1993-94 में 22138 मिलियन यू. एस. डालर के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक निर्यात 22237 मिलियन यू.एस. डालर का ही हुआ था, वार्षिक वृद्धि दर 20 प्रतिशत रही जो लक्षित वार्षिक वृद्धि दर के समान है।

(घ) और (ङ). महोदय निर्यातकों को सरकारी कोटा के तहत कच्चा माल वितरित करने की कोई योजना नहीं है। निर्यातकों को कच्चे-माल की उपलब्धता अग्रिम लाइसेंस/ओ.जी.एल. के जरिए की जाती है।

(च) और (छ). इस प्रकार की कदाचार के खिलाफ सरकारी प्रवर्तन अभिकरण सहज हैं। जब कभी इस प्रकार के मामले पकड़े जाएंगे तो अपराधियों के खिलाफ उपुर्यक्त कार्यवाही की जाएगी।

दिखावटी निर्यात

***183. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1993 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" के बिजनेस टाइम्स में छपे एक समाचार की ओर गया है जिसमे बताया गया है कि बड़ी संख्या में व्यापारी लोग भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा गैर कानूनी ढंग से देश में लाये हैं ताकि निर्यात के बहाने उन्हें डालर में बदला जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सरकार को टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 17 नवम्बर, 1995 के अंक में प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

प्रवर्तन एजेन्सियों के सामने कुछेक ऐसे मामले आए हैं जिनमें निर्यात के प्रति विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तित की गई थी और जिनकी जांच करने पर अधिक मूल्य के बीजक बनाने का पता चला; कुछेक मामलों में निर्यात किया ही नहीं गया अथवा मामूली वाणिज्यिक मूल्य की मदें निर्यात की गई थीं; कुछ मामलों में निर्यात की गई मात्रा कम थी जबकि घोषित की गई मात्रा अधिक थी; और कुछेक दस्तावेजों में निर्यातों की अधिक मात्रा दिखाने के लिए हेरा-फेरी की गई थी।

जांच करने के परिणामस्वरूप एक सीमाशुल्क अधिकारी सहित कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। चार अन्य सीमाशुल्क अधिकारियों को निलम्बित किया गया है।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों को रियायतें

***184. डा. मुमताज अंसारी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्तमान में बुनकरों को दी जा रही और भविष्य में दी जाने वाली छूट/रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : हथकरघा बुनकरों को इस समय उपलब्ध रियायतें/छूट और अन्य सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(1) हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत सहायता।

(2) मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत सहायता।

(3) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत सहायता।

(4) हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय छूट।

(5) नाबार्ड पुनर्वित्त के अंतर्गत सहकारी बैंकों और वाणिज्यक बैंकों के माध्यम से केश केडिट सुविधाऐं।

(6) राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो और लघु स्तर के हथकरघा एक्सपो में भाग लेने के लिए सहायता।

(7) विपणन विकास सहायता।

(8) हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना की योजना, प्रोजैक्ट पेकेज योजना, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, समूह बीमा योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना, राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह कार्यक्रम, राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना, निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी जैसी वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत सहायता।

(9) विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से सहायता।

हथकरघा क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाऐं किसी राज्य विशेष के लिए नहीं होती। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तवों के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में एयर इंडिया की स्थिति

***185. श्री राम कृपाल यादव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एयर इंडिया" विश्व में अपने लिए नए बाजार खोजने में विफल रही है जिसके कारण यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). एयर इंडिया ने विमान उपलब्धता संबंधी तंगी और प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक सीमाओं के अन्दर सेवाओं के अपने नेटवर्क का विस्तार करने का सदैव प्रयास किया है। 1995 के दौरान, एअर इंडिया ने विद्यमान मार्गों पर अपनी आवृतियों में वृद्धि की है और आठ नये मार्ग आरंभ किये। एयर इंडिया ने चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर एन्टेबे, मैड्रिड और तेल-अविव जैसे कुछ नये स्थानों के लिए सेवाएं आरंभ करने की भी योजना बनाई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिरिक्त भूमि

***186. श्री चित्त बसु :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भूसंपत्तियों को बेचने का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या सरकार ने आयकर विभाग को दो राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिरिक्त भूमि तथा इसकी अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयकर विभाग ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वस्त्र अनुसंधान एसोशिएशन द्वारा तैयार की गई योजना पर आधारित सरकार ने एन. टी. सी. की मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रू. के परिव्यय पर 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों आदि में पुर्नसंरचना करना शामिल है। आधुनिकीकरण के लिए निधियाँ एन. टी. सी. के अधीन मिलों की वेशी भूमि तथा परिसम्पत्तियों का विक्रय करके जुटाई जानी है।

(ख) से (घ). केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) जिन्हें एन. टी. सी. की मिलों की वेशी भूमि तथा परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसके अनुसार एन. टी. सी. के पास 2349 करोड़ रू. की कीमत की लगभग 1514.17 एकड़ वेशी भूमि है। चूंकि एन. टी. सी. की 9 सहायक निगमों में से 8 निगमों के मामले बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए हैं, इन 8 सहायक निगमों के लिए संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति को कार्यान्वयन से पूर्व अनुमोदन हेतु बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है।

हवाला कारोबार

***187. श्री चेतन पी. एस. चौहान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन माह के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने देश में हवाला कारोबार के अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस प्रकार के कारोबार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). गत तीन महीनों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 26.07 करोड़ रूपये की राशि के हवाला कारोबार के 31 मामलों का पता लगाया है। इस सम्बन्ध में 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) इस प्रकार के कारोबार का पता लगाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाते हैं। जब कभी इस प्रकार के किसी मामले का पता चलता है, कानून के अधीन उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

तम्बाकू का उत्पादन

***188. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में आज तक की स्थिति सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में विशेषकर उड़ीसा में कुल कितनी मात्रा में तम्बाकू का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू की खरीद न किये जाने के कारण कुछ राज्यों में किसानों के पास भारी मात्रा में तम्बाकू पड़ा हुआ है;

(ग) क्या कुछ राज्यों के तम्बाकू उत्पादकों ने अपने उत्पादन के लिये लाभकारी मूल्य की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :-(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में और उड़ीसा राज्य में तम्बाकू (एफ. सी. वी.) उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :

1. देश में एफ. सी. वी. तम्बाकू का कुल उत्पादन

वर्ष	मात्रा (एम. कि. ग्रा.)
1992-93	168.50
1993-94	125.50
1994-95	110.01
1995-96 (लक्षित उत्पादन)	100.87

2. उड़ीसा राज्य में उत्पादन

1992-93	0.025
1993-94	0.053
1994-95	0.069
1995-96 (लक्षित उत्पादन)	0.040

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). जी हां। कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादक संघ ने एफ.सी.वी. तम्बाकू के लिए लाभकारी मूल्यों की मांग की थी। कृषि संबंधी लागत एवं मूल्य आयोग के सुझावों के आधार पर तम्बाकू की विभिन्न किस्मों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू की बिक्री के लिए तम्बाकू निलामी मंचों का प्रचालन करता है। नीलामी केन्द्रों में बड़ी संख्या में क्रेताओं (व्यापारियों और निर्यातकों) का भागीदारी को प्रोत्साहित करने से उत्पादकों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना से अधिक कीमत मिलती है।

कारों का निर्यात

***189. श्री हरिन पाठक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कारों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न देशों के कारों के विविध माडलों की कुल कितनी मांग है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कारों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). निर्यात योग्य सभी मदों का निर्यात संवर्धन करना सरकार का सतत् प्रयास रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात अभियान को आवश्यक प्रोत्साहन मिले, सरकार कार समेत विभिन्न सामानों के निर्यात बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाएं चला रही है। कारों सहित अन्य सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क छूट योजना सहित निर्यात-आयात नीति, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क प्रति अदायगी योजना और आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अन्तर्गत प्राप्त छूट के अन्तर्गत उपाय किए जाते हैं।

(ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई.ई.पी.सी.) के अनुसार, नीदरलैण्ड, फ्रांस, स्पेन, माल्टा, जापान, यू. ए. ई. केन्या, नेपाल, बंगला देश, आस्ट्रेलिया, उरूग्वे, बेल्जियम, जर्मनी, यूनान, चिल्ली, अर्जेंटिना, परागवे, श्री लंका, सुडान, बुल्गारिया, क्रोशिया, साइप्रस, इटली, स्लोवेनिया देशों में भारतीय कारों की मांग है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान ई.ई.पी.सी. ने वर्ष 1994-95 के दौरान 23079 कारों के निर्यात आंकड़ों की तुलना में कारों के निर्यात के लिए 26 प्रतिशत वृद्धि दर निर्धारित की है।

बी. आई. सी. मिलों के लिये मशीनों की खरीद

***190. श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित बी. आई. सी. मिलों के लिये मशीने खरीदने हेतु सन् 1987 में विभिन्न फर्मों को लाखों रूपये दिये गये थे परन्तु न तो मांग के अनुरूप मशीनों की सप्लाई की गई और न ही रूपया वापस किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बी. आई. सी. मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने 1986-87 में मशीनों के लिए आदेश दिया था जिसके प्रति उन्हें लगभग 24 करोड़ रू. की मशीनें प्राप्त हुई। धन की कमी के कारण कम्पनी लगभग 1 करोड़ रू. की मूल्य की कुछ शेष मशीनों की डिलिवरी न ले सकी। इन आदेशों के प्रति लगभग 12 लाख रू. का अग्रिम पार्टियों के पास पड़ा हुआ है।

(ग) बी. आई. एफ. आर. ने बी. आई. सी. को बन्द करने के आदेश दिए हैं जिसके विरूद्ध उन्होंने अपील की है जोकि ए.ए.आई.एफ.आर. के समक्ष अनिर्णित पड़ी है। ए. ए. आई. एफ. आर. द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने तक सरकार मजदूरी वेतन तथा बोनस का भुगतान करने के लिए निधियाँ रिलीज कर रही है। इसके अतिरिक्त बी.आई.सी. को विशेषकर कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निधियाँ दी गई हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी) के कर्मचारियों को बोनस

*191. **श्री राम नाईक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व दीपावली बोनस का भुगतान नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एन. टी. सी. के कामगारों कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 के बोनस का भुगतान निर्धारित अवधि में किया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता का उपयोग

*192. **श्री खेलन राम जांगडे** :

श्री कुंजी लाल :

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी वित्तीय सहायता का अधिकतम उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान सभी विदेशी स्रोतों से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता में से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) विद्युत, सिंचाई, सड़क निर्माण, रेलवे, कायेला, इस्पात और औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं के लिये आवंटित धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि का प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकार द्वारा सभी विदेशी स्रोतों से प्राप्त की गयी और उपयोग में लाई गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है:—

वर्ष	राशि करोड़ रु.)
1992-93	9875.05
1993-94	10115.52
1994-95	9529.74

(ग) और (घ). चूंकि दाता देशों द्वारा विदेशी सहायता वास्तविक उपयोग के बदले में प्रतिपूर्ति किए जाने के आधार पर प्रदान की जाती है इसलिए उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई राशि में से निधियों के अप्रयुक्त रहने का प्रश्न नहीं उठता तथापि, विदेशी सहायता मुख्यत: अनुमोदित परियोजनाओं से ही सम्बद्ध होती है इसलिए किसी भी परियोजना के लिए स्वीकृत सहायता का उपयोग परियोजना की कार्यान्वयन अवधि में किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप, किसी भी समय सहायता की अनाहरित शेष राशियां मिल जाएंगी जिसमें मिलने वाली सहायता भी परिलक्षित होगी जिसे परियोजना कार्यान्वयन पूरा होने पर समाविष्ट कर लिया जाएगा। 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनाहरित शेष राशियां निम्न प्रकार से है :—

राशि (करोड़ रु.)

क्रम सं.	क्षेत्र	(1.4.95 की स्थिति के अनुसार) अनाहरित शेष राशि
1.	विद्युत	16893.20
2.	सिंचाई	2090.65
3.	सड़कें	2526.86
4.	रेलवे	1035.21
5.	कोयला	244.43
6.	उद्योग (इस्पात तथा औद्योगिक अनुसंधान सहित)	1815.44

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई

*193. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अक्तूबर, 1995 तक देश में हथकरघा बुनकरों, विशेषरूप से मध्य प्रदेश के बुनकरों को सूती धागा किस दर पर उपलब्ध कराया गया अथवा उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) धागे के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) सूती धागे के मूल्य में वृद्धि के कारण बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार बनुकरों को कम कीमत पर धागा उपलब्ध करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95, और 1995-96 (अक्टूबर 1995 तक) देश में हथकरघा बनुकरों जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है को सप्लाई किए गए सूती धागे का भार में औसत मूल्य दशनि वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सूती हैंक यार्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण कच्ची कपास के मूल्यों में वृद्धि होना, हरियाणा और पंजाब में कपास की फसल में कीड़ा लगना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बाढ़ आना और आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास की कमी होना है।

(ग) सूती हैंक यार्न के मूल्यों के कारण हथकरघा उत्पादों आदि के उत्पादन और विपणन में असर पड़ सकता है। तथापि भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना, मिल गेट मूल्य योजना आदि के माध्यम से उचित मूल्यों पर सूत उपलब्ध करवाने के लिए समय आवश्यक कार्यवाही की है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से रियायत देकर 20 मिलियन किलोग्राम सूती हैंक यार्न की आपूर्ति करने के लिए हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना की घोषणा की थी। इस योजना को वर्ष 1995-96 के लिए भी बढ़ा दिया गया है और आपूर्ति का लक्ष्य 20 मिलियन किलोग्राम है तथा रियायत की दर को बढ़ा कर 20 रूपये प्रति किलो ग्राम किया गया है। मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर धाग उपलब्ध करवाती है। इस योजना को भी वर्ष 1995-96 के लिए बढ़ा दिया गया है और आपूर्ति का लक्ष्य 20 मिलियन किलोग्राम रखा गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का निर्यात

***194. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाजार में दालों तथा आलू और प्याज जैसी वस्तुओं की अत्याधिक तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से इन वस्तुओं का निर्यात रोकने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने सरकार के विचारार्थ एक टिप्पणी तैयार की और उस पर वाणिज्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के विचार मांगे गए। इस टिप्पणी में अन्य बातों के अलावा यह प्रस्ताव है कि दालों के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया जाए; प्याज का निर्यात फिलहाल अस्थायी तौर पर स्थगित रखा जाए और नैफेड को सलाह दी जाए कि वह सरकारी खुदरा दुकानों की मार्फत बिक्री हेतु प्याज तथा आलू की खरीद हेतु बाजार में हस्तक्षेप करें।

दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल) पर है। सरकारी क्षेत्र के व्यापार संगठनों के जरिए और अधिक आयात करके दालों की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्रालय, वित मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि इस समय प्याज का निर्यात स्थगित किया जाए। किन्तु, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर सावधानी से निगरानी रखी जाएगी कि घरेलू बाजार में प्याज की पर्याप्त सप्लाई है। कृषि मंत्रालय ने अपनी राय में बताया है कि नैफेड खुले बाजार में प्याज तथा आलू की खरीद करने का इच्छुक है जिसे निर्दिष्ट एजेंसियों/खुदरा दुकानों के जरिए और कुछ अन्य शर्तों के अध्यधीन सप्लाई किया जाएगा।

[हिन्दी]

यूरोपीय देशों के शिष्टमंडलों की यात्रा

***195. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विवरण

हैंक के रूप में सूती धागे का औसतन भार मूल्य (महावार) (कोइम्बटूर बाजार)

(रुपये प्रति किलो)

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1993-94	64.10	64.43	70.03	64.47	63.72	69.06	64.40	64.59	66.87	71.91	72.73	88.26
1994-95	90.92	87.60	80.99	82.97	84.01	83.57	84.31	87.40	92.65	88.83	100.18	96.18
1995-96	97.20	96.99	95.51	94.47	93.98	92.65	92.72					

(क) उन यूरोपीय देशों का ब्यौरा क्या है जिनके शिष्टमंडलों ने गत तीन महीनों के दौरान भारत की यात्रा की;

(ख) इन शिष्टमंडलों के साथ किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन देशों के शिष्टमंडलों के साथ कोई व्यापार समझौते किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

[अनुवाद]

वित्तीय घाटा

***196. श्री प्रमथेश मुखर्जी :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय घाटे के अनुमान से कहीं अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये हाल ही में योजना आयोग के अध्यक्ष के साथ कोई बैठक की थी;

(ग) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) वित्तीय घाटे को कम से कम करने और व्यय पर अधिकाधिक नियंत्रण रखने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों का वित्तीय घाटा अगले वर्ष के बजट दस्तावेजों में प्रतिबिम्बित होगा।

(ख) और (ग) . योजना के वितपोषण हेतु संसाधनों आदि जैसे मामलों पर योजना आयोग और वित मंत्रालय के बीच सामान्य स्थिति में समय-समय पर विचार विमर्श होता रहता है।

(घ) राजस्व प्राप्तियों को अधिकाधिक बढ़ाकर तथा व्यय अभिवृद्धि को रोक कर वित्तीय घाटे पर नियंत्रण रखना एक सतत् कार्य है।

विवरण

व्यापार एवं व्यवसाय के प्रयोजनार्थ पिछले तीन महीनों के दौरान भारत की यात्रा पर आए यूरोपीय देशों के मंत्री-स्तरीय शिष्टमंडलों का ब्यौरा इस प्रकार है

क्र. सं.	शिष्टमंडल के दौरे की तारीखे	शिष्टमंडल का देश	शिष्टमंडल के प्रमुख का नाम और पदनाम	चर्चित विषय और परिणाम	क्या किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए
1	2	3	4	5	6
1.	5-15 सितम्बर, 1995	डेनमार्क	महामहिम श्री पाल निरप, प्रधानमंत्री, डेनमार्क	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय विषयों पर विस्तृत चर्चा। एक द्विपक्षीय पूंजी निवेश संरक्षण करार पर हस्ताक्षर किए गए।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
2.	13-15 सितम्बर, 1995	ब्रिटेन	महामहिम ऐंथनी नेल्सन, एम.पी. व्यापार मंत्री व्यापार एवम् उद्योग विभाग	भारत-ब्रिटिश साझेदारी पहल के तहत कार्यकलापों की सामान्य पुनरीक्षा, भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्ष गांठ के भाग के रूप में वर्ष 1996-97 में ब्रिटेन में एक प्रमुख भारतीय व्यापार प्रदर्शनी के आयोजन की संभावना और दोनों देशों के बीच अन्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
3.	25-29 सितम्बर, 1995	बुल्गारिया	महामहिम श्री रौमेन गेचेव, उप-प्रधानमन्त्री, बुल्गारिया	अन्य बातों के अलावा, साफ्टवेयर, इलैक्ट्रानिकी, कृषि एवं पर्यटन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

1	2	3	4	5	6
4.	9-13 अक्टूबर, 1995	स्पेन	महामहिम सुश्री रोसा डिएज, वाणिज्य मंत्री, बास्क स्वायत्त क्षेत्र, स्पेन	दोनों पक्षों में जागरूकता बढाने के उद्देश्य से तथ्य निर्णयन मिशन।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
5.	15-19 अक्टूबर, 1995	जर्मनी	प्रो. डा. एर्हर्ड रिट्टरहौस, द्वितीय मेयर तथा हैम्बर्ग के आर्थिक मामलों के सीनेटर	भारतीय व्यापार/उद्योग के उदारीकरण हेतु भावी संभावनाएं और सरकार तथा उद्योग के साथ अन्य बातचीत।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
6.	25-28 अक्टूबर, 1995	लग्जैम्बर्ग	महामहिम जार्जेज वोल्कार्ट, विदेश राज्य मंत्री, व्यापार तथा सहयोग डची, लग्जैम्बर्ग	मई, 1995 में लग्जैम्बर्ग के एच आर एच प्रिंस हैनरी की यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्यवाई, अन्य मुद्दे जैसे भारत में लग्जैम्बर्ग का दूतावास खोलना, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा कार्गो सेवाओं, यूरोपीय संघ में भारतीय माल के लिए बाजार पहुंच के संबंध में समझौता ज्ञापन।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
7.	2-6 नवम्बर, 1995	स्वीडन	महामहिम श्री मेट्स हेलस्ट्रोम, विदेश व्यापार तथा नार्डिक सहयोग मंत्री, स्वीडन	भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग के १२वें सत्र का आयोजन किया जिसके दौरान अन्य बातों के अलावा, यूरोपीय संघ से स्वीडन की सदस्यता समाप्त होने, मुकत व्यापार के संवर्धन और वस्त्रों तथा कृषि क्षेत्रों में और अधिक उदारीकरण के मुद्दों पर चर्चा की गई।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
8.	11-15 नवम्बर, 1995	रोमानिया	महामहिम श्री पेत्रू क्रिसन, वाणिज्य मंत्री, रोमानिया	अन्य बातों के अलावा, रेलवे, इस्पात, रसायन, इलैक्ट्रानिकी तथा पैट्रो-रसायन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नही किए गए।
9.	20-24 नवम्बर, 1995	आयरलैण्ड	महामहिम एण्डा केन्नी, पर्यटन एवं व्यापार मंत्री	साफ्टवेयर तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में द्विपीक्षीय सहयोग।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नही किए गए।
10.	6-7 दिसम्बर, 1995	स्पेन	महामहिम जैवियर गौमेज नैवेरो, वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री	उनकी इस यात्रा के दौरान भारत-स्पेन संयुक्त आयोग के चौथे सत्र का आयोजन किया गया। द्विपक्षीय व्यापार के मामलों पर चर्चा की गई।	किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

बाल श्रमिक

***197. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मानक आयोग (कमीशन आफ लेबर स्टैण्डर्डस) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार देश में बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिये 15000 करोड़ रूपये की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो देश में बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के बारे में आयोग ने अन्य क्या टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). डा. सुब्रह्मण्यम् स्वामी की अध्यक्षता में गठित श्रम मानक आयोग ने सरकार को अभी तक कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश

***198. श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट "वर्ल्ड एम्पलायमेन्ट रिपोर्ट 1995" में घनी आबादी वाले देशों में अंधाधुंध तरीके से सुधार कार्यक्रमों को लागू किये जाने के संबंध में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त टिप्पणी पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). सामाजिक विकास विषय पर विश्व शिखर सम्मेलन को पूर्व-संध्या को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (अं. श्र. स.) ने "वर्ल्ड एम्पलायमेंट 1995" नामक एक रिपोर्ट जारी की। विकासशील देशों से संबंधित अध्याय में अं. श्र. सं. की रिपोर्ट में अन्यों के साथ-साथ सुधारों के अविचरित कार्यान्वयन लिए जाने के विरूद्ध चेतावनी दी गई है और यह सुझाव दिया गया है कि तात्क्षणिक रूप से समायोजन किया जाना न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और न ही सामाजिक रूप से पोषणीय है, क्योंकि विकासशील देशों में श्रम के प्रशासन को वस्तुतः एक बड़े व्यतिरेकों को समायोजित करने का कोई अनुभव नहीं है और उनके पास सामाजिक सुरक्षा नेट बहुत अपर्याप्त हैं। भारत के संबंध में इस कथन की विशिष्टता नहीं है।

इस चेतावनी पर ध्यान दिए बिना, सरकार इन तथ्यों के प्रति सजग है और इस बात को आठवें योजना कार्यक्रम में प्रतिबिम्बित किया गया है। सरकार ने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में पोषणीय रोजगार सृजन विकास को बढ़ावा देने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसने सामाजिक क्षेत्र और निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना आवंटन को भी पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पुनप्रशिक्षण और विनियोजना से संबंधित संस्थागत व्यवस्था और कर्मकारों के लिए सुरक्षा नेट के लिए विभिन्न उपायों को निर्धारित किया है।

यू. टी. आई. द्वारा निवेश

***199. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने निजी औद्योगिक क्षेत्र में कितना निवेश किया है; और

(ख) यदि हां तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए कुल निवेश के परिप्रेक्ष्य में दस शीर्ष कंपनियों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई) द्वारा विभिन्न वित्तीय साधनों जैसे कि निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्गमित शेयरों, श्रम-पत्रों आदि में किया गया कुल निवेश 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार 34104 करोड़ रूपए था।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कुल निवेशों के रूप में निजी क्षेत्र की दस सर्वोच्च कंपनियों के नाम तथा निवेशित धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कम्पनी का नाम	भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेशित धनराशि (करोड़ रुपए)
1. रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,184.18
2. आई.सी.आई.सी.आई. लि.	1,876.67
3. ग्रेशिम इंडस्ट्रीज लि.	1,100.22
4. टाटा ऑयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	1,091.17
5. टेल्को	719.55
6. टाटा केमिकल्ज लि.	679.41
7. हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.	626.96
8. एस्सार गुजरात लि.	625.58
9. आई.टी.सी. लि.	553.77
10. एच.डी.एफ.सी. लि.	527.2

तकनीकी खराबी के कारण खड़े विमान

***200. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में एयर इंडिया के विमान तकनीकी कारणों से खड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानों की संख्या कितनी है; और

(ग) ये विमान इस प्रकार कब से खड़े है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). एयर इंडिया के निम्नलिखित बोइंग विमान इस समय आवधिक अनुरक्षण जांचों के लिए खड़े हैं :

क्र. सं.	विमान	तारीख जब से खड़े हैं
1.	बी 747-300 (वीटी-ईपीएक्स)	3.11.1995
2.	बी 747-200 (वीटी-ईडीयू)	10.10.1995
3.	बी 747-200 (वीटी-ईजीए)	18.5.1995
4.	बी 747-200 (वीटी-ईजीबी)	18.6.1995
5.	बी 747-200 (वीटी-ईएनक्यू)	15.8.1995

जी. आई. सी. द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1924. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी. आई. सी. के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 के शिक्षा सत्र के दौरान कितने विद्यार्थियों को नौकरियां/प्रशिक्षुता दी गई; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत 1994-95 के शिक्षा सत्र के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जी. आई. सी. में कब तक नौकरियां दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1993-94 में आरम्भ हुए शैक्षणिक वर्ष से 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत "नौकरी गारन्टी" योजना को हटा दिया गया था। इसलिए, उत्तीर्ण विद्यार्थी साधारण बीमा उद्योग में सहायक के पद हेतु 1995 में प्रवेश के लिए पदों पर भर्ती की घोषणा किए जाने पर साधारण बीमा निगम द्वारा निर्धारित भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही प्रतियोगिता के लिए पात्र हो सकेंगे। जहां तक उन उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संबंध है जो शैक्षणिक वर्ष 1992-93 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल हुए थे और वर्ष 1994 के दौरान "प्रशिक्षु सहायक" के रूप में समावेशन के लिए पात्र हो गए थे, साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे सभी 482 अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हो चुके थे और पात्र थे, साधारण बीमा उद्योग में "प्रशिक्षु सहायकों" के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण निदेशालय का कार्यविधि अध्ययन

1925. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण निदेशालय और रोजगार निदेशालय के कार्य विधि अध्ययन संबंधी प्रयोगात्मक रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और कब तक इनके क्रियान्वयन की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिपोर्टों को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). चूंकि अंतिम रिपोर्टों में, संगत प्रभागों एवं विभागों से संबंधित और भी अध्ययन एवं परामर्श सम्मिलित हैं, रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम बता पाना कठिन है।

बरेली हवाई पट्टी

1926. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश बरेली में हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पटसन मिलें

1927. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री छेदी पासवान :
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विशेष रूप से बिहार में इस समय राज्यवार कितनी पटसन मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी पटसन मिले रूग्ण हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितनी मिलें बंद कर दी गई; और

(ग) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). देश में 73 पटसन मिले हैं। रूग्ण पटसन मिलों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

राज्य	पटसन मिलों की संख्या	रूग्ण पटसन मिलें
पश्चिम बंगाल	59	38
बिहार	3	2
असम	1	4
त्रिपुरा	1	1
उड़ीसा	1	1
आन्ध्र प्रदेश	4	2
मध्य प्रदेश	1	-
उत्तर प्रदेश	3	2
	योग : 73	46

पिछले तीन वर्षों के दौरान कई अवसरों पर मिलें बन्द की गई थीं और बाद में पुनः खोल दी गई थीं। तथापि, तीन मिलें नामतः कानपुर, कटिहार, तथा श्री बजरंग काफी समय से बन्द पड़ी हैं।

(ग) प्रत्येक रूग्ण पटसन मिल कम्पनियों के मामलों की बी. आई. एफ. आर. द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

विमानों की कमी

1928. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1995 के दूसरे एवं तीसरे सप्ताहों के दौरान विमानों की अत्याधिक कमी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एयर इंडिया के पास बोइंग 747 के कितने विमान हैं तथा 20 अक्तूबर, 1995 को कितने बोइंग 747 विमान कार्यरत थे; और

(घ) क्या उक्त कमी रख-रखाव कर्मचारियों की आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1995 के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान, बी 747-200/300 बेड़े की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 2.4 विमान यूनिटों की कमी हुई थी। यह कमी लम्बे समय से ग्राउंड किए गए विमानों की चल रही आवधिक अनुरक्षण जांच के कारण हुई थी।

(ग) एयर इंडिया के बेड़े में 15 बोइंग 747 में से, 9.5 यूनिटें अनुसूचित आधार पर प्रचालन में हैं। इसके मुकाबले, 20 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार 8 विमान प्रचालन में थे।

(घ) और (ङ). अक्तूबर, 1994 में विमानचालकों को पारिश्रमिक में दी गई वृद्धि के फलस्वरूप विमान अनुरक्षण इंजीनियरों ने उच्च वेतन के लिए अपनी मांग को मनवाने के लिए "धीरे काम करो" की प्रक्रिया अपनाई। एयर इंडिया का प्रबन्धक वर्ग वेतन वृद्धि की मात्रा और उत्पादकता में सम्बद्ध वृद्धि के संबंध में इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत कर रहा है।

जगतजीत इंडस्ट्रीज के लाइसेंस का नवीकरण

1929. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अगस्त, 1995 के "जनसत्ता' में "जगतजीत इण्डस्ट्रीज" के लाइसेंस का चुपचाप नवीकरण मुख्य मंत्री और वित मंत्री पर करोड़ों की घूस लेने का आरोप, "इधर लाइसेंस मिला उधर शराब पकड़ी गयी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सी. बी. आई. द्वारा इस विषय की जांच का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मामले के तथ्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली के उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर ली है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने एक फौजदारी का मामला दर्ज किया है।

विवरण

दिल्ली पुलिस द्वारा जहाँगीर पुरी के क्षेत्र में मद्यनिर्माण शाला की मदिरा के परेषण के जब्त किए जाने पर उत्पाद शुल्क समाहर्ता ने दिनांक 17.4.1995 को मै. जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि. का लाइसेंस रद्द कर दिया। मैं जगतजीत इण्डस्ट्रीज ने उत्पाद शुल्क समाहर्ता के आदेशों के विरूद्ध उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी जिन्होंने अपने दिनांक 29.5.1995 के आदेश के तहत उत्पाद शुल्क समाहर्ता द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध दिल्ली सरकार ने वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक अपील दायर की।

जब मै. जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि. का वर्ष 1995-96 के लिए एल- I लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन विचाराधीन था, तब आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1995-96 के एल- I लाईसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका सं. सी डब्ल्यू पी/2290/95 और 1995 का सी. ए. एस. 10 सं. 3845 दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश के 7 दिन के अन्दर नवीकरण आवेदन के निपटान के लिए दिनांक 26.6.95 को एक आदेश पारित किया। इन आदेशों के अनुसरण में लाईसेंस देने वाले सक्षम प्राधिकारी नामतः उत्पाद शुल्क समाहर्ता ने आवेदन को अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पाने पर और आवेदक मै. जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि. की सुनवाई के बाद लाईसेंस के नवीकरण के आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए दिनांक 30.6.95 को आदेश पारित किए। उत्पाद शुल्क समाहर्ता के इन आदेशों को मै. जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि. ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्ष 1995 की याचिका सं. 2501 के तहत चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने समाहर्ता को यह मामला इन निदेशों के साथ वापिस लौटा दिया कि नवीकरण के लिए दायर किए गए आवेदन की त्रुटियों को हटाने और/अथवा अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी नामतः मै. जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि. को उपयुक्त समय दिया जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में और लाईसेंस के नवीकरण के आवेदन तथा इसके अन्य अतिरिक्त कागजातों पर विचार करने के पश्चात् उत्पाद शुल्क समहार्ता ने अर्ध-न्यायालय क्षमता में एल- I लाईसेंस के नवीकरण के लिए दिनांक 14.8.95 को आदेश पारित किए।

वितीय आयुक्त ने दिनांक 25.11.95 को अपने आदेश के तहत दिल्ली सरकार की अपील को अनुमति प्रदान की। मै. जगतजीत इण्डस्ट्रीज ने अब वित्तीय आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा फौजदारी का मामला भी दर्ज किया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं

1930. श्रीमती शीला गौतम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस संबंध में एसोशियेटिड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज से भी कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा कृषि-आधारित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना बना रही है। इसमें निर्यात के लिए नीतियों, कार्यनीतियों और अनौपचारिक सेक्टर को कवर किया जाएगा।

(ग) और (घ). जी, हां। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कार्यनीति संबंधी कार्य-योजना तैयार करते समय 10 मदों की विचारार्थ सरकार की जानकारी में लाया गया है। इसके अन्तर्गत आते हैं भारत की कृषि क्षमता का विधिवत् उपयोग, निर्यात प्रोत्साहन के लिए उद्योग के साथ-साथ फार्म सैक्टर का संगठन एवं प्रबंधन, उद्योग और कृषि के बीच संयुक्त भागीदारी के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास तथा कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात के लिए राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

विकलांगों को वृत्तिका

1931. श्री बलराज पासी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत विकलांग प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिका उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही कम है;

(ख) क्या इसमें संशोधन किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या उन लोगों को प्रतिमाह वृत्तिका-राशि का भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें इस राशि का नियंत्रित भुगतान किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वी आर सी) में कार्यरत विकलांगों को निम्नानुसार अलग-अलग राशि की वृत्तिका दी जा रही है:–

(1) मूल्यांकन की अवधि के दौरान श्रम मंत्रालय द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु को 100/- रू. प्रतिमाह की दर से वृत्तिका दी जाती है।

इन प्लांट प्रशिक्षुओं (गैर-छात्रावासी) को 170/रू. प्रतिमाह की दर से तथा कल्याण मंत्रालय को "विकलांगों हेतु छात्रवृत्ति" योजना-जो अब राष्ट्रीय परिषद् (एनडीसी) के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 1993-94 से केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है, के तहत इन प्लांट प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रशिक्षुओं (छात्रावासी) को 240/-रू. प्रतिमाह की दर से वृत्तिका दी जाती है।

(2) जहां तक मूल्यांकन वृत्तिका का प्रश्न है, विकलांग व्यावसायिक पनर्वास केन्द्रों (वीआरसी) द्वारा इसके भुगतान में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। तथापि, कुछेक राज्य सरकारों द्वारा अभी इन प्लांट प्रशिक्षुओं को वृत्तिका का भुगतान किया जाना है। इस मामले पर उनके द्वारा सक्रियता से अनुपालन किया जा रहा है।

(3) फिलहाल, उपर्युक्त वृत्तिका दरों में संशोधन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बैंक ऋण

1932. श्री पवन दीवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कुल कितना ऋण वितरित किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस राज्य में प्रत्येक बैंक द्वारा उपयुक्त क्षेत्रों को विभेदक ब्याज दरों पर वितरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और बैंकवार हथकरघा बुनकरों को विभेदक ब्याज दरों पर कितनी राशि का ऋण वितरित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश से संबंधित जून 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के संवितरण का श्रेणीवार ब्यौरा (अद्यतन उपलब्ध) नीचे दिया गया है:–

श्रेणी	राशि (लाख रुपए में)
कृषि	23370
लघु उद्योग	6186
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	6572

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अन्तर्गत संवितरण के लिये अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि डीआरआई योजना के अन्तर्गत उनके ऋण पिछले वर्ष के अंत के उनके कुल अग्रिमों का न्यूनतम एक प्रतिशत होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को डीआरआई योजना के अंतर्गत ऋण दिये जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी सूचना संकलित नहीं करता है।

[अनुवाद]

रत्न-कारीगर प्रशिक्षण स्कूल

1933. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रत्न-कारीगर प्रशिक्षण स्कूल को बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). जी, हां। जेम स्टोन्स आर्टिसेन्स ट्रेनिंग स्कूल जयपुर (गैट्स) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रायोजित संस्थानों में से एक है। प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में घटती प्रवेश संख्या के कारण परिषद् ने गैट्स को बन्द करने का निश्चय किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की फालतू भूमि की बिक्री

1934. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पास हजारों एकड़ फालतू भूमि है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों से इस फालुत भूमि को बेचकर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन अनुरोधों का विचार किया है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एन. टी. सी. मिलों की देशी भूमि लगभग 1515 एकड़ होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विशेष अनुदान

1935. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य वितीय संकट से उबारने के लिए विशेष अनुदान/सहायता प्रदान करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं, वित मंत्रालय को बिहार सरकार से किसी वित्तीय संकट के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय ब्राण्ड संवर्धन कोष

1936. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि बेहतर बनाने हेतु भारतीय ब्राण्ड संवर्धन कोष की स्थापना का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) सरकार ने, भारत ब्राण्ड संवर्धन निधि स्थापित करने के प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर लिया है।

(ख) निधि का गठन और इसका प्रबंधन तथा इस निधि के अन्तर्गत कवर होने वाले क्रियाकलापों के दायरे एवं प्रकृति के संबंध में विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बेहतर करदाता

1937. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और करवंचकों का पता लगाने के लिए अपने दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से हाल ही में गत दिनों कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या आयकर विभाग ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने 1993-94 के दौरान आर्थिक लेन-देन किया है, जिन्होंने एक बैंक से अन्य बैंक को टेलिग्राफिक अन्तरण किया है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आयातित कार और मँहगे फ्लैट बुक कराये हैं। ऐसे व्यक्ति जो इन्टीरीयर डेकोरेशन पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं, लाटरी एजेंट और ऐसे लोग जो रिसार्ट क्लब आदि की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं के बारे में आंकड़े एकत्रित कर रहा है;

(ग) क्या इसके आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं आयकर विभाग द्वारा इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले गए;

(घ) उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के कितने कर्मचारी करवंचकों की सहायता करने और अन्य भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। यह विभाग हर वर्ष विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण लेन-देनों से संबंधित सूचना एकत्र करता है। इसके बाद कर अपवंचन का पता लगाने और संभावित कर दाताओं की पहचान करने की दृष्टि से इस सूचना की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

स्वर्ण विनिमय

1938. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वर्ण परिषद् ने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजो की कार्यप्रणाली के आधार पर देश में स्वर्ण एक्सचेंजों की स्थापना का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त एक्सचेंज को किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा जैसे ही यह उपलब्ध होगी इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गेहूं पर राजसहायता

1939. श्री राम कापसे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी ब्रेड इकाइयों को सरकारी क्षेत्र की मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज तक सीमित रखने के बजाए 100 रूपए प्रति क्विंटल राज सहायता की राशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या आल इण्डिया ब्रेड मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन को इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निजी क्षेत्र के डबलरोटी निर्माताओं को अत्याधिक कम मूल्य पर गेहूँ की आपूर्ति को उस भारी हानि को ध्यान में रखते हुए अव्यवहार्य समझा गया, जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन करना पड़ता। तथापि डबलरोटी निर्माता बेकरियों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खुले बाजार की बिक्री के तहत गेहूँ प्राप्त करना जारी रखा है।

निर्यात प्रतिबद्धताओं के लंबित मामले

1940. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **वाणिज्य मंत्री** दिनांक 2 जून, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8394 तथा दिनांक 19 नवम्बर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार "75 पैंडिग केसेस ऑफ एडवांस लाइसेंससेज गॉट क्लियरेंस" के संदर्भ में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात नियमों के उल्लंघन के कुछ वर्षों से लम्बित निर्णयाधीन 57 मामलों के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) अन्य 123 निर्यत नियमों के उल्लंघन कर्ताओं के नाम क्या हैं तथा इसमें से प्रत्येक की ओर बकाया राशि कितनी है;

(ग) क्या उक्त समाचार में उल्लेखित 75 लाइसेंसो के अतिरिक्त अतीत में किसी अन्य निर्यात उल्लंघनकर्ता को अग्रिम लाइसेंस दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में निर्यात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं, जब तक कि वे अपनी निर्यात जिम्मेदारियों को पूरा न करें, के अग्रिम लाइसेंसों को निरस्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) न्याय निर्णय की कार्यवाई में शीघ्रता लाई जा रही है।

(ख) इन 123 निर्यात सम्बन्धी चूककर्ताओं के नाम दिनांक 7.8.1990 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1426 तथा दिनांक 5.5.1995 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4569 के उत्तर में दिए गए थे। इन फर्मों पर अभी भी बकाया राशि से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ). कलकत्ता में दिनांक 13.11.1995 को ओपन हाउस में जिन 75 मामलों पर विचार किया गया था उनमें से 50 को कुछ निश्चित शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस देने के लिए क्लीयर कर दिया गया है। इनमें से कोई भी मामला ऊपर पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित चूककर्ताओं से सम्बन्धित नहीं था।

निर्यात में उपलब्धि

1941. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष विकास दर को 25% के आस-पास अथवा इससे अधिक बनाए रखने पर सन् 2000 तक 100 बिलियन डालर का निर्यात लक्ष्य पूरा कर लिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात निर्यात संगठनों की फेडरेशन इस दृष्टिकोण से सहमत है;

(ग) यदि हां, तो 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या निर्यात द्वारा अर्जित राशि का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) निर्यात में और सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख).

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ ने एक निर्यात कार्य नीति दस्तावेज तैयार किया है जो सन् 2001 ई. तक 100 बिलियन अमरीकन डालर का निर्यात स्तर प्राप्त करने की योजना है। वर्ष 1994-95 में हुए 26.33 बिलियन अमरीकन डालर मूल्य के निर्यात को देखते हुए 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ सन् 2000-2001ई. तक निर्यात करीब 100 बिलियन अमरीकन डालर तक पहुंच जाएगा।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 में निर्यात में 18.4% की वृद्धि हुई। अप्रैल-अक्टूबर, 1995 चालू वर्ष की वह अद्यतन अवधि जिस विदेश व्यापार के आकड़े उपलब्ध है, में निर्यात वृद्धि डालर के रूप में 24.5% होने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 के लिए निर्यात वृद्धि का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। चालू वर्ष (1995-96) में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य में अमरीकी डालर के रूप में करीब 20% की वृद्धि परिलक्षित होती है।

(ड.) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। व्यापार, उद्योग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके निर्यात वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। सरकार नीति और क्रियाविधियों के वातावरण को निर्यात के अनुकूल बनाने के प्रयास कर रही है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात आयात नीति तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण, निर्यात उत्पादन में वृद्धि का कार्य क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता सुधार तथा तकनीकी उन्नयन पर बल, अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका का उल्लेख किया जा सकता है। चालू वर्ष में, एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु-विशिष्ट तथा देश-विशिष्ट उपाय शामिल हैं।

बैंक ऋण बाकीदारों के मुकदमों में पड़े खाते

1942. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1995 और 30 सितंबर, 1995 की स्थिति के अनुसार केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक और देना बैंक द्वारा प्रकाश में लाए गए एक करोड़ रूपए से अधिक राशि के बाकीदारी उधारों और मुकदमों में पड़े खातों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1995 और 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार चूककर्ताओं की सूची और मुकदमा दायर खातों की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सर्वोत्तम कार्य के लिए बैंकों को प्रोत्साहन

1943. श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से बैंकों में धोखाधड़ी का एक भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है; और

(ख) ऐसे बैंकों या उनके अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) सरकारी क्षेत्र का कोई भी ऐसा बैंक नहीं हैं, जिसने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1994 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी धोखाधड़ी के मामले की सूचना नहीं दी हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शेयर मूल्य

1944. श्री रमेश चैन्नित्तला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न मूल स्टॉक एक्सचेंजों के शेयर मूल्य सूचकांकों में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या हाल के शेयर मूल्यों में आई गिरावट के कारण पूंजी बाजार पर से छोटे निदेशकों का विश्वास उठ गया है; और

(घ) यदि हां, तो पूंजी बाजार में शेयर मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) शेयर मूल्य सूचकांकों में हाल में गिरावट हुई थी।

(ख) स्टाक बाजार में शेयरों के मूल्यों में विभिन्न् कारकों की अंत: क्रिया के कारण घट-बढ़ हो सकती है जैसे समग्र आर्थिक माहौल और नीति के संबंध में निदेशकों की प्रत्याशाएं कापोरेट क्षेत्र का कार्य-निष्पादन, विशाल संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए लेन-देन, स्टाक बाजार में व्याप्त विचारधाराएँ और विदेशों में पूंजी बाजार की प्रवृत्तियां।

(ग) चूंकि शेयर मूल्यों और उनके सूचकांकों में हाल में हुई गिरावट को मुख्यता स्टाक बाजार में तकनीकी कारकों के परिणामस्वरूप हुई एक अस्थायी घटना कहा जा सकता है, इसलिए इससे छोटे निवेशकों के विश्वास पर कोई स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) सरकार अथवा सेबी शेयर-मूल्यों के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने के लिए स्टाक बाजार में दखल नहीं देते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नकदी की कमी

1945. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकदी की कमी और अब तक की उच्चतम "काल मनी" दरों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता के प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अल्पकालिक उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप कहां तक प्रभावी रहा है;

(ग) "काल मनी" दरों को स्थिर करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों को नकदी की समस्याओं का निवारण करने में सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों और अन्य संस्थानों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि मांग मुद्रा (कालमनी) की दर में तेजी से वृद्धि होने से बैंकों की लाभप्रदता के प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह एक अल्पावधिक घटना है। आर.बी.आई. ने आगे सूचित किया है कि मुद्रा बाजार में उसके हस्तक्षेप का लाभप्रद परिणाम हुआ है और मांग की दरें अधिक सामान्य स्तर पर आ गई हैं।

(ग) और (घ). आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि चल निधि की स्थिति को आसान बनाने के संबंध में बैंकों और अन्यों द्वारा विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। जमाराशियों को और अधिक आकर्षक बनाने और बैंक संसाधनों के संवर्द्धन के लिये भी सितम्बर 1995 के अंत से ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय ये हैं:—दो वर्ष की परिपक्वता वाली घरेलू सावधि जमाराशियों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें नियत करने के लिए बैंकों को दी गई स्वतंत्रता, अनिवासी विदेशी रूपया खातों के अंतर्गत सावधि जमाराशियों पर ब्याज की दर बढ़ाना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के औसत सी.आर.आर. में कमी करना, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बी) (एफ सी एन आर) (बी) जमाराशियों के अन्तर्गत देयताओं पर औसत सी आर आर मे कमी आदि करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शेयरों का विनिदेशीकरण

1946. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने चालू वर्ष के दौरान अपने शेयरों का आंशिक रूप से विनिवेश किया है अथवा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) प्रत्येक उपक्रम के कितने शेयरों को बेचे जाने का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा इसका क्या आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) 30 नवम्बर, 1995 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वार वास्तव में कितने शेयर बेचे गये, कुल शेयर और बेचे जाने वाले शेयरों में उनका प्रतिशत कितना है और प्रति शेयर औसतन कितना मूल्य प्राप्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) चालू वर्ष के दौरान विनिवेश के लिए छांटे गए सरकारी क्षेत्र के 14 उपक्रमों में से, सरकारी क्षेत्र के 4 उपक्रमों का 30 नवम्बर, 1995 तक विनिवेश किया जा चुका है।

(ख) यह बाजार-अनुक्रिया और इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री नीलामी की विधि अथवा सरकार द्वारा यथानिर्णीत नियत मूल्य की पेशकश के जरिए की जाती है।

(ग) चालू वर्ष में नवम्बर, 1995 तक सरकारी क्षेत्र के 4 उपक्रमों के विनिवेश की स्थिति नीचे तालिका में है:—

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	बेचे गए शेयरों की संख्या (करोड़ में)	प्रदत्त पूंजी की तुलना में बेचे गए शेयरों का प्रतिशत	विक्रय शेयरों की तुलना में बेचे गए शेयरों का प्रशित	प्रति शेयर औसत मूल्य
ओ.एन.जी.सी.	0.02	0.01	0.56	260.509
सी.ओ.एन.सी.ओ.आर.	0.20	3.08	30.77	70.60
एस.ए.आई.एल.	0.44	0.11	2.21	30.39
एच.टी.एन.एल.	0.87	1.45	29.00	156.23

वस्त्र उद्योग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1947. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1995 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.टी.) ने भारत में वस्त्र उद्योग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस सम्मेलन मे वस्त्र नीति, वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति, सार्वमिकीकरण की चुनौती, गाटकोत्तर परिदृश्य, उद्योग को कच्चे माल, विशेषकर कपास की उपलब्धता, कपास का निर्यात तथा इस सम्बन्ध में सरकार की नीति से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सरकार को अभी सम्मेलन की सिफारिशें सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

"फिक्की" द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

1948. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फिक्की" के एक व्यावसायिक शिष्टमण्डल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है, ताकि दोनों देशों के बीच वार्ता के दूसरे चरण हेतु ठोस आधार तैयार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है तथा इसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर क्या असर पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) फैडरेशन आफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के आमन्त्रण पर फिक्की के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 24-26 सितंबर, 1995 को पाकिस्तान का दौरा किया।

(ख) इस यात्रा के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच संभावित व्यापार की मात्रा बताना या उसके विषय में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

यूरिया का आयात

1949. श्री केशरी लाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया आयात के संबंध में वर्तमान नीति की समीक्षा हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) जी, हां। यूरिया के आयात के गैर सरणीकरण की सम्भाव्यताओं और तरीकों पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय ने एक अन्तः मंत्रालयी समूह का गठन किया है। इसकी सिफारिशें अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

चांदी तथा सोने का निर्यात/आयात

1950. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष धातु के रूप में तथा आभूषण/बर्तनों के रूप में सोने और चांदी का कितना-कितना निर्यात/आयात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा इन धातुओं का निर्यात/आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्यात और आयात की गयी चांदी, और सोने की मात्रा संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) इन धातुओं के निर्यात/आयात को कम करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है।

विवरण

(सभी आंकड़े किलोग्राम में हैं।)

वर्ष	मद			
	सभी रूपों में सोना		सभी रूपों में चांदी	
	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
1993-94	98156.98	142049.1	3806694.7	28117.881
1994-95	430333.25	298853.7	2732518.1	29458.389
1995-96	379292.34	581734.4	1230152.9	61477.682

नवम्बर तक

राज्य सहकारी संगठनों की शिकायतें

1951. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जमा पूंजी एकत्र करने में महसूस की जारी बाधाओं को देखने हेतु एक कार्यदल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच कर ली है तथा उन्हें दूर कर दिया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की जमाराशियां जुटाने से संबंधित समस्या सहित उनके सामने आने वाली अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। समूह ने नाबार्ड को अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

पूर्वोत्तर में नाबार्ड की भूमिका

1952. श्री लाईता उम्बे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस क्षेत्र की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास बेंक (नाबार्ड) द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों को दिए गए पुनर्वित्त की राशि निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपये में)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
अरूणाचल प्रदेश	178	166	383
असम	2200	2685	3162
मणिपुर	252	209	232
मेघालय	128	215	215
मिजोरम	71	154	135
नागालैंड	114	101	116
त्रिपुरा	642	469	818
योग	3385	3999	5061

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मौसमी कृषि कार्यों (एस.ए.ओ.) के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमाओं के ब्यौरे सलंग्न विवरण I और II में दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत 88.39 करोड़ रूपए की धनराशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग). नाबार्ड, वार्षिक संभावना से जुड़ी ऋण योजनाओं के जरिए, कृषि एवं ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक जिले में दोहन संभावना का प्रतिवर्ष आंकलन करता रहा है तथा इसे बैंकों एवं सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता रहा है ताकि वास्तविक सेवा क्षेत्र योजनाएं तथा राज्य योजनाएं बनाना सरल हो सके। नाबार्ड ने अपने विभिन्न ऋण संवर्धन एवं विकास योजनाओं से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए तथा जिला स्तर पर सूक्ष्म योजनाएं बनाने के लिए प्रभावी समन्वय को सहज हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में 14 जिला कार्यालय भी खोले हैं। नाबार्ड ने पूर्वी-पूर्वोत्तर विकास परामर्शी सेवाओं के लिए मेघालय में क्षेत्रीय विकास संबंधी विशेष अध्ययन भी प्रायोजित किया है। सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 1995-96 में नाबार्ड द्वारा तैयार की गई संभावना में जुड़ी ऋण योजनाओं के अनुसार, बुनियादी स्तर के ऋणों का कुल आकलन निम्नलिखित है:—

(लाख रुपये में)

राज्य	कृषि	गैर-कृषि क्षेत्र	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	योग
अरूणाचल प्रदेश	614	511	81	80	1286
असम	6278	5964	388	47	11777
मणिपुर	1823	809	–	–	2632
मेघालय	1367	692	493	–	2552
मिजोरम	626	168	348	–	1142
नागालैंड	677	310	69	–	1056
त्रिपुरा	1157	661	433	–	2251
योग	12542	8215	1812	127	22696

पूर्वोत्तर में ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए, नाबार्ड द्वारा की गई प्रमुख पहलों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) पूर्वोत्तर के लिए लागू पुनर्वित्त की दर 90 प्रतिशत है, जबकि अन्यत्र लागू दरें अपेक्षाकृत कम हैं।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति लाभग्राहियों के लिए, विशेष योजनाओं हेतु 7.10 करोड़ रूपए तक पुनर्वित आंबटित किया गया है।

(3) पूर्वोत्तर में पता लगाए गए जनजाति बाहुल्य वाले जिलों के लिए एस. ए. ओ. के तहत अनन्य ऋण व्यवस्था के रूप में 11 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गये हैं।

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह पर निगरानी रखने हेतु, एक उच्चस्तरीय संचालन दल गठित किया गया है।

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी के संग्रह हेतु 3 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93; 1993-94 और 1995-96 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी बैंको द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के लिए उन्हें नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनर्वित्त

(लाख रुपये में)

राज्य	मंजूर सीमा	अधिकतम बकाया	मंजूर सीमा	अधिकतम बकाया	मंजूर सीमा	अधिकतम सीमा
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	200	–	200	–
मणिपुर	–	915	-7	864*	616	861
मेघालय	125	125	125	125	250	250
मिजोरम	180	–	–	20*	–	–
नागालैण्ड	100	100	100	–	190	190
त्रिपुरा	100	100	150	130	100	130
योग	505	1240	575	1139	1356	1431

* पिछली सीमाओं की तुलना में बकाया।

विवरण-II

वर्ष 1992-93; 1993-94 और 1995-96 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया पुनर्वित्त

(लाख रुपये में)

राज्य	मंजूर सीमा	अधिकतम बकाया	मंजूर सीमा	अधिकतम बकाया	मंजूर सीमा	अधिकतम सीमा
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
असम	337	310	333	314	242	202
मणिपुर	–	–	–	–	–	–
मेघालय	223	218	223	115	–	–
मिजोरम	25	15	25	22	–	–
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	–	110*	–	110*	–	110*
योग	585	653	581	561	242	312

* पिछली सीमाओं की तुलना में बकाया।

ऋण माफी योजनाएं

1953. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने केन्द्रीय सरकार से निर्वाचन आयोग द्वारा ब्याज और ऋण माफी योजनाओं की घोषणाओं को चुनाव कदाचार मानने संबंधी प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है।

पुष्प कृषि उत्पादन का निर्यात

1954. श्री शरद पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे; कि :

(क) क्या देश में पुष्प कृषि उत्पादों के निर्यात की काफी संभावना है और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) पुष्पोत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल है :–

1. प्रशीतित/इन्सुलेटेड गाड़ियां और प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2. निकासी के लिए बड़ी निर्यात खेपों के लिए पांच वाक-इन-टाइप कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना।

3. कार्गों की त्वरित निकासी के लिए पोध संगरोध प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सरल बनाना।

4. ग्रीन हाउसों के लिए अपेक्षित विशिष्ट माल पर रियायती सीमाशुल्क लगाना।

5. निर्यातोन्मुख इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत पुष्पोत्पाद में लगी इकाइयों को शुल्क मुक्त आयात के लाभ उपलब्ध कराना तथा उनको अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति देना।

6. कट-फ्लावर्स का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए पुष्पोत्पाद पर यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त परियोजना चलाना। इस परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कुछ क्रियाकलापों में शामिल हैं—फूलों से उत्पादन पर उद्यमियों को परामर्श देना, फसल-मैनुअल तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण करना तथा बाजार सूचना प्रदान करना।

7. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक इकाइयां

1955. श्री नवल किशोर राय :

श्री वृशिण पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1995 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "पैनल वान्ट्स नार्म्स फार बैंक क्रेडिट फार एस.एस.आइज सिम्पलीफाईड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि, हां, तो क्या सरकार को विगत कुछ वर्षों में लघु औद्योगिक इकाईयों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण के प्रस्ताव अनेकों बार मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए लघु और औद्योगिक क्षेत्र की अनुमानित ऋण आवश्यकता कितनी है तथा इसमें से कितने प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण के संवितरण की पुनरीक्षा के लिए अप्रैल, 1986 में एक स्थाई परामर्शदात्री समिति गठित की गई थी। इस समिति की आठवीं बैठक, जो इस श्रृंखला की अन्तिम बैठक थी, जुलाई 1993 में हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीच के दशक में, लघु उद्योग क्षेत्र की संकल्पना, जिम्मेदारियों और पहुंच में अत्याधिक परिवर्तन आया है, समिति का पुनगर्ठन किया गया है और विचारार्थ विषय को सरल बनाया गया है। पुनर्गठित समिति में अर्थशास्त्रियों और लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के अलावा भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सरकारी क्षेत्र के बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। पुनर्गठित समिति की पहली बैठक 18 नवम्बर, 1995 को आयोजित की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि वह लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण संवितरण की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और इस क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। बैंक विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं भी खोल रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऐसी 100 शाखाओं को परिचालन में लाने का लक्ष्य है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की अनुमानित ऋण आवश्यकता 4941.08 करोड़ रूपए थी। तथापि, वास्तविक संवितरणों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

राज्य के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में विनिवेश

1956. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के हाल के अध्ययन में राज्य के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों का पुनर्गठन करने के संबंध में भारत को विश्व के "कम सफलता" वाले देशों की श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में विनिवेश में तेजी लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). विश्व बैंक के "ब्यूरोक्रैट्स इन बिजनेस" नामक नीतिगत अध्ययन की हाल की ही एक रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों के सुधार के संबंध में अध्ययन किया गया है जो 12 देशों अर्थात् चिल्ली, मिस्र, घाना, भारत, मैक्सिको, फिलीपीन्स, कोरिया, गणराज्य, सेनेगल, तुर्की, चीन, चैक गणराज्य और पौलेण्ड के उदाहरण पर आधारित है। इस अध्ययन में निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :

(i) राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों का क्षेत्र विकासशील देशों में विशाल रहा है जिसका विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ii) जिन देशों ने राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार कर लिया है, उन्होंने स्वत्वहरण, प्रतियोगिता, कठोर बजटों और वित्तीय क्षेत्र के सुधार का पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

(iii) सभी 12 देशों ने सरकार और राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों के बीच संबंधों में परिवर्तन लाकर प्रोत्साहन तंत्र में सुधार करने का प्रयास किया। राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों अथवा निजीकृत एकाधिकार निकायों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए बेहतर प्रोत्साहन तंत्र की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, सरकार और राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों के प्रबंध अथवा सरकार और निजी प्रबंध अथवा सरकार और निजी विनियमित एकाधिकार निकायों के स्वामियों के बीच अनुबंध-पत्र को नया रूप देना होगा ताकि दोनों पक्षों को कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(iv) स्वत्वहरण और अन्य सुधारों से राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार हो सकता है लेकिन केवल कुछेक सरकारों ने ही सफलतापूर्वक सुधार करने के लिए जरूरी नीतियों को अपनाया है।

(v) सुधार-प्रक्रिया के मार्ग में बाधाएं अवश्य हैं और सफल सुधारक उन्हें पार कर पाए।

(vi) इस अध्ययन में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि विदेशी सहायता किन रूपों में सुधार को प्रोत्साहित करने में मदद दे सकती है।

उक्त अध्ययन में भारत को कुछ अन्य देशों के साथ, सरकारी क्षेत्र में सुधार के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम सफल देशों की श्रेणी में रखा गया है। अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए गए आंकड़े मुख्यतया 1980 के दशक से संबंधित थे।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के स्वामित्वाधीन विशाल और अक्षम उद्यान विकासशील देशों, विशेषकर उनमें भी निर्धनतम देशों को बहुत मंहगे पड़ रहे हैं। फिर भी सुधार संभव है और इसमें बड़े लाभ होने की संभावना है जिनमें ये शामिल हैं—कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता की अधिक वस्तुएं और सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक व्यय के लिए संसाधनों की अधिक उपलभ्यता और बेहतर राजकोषीय स्थिरता और इनमें से ये सभी अधिक तीव्र आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। तथापि, इस बात को स्वीकारा गया है कि राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों में सुधार करना सरल कार्य नहीं है और इसमें अक्सर राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले दशक में राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों में सुधार के संबंध में न के बराबर हुई प्रगति के लिए राजनीतिक बाधाएं ही मुख्यतः जिम्मेदार है।

(घ) से (च). भारत में विनिवेश निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इस तीव्र रफ्तार विभिन्न कारकों जैसे बाजारों—अनुक्रिया, अनुकूल श्रम-स्थिति आदि पर निर्भर करेगी।

गुजरात के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष

1957. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम के पुनर्गठन और पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता मांगने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कुल कितनी सहायता देने की सहमति हो गई है अथवा प्रदान की जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम का पुनः निर्माण तथा पुर्नस्थापना करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 96.83 करोड़ रू. की सहायता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता स्वीकृत करने की प्रचालन संबंधी रूपात्मकताओं को अन्तिम रूप से दिए जाने के बाद प्रस्ताव पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

मांस की तस्करी

1958. डा. पशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन प्रजातियों के मांस की तस्करी की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को

गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम्. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत संगठन

1959. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कितने संगठन पंजीकृत हैं;

(ख) उन संगठनों की संख्या कितनी है जिसके पंजीकरण लंबित हैं तथा इन्हें कब तक पंजीकृत कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन संगठनों के पंजीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत संगठनों को पंजीकृत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ऋण-भार

1960. डा. मुमताज अंसारी :

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री लाल बाबू राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के अन्त तक सरकार पर देश-वार बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन ऋणों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिये गये ब्याज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी ऋणों के भुगतान के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजना

1961. श्री रतिलाल वर्मा :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से किस सीमा तक कृषि श्रमिकों को लाभ हुआ है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और आठवीं योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कुछ और कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). गुजरात राज्य में कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कुछ मुख्य योजनाएं—

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

इस योजना के अंतर्गत, आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त करने हेतु वित्तीय साहयता दी जाती है जिसके अंतर्गत अ. जा./अ. ज. जा. और महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं और भिन्न दरों पर आवधिक ऋण प्रदान किये जाते हैं। 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (फरवरी, 95 तक) के दौरान गुजरात राज्य में इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या क्रमशः 61,842, 79,725 और 61,444 है। 1995-96 के लिए गुजरात राज्य हेतु 3059.22 लाख रूपए आबंटित किए गए हैं।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.)

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त अर्थपूर्ण रोजगार का सृजन करना और उत्पादनशील सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। गुजरात राज्य में वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन क्रमशः 235.03, 210.55 और 195.68 लाख श्रम दिवस है। यह योजना देश के उन 120 पिछड़े जिलों में और तेज कर दी गई है जहां बेरोजगारों और अल्प रोजगार का संकेन्द्रण है। गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात में 62.80 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 1995-96 के लिए गुजरात राज्य हेतु ज. रो. यो. और आई. जे. आर. वाई. योजना के अंतर्गत, क्रमशः 9225.74 और 1548.13 लाख रु. आवंटित किए गए हैं।

(iii) स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (टाइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशल का उन्नयन है।

(iv) रोजगार आश्वासन योजन (ई. ए. एस.)

2 अक्तूबर, 1993 को "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना देशभर में 1752 अभिज्ञात पिछड़े ब्लॉकों में चालू की गई और इसका उद्देश्य गैर-कृषीय मौसम में अकुशल दस्ती कार्य का 100 दिन का आश्वस्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। यह योजना मुख्यतः कृषि कर्मकारों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 1994-95 के दौरान वास्तविक उपलब्धि 20.25 लाख श्रम दिवस रही। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों

से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरूचि के अनुसार आय बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को टाइसेम और आई. आर. डी. पी. के सहयोग से संचालित किया जाता है।

(v) भूमिहीन कृषि कर्मकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1.4.87 से, राज्य सरकारों ने 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच वाले लगभग 23 लाख कृषि कर्मकारों को शामिल करके भूमिहीन कृषि कर्मकारों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना संचालित की है। इस योजना के अंतर्गत स्वाभाविक और दुर्घटना से मृत्यु हो जाने तथा पूर्ण एवं आंशिक विकलांगता के लिए मुआवजा दिया जाता है। पूरे प्रीमियम को राज्य सरकार और जीवन बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है। ऐसी सूचना है कि वार्षिक रूप से 2 करोड़ रू. की धनराशि वाले लगभग 17,000 दावों को निपटाया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

1962. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग को स्थाई स्वरूप प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस आयोग को स्थाई बनाने से ग्रामीण श्रमिकों को कितना लाभ होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) अगस्त, 1987 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसे 31 जुलाई, 1991 को समाप्त कर दिया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक व्यापार

1963. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैगनों की कमी के कारण भारत-पाक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वैगनों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं और इस कारण किस हद तब व्यापार प्रभावित हुआ है;

(ग) वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान भारत-पाक के बीच कुल कितना व्यापार हुआ; और

(घ) सरकार ने निर्यातकों को अधिक वैगन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैगनों की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं के कारण भारत-पाक व्यापार पर कुछ विपरित प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (घ). वैगनों की उपलब्धता का नियमन पाकिस्तान रेलवे द्वारा भारत से मालगाड़ियों की स्वीकार्यता के स्तर के अनुसार होता है तथा यह खाली वैगनों की वापसी में देरी द्वारा प्रभावित होता है। तथापि, इसके परिणामस्वरूप हुए व्यापार घाटा की मात्रा का आंकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए व्यापार का कुल मूल्य 344.46 करोड़ रू. था जोकि 1993-94 के 337.61 करोड़ रू. मूल्य के व्यापार से 2.03% ज्यादा था।

क्यूबा में निवेश

1964. श्री रामपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा ने भारतीय उद्यमियों को अपने देश में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन-किन क्षेत्रों में निवेश हेतु आमंत्रित किया गया है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). हाल ही में एक संयुक्त व्यापार परिषद प्रतिनिधिमण्डल की क्यूबा यात्रा के दौरान क्यूबा ने अपने देश में निवेश करने के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया है। निवेश के लिए बताए गए क्षेत्रों में शामिल हैं : — टैक्सटाइल्स, पर्यटन, खनन, हल्की तथा भारी इंजीनियरिंग, उर्जा तथा इलेक्ट्रानिक्स, साइकिल के पुर्जे तथा जैव प्रौद्योगिकी।

(ग) सरकार ऐसे निवेशों का स्वागत करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है जो विदेशी में निवेश करने की नीति द्वारा शासित होते हैं।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

1965. श्री फूलचन्द वर्मा :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1994-95 के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1995-96 के दौरान देश में कपास की कुल मांग कितनी है;

(ग) देश में इस समय कपास कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(घ) 1995-96 के लिए कपास के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और किन-किन देशों को इसका निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार ने कपास के मूल्यों में वृद्धि को रोकने और कपास उत्पादकों

को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड में वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कपास के उत्पाद का अनुमान 130 लाख गांठे लगाया है।

(ख) तथा (ग). कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमान मौसम के बाद में उपलब्ध होंगे।

(घ) कपास निर्यात के लिए किसी देश विशेष का लक्ष्य नहीं रखा गया है।

(ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य का तंत्र कपास उपजकर्ताओं के हितों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

[हिन्दी]

कालीन निर्यात एकक

1966. कुमारी उमा भारती : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कई कालीन निर्यातक एकक राज्यवार बंद किए गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन एककों को बंद करने के परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने लोग बेरोजगार हुए; और

(ग) सरकार द्वारा इस बंद बड़े एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सात निर्यातक सदस्यों ने इसी अवधि के दोरान उनके एकक बंद किए जाने के कारण, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश 4 (चार)

(2) दिल्ली 2 (दो)

(3) महाराष्ट्र 1 (एक)

(ख) जिन निर्यातक सदस्यों ने कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, उन्होंने अपने एककों के बंद दिए जाने का कोई कारण नहीं दिया है। कालीन निर्यातक एककों के बंद हो जाने पर देश में कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन निजी क्षेत्रीय व्यापार एककों को पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

किराये पर आयकर

1967. श्री श्रीकांत जेना :

श्री सुखदेव पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्टूबर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "एम. एन. सी. बूम सेट्स होम रेन्ट स्पाइरलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आलिशान (पॉश) क्षेत्रों मे मकानों के वास्तविक किराए पर आयकर वसूल करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 (दिल्ली संस्करण) के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एम.एन.सी. बूम सेट्स होम रेन्ट स्पाइरलिंग" शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ। परन्तु दिनांक 29 अक्टूबर, 1995 (दिल्ली संस्करण) के इंडियन एक्सप्रैस में "एम.एन.सी. बूम सेट्स होम रेन्ट स्पाइरलिंग" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संपत्ति का वार्षिक मूल्य (व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए प्रयोग में लाई गई संपति से भिन्न) "भवन सम्पत्ति से आय" के रूप में कर प्रभार्य होता है। करदाता की आय की गणना करते समय कर-निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि कर के अंतर्गत सही वार्षिक मूल्य लाया जाय। आयकर अधिनियम की धारा 133क और 133ख के अंतर्गत सर्वेक्षण की कार्यवाहियों के दौरान एकत्र की गई सूचना का इस्तेमाल भी सही-सही वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा आरंभ की गई आयकर अधिनियम की धारा 194झ में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1,20,000/-रू. से अधिक के किराए से स्रोत पर की कटौती करने का प्रावधान है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में स्रोत पर काटे गए कर के सत्यापन के लिए बड़े शहरों में आयकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय

1968. डा. साक्षीजी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यवहारिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में अपने नये कार्यालय/शाखायें खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय संगठन

1969. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने दक्षिण अफ्रीका मे अपने कार्यालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों की अब तक की क्या उपलब्धियां हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। एस. टी. सी. ने सितम्बर, 1995 में जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में एक कार्यालय खोला है।

(ग) जोहान्सबर्ग स्थित एस. टी. सी. के कार्यालय ने जूट मिनी वूल पैक्स एवं फ्लोरेगुलेटरों की आपूर्ति के लिए अब तक 42.88 लाख रू. के निर्यात करार सम्पन्न किए हैं।

[हिन्दी]

टसर सिल्क का उत्पादन

1970. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बाजारों में भारतीय टसर सिल्क की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टसर सिल्क उत्पादन क्षेत्रों को बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा "टसर संवर्धन योजना" तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). टसर रेशम का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम मुख्यत: संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों द्वारा बनाए तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने टसर रेशम के सामान का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं :–

(1) घरेलू बाजार में टसर उत्पादों के मौजूदा मांग पैटर्न तथा वितरण माध्यमों का अध्ययन करने के लिए घरेलू बाजार सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(2) टसर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।

सरकार ने टसर खाद्य रोपण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए टसर खाद्य पौधों की खेती बढ़ाने की योजनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-शहतूती अनुसंधान व विकास कार्यक्रम तथा टसर के लिए फसल बीमा योजना का भी अनुमोदन किया है। उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त रांची स्थित केन्द्रीय टसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र तथा मूल बीज बहुगुणन तथा प्रशिक्षण केन्द्र जैसे मौजूदा संस्थान भी देश में टसर रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्राथमिकता वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में लक्ष्य

1971. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के 1994-95 तथा 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे;

(ख) क्या राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या बैंकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किए गए; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) आंध्र प्रदेश के संयोजक बैंक, आंध्रा बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1995 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र के बकाया अग्रिम 279515 लाख रूपए के थे जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में निवल बैंक ऋण के 42.88 प्रतिशत हैं।

(ख) और (ग). बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी) की बैठकों में आवधिक रूप से की जाती है। एस. एल. बी. सी. की पिछली बैठक 30 जून, 1995 को हुई थी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यनिष्पादन संतोषप्रद पाया गया था।

(घ) और (ङ). आंध्रा बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं को बैंक पर्याप्त रूप से पूरा करते रहे हैं। वार्षिक ऋण योजना 1994-95 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वास्ते 122288 लाख रूपए का लक्ष्य आंवटित किया गया था जिसकी तुलना में उन्होंने 128196 लाख रूपए का कार्य निष्पादन दर्ज किया।

दक्षेस राष्ट्रों के लिए टैरिफ रियायतें

1972. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग संबंधी समिति द्वारा दक्षेस राष्ट्रों के बीच कतिपय वस्तुओं के आयात में निर्यात पर टैरिफ 10 से 100 प्रतिशत की रियायत दिए जाने संबंधी मुद्दे पर हाल ही में चर्चा की गयी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य हेतु चयनित मदों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). नई दिल्ली में 16-17 नवम्बर, 1995 को हुई आर्थिक सहयोग समिति की छठी बैठक ने सुझाव दिया है कि व्यापार उदारीकरण संबंधी अंत: सरकारी समूह (आई. जी. जी.) का पुन: आयोजन किया जाए जिससे कि निश्चित समय-सीमा के भीतर पैरा-टैरिफ, गैर-टैरिफ एवं अन्य व्यापार नियंत्रण संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए व्यापार वार्ताओं के दूसरे दौर की शुरूआत हो सके और उसे आगे बढ़ाया जा सके तथा सापटा समझौते के अंतर्गत प्रदत रियायतों को और दीर्घ किया जा सके।

स्लेटी कपड़ा (ग्रे क्लाथ)

1973. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता वस्त्र योजना के अंतर्गत स्लेटी कपड़े (ग्रे क्लाथ) के उत्पाद में अत्याधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 1992 से पूर्व देश में, विशेषकर गुजरात में "ग्रे क्लाथ" के उत्पादन की प्रतिशतता तथा आज की तिथि में इसके उत्पादन में कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप बुनकरों को हुए घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्यां कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी हाँ 1 अक्टूबर, 1993 से प्रभावी नई नीति के अंतर्गत ग्रे कपड़े के उत्पादन को 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया गया है।

(ख) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत बहुत ही मामूली मात्रा में ग्रे कपड़े का उत्पादन किया जाता है और 1 अक्टूबर 1992 से पूर्व और उसके उपरांत भी गुजरात में ऐसे कपड़े का उत्पादन शून्य के बराबर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर में धोखाधड़ी

1974. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 नवम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार बड़ौदा में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में हुई धोखाधड़ी का हाल ही में पता चला है,

(ख) यदि हाँ तो इसके तथ्य क्या है, और

(ग) इस प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि उसकी बड़ौदा शाखा में जुलाई 1993 में एक धोखाधड़ी का पता चला था। शाखा प्रबंधक ने मैसर्स अर्विन लिक्विड गैसेज लि. को कतिपय सुविधाएं मंजूर करने में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का अतिक्रमण किया था। अधिकारी को निलम्बित किया गया था और बड़ा दण्ड देने की कार्यवाही आरम्भ की गई है। बैंक के अनुसार, सीबीआई ने भी एक मामला दर्ज किया और संबंधित अधिकारी को गिरफ्तार किया है। ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बैंक ने बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षक भी नियुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

ठेका प्रणाली

1975. **श्री राम विलास पासवान : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों के क्या नाम हैं जहां ठेका प्रणाली अभी भी लागू है और

(ख) ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा "परम मित्र राष्ट्र" का दर्जा

1976. **श्री रवि राय :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1995 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" के "पाकिस्तान कनटिन्यूआस टू डिनाइ एम एल एन स्टेट्स टू इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान की सरकार भारतीय माल को परम मित्र राष्ट्र की सूची में रखने पर विचार नहीं कर रही है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर आर्थिक सहयोग संबंधी दक्षेस समिति को हाल ही नई दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक में भी विचार किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (घ). चूंकि यह एक द्विपक्षीय मामला है इसलिए आर्थिक सहयोग संबंधी सार्क समिति की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। पहली बार इस मामले को द्विपक्षीय रूप से पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

रूस के साथ व्यापार

1977. श्री बृज भूषण शरण सिंह

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच कोई व्यापारिक गतिरोष उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार के मामलों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधी कोई मतभेद नहीं है। अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2945 करोड़ रू. के स्तर पर पहुंच गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1602 करोड़ रू. का था। इस प्रकार इसमें 84 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि संबंधी नीति

1978. श्री तारा सिंह :

श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1995 के "स्टेट्समैन" में "आर. बी .आई. पालिसी हिट्स एन. आर. आई. डिपोजिट्स इन यू. एस. ए." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनिवासी भारतीयों को आकृष्ट करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार का शीर्षक भ्रामक है क्योंकि समाचार में ही यह उल्लेख मिलता है कि ब्याज की दरों में वृद्धि से संयुक्त राज्य अमेरिका में "अनिवासी भारतीयों के लिए ऐसी योजनाएं आकर्षक बन जायेंगी।" भारतीय रिजर्व बैंक का अनिवासी विदेशी (एन. आर. ई.) जमाराशियों पर ब्याज दर से वृद्धि का निर्णय और अप्रवासी, अप्रत्यावर्तनीय जमा राशियों पर बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि से अनिवासी जमा राशियों के अर्न्तप्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूती वस्त्रों के मूल्य

1979. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान निर्मित सूती वस्त्रों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है, जबकि कच्चे कपास का मूल्य लगभग स्थिर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सूती वस्त्रों के मूल्यों में इस असाधारण वृद्धि का क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सूती वस्त्रों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) जी, नहीं। निर्मित सूती फैब्रिकों की कीमतों में भारी वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उत्पाद शुल्क

1980. श्री एन. जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक, वर्ष-वार तथा राज्य-वार, उत्पाद शुल्क की कितनी धनराशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से राजस्व प्राप्तियों का रिकार्ड राज्य-वार नहीं रखा जाता है अत: प्रत्येक राज्य से प्राप्त की गई उत्पाद शुल्क की राशि का अलग-अलग रूप से उल्लेख करना संभव नहीं है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल, 1995 से सितम्बर, 1996 की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों (राजस्व विभाग द्वारा न लगाए गये उपकरों को छोड़कर) से राजस्व प्राप्तियां नीचे दी गयी है:—

वर्ष	राजस्व (करोड़ रूपयों में)
1992-93	3065
1993-94	3171
1994-95 (अनन्तिम)	3741
1995-96 (अनन्तिम) (सितम्बर, 95 तक)	1870

बकाया आयकर

1981. श्री हाराधन राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार प्रथम 20 आयकर चूककर्ताओं

पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इन बकाया राशियों की वसूली हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार प्रथम 20 चूककर्ताओं के नाम और उनकी तरफ बकाया आयकर की धनराशि नीचे दी गई है :

क्र. सं.	चूककर्ताओं के नाम	बकाया मांग (रुपये करोड़ों में)
1.	श्री हर्षद एस. मेहता	3647.93
2.	श्री हितेनी पी. दलाल	1271.33
3.	श्री भूपेंद्र सी. दलाल	729.71
4.	श्री अश्विन एस. मेहता	608.17
5.	मै. भारतीय स्टेट बैंक	604.56
6.	श्रीमती ज्योति एच. मेहता	525.14
7.	श्री ए.डी. नरोत्तम	485.39
8.	मै. दि.पियरलैस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंम्पनी लि.	439.42
9.	मै. ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट लि.	290.89
10.	मै. धनराज मिल्स (प्रा.) लि.	267.46
11.	मै. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	250.31
12.	मै. बैंक आफ इंडिया	203.06
13.	मै. सेंट्रल कोल फील्ड लि.	196.91
14.	मै. बैंक नेशनल डि. पेरिस	166.71
15.	मै. जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लि.	158.77
16.	मै. कास्केड होल्डिंग्स (प्रा.) लि.	155.00
17.	मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	145.62
18.	मै. सिटी बैंक एन. ए.	139.61
19.	मै. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	138.61
20.	श्री बी.एस. गांधी	125.81

(ख) बकाया मांग की वसूली करने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न कार्रवाइयां अर्थात चूककर्ताओं की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की, अभियोजन, अर्थदण्ड लगाना, जेल में नजरबंदी, चूककर्ताओं की संपत्तियों की प्रबंध व्यवस्था के लिए रिसीवर की नियुक्त की जाती है।

ऊपर सूची में दिए गए प्रथम 20 चूककर्ताओं में से क्रम संख्या 1,2,3,4,6,7,9,10, और 16, पर उल्लिखित चूककर्ता अधिसूचित व्यक्ति हैं और इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 5,18,20 पर उल्लिखित घोटाले से संबद्ध मामले हैं।

जहां तक अधिसूचित व्यक्तियों का संबंध है दिनांक 1.4.1995 से पूर्व जारी की गई मांगों से संबंधित दावों को विशेष न्यायालय में दायर किया गया है। घोटाले से संबद्ध अन्य मामलों के संबंध में आयकर अधिनियम में यथा-उपबंधित नियमित वसूली संबंधी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र की पहचान

1982. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के रूप में महाराष्ट्र के किन विशेष क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में नये सिरे से सर्वेक्षण कराने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने महाराष्ट्र में किसी भी क्षेत्र की पहचान पिछड़े के रूप में नहीं की है। तथापि, नाबार्ड ने महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिलों का पता लगाया है, जहां जनजातीय जनसंख्या की अधिकता है, ताकि जनजाति की मौसमी कृषि कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु पृथक ऋण-व्यवस्था का प्रावधान किया जा सके।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

1983. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति तत्संबंधी घरेलू आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात् दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण करने वाले उद्योगों और अन्य औद्योगिक इकाइयों को घरेलू आवश्यकता का आंकलन करने हेतु इसी मानदण्ड का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव का क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). सरकार

की यह नीति है कि घरेलू आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही आम खपत की किसी मद के निर्यात की अनुमति दी जाए। निर्यात आयात नीति बनाते वक्त घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

धागे पर उत्पाद-शुल्क

1984 श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कपड़े के बजाय धागे पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आश्वासन को अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). वस्त्र से तन्तु स्तर पर मानव निर्मित वस्त्रों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में 10.10.90 को नई दिल्ली में हुई अन्त: राज्य परिषद् की पहली बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, कुछेक राज्य सरकारों ने, वस्त्र से फाइबर/तन्तु स्तर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में कोई अधिक उत्साह नहीं दिखाया था। इस सुझाव पर, राज्य सरकारों के बीच किसी समझौते के न होने के कारण को मद्दे-नजर रखते हुए, इस मुद्दे को पुन: जांच हेतु अन्त: राज्य परिषद् के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

लघु बुनकरों को सूत की आपूर्ति

1985. श्री प्रवीन डेका : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के लघु बुनकरों को अपेक्षित रेशे वाले सूती धागे प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो असम के लघु बुनकरों को शीघ्रता से सूत उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). हथकरघा बुनकरों, जिनमें छोटे बुनकर भी शामिल हैं, की पर्याप्त मात्रा में हैंक यार्न उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार हैंक यार्न बाध्यता योजना को कड़ाई से लागू कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार रियायती मूल्यों पर हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान असम राज्य को 4.04 लाख किलोग्राम सूत सप्लाई किया गया। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा मिल गेट मूल्य योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। जिसके अंतर्गत वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान असम राज्य को 0.16 लाख किलोग्राम से भी अधिक सूत सप्लाई किया गया।

आई. टी. पी. ओ. में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1986. श्री पीयूष तीरकी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई. टी. पी. ओ. में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और प्रतिशतता क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होने वाले सरकारी निर्देशों का आई. टी. पी. ओ. द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) इस समय तैनात अ.जा./अ. जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

संवर्ग	तैनात व्यक्ति	तैनात अ.जा. के कर्मचारी	प्रतिशत	तैनात कर्मचारी	अ. जन-जाति के प्रतिशत
समूह "क"	188*	29	15.42	7	3.74
समूह "ख"	107	20	16.89	1	0.93
समूह "ग"	466	88	18.88	15	3.91
समूह "घ"	413**	100	24.21	5	1.00

* सी. एम. डी. एवं कार्यकारी निदेशक के एक-एक पद को छोड़कर।

** सफाई कर्मचारियों के 81 पद तथा सिवरमैन के 6 पद इनमें शामिल नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

1987. श्री महेश कनोडिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण के कार्य में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इसके कारण बैंकों के प्रशासनिक खर्च में कितनी बचत किये जाने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार को बिजली फेल होने के कारण कम्प्यूटर का कामकाज ठप्प हो जाने पर उपभोक्ताओं की संभावित कठिनाई की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार तथा राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक

1988. **श्री लालू बाबू राय :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा राजस्थान में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है तथा उनकी कुल जमा पूंजी तथा कार्यकारी पूंजी पृथक-पृथक कितनी है;

(ख) इन बैंकों से गत तीन वर्षों के दौरान कितने ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा तथा ऋण की कितनी राशि बांटी गई;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन बैंकों को और ज्यादा कार्यकुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) इस समय बिहार में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान में 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल जमाराशियों, कार्यशील निधियों, इन बैंकों में खातों की संख्या तथा संवितरित किए गए ऋणों की राशि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिवर्ज बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सूचना प्रणाली से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पाई गई अनियमितताओं की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि, उनमें से कुछ बैंकों के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि के बारे में विगत में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब उन्हें प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नाबार्ड/प्रयोजक बैंकों को भेज दिया जाता है।

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब उनके नए ऋणों की 60 प्रतिशत की सीमा तक गैर-लक्ष्य समूहों को ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(ii) लाकरों के प्रावधान, गारंटियां जारी करने आदि जैसे गैर-निधि कारोबार से संबंधित मार्ग निर्देशों को उदार बनाया गया है।

(iii) 1992-93 में 2 करोड़ रूपए से कम का ऋण संवितरित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र की बाध्यताओं से मुक्त कर दिया गया है और हानि उठाने वाली शाखाओं को दूसरे स्थानों पर ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित भागीदारी सहभागिता प्रमाण-पत्रों के माध्यम से प्रायोजक बैंकों के ऋण फोलियों में सहभागिता सहित निवेश के उदारीकृत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

देश में कार्यरत कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1994-95 के दौरान इक्विटी प्रदान करके तुलन-पत्रों को शोधित करने सहित व्यापक पुनर्गठन के लिए लिया गया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुभव बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य वर्तमान कमजोर एवं रूग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिग के वितीय रूप से अर्थक्षम एवं कारगार लिखत में परिवर्तित करना है।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ मैसूर में अस्थायी कर्मचारी

1989. **श्री राम निहोर राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ् मैसूर ने वर्ष 1994-95 के दौरान 369 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस नियुक्ति में दिशा निर्देशानुसार अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण-नीति का अनुपालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ मैसूर ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1994-95 के दौरान 374 अस्थायी कर्मचारियों का (एक समय में 45 दिन से कम के लिये) नियुक्ति की थी, जिसमें से 95 व्यक्ति (25.40% और 15 व्यक्ति 4.01%) अनुसूचित जनजाति के थे। बैंक ने आगे सूचित किया है कि यद्यपि आरक्षण का नियम ऐसी नियुक्तियों पर लागू नहीं होता, तथापि, उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उसने इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है।

विदेशी मुद्रा की निकासी

1990. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निर्यात और आयात किए जाने वाली वस्तुओं का क्रमशः कम और अधिक मूल्य अंकित किए जाने के कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की निकासी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वितीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी अनुमानित निकासी कितनी होगी?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेयरों का आवंटन

1991. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को लघु निवेशकों के हित में पार्टनिक शेयरों की अनुपातिक आवंटन प्रणाली के स्थान पर आय प्रणाली लाने के लिए कई सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को अनुपातिक आवंटन प्रणाली के पुनरीक्षण तथा सार्वजनिक शेयरों में अनुपातिक आवंटन की धारणा को समाप्त करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह नई प्रणाली कब तक लागू होगी?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को सुझाव प्राप्त हुआ है कि लघु निदेशकों को आवंटन सुनिश्चित करने हेतु आनुपातिक आवंटन पद्धति को संशोधित किया जाए। तदानुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में लघु निदेशकों के लाभार्थ इस पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित पद्धति के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिभूतियों के निवल प्रस्ताव का न्यूनतम 50 प्रतिशत उन व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटित किया जाना चाहिए जिन्होंने 1,000 से कम मूल्य के प्रतिभूति के लिए आवदेन किया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग). जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम के निर्यात में वृद्धि

1992. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम के निर्यात में 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निगम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। बीईसी ने वर्ष 1994-95 के दौरान 213.47 करोड़ रू. मूल्य का निर्यात कारोबार किया जबकि वर्ष 1993-94 में यह 164.27 करोड़ रू. मूल्य का रहा था। इस प्रकार, इसमें लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) बीईसी के ज़रिए निर्यात हेतु अब तक सारणीबद्ध मदों का सरणीयन समाप्त होने के फलस्वरूप सरकार इसके कार्य संचालन को उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा प्रतियोगी वातावरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता की समीक्षा कर रही है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पीईसी ने थ्रस्ट बाजारों तथा थ्रस्ट उत्पादों को अभिज्ञात करते हुए एक पंचवर्षीय महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जिससे कि वह गैर-इंजीनियरी मदों जैसे—कृषि उत्पादों, भेषजीय पदार्थों और औद्योगिकी रसायनों के निर्यात में अपने कार्यकलापों का विविधीकरण कर सके।

पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात

1993. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पैदा होने वाले काजू, काली मिर्च और मसालों जैसी पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात मूल्य में कुछ समय में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। किन्तु, वर्ष 1992-93 के बाद काजू, काली मिर्च और अन्य मसालों का निर्यात निम्नानुसार रहा है:—

(मूल्य करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	मद	1992-93	1993-94	1994-95
1.	काजू	748.66	1048.20	1244.26
2.	मसाले (काली मिर्च सहित)	393.42	568.91	606.48
3.	काली मिर्च	78.94	184.57	226.01

(स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं—घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत काजू का मुक्त आयात, काली मिर्च के निर्यात पर दिनांक 31.3.1996 तक 2 प्रतिशत की दर से निर्यात उपकर स्थगित रखना, ब्राण्ड संवर्धन, लोगों संवर्धन तथा मसाला घराना प्रमाण-पत्र जारी करना, निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, रियायती ऋण का प्रावधान, ई ओ यू / ई पी जेड योजना के तहत उपलब्ध लाभ कृषि क्षेत्र को भी प्रदान करना और उत्पाद के 50 प्रतिशत भाग की बिक्री घरेलू टैरिक क्षेत्र मे करने की अनुमति देना, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, क्वालिटि नियंत्रण को सुदृढ़ करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता। मसाला बोर्ड ने ऐसे उपयों के पैकेज की हाल हैं में घोषणा की है जिसमें हवाई भाड़ा इमदाद, निर्यात प्रोत्साहन और छोटी इलायची के निर्यात पर उपकर समाप्त करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

सोने और अन्य वस्तुओं की बरामदगी

1994. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा विदेशी पर्यटकों और तस्करों से कितना सोना और अन्य जब्तशुदा वस्तुएं बरामद की गयीं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ग) ये पर्यटक किन-किन देशों के हैं; और

(घ) सीमाशुल्क कार्यालयवार बरामद की गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

गुजरात में नए बैंक

1995. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नए बैंक खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां खोले जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नये बैंक खोलने के बारे में उन्हें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पीयरलेस फील्ड कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1996. श्री के. मुरलीधरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीयरलेस के 46 लाख फील्ड कर्मचारी गत छः महीने से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, "पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी" के कर्मचारियों ने नई जमा योजना शुरू किए जाने और एजेन्टों के कमीशन से सम्बन्धित नई योजना आदि के कार्यान्वयन के विरूद्ध हड़ताल का आश्रय लिया।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र के लिये आरक्षण

1997. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हथकरघा क्षेत्र के लिये मदों के आरक्षण संबंधी नई नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं, तथापि हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 के खंड 4 (1) के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर हथकरघा पर उत्पादन के लिए आरक्षित वस्त्र मदों की समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान भाड़े में वृद्धि

1998. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विमान भाड़े में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विमान यात्रा भाड़े में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई किरायों में वृद्धि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	किरायों में वृद्धि	
	अंतर्देशीय	अंतराष्ट्रीय (प्रकाशित किराये)
1993	15%	11.75% (औसत)
1994	15% (औसत)	6%
1995	20% (औसत)	शून्य

(ख) किराये में वृद्धि की जांच करने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइंस ने अपनी प्रचालन लागत कम करने के लिए मार्गों का औचित्य देखते हुए और अधिक लाभकारी मार्गों पर उच्च क्षमता लगाकर, विशेष आयात लाइसेंस के अधीन ईंधन का आयात करके ईंधन खर्च में कमी, भर्ती पर प्रतिबंध, समयोपरि भत्ते में कटौती और जैट इंजन शॉप में परिवर्तन, केन्द्रीय प्रशिक्षण स्थापना और भू सहायक की अलग लागत और लाभकारी [illegible] जैसे कदम उठाए है। अंतरराष्ट्रीय

हवाई किरायों का निर्धारण, प्रत्येक वर्ष किराया समन्वय सम्मेलन में प्रत्येक मार्ग पर प्रचालन कर रही आयटा सदस्य एयरलाइनों द्वारा किया जाता है और संबंधित सरकारों/वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात् लागू किया जाता है।

[अनुवाद]

ऊनी कपड़े का निर्यात

1999. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने महिलाओं के ऊनी कपड़ों के भारतीय निर्यात के कोटा पर नियंत्रण लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). उरूग्वे दौर की वस्त्र और बलोदिंग संबंधी करार (ए टी सी) के उपबंधों के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने श्रेणी 434 (पुरूषों के कोट) 435 (महिलाओं के कोट) तथा 440 (बुनी हुई शर्टें तथा ब्लाउज) में भारत से उतनी परिधानों के आयात पर इस आधार पर प्रतिबन्ध (कोटा) लगा दिया था कि हम मदों के आयात से उनके उद्योग को गंभीर क्षति पहुंच रही है अथवा उनसे वास्तविक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ए टी सी के उपबंधों के अनुसार वस्त्र मानीटरिंग निकाय (टी एम बी) ने संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिबन्धित उपायों की पुनरीक्षा की थी। टी एम बी ने यह सिफारिश की है कि संयुक्त राज्य अमरीका को भारत से श्रेणी-434 के आयात पर लगे प्रतिबंध को निरस्त कर देना चाहिए जिसका संयुक्त राज्य अमरीका ने अनुपालन कर लिया है। तथापि, श्रेणी 435 के संबंध में जबकि टी एम बी इस तर्क पर सहमत था कि कोई गंभीर क्षति नहीं है, फिर भी टी एम बी गंभीर क्षति के वास्तविक संकट के प्रति सहमत होने में असफल रहा। श्रेणी 440 के संबंध में टी एम बी का यह तर्क था कि गंभीर क्षति होने का वास्तविक संकट है।

भारत सरकार ने श्रेणी 435 और 440 के संबंध में मामले की दुबारा पुनरीक्षा करने के लिए टी एम बी से आग्रह किया। टी एम बी ने हाल ही में इस मामले की एक बार फिर पुनरीक्षा की है लेकिन उसने अपनी पूर्व बैठक में किए गए निष्कर्षों से अन्यत्र कोई और सिफारिश नहीं की है। सरकार मामले को विवाद का निपटान करने संबंधी निकाय के साथ इस मामले को उठाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

सोने की मांग

2000. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोने की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सोने की दर कितनी-कितनी रही; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सोने की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य के मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार ने भारत में स्वर्ण की मांग का कोई अनुमान नहीं लगाया है। विश्व स्वर्ण परिषद्, स्विटजरलैंड के "गोल्ड डिमान्ड ट्रेंडस" नाम प्रकाशन में दिए गए गैर सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 1993, 1994 और 1995 (सितम्बर, 1995 तक) में स्वर्ण की मांग निम्न प्रकार से थी :—

वर्ष	मांग (टनों में)
1993	405.4
1994	415.0
1995	365.4
(सितम्बर, 1996 तक)	

स्वर्ण की मांग में वृद्धि का कारण उपभोक्ता क्रय शक्ति का बढ़ना और स्वर्ण निवेश का भविष्य सुरक्षा के लिए आकर्षण होना है।

(ग) भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने की औसत कीमत, बम्बई बाजार में निम्न प्रकार थीं :—

वर्ष	कीमत (प्रति 10 ग्राम) रूपयों में
1993	4386
1994	4647
1995	4723
(सितम्बर, 1995 तक)	

(घ) स्वर्ण की घरेलू कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए उपायों में स्वर्ण आयात की उदारीकृत योजना के अधीन भारतीय यात्रियों के भारत लौटने पर सीमा शुल्क के भुगतान के साथ 5 किलोग्राम स्वर्ण आयात की अनुमति देना शामिल है। इसके साथ विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत अप्रैल, 1994 से स्वर्ण आयात की अनुमति दे दी गई है।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम के अतिथि गृह

2001. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में साधारण बीमा निगम और उनकी सहायक कम्पनियों के अतिथि गृह हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन अतिथि गृहों के किराये

के भुगतान हेतु प्रतिमाह क्षेत्रवार कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या कुछ अतिथि गृहों का स्वामित्व कुछ सरकारी अधिकारियों या उनकी पत्नियों के नाम पर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली में कोई अतिथि गृह शीघ्र ही इसके स्वामी को वापस किया जाने वाला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निजी एयरलाइन्स के किराये

2002. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइन्स कम्पनियां किराये को कम करने के लिए तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी एयरलाइन्स कम्पनियां कम दर पर अपनी सेवायें उपलब्ध करायें, इस हेतु केन्द्र सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). अपने वाणिज्यिक हित को देखते हुए विमान परिवहन प्रचालन स्वनिर्धारित किराये वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की मांगे

2003. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस विषय पर 20 अक्तूबर, 1995 तक निर्णय लेने के निदेश दिए थे;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस विषय पर क्या निर्णय है; और

(ङ) उक्त मांगों को पूरा करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभिन्न संघ एवं संगठन आय-व्यय पर अपनी सेवा-शर्तों, परिश्रमिक एवं अन्य लाभों आदि से संबंधित मांगे उठाते रहे हैं। मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं:-

(1) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का निर्माण करना।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के छठे द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों/प्रायोजक बैंकों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों का विस्तार।

(3) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एन आई टी) के अधिनिर्णय को कार्यान्वित करते हुए बकाया राशि का भुगतान।

(4) संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नीति तथा कर्मचारी सेवा विनियमों का लागू करना।

(5) प्रायोजक बैंकों की तरह ही सेवा-निवृत्ति लाभ दिया जाना।

(6) कम्प्यूटरीकरण के बदले में वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ दिया जाना, जैसा कि प्रयोजक बैंकों में किया जाता है।

(ग) से (ङ). राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के संबंध में उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए आवेदन में, न्यायालय में कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए एक योजना तैयार की जाए। संभवतः माननीय सदस्य को यह मामला याद होगा। इस मामले पर जनवरी, 1996 में फिर विचार किए जाने की संभावना है। इसी बीच, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को लिखा है कि वे उन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों को जिनके पास दिनांक 31.3.93 को स्थिति के अनुसार कोई संचयी घाटा नहीं है और उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, जिन्हें वर्ष 1994-95 के दौरान व्यापक पुर्नगठन के लिए चुना गया है, किस्तों में बकाया राशि का भुगतान शुरू करने के लिए कहें।

जहां तक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की मांग का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अलग-अलग आधार (स्टैण्ड अलोन) पर पुनर्गठन किया जाए। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नई पूंजी मिलाकर तुलन-पत्र ठीक करके व्यापक पुनर्गठन के लिए चुना गया था। जहां तक संशोधित भर्ती एवं पदान्नति नियमों तथा सेवा-विनियमों को लागू करने का संबंध है, सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वितीय वचनबद्धताओं सहित कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने संबंधी अन्य मांगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन को सतत् प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बेंक ने पुनर्गठन की प्रक्रिया को सतत आधार पर जारी रखने के लिए सलाह देने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

सेंट्रल डिपोजिट एजेंसी

2004. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पूंजी बाजार में निबटान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए "सेंट्रल डिपोजिट एजेंसी" जैसी कोई वित्तीय संस्था गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). न्यास विधेयक, 1995 में न्यासों के लिए विनियमों की व्यवस्था की गई है। ऐसे

न्यासों की स्थापना होने पर स्टॉक बाजारों में प्रतिभूतियों के लेन-देन का निपटारा और सार्वजनिक लि. कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को स्वामित्व का अन्तरण अधिक तेजी से होगा। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(1) प्रतिभूतियों के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य करने तथा बहियों में प्रविष्टि के जरिए स्वामित्व अभिलेखों मे फेर-बदल करने हेतु न्यासों की स्थापना करने के लिए एक वैधानिक आधार;

(2) न्यासों के रूप में प्रतिभूतियों को नकारात्मक बनाना तथा निवेशक को यह विकल्प प्रदान करना कि वह प्रतिभूतियों के मौजूदा वास्तविक रूप अथवा किसी न्यास में प्रतिधारित नकारात्मक रूप वाली प्रतिभूतियों में से किसी एक का चयन करें।

(3) प्रतिभूतियों को परस्पर विनिमय बनाना; और

(4) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों, ऋण-पत्रों और उन पर किसी तरह के ब्याज को स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय बनाना।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अपरिष्कृत ऊन

2005. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशो में अपरिष्कृत ऊन प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार न तो विदेशों से सीधे ही ऊन का आयात करती है और न ही इसको ऊन आयात करने में उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली परिषद् सहकारी बैंक

2006. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली परिषद् सहकारी बैंक के कार्यकरण की कभी कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) बैंक में अब तक हुए घोटालों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंक को केन्द्र और राज्य सरकारों से पूंजी सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके आरम्भ से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका किस प्रकार उपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1992 में एक शिकायत मिलने के बाद परिषद् सहकारी बैंक लि. के कार्यों की जांच करायी गई थी। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, नई दिल्ली से भी दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के संगत उपबंधों के अधीन जांच करने का अनुरोध किया गया था। उनसे यह भी कहा गया था कि वे बोर्ड का अधिग्रहण करें और एक प्रशासक नियुक्त करें क्योंकि बैंक के कार्य करने का ढंग जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर था। तदनुसार ही इस बैंक के प्रबंधन के लिए दिनांक 22.2.1993 के एक प्रशासक की नियुक्ति की गई थी। जांच के दौरान निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं :—

(i) बड़ी राशि के ऋणों/ओवर ड्राफ्टों का अंधाधुंध मंजूरी;

(ii) निदेशकों और फर्मों जिनमें उनके हित थे, को निर्बाध ऋणों की मंजूरी में आर बी आई के निदेशों का उल्लंघन;

(iii) नकदी की अत्यधिक कमी जिसके कारण बैंक जमाकर्ताओं को भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं था।

(iv) बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित आरक्षित नकदी और चल आस्तियों का रख-रखाव नहीं था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क (1) (जो सहकारी समितियों पर लागू है) के अनुक्रम में इस बैंक को निर्देश के अधीन कर दिया गया था जिसके अनुसार इसे दिनांक 8.1.1993 को कारोबार बंद होने के दिन से नये ऋण और अग्रिम देने या नकदी ऋण खातों से निकासी की अनुमति देने और अपने किसी जमाकर्ता या ऋणदाता की कोई भुगतान करने से रोक दिया गया था। इसकी चल निधि की स्थिति पर विचार करके समय-समय पर इन निर्देशों में संशोधन किये गए थे। अद्यतन संशोधन के अनुसार बैंक को सभी प्रकार के जमाखातों मे उसके द्वारा रखी गई कुल जमाराशियों के बदले अपने किसी जमाकर्ता/ऋणदाता को कुल 30,000 रू. से अधिक की राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय घाटा

2007. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान बांड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जे. बी. आर. आई.) ने टिप्पणी की है कि राजकोषीय घाटे को अपेक्षित स्तर तक कम करने की भारत सरकार की असफलता से वाणिज्यिक बैंकों की प्रबन्ध क्षमता में सुधार लाने के कार्य में कठिनाई होगी;

(ख) क्या जे. बी. आर. आई ने "भारत के वित्तीय सुधार और आई. डी. बी. आई. के सेमुराई बांड" संबंधी अपनी रिपोर्ट में भी टिप्पणी की है कि राजकोषीय

घाटे में कमी के प्रयास, जो कि निक्षेप भंडार अनुपात की अधिकता का मुख्य कारण है, सफल नहीं हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जापान बांड अनुसंधान संस्थान की ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक वित्त मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

ओवरड्राफ्ट सुविधा

2008. श्री विजय एन. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कुल कितना ओवरड्राफ्ट दिया गया;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट सुविधाएं दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओवरड्राफ्ट की सुविधा का दुरूपयोग करने वाले राज्यों को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जम्मू और कश्मीर और सिक्किम के अलावा सभी राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने खाते खोल रखे हैं जिसमें वे अपनी प्राप्तियों तथा व्यय का लेखा-जोखा रखते है। राज्यों को, उनकी प्राप्तियों से अधिक व्यय हेतु सीमित राजस्व साधन भी मुहैय्या कराए गए हैं। जब कोई राज्य अपनी सीमा से अधिक व्यय करना है तो यह (अधिक व्यय) ओवरड्राफ्ट में चला जाता है और तद्नुसार राज्यों को इस आहरित राशि का पुर्नभुगतान भारतीय रिजर्व बैंक को करना होता है। राज्यों की ओवरड्राफ्ट की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है। ओवरड्राफ्ट के आंकड़े संचयी भी नही होते हैं। जैसे ही राशि का पुर्नभुगतान भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाता है, ओवरड्राफ्ट नीचे शून्य तक चला जाता है। तथापि प्रत्येक राज्य हेतु निर्धारित राजस्व साधन अग्रिम की सीमाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना के अनुसार कोई भी राज्य राजस्व साधन की निर्धारित सीमाओं से अधिक राशि अहारित कर सकता है। तथापि, राज्य को ओवरड्राफ्ट की राशि का पुर्नभुगतान 10 दिनों के अन्तर्गत करना होता है। यदि किसी मामले में कोई राज्य ओवरड्राफ्ट का पुर्नभुगतान लगातार 10 कार्य दिवसों तक नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य के पक्ष में भुगतान निलम्बित कर देता है।

(घ) राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों में अस्थाई असामंजस्य के कारण ओवरड्राफ्ट की आवश्यकता हो सकती है। राज्य द्वारा आहरित की गई अधिक धनराशि स्थायी राशि नहीं है जिसका राज्य द्वारा दुरूपयोग किया जा सके, अपितु इसका पुर्नभुगतान सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को करना होता है। वह राज्यों का काम है कि वे अपने वित्त का प्रबन्धन उचित रूप से करें तथा यथासम्भव ओवरड्राफ्ट से बचें।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राजस्व साधन सीमा

(करोड़ रुपए में)

		1.11.1993 से राजस्व साधन सीमा		
क्र. सं.	राज्य	सामान्य	विशेष	कुल
1.	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	84.00	32.00	116.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.40	3.20	11.60
3.	असम	33.60	12.80	46.40
4.	बिहार	59.80	22.40	91.20
5.	गोवा	8.40	3.20	11.60
6.	गुजरात	58.80	22.40	91.20
7.	हरियाणा	25.20	9.60	34.80
8.	हिमाचल प्रदेश	16.90	6.40	23.20
9.	कर्नाटक	67.20	25.60	92.80
10.	केरल	50.40	19.20	69.80
11.	मध्य प्रदेश	67.20	25.60	92.80
12.	महाराष्ट्र	126.00	49.00	174.00
13.	मणिपुर	8.40	3.20	11.60
14.	मेघालय	8.40	3.20	11.60
15.	मिजोरम	8.40	3.20	11.60
16.	नागालैण्ड	8.40	3.20	11.60
17.	उड़ीसा	50.40	19.20	69.60
18.	पंजाब	50.40	19.20	69.60
19.	राजस्थान	50.40	19.20	69.60
20.	तमिलनाडु	92.40	35.20	127.60
21.	त्रिपुरा	9.40	3.20	11.60
22.	उत्तर प्रदेश	142.80	54.40	197.20
23.	पश्चिम बंगाल	84.00	32.00	116.00
	योग	1117.20	425.60	1542.80

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

2009. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन स्थानों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गयी है और वर्तमान में उक्त न्यायाधिकरण कहां-कहां कार्यरत हैं;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन स्थानों पर इन न्यायाधीशों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) क्या किसी न्यायाधिकरण से अव-संरचनात्मक सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) इन न्यायाधिकरणों में समुचित अव-संरचनात्मक सुविधाएं और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बंगलोर और अहमदाबाद में अब तक पांच ऋण वसूली अधिकरणों (डी आर टी) की स्थापना की गई है।

(ख) गुवाहाटी, पटना, जबलपुर, बम्बई और मद्रास में पांच और ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन अधिकरणों की स्थापना हो चुकी है उन्हें कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है और अपेक्षित कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है। तथापि, उपयुक्त और अनुभवी कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पद रिक्त पड़े हैं। इन अधिकरणों को आवश्यक निधियां प्रदान की गई हैं और अधिकरणों के सुचारू से कार्य करने के लिए आवश्यक स्टोर इत्यादि जुटाने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है।

राज्य सरकारों को ऋण

2010. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी ऋण राशि की मांग की गई; और

(ख) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को विकास ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बैंककारी और बीमा क्षेत्र में सुधार

2011. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंककारी, बीमा और वित्तीय संस्थान क्षेत्र में समुचित सुधारों के लिए चलाई जा रहा कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने सरकार को इस संबंध में समय-समय पर अनेक सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). जहां तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है, नरसिंहम समिति की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही है/की जा चुकी है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजी पर्याप्तता के संबंध में मानदंड निर्धारित करना, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं, प्रविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) मे कमी करना, शाखा लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण, कम्प्यूटरीकरण के जरिए बैंकों का प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण, गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रदेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत लागू जारी करना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में जनता के लिए पूंजी जारी करना, विशेष वसूली अधिकरणों की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा दिए गये सुझाव के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक कंपनी में बदल दिया गया है तथा आई. डी. बी. आई. को पूंजी बाजार से अतिरिक्त इक्विटी लेने की अनुमति देकर तथा इसे अधिक कार्यात्मक स्वायत्ता तथा संचालनात्मक लचीलापन प्रदान करके इसकी पुर्नसंरचना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में संशोधन किया गया है। तदानुसार आई डी बी आई ने इक्विटी के लिए पूंजी बाजार में पहले ही पहुँच प्राप्त कर ली है।

नरसिंहम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि वित्तीय क्षेत्र में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

जहां तक बीमा क्षेत्र का संबंध है, बीमा क्षेत्र के सुधारों की निगरानी करने तथा सिफारिश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है, परन्तु उसकी सिफारिशों पर अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रथम उपाय के रूप में, सरकार ने बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

बैंकों की प्रदत्त पूंजी

2012. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की बैंककारी कंपनियों द्वारा 31 मार्च, 1995 तक बैंकवार मूल्यवान आस्तियों के निरस्त करने के कारण कितनी प्रदत्त पूंजी की क्षति हुई अथवा दर्शाई नहीं गई;

(ख) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार नए बैंकों को भुगतान की गई प्रदत्त पूंजी उनकी आवश्यकता से कितना अधिक थी;

(ग) 31 मार्च, 1995 को स्थिति के अनुसार इक्विटी पूँजी के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का किस सीमा तक निजीकरण हुआ; और

(घ) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार बैंकवार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी में कितनी विदेशी पूंजी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक की चुकता पूंजी 425.43 करोड़ रूपए कम कर दी, जोकि भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया की अग्रेनीत हानि थी।

(ख) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक पूंजी का भुगतान नहीं किया है।

(ग) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में भारत सरकार की शेयरधारिता, दिसम्बर, 1994 में सार्वजनिक निर्गम के बाद 100 प्रतिशत से कम होकर 66.48 प्रतिशत हो गई। उसी तारीख को, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता, दिसम्बर, 1993 में सार्वजनिक निर्गम के बाद 98.2 प्रतिशत से कम होकर 66.3 प्रतिशत हो गई।

(घ) सार्वजनिक निर्गम में भाग लेने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय स्टेट बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में शेयरधारिता निम्नानुसार है:—

बैंकों का नाम	को स्थिति के अनुसार	कुल धारिता की प्रतिशतता
भारतीय स्टेट बैंक	15.11.1995	4.08
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	10.7.1995	0.07

तम्बाकू उत्पादों/सिगरेटों पर प्रतिबन्ध

2013. श्री अमर रायप्रधान : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादों/सिगरेटों के विज्ञापन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रतिबन्ध कब लगाया गया था;

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध उत्पादकों के हितों के विरूद्ध था और अन्य मंत्रालयों की नीतियों के साथ असंगत होने के साथ-साथ इसके कारण निर्यात द्वारा अर्जित की जाने वाली आय भी अत्यधिक प्रभावित हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

गैर सरकारी क्षेत्र मुद्रा बाजार म्यूचुअल फण्ड

2014. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र म्यूचुअल फण्ड की मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड्स की स्थापना करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी आवश्यकता और इससे पूरे किये जाने वाले उद्देश्यों तथा अन्य बातों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एम. एम. एम. एफ. के लिए भी कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा उनके पूंजी निवेशों के आकार पर लगाई गई अधिकतम सीमा (सिलिंग) को भी समाप्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) निवेशकों को अतिरिक्त अल्पावधि अवसर उपलब्ध कराने तथा मुद्रा बाजार लिखतों को अलग-अलग व्यक्तियों की पहुंच में लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1992 में मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड (एम एम एम एफ) योजना शुरू की थी। इस योजना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने तथा साथ ही अधिक नकदी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना में कुछ परिवर्तन किए गए थे।

(ग) और (घ). अलग-अलग लिखतों में निवेशों पर अधिकतम सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। तथापि, किसी विशेष कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र के लिए निवेश एम एम एम एफ के संसाधनों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

अमरीकी सहायता

2015. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी कानून के अनुसार वहां से विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु औषध स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार से औषध उत्पादन के आगमन (इनफलो) के विरूद्ध कड़े कदम उठाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका के विदेशी सहायता अधिनियम 1961 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति यह आदेश कर सकते हैं कि प्रति वर्ष यह प्रमाणित किया जाए कि देश प्रतिस्वापक प्रयासों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यदि यह प्रमाणन किसी देश द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो उस देश को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय सहायता कम की जा सकती है तथा संयुक्त राज्य अमरीका अप्रमाणित देश को विभिन्न बहुपक्षी विकास बैंक क्रियाकलापों में ऋण का विरोध करने के लिए बाध्य कर सकता है।

(ख) और (ग) मार्च 1995 मास में संयुक्त राज्य सरकार ने प्रमुख स्वापक उत्पादों तथा पारगमन देशों के लिए प्रमाणन ज्ञापन जारी किया है। संयुक्त राज्य अमरीका यह प्रमाणित करती है कि भारत, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ पूर्ण

से सहयोग करता है तथा स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरूद्ध संयुक्त राज्य के 1988 के समझौते के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को प्राप्त करने में अनुपालन के लिए पर्याप्त कदम उठाता रहा है।

तथापि, रिपोर्ट में कानून प्रवर्तन में सुधार के संबंध में कुछ सुझाव अन्तर्विष्ट हैं। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं।

विधिसम्मत असीम असमानता दूर करने के लिए अब सभी तौल केन्द्रों में परंपरागत तराजूओं के स्थान पर इलैक्ट्रानिक्स तौल मशीनें इस्तेमाल की जाती है तथा तौल प्रचालन को, अनाचार दूर करने के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों की देख रेख में किया जाता है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट

2016. श्री छेदी पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विकास मंच को हाल ही में प्रस्तुत की गयी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि के प्रति सतर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1994 के दौरान गत दो वर्षों की तुलना में रोजगार के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार को देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने हेतु विदेशी सहायता प्राप्त हुई; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). पैरिस में भारत विकास मंच की बैठक में दिए गए वक्तव्य में यू एन डी पी के प्रतिनिधि ने मानव विकास रिपोर्ट 1993 का हवाला देने के साथ-साथ कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि सदैव ही रोजगार में आनुपातिक वृद्धि नहीं लाती है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने भारत में पूंजी को आकर्षित करने हेतु उठाये गए कदमों का स्वागत किया, जिनमें रोजगार संभाव्यता निवेश में वृद्धि हेतु किए गए प्रयत्नों पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है।

(ग) वर्ष 1992 में 367.58 लाख तथा वर्ष 1993 में 362.75 लाख की तुलना में वर्ष 1994 में रोजगार कार्यालयों के चाल रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, 366.91 लाख थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिश पर भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड का बेचा जाना

2017. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) ने भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड (मिटको) को बेचने की सिफारिश की है;

(ख) क्या भरातीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड का खनिज और धातु व्यापार निगम के साथ विलय करने के संबंध में कोई निर्णय लिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मिटको का एम एम टी सी में विलय कर दिया जाए। मिटको के एम एम टी सी के एक प्रभाग के रूप में पुनरुज्जीवन संबंधी प्रस्ताव की बी आई एफ आर द्वारा जांच की जा रही है। पुनरुज्जीवन पैकेज में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार नहीं करने वाले बेशी स्टाफ की छंटनी शामिल है।

किसानों के लिए बैंक

2018. श्री शरद पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ बैंकों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रचार अभियान

2019. श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश और विदेश में विस्तृत प्रचार अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान विदेशों से कितनी चार्टर्ड उड़ाने आई; और

(घ) भारत ने इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). भारत सरकार, पर्यटन विभाग विदेशी बाज़ारों में भारत का एक पर्यटक गन्तव्य स्थल के रूप में संवर्धन करने के लिए विभिन्न साधनों जिसमें विज्ञापन करना भी शामिल है की मदद से एक सतत् अभियान चला रहा है। प्रचार अभियान पर्यटन विभाग के विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से या की व्यवसाय तथा अपने क्षेत्रों में स्थित अन्य अभिकरणों के साथ गहन रूप से कार्य करते हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 के दौरान विदेशों से 927 पर्यटन चार्टर उड़ाने भारत में आई। वर्ष 1994-95 के दौरान चार्टर उड़ानों से आने वाले पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा अर्जन को शामिल करते हुए समग्र विदेशी मुद्रा अर्जन 7,366,00 करोड़ रूपए था।

[अनुवाद]

विशेष पर्यटन विकास क्षेत्र प्राधिकरण

2020. श्री सुधीर सावंत : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से राज्य में विशेष पर्यटन विकास क्षेत्र प्राधिकरण के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता का कोई अनुरोध किया और राज्य सरकार को वह सहायता दी गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार से विशेष पर्यटन विकास क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 1993-94 में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सिंधुदुर्ग जिले में कंकेश्वर में पर्यटक परिसर के लिए 24.80 लाख रू. की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना विशेष पर्यटन क्षेत्र में स्थापित की गई है।

हथियारों एवं नशीले पदार्थों का पकड़ा जाना

2021. श्री सुधीर सावंत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा भारत-पाक सीमा पर पकड़े गये हथियारों एवं नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये हथियार और नशीले पदार्थ कहां से आते हैं;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(घ) पकड़े गये व्यक्तियों के सम्पर्कों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. पी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में विमानपत्तनों का विस्तार

2022. श्री राम कृपाल यादव :

श्री ललित उरांव :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार बिहार के वर्तमान विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाने और उनका विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में किसी नये विमानपत्तन के निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). हवाई अड्डों और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का सतरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्रयोजित आवश्यकताओं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बिहार में निम्नलिखित हवाई अड्डों के विकास का कार्य आरंभ किया है:–

पटना–इस हवाई अड्डे को एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। 608 लाख रूपए की अनुमानित लागत से टर्मिनल भवन के विस्तार का कार्य शुरू किया गया है। धावनपथ पर पुनः परत चढ़ाने और डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास का कार्य पूरा हो गया है।

रांची–धावनपथ पर पुनः परत चढ़ाने और उपकरण अवतरण प्रणाली और दूरी मापक उपस्कर के संस्थापन से संबंधित कार्य पूरा हो गया है।

गया–इस हवाई अड्डे का पुनःरूद्धार किया गया है और इसे एफ-27 प्रकार के विमानों के प्रयालन के लिए उपयुक्त बनाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई एयर टैक्सी सेवाएं

2023. श्री चित्त बसु : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नए एयर टैक्सी आपरेटरों हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी विमान कम्पनियों ने भारत में विमान सेवाएं शुरू करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में शर्तें क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). विमान सेवा प्रारंभ करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल 6 अनुसूचित तथा 18 गैर अनुसूचित/हवाई टैक्सी प्रचालक निजी सैक्टर में प्रचालन कर रहे हैं। इसके अलावा, 28 नए आवेदकों को निजी विमान परिवहन सेवा आरंभ करने के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किए गए हैं।

(ग) मौजूदा नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विदेशी विमान कंपनियों को भारत में प्रचालन की अनुमति नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मंडलीय एवं जिला मुख्यालयों को जोड़ना

2024. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री अमरपाल सिंह :

क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों की राजधानियों तथा राष्ट्रीय राजधानी से सभी मंडलों तथा जिला मुख्यालयों को विमान सुविधा से जोडने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उक्त प्रस्ताव को किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). पूरे देश में विमान परिवहन सेवाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मार्ग विभाजन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिनके अनुसार प्रचालकों को पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप सहित विभिन्न मार्गों पर एक न्यूनतम क्षमता लगाना अपेक्षित है। तथापि, प्रभागीय और जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों तथा राष्ट्रीय राजधानी से वायुमार्ग द्वारा जोड़ने हेतु कोई समय ढांचा तय नहीं किया गया है। दूरस्थ तथा अभी तक वायु मार्ग में न जोड़े गए जिलों/शहरों के लिए प्रचलन करने हेतु क्षेत्रीय विमान कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

2025. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या नागर विमान और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता राज्य को प्रदान की गई;

(ख) प्रदेश के विशेषकर पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में उन ऐतिहासिक स्थलों के नाम क्या हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई;

(ग) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सरकार के पास वित्तीय सहायता के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का लंबित प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गत दो वर्षों के दौरान परियोजनाओं की अवस्थिति सहित स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे सलगन विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाखों में)
		1993-94
1.	ओरछा में पर्यटक परिसर	21.07
2.	ओरछा के लिए तम्बुओं की खरीद	2.00
3.	प्रचार सहायता	6.50
4.	मेले तथा उत्सव	2.00
	योग	31.57
		1994-95
1.	ओरछा उत्सव के लिए सहायता	3.10
2.	एस. आई. के. ओ. हीवर क्राफ्ट्स अपर लेक भोपाल	6.22
	योग	9.32

देवा नाहाल्ली में विमानपत्तन का निर्माण

2026. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के लिए देवा नाहाल्ली (बंगलौर के समीप) स्थान का चयन का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बंगलौर के समीप अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). भारतीय वायु सेना के प्राधिकारियों ने प्रचालनात्मक कारणें से (बंगलौर के निकट) देवा नाहाल्ली में हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति उठाई थी। भारतीय वायु सेना के साथ परामर्श करके मामले को सुलझा लिया गया है। हवाई क्षेत्र का प्रचालन/प्रबंधन सिविल और रक्षा कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भारत पर्यटन विकास निगम के उपक्रम

2027. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने उपक्रमों में निवेश किया गया है और ये उपक्रम कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने एककों के विकास हेतु नई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित मौजूदा तीन एककों पर 10.47 लाख रूपए का योजनागत व्यय लिया है :

एककों का नाप	पूंजीगत व्यय 1994-95 (रू. लाखों में)
1. होटल आगरा अशोक, आगरा	0.45
2. होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	2.23
3. वाराणसी में परिवहन यूनिट	7.79
जोड़ :	10.47

(ख) और (ग). भारत पर्यटन, विकास निगम की वर्ष 1995-96 और 1996-97 की वार्षिक योजना में उत्तर प्रदेश राज्य में किसी नई योजना को शुरू करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कपड़ा मजदूरों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2028. श्री राम कपासे :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्री राम विलास पासवान :

श्री मोहन रावले :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कपड़ा मिलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की राशि की राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत पुनर्अदायगी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन तथा टैक्सटाइल कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड द्वारा संचालित मिलों में कार्यरत मजदूरों के लिए एक विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ). महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि. तथा मराठवाड़ा वस्त्र निगम लि. के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत ग्रैच्युटी तथा प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 74.83 करोड़ रू. की सहायता देने का अनुरोध किया है। तथापि, केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

औषधियों तथा अन्य सामान को जब्त किया जाना

2029. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान देश के हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों पर जब्त किये गये प्रतिबंधित सामान, नशीले प्रदार्थों, नशीले स्वापक औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जब्त किये गए सामान/औषधियों का मूल्य कितना है; और

(ग) उपरोक्त मामलों में दर्ज किये गये अभियोजना पत्र का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पालिस्टर सूत घोटाला

2030. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिस्टर सूत घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इसमें कितने सीमा शुल्क अधिकारी लिप्त हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों तथा निर्यातकों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं। अब तक की गयी जांच-पड़तालों के परिणामस्वरूप, 111 निर्यातकों द्वारा धोखा-धड़ी से किए गए 55 करोड़ रूपए के निर्यातों से शुल्क अपवंचन का पता चला है जिनमें से 33 निर्यातकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछेक निर्यातकों द्वारा स्वेच्छा से 13.3 करोड़ रूपए की राशि सीमाशुल्क के रूप में जमा कर दी गई है। चैकों/ड्राफ्टों की वसूली होने पर।

(ग) पांच सीमाशुल्क अधिकारियों का इस धोखा-धड़ी में अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह है।

(घ) संदिग्ध अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। दोषी अधिकारियों तथा निर्यातकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का वापस लिया जाना

2031. श्री सत्यदेव सिंह :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को अचानक और बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की वापसी के बारे में अवगत करा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में संचालनों का, जो देश के भुगतान संतुलन में विकास को प्रतिबिम्बित करते हैं, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) दोनों द्वारा निरन्तर अनुवीक्षण किया जा रहा है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श तथा परामर्श करके मौजूदा नीति उपायों में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार नए उपाए शुरू किए जाते हैं ताकि देश के विदेश व्यापार तथा भुगतान स्थिति को मजबूत बनाया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण

2032. डा. साक्षी जी : क्या **वित्त मंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों द्वारा कुल कितना राशि का ऋण दिया गया है; और

(ख) बैंकों की कुल जमा राशि की तुलना में इन ऋणों का प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). मार्च 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक ऋण 368148 लाख रूपए था जो राज्य में तदनुरूप जमाराशियों का 35.9 प्रतिशत बैठता है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

2033. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी शाखायें खोली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनन्नास के रेशे से वस्त्र

2034. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनन्नास के रेशे से वस्त्र बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"सिंगल बिन्डो" योजना

2035. श्री राम टहल चौधरी :

श्री काशीराम राणा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई "सिगंल बिन्डो" योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सूरत शहर को मुख्य-मुख्य क्या लाभ हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत सूरत में कितना कार्य कर लिया गया है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत सूरत शहर को प्राथमिकता देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या सूरत शहर में डी.जी.एफ.टी. का कार्यालय भी खोला जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). मद्रास, कलकत्ता और बम्बई पत्तनों पर 24 घंटे से 48 घंटे के अन्दर आयात खेपों की क्लीयरेन्स के लिए राजस्व विभाग ने प्रयोगात्मक आधार पर अक्टूबर, 95 से एक एकल खिड़की योजना (सिंगल बिन्डो स्कीम) की शुरूआत की है। इस योजना में यह प्रावधान है कि आयात के लिए दस्तावेज एक ही काउण्टर पर जमा कर दिए तथा 24 या 48 घंटे बाद निकासी की अनुमति के दस्तावेज वापस ले लिए जाए। इस योजना से सूरत क्षेत्र को भी लाभ होगा क्योंकि आयात खेप की बम्बई पत्तन द्वारा शीघ्र निकासी की जाएगी।

(ङ) और (च) उप महानिदेशक विदेश व्यापार के नियंत्रण में डी.जी.एफ.टी. के एक कार्यालय ने दिनांक 15.11.95 से सूरत में कार्य करना शुरू कर दिया है। सूरत, बालसाड और डांग्स जिलों के निर्यातक तब अपने लाइसेंस तथा निर्यात लाभ सूरत से ही प्राप्त करेंगे।

[अनुवाद]

एम. आई. एफ. टी. सेन्टर

2036. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान केन्द्र कार्यरत हैं; और

(ख) 1995-96 के दौरान राज्यवार विशेष रूप से बंगलौर में कितने एन.आई.एफ.टी. सेन्टर खोले जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस समय राष्ट्रीय फैशन टैकनालाजी संस्थान के देश में छः केन्द्र चल रहे हैं जोकि दिल्ली, बम्बई (महाराष्ट्र), गांधीनगर (गुजरात), मद्रास (तमिमलनाडु), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में स्थित है।

(ख) सरकार निफ्ट के बंगलौर, भोपाल और गोवा में नए केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है, बशर्ते कि योजना आयोग की सहमति हो।

तम्बाकू श्रमिक कल्याण बोर्ड

2037. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी श्रमिकों की भांति तम्बाकू श्रमिकों के लिए भी ऐसे ही कल्याणकारी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तम्बाकू कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में भारतीय श्रमिक

2038. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग मे कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय श्रमिकों के लिए विदेश में और ज्यादा रोजगार तलाश करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशों में भारतीय कर्मकारों के लिए कार्य अवसरों की तलाश श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत भर्ती एजेन्टों अथवा परियोजनाओं निर्यातकों अथवा कर्मकारों द्वारा स्वयं की जाती है। यह संबंधित विदेशी नियोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और इस संबंध में उचित संविदा व्यवस्था में शामिल होने की कर्मकारों की इच्छा पर भी निर्भर है।

चीन को चावल

2039. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री गोपी नाथ गजपति :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री धर्मभिक्षम :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री जगमीत सिंह बराड़ :

श्री वृशिण पटेल :

कुमारी उमा भारती :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने मई 1995 के दौरान भारत से अतिरिक्त एक मिलियन टन चावल की सहायता मांगी है;

(ख) क्या यह मांग 1995 में पहले भेजी गई खेप के अतिरिक्त है;

(ग) यदि हां, तो चीन को 1995 के दौरान अब तक दी गई चावल और चीनी की कुल मात्रा कितनी है;

(घ) अन्य देश जिन्हें भारत ने चावल, गेहूँ, चीनी और अन्य कृषि उत्पाद प्रदान किये है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अब तक देशवार भारत ने चावल, गेहूँ चीनी और अन्य कृषि उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमायी; और

(च) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीन को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चावल तथा चीनी का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में से ये शामिल है—निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, चुनिंदा मदों पर न्यूनतम निर्यात कीमत तथा क्वालिटी संबंधी नियंत्रण समाप्त करना, रियायती ऋण का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने हेतु तत्कालीन उत्पाद-विकास, ई ओ यू/ई बी जेड की योजना के तहत मिलने वाले लाभ कृषि क्षेत्र को भी उपलब्ध कराना और 50 प्रतिशत उत्पादन की बिक्री घरेलू टैरिफ क्षेत्र में करने की अनुमति, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, क्वालिटी नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ब्रांड संवर्धन अभियानों द्वारा अभिज्ञात उत्पादों का निर्यात संवर्धन, क्रेता-विक्रेताओं बैठकों का आयोजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता।

ऊन परियोजना

2040. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषकर गुजरात के जूनागढ़ जिलों में "ऊन परियोजना" आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हालांकि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने देश में ऊन विकास की कई परियोजनाएं आरम्भ की हैं, फिर भी गुजरात के जूनागढ़ जिले में "ऊन परियोजना" आरम्भ करने का इसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2041. श्री रामविलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी राजनयिकों द्वारा नई दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रोतोकोल अधिकारी से इस बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है कि कुछ विदेशी मिशनों ने इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपतन पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के असहयोग पूर्ण व्यवहार के बारे में सूचित किया है। मुख्य शिकायत यह थी कि जिन राजनयिकों के पास विमानपत्तन सुरक्षा द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र होते थे उन्हें यात्रियों के आगमन के लिए निर्धारित सीमाशुल्क क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा मामले की जांच करवाई गई थी और उक्त सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं।

विवरण

		मात्रा	मी. टन में			मूल्य	लाख रुपये में	
मद	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	(अगस्त, 95 तक)
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दालें	34309	5344.12	43601	7358.55	59497	9035.74	20,229	3,762.92
चावल बासमती	324790	80064.42	527233	106126.81	468696	85776.04	135899	30044.58
गैर बासमती	255619	17495.70	240454	22544.29	422727	32345.32	1320377	88628.78
योग : चावल	580409	97560.12	767687	128671.10	891423	118121.36	1456276	118673.36
गेहूं	36749	1020.98	390	20.58	58206	3085.15	23364	1143.86
अन्य आनाज	17058	1016	148316	3402.27	68595	2567.21	6964	479.13
तम्बाकू अविनिर्मित	70607	35557.19	90493	36825.50	45811	17482.05	28604	13963.02
विनिर्मित	17646	11846.8	14183	9294.65	12588	7404.24	3979	2306.90
योग : तम्बाकू	88253	47403.99		46120.15	58399	24886.29	32583	16269.92
मसाले	128720	39343.20	182361	56890.64	157643	60648.33	83098	28634.90
काजू	58399	74485.16	69832	104530.99	76900	124196.99	46307	50466.21
काजू सीएसएनएल	4258	380.62	3625	288.85	3564	229.44	324	47.84
योग : काजू	62657	74865.78	73457	104819.84	80464	124426.43	46631	50514.05
तिल तथा नाइजर	67705	11621.61	39052	7350.79	61240	14223.65	17228	5335.13
बीज मूंगफली	4343	727.39	236461	17112.29	51247	9863.99	7282	1554.69
स्पिरिट तथा पेय प्रदार्थ		4164.84		4601.34		4580.70		2098.73
ग्वार गोंद खाद्य	62379	10318.61	74496	14082.06	63123	14278.33	32124	7497.01
तैल खाद्य	3678839	154528.98	4820744	232392.24	3896991	179470.60	1386590	60925.11
शैलाक	5011	4106.99	5971	6547.39	4665	4603.22	2299	2041.21
चीनी तथा शीरा	485098	35350.63	204532	17807.75	51558	6008.93	56146	5174.77
उद्यान/पुष्पोत्पाद		1490.69		1883.65		2871.01		3599.56
फल तथा सब्जियाँ		31242.40		41434.49		48855.18		20136.22
प्रसंस्कृत फल तथा रस		11976.26		15510.13		19613.39		7519.97
विविध प्रंसस्कृत मदें		10843.51		12841.97		18075.58		8235.57
मीट तथा मीट की तैयार मदें		25710.58		34451.98		39489.45		18981.67
योग (कृषि)		568680.68		753299.21		704904.54		362577.15

निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवम् सांख्यिकी की महानिदेशालय, कलकत्ता के मासिक बुलेटिन में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद में पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

निर्यातकों की समस्याएं

2042. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुख्य निर्यात कंपनियों की समस्याओं का पता लगाने तथा उनका निदान करने हेतु नए सिरे से पहल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात कंपनियों ने कोई सुझाव दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उनकी समस्याओं के निदान हेतु सरकार ने कोई कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ड.) व्यापार तथा उद्योग संघों के साथ कार्यचालन स्तर पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐसे आन्तरिक समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ सदस्य (सीमा शुल्क) और विदेश व्यापार महानिदेशक भी शामिल हैं। इस समूह में सी.आई.आई., फिक्की, एसोचैम, एफ आई ई ओ जैसे शीर्ष निकाय भी सदस्य हैं। इस आन्तरिक समूह में चर्चा के लिए अन्यों के साथ-साथ सदस्यों और निर्यातक कपंनियों से भी सुझांव प्राप्त होते हैं। यह समूह आयात-निर्यात नीति और क्रियाविधियों के बारे में कार्य-चालन संबंधी समस्याओं का पता लगता है। इस समूह के विचार-विमर्श के आधार पर आयात-निर्यात नीति और क्रियाविधियों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता की जांच की जाती है और जहां कहीं उचित समझा जाता है संशोधन किए जाते हैं। ऐसे अनेक संशोधन चालू वर्ष में पहले ही किए जा चुके हैं जिनमें आयात-निर्यात नीति में विहित महत्वपूर्ण योजनाओं में संशोधन भी शामिल हैं।

यात्रियों के लिए रात में ठहरने की व्यवस्था

2043. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास, पुणे और भुवनेश्वर विमानपत्तनों पर विमान यात्रियों के लिए रात में ठहरने की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) विमान-यात्रियों के ठहरने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) मद्रास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मार्गस्थ यात्रियों के लिए विश्राम कक्ष और डोरमिटरी किस्म का आवास उपलब्ध है। पुणे और भुवनेश्वर हवाई अड्डों पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पुणे और भुवनेश्वर हवाई अड्डों पर, उडानों और मार्गस्थ यात्रियों की संख्या बहुत कम होती है।

प्रत्यक्ष कर कानून

2044. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के आशय से एक दल गठित किया गया है;

(ख) क्या इस दल ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने और कुछ जटिल कानूनी उपबंधों को सरल बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने आयकर विभाग के अधिकारियों के चार अध्ययन दलों का गठन किया है।

(ख) और (ग) कुछ अध्ययन दलों की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है।

गुजरात में ई. एस. आई. अस्पताल तथा औषधालय

2045. श्री एन.जे. राठवा :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर गुजरात में आज की तिथि तक कितने ई. एस. आई. अस्पताल/औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में कुछ ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किराये के भवनों में चलाये जा रहे ई. एस. आई. अस्पतालों/ औषधालयों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) इस समय देश में 122 ई .एस आई. अस्पताल और 1433 औषधालय कार्यरत हैं। गुजरात राज्य में कार्यरत ई.एस.आई. अस्पतालों और औषधालयों की संख्या क्रमश: 9 और 121 है।

(ख) और (ग) नरोडा में 225 बिस्तरों वाले एक चेस्ट अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले आम अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने संबंधी एक प्रस्ताव ई.एस.आई निगम में जुलाई, 1993 में प्राप्त हुआ था। निगम ने गुजरात सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे थे। उनकी अभी भी प्रतिक्षा की जा रही है।

(घ) कोई भी ई.एस.आई. अस्पताल किराये के भवन में कार्य नहीं कर

रहा है। तथापि, गुजरात में 41 ई. एस. आई. औषधालयों सहित 1071 औषधालय किराये के भवन में कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

2046. श्री दत्ता मेघे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु 1993-94, 1994-95 और आज तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु जारी की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क)

(हजार रूपयों में)

वर्ष	अंतिम अनुमान	वास्तविक व्यय
1993-94	1,40,90	1,37,41
1994-95	1,69,67	1,60,97
1995-96	1,43,07 (बजट अनुमान)	40,91 (सितम्बर तक)

(ख) थोड़ी सी राशि अनुपयोजित रह गई।

(ग) औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों के कुछ पद रिक्त रहे।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु कल्याण योजना

2047. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के अनेक सम्मेलनों में, राज्यों से आग्रह किया गया है कि असंगठित श्रम की समस्याओं—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम आदि का कार्यान्वयन—पर विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त, उनसे जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा योजना, जिसकी परिधि में असंगठित क्षेत्र के 23 व्यवसाय आते हैं, के माध्यम सहित इन कर्मकारों को मामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने संबंधी उपाय करने के लिए कहा गया है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि बीड़ी कर्मकारों, जो रोजगार की गृह-आधारित पद्धतियों पर प्रायः कार्य करते है, जैसी कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों के लिए श्रम संरक्षण संबंधी विशेष उपाय करें। राज्यों को यह भी सलाह दी गयी है कि बीड़ी आदि कर्मकारों को आवासीय, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए विशेष सहायता हेतु कल्याणकारी निधियों के संसाधनों को प्रवाही बनाने में श्रम कल्याण महा निदेशालय के साथ सहयोग करें। राज्य सरकारों की अनुक्रिया काफी सकारात्मक रही है।

एससीआईसीआई की विस्तार योजना

2048. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 नवम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार क्या एससीआईसीआई का विचार नए वित्तीय उत्पादों को शुरू करने की अपनी रणनीति के एक भाग के रूप में विदेशों में 100 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा कोष शुरू करने का है;

(ख) यदि हां तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). एससीआईसीआई ने सूचित किया है कि संरचना क्षेत्र में परियोजनाओं को निधि देने के उद्देश्य से वह 100 मिलियन अमरीकी डालर का संरचना कोष प्रवर्तित करने पर विचार कर रहा है और विदेशी निवेश बैंकरों के साथ वह इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है। मुख्य प्रस्तावित शर्तें ये हैं कि विदेशों में और विदेशी कोष द्वारा अभिदत्त किया जाने वाला यह 10 वर्ष का कोष होगा। इस कोष का उपयोग संरचना परियोजनाओं में लगी कम्पनियों को इक्विटी और/या ऋण किश्तों में निवेश करने के लिए किया जाएगा।

असम में उद्यमियों को बैंक ऋण

2049. श्री प्रवीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान असम में कितने उद्यमियों को बैंक ऋण दिया गया ;

(ख) ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं जिनके नामों की जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा सिफारिश की गई परन्तु अब तक ऋण नहीं दिया गया; और

(ग) सभी योग्य व्यक्तियों को ऋण कब तक मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर, 1993 से चलाई गई प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को स्वीकृत ऋणों की ओर है।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) (डी.सी.एस.एस.आई.) के अनुसार, असम राज्य में निर्धारित लक्ष्य, जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) द्वारा अनुशासित शिक्षित बेरोजगार [illegible] के ऋण संबंधी आवे[illegible] बैंकों द्वारा [illegible] आवेदन [illegible] गए [illegible]

वर्ष	लक्ष्य	आवेदनों की संख्या	
		डी आई सी द्वारा अनुशंसित	बैंक द्वारा स्वीकृत
1993-94	805	1072	818
1994-95	6600	8778	6404

बैंकों को निर्देश दिए गये हैं कि 25000/-रूपये तक की ऋण सीमा वाले ऋण संबंधी आवेदन पन्द्रह दिन के भीतर और 25000/-रूपए से अधिक ऋण सीमा वाले आवेदन 8 से 9 सप्ताह के बीच निपटा दिए जाएं। बैंकों से कहा गया है कि आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाए।

राज्य सरकार की लाटरियां

2050. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की लाटरियों के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य लाटरियों को विनियमित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में तथाकथित तुरन्त खुलने वाली लाटरियों की ओर गया है जोकि एक अंकीय लाटरियों के स्थान पर काफी समय से चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने लाटरियों की इस नई प्रणाली का समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए लाटरियाँ आरम्भ की गई हैं। इस विषय में अध्ययन के अभाव मे लोगों की आर्थिक स्थिति पर लाटरियों के दुष्प्रभाव के बारे में सही निष्कर्ष नही निकाला जा सकता।

(ख) और (ग). राज्य सरकारें राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 34 के अंतर्गत भारत सरकार की आज्ञा/निदेश के बिना लाटरियाँ चलाने अथवा न चलाने का निर्णय लेने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं।

(घ) राज्य सरकारें न केवल लाटरियाँ चलाने में सक्षम है बल्कि अपने-अपने राज्यों में प्राइवेट एजेंसियों को भी लाटरियाँ चलाने के लिए अधिकृत कर सकती हैं।

(ङ) से (च). ऐसा कोई आंकलन तैयार नहीं किया गया है।

यूरिया का आयात

2051. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री शरत् पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार यूरिया के आयात को सरणीमुक्त (डिकैनालाइज) करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ङ). इस मंत्रालय ने यूरिया के आयात का सरणीयन समाप्त करने की व्यवहार्यता एवं उसके स्वरूप पर विचार करने के लिए एक अन्त: मंत्रालयी दल का गठन किया है। इसकी सिफारिशें सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्लास्टिक के कच्चे माल के आयात बीजकों को कम करके बनाना

2052. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के कच्चे माल के आयात बीजकों को कम करके बनाने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार आयातकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

मुम्बई स्थित बैंक ऑफ इंडिया में धोखाधड़ी

2053. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मुम्बई में बैंक आफ इंडिया के विदेशी मुद्रा विभाग में बैंक के अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई धोखाधड़ी की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि मुम्बई में विदेशी मुद्रा विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल में बैंक को धोखाधड़ी देने की कोई घटना नही घटी है।

(ख). से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

2054. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश प्राकृतिक रबर के उतपादन में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, नहीं। इस समय प्राकृतिक रबड़ की 96% प्रतिशत मांग की पूर्ति स्थानीय उत्पादन द्वारा की जाती है। इसका उत्पादन तथा खपत निम्नानुसार है—

	उत्पादन खपत (मी. टन)	खपत	
1994-95	471,815	485,850	97%
1995-96 (अनुमानित)	511,000	530,000	96%

(ग) रबड़ बोर्ड उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल है—

1. उच्च पैदावार रोपण सामग्री का उत्पादन एवं रबड़ उत्पादकों को इसका वितरण;

2. परामर्शी, विस्तार तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना;

3. लघु उत्पादकों में सामूहिक प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित करना;

4. रबड़ की खेती, उत्पादन तथा प्रसंस्करण पर अनुसंधान करना;

5. उन्नत किस्मों के साथ नए रोपण तथा पुनर्रोपण के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना; और

6. रबड़ का उत्पादन बढ़ाने तथा क्वालिटी सुधारने के लिए वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित विश्व बैंक की सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना।

निजी निगमित व्यापार क्षेत्र का कार्य निष्पादन

2055. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान निजी निगमित व्यापार क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन के बारे में किये गये अध्ययन से पता चलता है कि देश की 925 गैर वित्तीय और 105 वित्तीय शीर्ष कम्पनियों ने गत वर्ष की अपेक्षा 1994-95 में औसतन 73.9 प्रतिशत की करोपरांत लाभ वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन में कितनी कम्पनियों को शामिल किया गया और अध्ययन रिपोर्ट में अन्य किन प्रमुख कारकों का उल्लेख किया गया; और

(ग) वर्ष 1993-94 की तुलना में यह वृद्धि कितनी अधिक थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां। चूंकि यह अध्ययन विभिन्न वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सक्षिप्त लेखा-परीक्षा रहित वित्तीय परिणाम हैं अत: विशलेषण निर्देशात्मक है।

(ख) और (ग). अध्ययन में 1030 कम्पनियों को कवर किया गया है जिनमें से 925 गैर वित्तीय कम्पनियां है और 105 वित्तीय कम्पनियां हैं। कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित है:—

(i) 1994-95 के दौरान बिक्री मे 30.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई;

(ii) 1994-95 के दौरान सकल लाभ और करपूर्व लाभ में क्रमश: 46.2 प्रतिशत और 70.1 प्रतिशत की वृद्धि हई।

गुजरात में लघु उद्योग इकाइयों को बैंक ऋण

2056. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उन्हें अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों को रूग्ण होने से बचाने के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून, 1992 और जून, 1993 के अंत (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग एककों को संवितरित किये गये ऋण निम्नानुसार हैं :—

(रूपए करोड़ में)

	खातों की संख्या	बकाया राशि
जून, 1992	39697	241.34
जून, 1993	15230	233.16

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम यह अनुदेश जारी किया है कि 25,000 रू. तक की ऋण सीमा वाले आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रू. से अधिक ऋण सीमा वाले आवेदनों को आवेदन प्राप्ति के 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि ऋण सीमा में बढ़ोतरी के अनुरोध पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए और किसी भी हालत में निर्णय 6 सप्ताह के भीतर लिया जाना चाहिए।

नशीले पदार्थों (ड्रग्स) का जब्त किया जाना

2057. श्री सुधीर सावन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में जब्त किए गए स्वापक औषध ड्रग्स का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमाओं पर प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयन के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) इस प्रकार जब्त किए गये नशीले पदार्थ मूलतः कहां से आते हैं और उनका संबंध किनसे है;

(घ) इनके सरगनों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) पता लगए गए ड्रग कार्टेयों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में जब्त किए गए स्वापक औषधों को दर्शाने वाले विवरण I, II, और III संलग्न है।

(ख) तथा (घ). सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्याधिक सतर्कता बरते। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरंक्षा बल और तटरक्षक बल जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरों के महानिदेशक की अध्यक्षता में केन्द्रीय तथा राज्य प्रवर्तन एंजेसियों की समन्वय संमिति की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राज्य पुलिस विभाग ने स्वापक कानून प्रवर्तन के संबंध में समर्पित कक्ष स्थापित किया है जो कि उनका प्रथम ध्येय है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त की गई हेरोइन तथा हशीश के अम्बार का स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था तथा इसे प्रथमतः पश्चिमी देशों में निर्यात किया जाना था।

(ङ) इस सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

विवरण-I
स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थों की राज्यवार जब्ती-वर्ष 1993 (कि.ग्राम में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वलोन	मामलो की सं.	गिरफ्तारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	-	-	3613	-	-	215	218
2. अरूणाचल प्रदेश	3	-	2458	-	-	12	12
3. असम	1	4	5193	-	-	198	201
4. बिहार	-	4	19278	684	37	124	126
5. गोवा	-	2	32	15	-	35	26
6. गुजरात	29	1	165	95	-	209	212
7. हरियाणा	187	-	-	108	-	151	154
8. हिमाचल प्रदेश	12	-	-	75	-	71	72
9. जम्मू और कश्मीर	4	13	1	11	-	36	37
10. कर्नाटक	6	6	3615	-	2331	213	217
11. केरल	-	1	86	2	-	20	22
12. मध्य प्रदेश	373	22	1372	22	11	741	752
13. महाराष्ट्र	81	150	7937	3862	11442	1388	1404
14. मणिपुर	-	4	24620	-	-	323	328
15. मेघालय	50	3	4261	13	-	39	40
16. मिज़ोरम	3	7	272	-	-	120	122
17. नागालैंड	-	5	11266	2	-	114	116
18. उड़ीसा	4	1	339	-	-	91	92
19. पंजाब	475	18	-	78	-	319	324
20. राजस्थान	775	141	1151	1538	-	197	203
21. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
22. तमिलनाडु	229	110	3684	1	291	2468	2503
23. त्रिपुरा	-	4	32	-	-	5	16
24. उत्तर प्रदेश	139	50	3616	699	689	5646	5732

1	2	3	4	5	6	7	8
25. पश्चिम बंगाल	2	11	5653	3	-	72	173
26. दिल्ली	435	139	189	1016	203	588	597
27. दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-
28. पांडिचेरी	-	-	1	-	-	4	4
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	4	-	-	4	4
30. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
31. दादर नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
32. चंडीगढ़	103	13	-	14	-	8	9

विवरण-II

स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थों की राज्यवार जब्ती-वर्ष 1994 (कि.ग्राम में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन,	गांजा	हशीश	मैथाक्वलोन	मामलो की सं.	गिरफ्तारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	-	-	35516	-	-	383	404
2. अरूणाचल प्रदेश	1	1	1631	-	-	47	50
3. असम	3	5	12648	-	-	116	122
4. बिहार	-	8	9207	694	-	189	198
5. गोवा	-	0.250	16	11	-	35	37
6. गुजरात	40	34	578	688	16921	279	294
7. हरियाणा	128	-	14	312	4	136	143
8. हिमाचल प्रदेश	4	-	1	170	-	38	93
9. जम्मू और कश्मीर	-	26	188	101	-	41	43
10. कर्नाटक	-	0.005	2681	0.130	2999	130	137
11. केरल	0.048	1	297	0.250	-	144	152
12. मध्य प्रदेश	987	44	5342	7	-	1052	1110
13. महाराष्ट्र	5	194	8487	168	721	659	694
14. मणिपुर	-	13	38576	-	-	894	941
15. मेघालय	-	8	1034	-	-	87	92
16. मिजोरम	-	7	528	19	-	99	104
17. नागालैंड	-	0.134	15260	-	-	75	79
18. उड़ीसा	0.317	-	3125	-	-	106	217
19. पंजाब	375	32	-	26	-	300	316
20. राजस्थान	393	427	221	2612	17	403	424
21. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
22. तमिलनाडु	40	28	44775	-	4529	2700	2850
23. त्रिपुरा	0.250	2	225	-	-	30	32
24. उत्तर प्रदेश	134	40	2507	589	322	5662	5969
25. पश्चिम बंगाल	135	4	3094	15	-	242	255
26. दिल्ली	11	98	1914	1577	13316	644	679
27. दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-
28. पांडिचेरी	-	-	0.350	-	-	-	1
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	31	-	-	3	3
30. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
31. दादर नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
32. चंडीगढ़	-	39	-	3	-	12	13

विवरण-III

स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थों की राज्यवार जब्ती-वर्ष 1995

(कि.ग्राम में) (नवम्बर 95 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वलोन	मामलो की सं.	गिरफ्तारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	-	-	9734	-	-	215	475
2. अरूणाचल प्रदेश	0.051	-	-	-	-	1	1
3. असम	2	2	4641	-	-	63	80
4. बिहार	-	0.0	1997	41	-	42	31
5. गोवा	-	0.0	17	4	-	16	18
6. गुजरात	18	10	2394	432	3681	199	377
7. हरियाणा	45	-	10	120	-	52	59
8. हिमाचल प्रदेश	2	-	-	176	-	36	42
9. जम्मू और कश्मीर	4	503	12	557	-	44	42
10. कर्नाटक	-	-	6	-	-	2	2
11. केरल	0.215	1	90	0.073	-	121	127
12. मध्य प्रदेश	147	2	1173	5	-	117	123
13. महाराष्ट्र	11	110	5430	84	2528	308	484
14. मणिपुर	-	1	6803	-	-	136	173
15. मेघालय	-	1	2529	-	-	65	10
16. मिजोरम	0.480	8	130	-	-	244	203
17. नागालैंड	0.167	0.0	9781	78	-	44	77
18. उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-
19. पंजाब	359	29	-	71	-	225	230
20. राजस्थान	292	191	40	682	-	155	213
21. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
22. तमिलनाडु	29	14	2624	-	1848	1779	1799
23. त्रिपुरा	-	1	398	-	-	35	-
24. उत्तर प्रदेश	29	31	1592	352	4644	3447	3545
25. पश्चिम बंगाल	8	11	2272	11	-	209	99
26. दिल्ली	30	26	2934	255	3072	627	631
27. दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-
28. पांडिचेरी	-	0.004	1	-	-	5	5
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	8	0.095	-	3	2
30. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
31. दादर नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
32. चंडीगढ़	35	88	-	0.280	-	19	15

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा ऋण

2058. श्री खेलन राम जांगडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों को स्वीकृत किये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य के किसानों को बैंकों से समय पर ऋण स्वीकृत कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में किसानों को बिना कठिनाई के ऋण स्वीकृत हो जायें, क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने मध्य प्रदेश राज्य में किसानों को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्ष 1992, 1993 और

1994 के दौरान क्रमशः 207.15 करोड़ रूपए, 194.47 करोड़ रुपए और 200.68 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(ख) और (ग). वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋणों का कम से कम 18% कृषि के लिए मंजूर करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कृषि को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में विशिष्ट और महत्वपूर्ण सुधार करने की दृष्टि से बैंकों से विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों और गतिविधियों का पता लगाए जिन पर वे सुविधापूर्वक ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं तथा उनसे तदनुसार अपनी कार्य योजनायें तैयार करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादन के वास्ते समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए जो किसान कतिपय मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें उनकी मिश्रित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा उन किसानों को उपलब्ध है, जिनके पास सिंचाई की सुविधा है तथा उनको भी दी जाती है जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन जो फसल उगाने के साथ डेरी, कुक्कुट पालन आदि और/या अन्य कृषितर कार्य जैसे सम्बद्ध कार्य करते हैं और जिनका बैंक/ऋणकर्ता खाते का संतोषजनक रिकार्ड है। भारतीय रिजर्व-बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे मछली-पालन, पुष्पोत्पादन, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलाजी आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के कार्यों का वित्तपोषण करें।

[अनुवाद]

लैटिन अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम

2059. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लैटिन अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम लगाने की विपुल संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा पता लगायी गई संभावनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). भारतीय कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है और वह वाणिज्यिक तथा आर्थिक मुद्दों के आधार पर उद्यमियों की पहल पर निर्भर करता है। लैटिन अमरीका की कम्पनियों ने भी भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में कुछ रूचि दिखाई है।

सरकार भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करके व्यापार मेलों में भागीदारी बढ़ाकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना का पता लगाएं।

उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस

2060. श्री के. मुरलीधरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस की नई योजना की स्वीकृति में अत्याधिक विलम्ब के कारण सम्पूर्ण भारत में भविष्य निधि का अंगदान करने वाले कर्मचारी अत्याधिक क्षुब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों की शिकायत को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) क.भ.नि. संगठन के कर्मचारी उत्पादकता से जुड़ा बोनस योजना की परिधि के अंतर्गत आते हैं। इस योजना की पुनरीक्षा 1991-92 में की जानी थी। लम्बित अंतिम पुनरीक्षा और क.भ.नि. संगठन की सिफारिश पर, विद्यमान उत्पादकता से जुड़ा बोनस योजना की अवधि 1994-95 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। कर्मचारियों को विद्यमान योजना के अंतर्गत देय और अनुमेय बोनस का वर्ष 1994-95 तक का भुगतान कर दिया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा सुझायी गयी और क.भ.नि. के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई उत्पादकता से जुड़ा बोनस योजना में अतिरिक्त व्यय शामिल है। अतः आवश्यक वितीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, जिसके लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

चाय का उत्पादन

2061. श्री हाराधन राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में उत्पादित चाय का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान चाय के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार चाय के उत्पादन में वृद्धि लाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में-राज्यवार चाय का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग). अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी-अक्टूबर, 1995 के दौरान चाय का उत्पादन 625.38 मिलियन किलो ग्राम होने का अनुमान है जबकि 1994 को इसी अवधि के दौरान 649.72 मिलियन किलो ग्राम चाय का उत्पादन हुआ था। इसमें 24.34 मिलियन किलो ग्राम की गिरावट आई है। तथापि, अक्टूबर और नवम्बर, 1994 में महीनेवार बहुत अच्छा उत्पादन होने की खबर है। चालू वर्ष के शुरू के महीनों के दौरान उत्पादन में आयी गिरावट के कारण कुछ चाय उत्पादक क्षेत्रों मे कृषि-जलवायु की दशाएं विपरीत होना है।

(घ) तथा (ङ). चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए टी बोर्ड विभिन्न विकासात्मक योजनाएं चला रहा है। टी बोर्ड ने चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना भी तैयार की है। जिसमे अल्पकालिक उपाय जैसे निविष्टियों और कृषि के उन्नत तरीकों को इष्टतम बनाना; और मध्यावधि उपाय जैसे सिंचाई एवं नालियों का सुधार, नवीकरण, कटाई-छंटाई और भराई, और दीर्घकालिक उपाय जैसे चाय उत्पादक क्षेत्रों में नए क्षेत्रों को शामिल कर पुनर्रोपण और रोपण विस्तारण

आदि शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान राज्यवार चाय का उत्पादन

(उत्पादन मिलियन किलो ग्राम में)

राज्य	1992	1993	1994*
असम	412.01	402.95	399.33
पश्चिम बंगाल	150.69	168.02	156.50
अन्य	7.72	7.75	8.10
समग्र उत्तरी भारत	570.42	578.72	563.93
तमिलनाडु	103.07	108.65	110.75
केरल	54.63	66.69	65.14
कर्नाटक	4.20	4.00	3.96
समग्र दक्षिण भारत	161.90	179.34	179.85
अखिल भारत	732.32	758.06	743.78

* अनुमानित

"मोडवेट स्कीम"

2062. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

प्रो. प्रेम धूमल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्व अधिकारियों द्वारा उदारीकृत मानदंडों के दुरूपयोग से राजस्व की हानि का पता लगाये जाने के बाद मोडवेट स्कीम को पुर्नगठित करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को माडवेट योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन और इसके कार्यकरण में सुधार लाने और इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है।

समिति को कुछेक अधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी है ताकि वह अध्ययन को शीघ्रता से पूरा कर सके।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन

2063. श्री महेश कनोडिया : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने 1994-95 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का रिकार्ड दर्ज किया है जैसा कि दिनांक 7 अक्टूबर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य निष्पादन में और अधिक सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। विवरण संलग्न है।

(ग) कार्य निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में प्रगतिशील विपणन प्रयास परिसंपत्तियों का नवीनीकरण/उन्नयन वर्तमान प्रचालन लागतों की जांच पड़ताल एवं नियंत्रण, उपभोक्ता संतुष्टिकरण योजना एवं कुल गुणवत्ता प्रबंधन योजना आदि प्रारम्भ करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करके मानव संसाधन का विकास करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

निर्यात पर अवमूल्यन का प्रभाव

2064. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रूपये के संभावित अवमूल्यन के डर से अपने निर्यातों को रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की वृद्धि की दर को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा निर्यात पर विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए अमरीकी डालर की तुलना में रूपये के अवमूल्यन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं तथा इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). महोदय, हमें निर्यातकों से ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है कि भारतीय रूपए के संभावित अवमूल्यन के कारण वे अपना निर्यात बंद कर देंगे। चूंकि हम बाजार द्वारा निर्धारित होने वाली मुद्रा विनिमय व्यवस्था की ओर अग्रसर है इसलिए सांकेतिक मुद्रा दर में हाल के महीनों में आए बदलाव के अनुरूप उसमें एक संशोधन करने की जरूरत थी, मुद्रा दर में हाल में हुए परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा के चरण में सुधार होगा तथा इससे निर्यात वृद्धि सुनिश्चित होगी और आयात वृद्धि नियन्त्रित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप इसलिए

विवरण

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 के लिए अन्य विशिष्टताओं सहित का भारत पर्यटन विकास निगम प्रभाग-वार वित्तीय कार्य निष्पादन

क्र. सं.	एकक का नाम/प्रभाग	1993-95		1993-95		वर्ष 1993-95 में प्रतिशत वृद्धि	
		कारोबार	निवल लाभ/हानि	कारोबार	निवल लाभ/हानि	कारोबार	निवल लाभ/हानि
				(करोड़ रूपयों में)			
1.	होटल प्रभाग	144.75	22.71	117.30	8.29	23.4	173.9
2.	अशोक ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स	22.44	0.29	20.20	0.23	11.1	26.1
3.	डी एफ टी प्रभाग	61.47	20.24	46.55	15.48	32.1	30.7
4.	मुख्यालय तथा अन्य	7.27	-0.08	3.59	0.02	102.5	
	सम्पूर्ण भारत पर्यटन विकास निगम	235.93	43.16	187.64	24.02	25.7	79.7
	अन्य विशिष्टताएं		1994-95 (करोड़ रूपयों में)	1993-94 (करोड़ रूपयों में)	प्रतिशत वृद्धि		
	लाभांश		5.57	1.95	190.8		
	विदेशी मुद्रा आय		74.49	59.19	25.8		
	योजनागत स्कीमों पर व्यय		8.82	7.28	21.2		

किया ताकि अन्तर्निहित मूल सिद्धान्तों के संगत स्तरों पर दरों को स्थिर किया जा सके। विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने तथा मांग को कम करने के लिए भी आर.बी.आई. ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल थे—(i) अनिवासी विदेशी रूपया सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि, (ii) एन.आर.ई. और एन.आर.एन.आर. जमा राशि पर दिनांक 27.10.1995 को बकाया स्तर तथा एफ.सी.एन.आर.(बी) जमा राशि पर 24.11.1995 को बकाया स्तर में वृद्धि के संबंध में नकद् सुरक्षित निधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं से छूट (iii) लदान पश्चात के ऐसे निर्यात ऋणों (पी.एस.सी.एफ.सी.) पर ब्याज दर में वृद्धि जो अमरीकी डालर में है तथा जिनकी मेच्योरिटी की अवधि 90 दिन से ज्यादा और 6 महीनों तक है, तथा (iv) आयात वित्त पर ब्याज पर दर अधिशुल्क। इसके साथ-साथ जी.डी.आर./एफ.आर.एन./एफ.सी.सी.बी. के जारी करने, आय की इन धनराशियों को भारत में भेजने तथा उनके उपयोग के संबंध में पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में सरकार ने हाल ही में कुछ छूट दी है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के विमान

2065. प्रो. के. वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया के विमान बेड़े में कौन-कौन से कितने विमान हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा एअर इंडिया के लिए नये विमान खरीदने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का एअर इंडिया के बेड़े के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) एअर इंडिया का विमान बेड़ा नीचे दिए अनुसार है :–

विमान का प्रकार	विमानों की संख्या
बी 747-200	9
बी 747-300 (कोम्बी)	2
बी 747-400	4
ए-300-बी-4	3
ए 310-300	8
कुल	26

(ख) से (घ) सन् 1994-95 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए एअर इंडिया की एक अन्तिम मध्यम अवधि विमान बेड़ा योजना बनाई गई है जिसमें वर्ष 2001-2002 तक विमान बेड़े के विमानों की मौजूदा संख्या को 26 से बढ़ाकर 54 तक करना शामिल है। एअर इंडिया ने हाल ही में बोइंग एयर प्लेन कंपनी के

साथ दो बी-747-400 विमान प्राप्त करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान जुलाई और अगस्त, 1996 में मिलने हैं। इन विमानों को शामिल करके, एअर इंडिया की एक पुराने बी 747-200 विमान को सेवाओं से हटाने की योजना है। इस योजना में 1997-98 से आगे मध्यम क्षमता के अधिक दूरी वाले विमान शामिल करना तथा इसके साथ ही बी 747-200 और 300 कोम्बी विमानों के पूरे बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाना भी परिकल्पित है।

भारत-मारीशस व्यापार

2066. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-मारीशस व्यापार किन-किन क्षेत्रों में होता है;

(ख) क्या सरकार का मारीशस के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन नये क्षेत्रों का पता लगाया है;

(घ) क्या मारीशस के प्रधान मंत्री के साथ उनके नई दिल्ली आगमन के दौरान इस संबंध में कोई उच्च स्तरीय चर्चा हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). सरकार निम्न उपायों के जरिए मारीशस के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करती है :—

(1) उद्योग और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान करके;

(2) केवल भारतीय प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन करके;

(3) अड़चनों को दूर करने के लिए समय-समय पर सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित करके;

(4) उभरते अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करके।

वर्ष 1993-94 में मारीशस को हुए 268.55 करोड़ रू. के भारतीय निर्यात कारोबार की तुलना में यह निर्यात वर्ष 1994-95 में 357.89 करोड़ रू. पहुंच गया, इस प्रकार इसमें वृद्धि का रूख दिखाई पड़ता है।

यह मुख्यतः दोनों देशों के व्यापार और व्यावसायिक संगठनों का कार्य है कि वे माल की मांग और प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करते हुए आपस में निर्यात और आयात करने के लिए वस्तुओं का चयन करें। तथापि, भारत से किए जाने वाले निर्यात और भारत द्वारा किए जाने वाले आयात की मुख्य मदें ये हैं :—

निर्यात् की मदें : सूतीयार्न, कपड़े, मैकअप्स, मानव निर्मित यार्न, धातु विनिर्माण, मांस और मांस से निर्मित वस्तुएं, परिवहन उपकरण, प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, प्राकृतिक रेशमी यार्न, मैकअप्स, समुद्री उत्पाद इत्यादि।

आयत की मदें : धातुमय अयसक और धातु की रद्दी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कार्बनिक रसायन, औषधीय एवं मैपजीय उत्पाद इत्यादि।

(घ) और (ङ) मारीशस के प्रधनमंत्री का हाल ही का दौरा उच्चस्तरीय विचार विनिमय के सतत् कार्यक्रम का एक हिस्सा था जिसका उद्देश्य मारीशस के साथ भारत के बहु-आयामी संबंधों को पक्का करने, मजबूत बनाने तथा विविधिकरण करने का है। इन उच्चस्तरीय बैठकों के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

2067. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन का सकारात्मक पहलुओं और असफलता के क्षेत्रों सहित राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्रीय/ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को कारगर और सुदृढ़ बनाने हेतु हाल में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्यवार कितना विकास किए जाने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं :—

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब उनके नए ऋणों की 60% की सीमा तक गैर-लक्ष्य समूहों को ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(2) लाकरों के प्रावधान, गारंटियां जारी करने आदि जैसे गैर-निधि कारोबार से संबंधित मार्गनिर्देशों को उदार बनाया गया है।

(3) 1992-93 में 2 करोड़ रूपए से कम का ऋण का संवितरित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र की बाध्यताओं से मुक्त कर दिया गया है और हानि उठाने वाली शाखाओं को दूसरे स्थानों पर ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम-रहित भागीदारी सहभागिता प्रमाणपत्रों के माध्यम से प्रायोजक बैंकों के ऋण फोलियों में सहभागिता सहित निवेश के उदारीकृत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

देश में कार्यरत कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1994-95 के दौरान इक्विटी प्रदान करके तुलन-पत्रों को संशोधित करने सहित व्यापक पुनर्गठन के लिए लिया गया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुभव बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य वर्तमान कमजोर एवं रूग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिग के वित्तीय रूप से अर्थक्षेप एवं कारगर लिखत में परिवर्तित करना है।

निर्यात घराने

2068. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित शीर्ष 100 निर्यातकों/निर्यात घरानों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रत्येक निर्यातक द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) प्रत्येक निर्यातक द्वारा विमानों से कितने मूल्य की निर्यात राजसहायता हासिल की गई; और

(घ) उपरोक्त सूची में व्यापारिक घरानों की कौन-कौन सी गैर-सरकारी कम्पनियां शामिल हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय निर्यात-सगठनों के परिसंघ, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार और पिछले वर्ष के दौरान निर्यात निष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों समेत सर्वोच्च 100 निर्यातकों/निर्यात घरानों के नाम तथा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान प्रत्येक द्वारा किए गए निर्यात के मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस प्रकार की कोई इमदाद नहीं दी जाती है।

(घ) सरकार इस प्रकार की सूचना नहीं रखती है।

विवरण

क्र. सं.	निर्यातकों/निर्यात सदन का नाम	निर्यात का मूल्य (करोड़ रूपयों में) 1993-94	1994-95
1.	2	3	4
1.	एम एम टी सी लिमिटेड, नई दिल्ली	1201.5038	3535.379
2.	इण्डिया ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	1255.4550	1309.0563
3.	गणपति एक्सपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली	428.1644	971.4039
4.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	241.3133	592.2535
5.	टाटा आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड, कलकत्ता	713.4925	528.7732
6.	सूरज डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई	410.0240	528.7003
7.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, बम्बई	596.8781	470.6544
8.	बी. विजय कुमार एंड कं. बम्बई	329.6400	430.1500
9.	नेशनल मिनरल डिवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद	400.0000	378.7700
10.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लिमिटेड, बंगलौर	414.5288	369.3422
11.	आई टी सी लिमिटेड, कलकत्ता	622.3547	349.5451
12.	काडिला एक्सपोर्टस लिमिटेड, अहमदाबाद	6.2587	338.1981
13.	सुआषीश डायमंड्स लिमिटेड, बम्बई	249.6683	299.6934
14.	गणपति कॉमर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	56.8519	266.0362
15.	नेशनल को-ऑपरेटिव मार्के. फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली	313.9733	228.2208
16.	गणपति कम्बाइनस लिमिटेड, नई दिल्ली	47.4661	223.4333
17.	ब्यूटीफुल डायमंड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	190.1053	222.3811
18.	प्रोजेक्ट एंड एक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	165.3683	215.0020
19.	रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि. नई दिल्ली	219.8127	213.9112
20.	एवरेस्टजेम्स, बम्बई	200.3156	211.7932
21.	महिन्द्रा ब्रदर्स, बम्बई	169.6084	205.4308
22.	गीतांजलि जेम्स लि. बम्बई	127.7250	203.9582
23.	सेन्चुरी टैक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	225.4404	200.0448
24.	डायमैक्सन डायमंड्स लिमिटेड, बम्बई	163.3644	195.8950
25.	जयन्त ऑयल मिल्स, बम्बई	65.7505	180.1146
26.	एम एस शूज ईस्ट लिमिटेड, नई दिल्ली	94.7220	177.0129
27.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	59.5679	174.4508
28.	इंडियन बेराइट्ल एंड कैमिकल्स लिमिटेड, मद्रास	11.62	174.4508
29.	एशियन स्टार कं. लिमिटेड, बम्बई	143.7497	171.9539
30.	टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड, बम्बई	500.0189	152.2873
31.	के पी सिंघवी एंड सन्स, बम्बई	106.2605	142.8780
32.	कारप डायमंड्स लिमिटेड, बम्बई	72.3397	134.3751
33.	अशोक लेलैन्ड लिमिटेड, मद्रास	141.2194	130.1971
34.	बी अरूणकुमार एंड कं. बम्बई	123.1422	129.6012
35.	एम सुरेश एंड कं. बम्बई	91.0876	122.1303
36.	नेशनल एल्युमीनियम कं. लिमिटेड, भुवनेश्वर	257.8189	121.3989
37.	गीतांजलि एक्सपोर्टस कारपोरेशन, बम्बई	167.2998	120.9855

1	2	3	4
38.	रतीलाल बेचारीलाल एंड सन्स, बम्बई	118.0224	120.5923
39.	सीयट लिमिटेड, बम्बई	110.2105	116.2406
40.	काडिला लेबोरेट्रोज लिमिटेड, अहमदाबाद	6.2587	115.3618
41.	बम्बई डाइंग एंड मैन्युफेकचरिंग कं. लिमिटेड, बम्बई	50.9165	112.1209
42.	ग्रसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागदा	58.773	109.2759
43.	एलपाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्दौर	92.4996	108.3184
44.	पी डी कोठारी एंड कं. बम्बई	73.9586	106.8198
45.	जैम गेनाइट्स, मद्रास	82.8248	105.6385
46.	आई जी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई	45.939	102.3306
47.	किर्लोस्कर क्यूमिनस लिमिटेड, पुणे	108.0459	101.2344
48.	एपीगो लिमिटेड, बम्बई	21.7885	94.2303
49.	नमस्ते एक्पोर्टस लिमिटेड, बंगलौर	83.6638	93.3573
50.	क्राम्पटन गीव्स लिमिटेड, बम्बई	92.3851	93.0990
51.	मफतलाल फ्राइन स्पिनिंग एंड मैन्यू. कं. लिमिटेड, बम्बई	103.6650	93.0365
52.	भन्साली एंड कं. बम्बई	90.2210	91.5662
53.	वी एम सलगावकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड, गोवा	98.0634	89.2726
54..	बजाज आटो लिमिटेड, पुणे	73.1341	88.3232
55.	लारसन एंड टुब्रो लिमिटेड, बम्बई	86.8095	87.9418
56.	स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडेया लिमिटेड, नई दिल्ली	524.3900	86.9100
57.	फोरबीज गोकाक लिमिटेड, बम्बई	60.1391	86.5742
58.	कसलरॉक फिशरीज लिमिटेड, बम्बई	41.2424	83.0124
59.	श्रे नुज एंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	70.4340	82.9456
60.	जयसिन्ध डायेकम लिमिटेड, बम्बई	64.3639	82.8330
61.	कैम आइस एंड कोल्ड स्टोरेज, पोरबन्दर	49.9371	82.7000
62.	श्रीजी जैम्स, बम्बई	71.3192	81.7259
63.	वूवर्थ (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता	41.0483	81.1540
64.	वी.एस. डेम्पा एंड कं. लिमिटेड, गोवा	95.5487	81.1242
65.	मोटर इन्डस्ट्रीज कं. लिमिटेड, बंगलौर	59.4205	79.1540
66.	बिरला जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	48.9845	78.4982
67.	केशरी एक्सपोर्ट, बम्बई	66.87	78.1958
68.	फेरो अलॉयनकारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	67.0913	77.8546
69.	वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, लुधियाना	37.2362	77.1291
70.	सतनाम ओवरसीज लिमिटेड, नई दिल्ली	65.9150	76.3578
71.	कीर्तिलाल कालीदास डायमंड्स एक्सपोर्टस, बम्बई	62.8798	76.1469
72.	एम आर एफ लिमिटेड, मद्रास	83.9741	76.1469
73.	सुरेश ब्रदर्स, बम्बई	64.3773	75.2188
74.	पेप्सी फूड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	43.4156	74.2852
75.	रेमेंडस लिमिटेड, बम्बई	66.5659	74.2852
76.	माडर्न मैलेएबल्स लिमिटेड, कलकत्ता	50.5571	73.8838
77.	इंडियन आल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	93.36000	73.4900
78.	दिव्या एक्सपोर्ट एन्टरप्राईजस, केरल	59.6867	73.1825
79.	गेपको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	27.60	73.1160
80.	त्यागराज मिल्स लिमिटेड, मुदरै	56.8202	72.7957
81.	अल-कबीर एक्सपोर्टस लिमिटेड, बम्बई	58.3686	72.4614
82.	प्रीमियर मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	30.0284	71.7804
83.	इंडियन रेयन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	66.1346	71.2569
84.	एम ए खिजर हुसैन एंड सन्स, मद्रास	66.7587	70.8193
85.	इंडो राम सिन्थैटिक्स (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली	27.7587	69.1658
86.	यूनिवर्सल डायमंड्स, बम्बई	67.0653	69.0390
87.	ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बम्बई	35.7726	68.4946
88.	सेसा गेवा लिमिटेड, बम्बई	147.6555	67.4161

1	2	3	4
89.	जी टी एन टैक्सटाइल लिमिटेड, आलवे (केरल)	55.8800	66.5206
90.	रेलीज इंडिया लिमिटेड, बम्बई	54.1067	65.9971
91.	गोयनका ट्रेडिंग कं. बम्बई	49.9088	65.5769
92.	गोयनका ट्रेडिंग कारपोरेशन, कलकत्ता	50.27	65.5769
93.	पुनिहानी इन्टरनेशनल, नई दिल्ली	38.3753	65.5035
94.	अलसा मेरीन एंड हारवैस्ट लिमिटेड, मद्रास	74.0300	65.3778
95.	बल्यू स्टार, बम्बई	36.67	65.1290
96.	मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	86.9487	64.5761
97.	आई पी सी ए लेबारेट्रीज लिमिटेड, बम्बई	44.6593	64.2595
98.	एटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वलसाड (गुजरात)	68.9149	61.5940
99.	विजय सिल्क हाउस लिमिटेड, बम्बई	54.8660	61.0391
100.	काटन एण्ड टैक्सटाइल्स कारपोरेशन, बम्बई	14.7870	609909

एम.बी.एफ.सी. द्वारा जमा राशि पर उच्च ब्याज दर दिया जाना

2069. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जमा राशि पर असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरें दे रही हैं और हाल के महीनों में जमा राशि आकृष्ट करने हेतु उक्त कंपनियों ने कुछ नई योजनाएं-चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशि संचय करने की प्रणाली की जांच की है तथा उनके किसी प्रकार के कदाचार में लिप्त होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई निर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या इन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर निगरानी रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाएगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ज). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल में रख दी जाएगी।

मजदूरी में वृद्धि

2070. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों में जीवन निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के बावजूद कारखानों, दुकानों और अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में, महंगाई भत्ता सहित, कोई वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कारखानों, दुकानों और अन्य संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने और उनकी दिहाड़ी में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण कुल मिलाकर सामूहिक सौदेकारिता के माध्यम से किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में, मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर का निर्धारण/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों में एक अंतराल के बाद संशोधन किया जाना चाहिए जो पांच वर्षों से अधिक का न हो। इस अधिनियम में मजदूरी की मूल न्यूनतम दरों के साथ विशेष भत्ता देने का वैकल्पिक उपबंध भी किया है। केन्द्रीय सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले सभी 40 अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ विशेष भत्ता दिए जाने के लिए अपने लिए एक व्यवस्था की है। यह विशेष भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है और इसमें प्रत्येक छह माह के अंतराल में संशोधन किया जाता है। विभिन्न मंचों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ विशेष भत्ते की व्यवस्था करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उन सभी मामलों में, जिनमें मजदूरी की न्यूनतम दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हुए ऐसे परिवर्तनीय अवयव की व्यवस्था नहीं है, न्यूनतम मजदूरी की दरों में दो वर्षों में एक बार संशोधन करें।

कालीकट हवाई अड्डा की हवाई पट्टी का विस्तार

2071. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कालीकट हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं,

(ख) प्रस्तावित हवाई पट्टी का अनुमानित निर्माण लागत क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है; और

(घ) इस कार्य के कब शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). कालीकट हवाई अड्डे पर 9000 फुट तक धावनपथ के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 89.88 करोड़ रूपए की लागत पर एक परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है।

(ग) कुल 43.79 हैक्टर भूमि में से 35 हैक्टर भूमि प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा शेष भूमि के अर्जन की कार्रवाई चल रही है।

(घ) निर्माण कार्य के 31 दिसम्बर, 1995 तक शुरू होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार

2072. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में किये गये कारबार के आकलन हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या अन्तिम निष्कर्ष निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, पालिसियों की संख्या वर्गीकृत राशि और प्रथम प्रीमियम आय के रूप में नए कारोबार के आंकड़ों के संबंध में प्रत्येक मास के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तब इन आंकड़ों को पश्चिम बंगाल में जीवन बीमा निगम के सभी मंडलों के संबंध में वित्तीय वर्ष के लिए समेकित किया जाता है।

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों में पश्चिम बंगाल में सभी मंडलों के संबंध में जीवन बीमा निगम के नए कारोबार संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे इस प्रकार है:—

	1993-94	1994-95
1. पालिसियों की संख्या	931055	1000578
2. बीमाकृत राशि (लाख रूपए में)	310097.00	399883.00
3. प्रथम प्रीमियम आय (लाख रूपए में)	9756.33	10608.84

(ग) समग्र भारत की तुलना में पश्चिम बंगाल राज्य में कारोबार से संबंधित वृद्धि दरों का अध्ययन दर्शाता है कि राज्य में पालिसियों तथा प्रथम प्रीमियम आय के संबंध में वृद्धि दर अधिक हैं। वर्ष 1994-95 के लिए वृद्धि दर कम है जबकि समग्र भारत के आंकड़े की तुलना में यह वर्ष 1993-94 में अधिक थी, जैसाकि निम्न विवरण से देखा जा सकता है:—

वृद्धि दर (प्रतिशत)

		पश्चिम बंगाल		समग्र भारत	
		93-94	94-95	93-94	94-95
1.	पालिसियों की संख्या	10.4	7.5	7.16	1.4
2.	बीमाकृत राशि	18.0	29.0	18.3	32.1
3.	प्रथम प्रीमियम आय	24.0	8.7	18.1	5.3

[हिन्दी]

श्रमिक कल्याण योजनाएं

2073. श्री छेदी पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिकों के स्तर, औद्योगिक शांति तथा श्रमिक कल्याण संबंधी कार्यरत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) मुख्य श्रम आयुक्त (के.) की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र (सी.आई.आर.एम.) श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है और असंगठित क्षेत्र पर विशेष ध्यान देता है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कल्याण आयुक्तों के नौ कार्यालय भाग (क) में उल्लिखित कल्याण निधि योजनाओं के अन्तर्गत कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं।

मंत्रालय और इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा भी यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं कि कल्याण योजनाओं के लाभ कर्मकारों को मिल रहे हैं।

विवरण

कर्मकारों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में सभी अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी में एक भाग के रूप में विशेष भत्ते का प्रावधान किया है। विशेष भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) से सम्बद्ध है और इसमें प्रत्येक छमाही में संशोधन किया जाता है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों से भी न्यूनतम मजदूरी के एक भाग के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है जिसमें प्रत्येक छमाही में संशोधन किया जाना चाहिए।

अनिवार्य भविष्य निधि योजना, ई.एस.आई. योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, योजना, पेंशन योजना आदि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो विभिन्न श्रम कानूनों के

अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों के लाभ के लिए चलाई गई हैं।

इसके अलावा, श्रम मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत खान, बीड़ी और सिने कर्मकारों के लिए पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है।

1. लौह अयस्क, मैगनीज, अयस्क और क्रोम अयस्क, खान, श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976

2. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947

3. चूना पत्थर और डोलामाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

4. सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और

5. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

निधियों का उपयोग कर्मकारों को चिकित्सा शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करने हेतु किया जाता है।

ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो किसी बीमा योजना अथवा किसी कानून/विधान की परिधि में नहीं आते हैं, केन्द्रीय सरकार ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना शुरू की है। यह योजना 18-55 वर्षों की आयु समूह के उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू है जो गरीब परिवारों के कमाऊ सदस्य हैं और जो घातक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।

[अनुवाद]

अहमदाबाद में व्यापार केन्द्र

2074. श्री हरिन पाठक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु राज्य सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाल इमली मिल का उत्पादन

2075. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण लाल इमली वूलन मिलन के उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बन्द मिल को कच्चे माल की आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). बी.आई.सी. की कानपुर वूलन मिल्स (लाल इमली) का उत्पादन में अप्रचलित मशीनों, अतिरिक्त जन शक्ति तथा कार्यशील पूंजी की भारी कमी होने जैसे विभिन्न कारणों से कमी हो रही है।

बी.आई.एफ.आर. ने बी.आई.सी. को बंद करने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों के खिलाफ बी.आई.सी. की अपील ए.ए.आई.एफ.आर. के समक्ष विचाराधीन पड़ी है। जब तक ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक सरकार मजदूरियों वेतन और बोनस का भुगतान करने के लिए निधियां रिलीज कर रही है। इसके अतिरिक्त उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।

उत्तर प्रदेश में वित्तीय सहायता

2076. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार मे केन्द्र सरकार के पास वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पर्यटन विकास परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई और इस संबंध में 1995-96 के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। आठवीं योजना के दौरान राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त प्रस्तावों में पर्यटक लांजों, रेस्तराओं व प्रतीक्षा हालों का निर्माण, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, तम्बुओं में आवास की व्यवस्था, स्मारकों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था आदि शामिल हैं।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 223.80 लाख रूपए स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक राज्य सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, इन प्रस्तावों के गुण-दोष, 1995-96 को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष की उनकी पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

विदेशी बैंकों पर आयकर की बकाया राशि

2077. श्री राम कापसे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग को गोपनीय फाइल में आयकर चूककर्ता मुख्य रूप से विदेशी बैंक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर विभाग बकाया कर से संबंधित मामलों विशेषकर बड़े मामलों की निगरानी रखता

है। विभाग द्वारा तैयार की गई ऐसी सूचियों में विदेशी बैंक भी होते हैं।

(ख) 30.9.1995 की स्थिति के अनुसार जिन विदेशी बैंकों की तरफ एक करोड़ रूपये और इससे अधिक की आयकर की मांग बकाया है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बकाया मांग की वसूली करने/उसमें कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसे वसूल करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किए जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायलायों द्वारा वसूली संबंधी कार्रवाइयां स्थगित की जाती हैं वहां स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की तत्काल वसूली के लिए उपयुक्त मामलों मे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं। बड़े-बड़े मामलों में डोजियर्स रखे जाते हैं और वसूली की स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	विदेशी बैंकों के नाम	30.9.1995 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि (रू. करोड़ों में)
1.	मै. सिटी बैंक एन. ए	165.29
2.	मै. बैंक नेशनल डि पेरिस	163.25
3.	मै. स्टैंर्डड चार्टर्ड बैंक	145.12
4.	मै. अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक	103.58
5.	मै. ओमान इन्टरनेशनल बैंक साओग	41.81
6.	मै. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड	37.63
7.	मै. बैंक ऑफ अमरीका	30.60
8.	मै. बी.सी.सी.आई	20.25
9.	मै. ड्वुटशे बैंक एजी	13.60
10.	मै. बैंक इंडो स्वेज	11.46
11.	मै. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	11.02
12.	मै. बैंक ऑफ टोकियों लिमिटेड	3.39*
13.	मै. क्रेडिट लियोनेइस	2.65
14.	मै. ड्रेसडनर बैंक	1.03

*टिप्पणी :—दिनांक 5.12.1995 को क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए बैंक की मांग के भुगतान के लिए स्थगन स्वीकृत किया गया है। अतः तकनीकी दृष्टि से इसे चूककर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता।

[हिन्दी]

पूंजी निवेश

2078. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पूंजी निवेश हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) राज्य-वार कितनी धनराशि का वास्तव में निवेश किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I से III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष-वार घरेलू-औद्योगिक निवेश प्रस्ताव तथा विदेशी सहयोग अनुमोदन

(बिलियन रूपए)

	1991	1992	1993	1994	1995
(क) घरेलू औद्योगिक निवेश प्रस्ताव	783.8*	1298.7	768.2	1067.1	1134.9
(ख) विदेशी सहयोग अनुमोदन	5.3	38.9	88.6	141.9	115.3

*अगस्त-सितम्बर, 1991 के दौरान

1 बिलियन = 100 करोड़

विवरण-II

औद्योगिक निवेश प्रस्ताव (राज्य-वार) (अगस्त, 1991 सितम्बर, 1991)

राज्य/संघ शसित प्रदेश	आई.ई.एन. प्रस्तावित निवेश (करोड़ रूपए)	एल.ओ.आई. प्रस्तावित निवेश (करोड़ रूपए)	कुल प्रस्तावित निवेश (करोड़ रू)
1	2	3	4
महाराष्ट्र	83252	4957	88209
गुजरात	88140	16396	104536
उत्तर प्रदेश	44796	4831	49627
तमिलनाडु	25251	7418	32669
आन्ध्र प्रदेश	32044	5629	37673
हरियाणा	15087	2362	17449
मध्य प्रदेश	39808	1004	40812

1	2	3	4
राजस्थान	21994	1391	23385
पंजाब	15765	2543	18308
कर्नाटक	17836	4071	21907
पश्चिमी बंगाल	13741	1386	15127
दादरा एवं नगर हवेली	8418	64	8482
दिल्ली	6276	29	6305
केरल	5024	1364	6388
हिमाचल प्रदेश	6156	317	6473
दमन एवं दीव	2117	2151	2168
बिहार	4907	514	5421
पांडिचेरी	1948	354	2302
गोवा	2855	102	2857
उड़ीसा	4825	3630	8455
असम	2495	1852	4347
जम्मू एवं कश्मीर	168	6	174
चंडीगढ़	122	0	122
सिक्किम	25	5	30
मेघालय	220	0	226
अंडमान एवं निकोबार	261	0	261
अरूणाचल प्रदेश	35	1	36
नागालैंड	53	0	53
त्रिपुरा	1038	0	1038
लक्षद्वीप	4	0	4
मिजोरम	0	0	0
मणिपुर	0	0	0
राज्य से अधिक	0	323	323
	444667	60600	505267

आई.ई.एम. : गैर-लाइसेंसी क्षेत्र के अन्तर्गत वाली मदों हेतु दर्ज किया गया औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन-पत्र।

एल.ओ.आई. : लाइसेंसी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मदों के संबंध में जारी किया गया आशय पत्र।

विवरण-III

अगस्त, 1991 से जून, 1995 की अवधि के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मामलों का राज्यवार ब्यौरा।

राज्य	स्वीकृत निवेश (करोड़ रुपए)
महाराष्ट्र	7214
पश्चिमी बंगाल	3701
दिल्ली	3575
तमिलनाडु	2453
गुजरात	2414
उड़ीसा	1744
आन्ध्र प्रदेश	1306
मध्य प्रदेश	990
उत्तर प्रदेश	821
कर्नाटक	784
पंजाब	514
राजस्थान	458
हरियाणा	432
हिमाचल प्रदेश	280
पांडिचेरी	115
गोवा	91
केरल	85
बिहार	79
चंडीगढ़	72
दादरा एवं नगर हवेली	47
अरूणाचल प्रदेश	14
दमन एवं द्वीव	5
असम	-
अंडमान एवं निकोबार	-
त्रिपुरा	-
लक्षद्वीप	**
अन्य	7892
जोड़	35088

** नगण्य

[अनुवाद]

आस्ट्रेलियाई ऊन पर गोष्ठी

2079. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऊन उद्योग को उसकी गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता करने के लिए आगामी दो वर्षों में कुछ अन्य वस्त्र प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में भारतीय ऊनी मिल फैडरेशन और अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से आस्ट्रेलियाई ऊन और भारतीय ऊन उद्योग के विकास में इसकी भूमिका और उपयोगिता पर दो दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या प्रमुख निर्णय लिये गये; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड का ऊन उद्योग को परीक्षण की सुविधांए मुहैया कराने के लिए तीन और ऊन परीक्षण केन्द्र तथा एक औद्योगिक सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में ऊनी उद्योग के द्रुत विकास तथा इसके निर्यात के संदर्भ में सेमिनार में यह महसूस किया गया कि भारतीय ऊन उद्योग, अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय, तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख ऊन पैदा करने वाले देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और अपरिष्कृत ऊन तथ इसकी विशिष्टयों, परीक्षण पद्धतियों के विपणन के बारे में पूर्ण ज्ञान को आपस में बांटना चाहिए।

(ङ) उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार का देशी ऊन की गुणवत्ता तथा पैदावार को बढ़ाने का विचार है।

[हिन्दी]

पोतलदानोत्तर ब्याज दरें

2080. श्री सत्यदेव सिंह :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोतलदानोत्तर ब्याज की दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो ब्याज दर में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त ब्याज दर में वृद्धि को रोकने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्याज दर में की गई वृद्धि को रोकने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज दरों (पुराने और संशोधित) के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

	निर्यात ऋण	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत) पुरानी दरें	नई दरें
	अमरीकी डालर में मूल्यांकित पोत लदानोत्तर निर्यात ऋण	(31 अक्टूबर, 1995 से प्रभावी)	
(i)	संक्रमण अवधि (जैसाकि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) (एफईडीआई) ने उल्लेख किया है) के लिए मांग बिल	7.5	7.5
(ii)	मीयादी वित्त (निर्यात बिलों की मीयादी अवधि, एफईडीएआई द्वारा उल्लिखित संक्रमण अवधि तथा जहां कहीं लागू हो रियासत अवधि)		
(क)	90 दिनों तक	7.5	7.5
(ख)	90 दिनों से अधिक तथा पोत लदान की तारीख से छः महीने तक	7.5	9.5
(iii)	निर्यात ऋण जो अमरीकी डालर में मूल्यांकित पोत लदानोत्तर निर्यात ऋण (पीएससीएफसी) के लिए अन्यथा उल्लिखित नहीं हो।	9.5	स्वतंत्र

(ग) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पी.एस.सी.एफ.सी. पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा ऋण की स्थिति में तेजी से सुधार लाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 से 90 दिनों तक की कुल अवधि के लिए ब्याज-दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक तथा 90 दिनों से अधिक और पोत लदान की तारीख से छः महीनों तक के ऋणों के लिए ब्याज दर 9.5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बैंकों को पी.एस.सी.एफ.सी. के लिए अन्यथा उल्लिखित नहीं की गई निर्यात ऋण पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी गई है।

[अनुवाद]

घोटालों से प्रभावित बैंक

2081. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "स्कैप-हिट, बैंक्स में वेट 20 ईयर्स फार मनिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, ।

(ख) आयकर समझौता आयोग बम्बई की अतिरिक्त पीठ के समक्ष श्री हर्षद एस मेहता द्वारा दायर किए गए समझौता आवेदनों को संगत कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

(ग) बैंकों द्वारा हर्षद मेहता ग्रुप के विरूद्ध विशेष अदालतों के समक्ष दावे दायर किए गए है, जिनका निर्णय विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में व्यापार से सम्बन्धित अपराधों की जांच) अधिनियम 1992, की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाएगा।

कर अपवंचन

2082. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचन द्वारा कुल कितने राजस्व की चोरी की गयी; और

(ख) इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातकों को आदानों की पूर्ति करने वालों को निर्यातकों के समकक्ष दर्जा

2083. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को आदानों की आपूर्ति करने वाले सप्लायरों को निर्यातकों के समकक्ष दर्जा प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा का निर्यात पर कुल कितना प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). मौजूदा निर्यात एवं आयात नीति के 121 पैराग्राफ में सामान आपूर्ति की कुछेक श्रेणियां विनिर्दिष्ट की गई है जिन्हें माने गए निर्यात का दर्जा दिया गया है।

(ग) माने गए निर्यात की सुविधा देने से घरेलू आपूर्तिकर्ता अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते है। इससे उनमें समान शर्तों पर एक जैसे माल के आयात संबंधी प्रतियोगिता में सफलता के अधिक अवसर मिलते है। इस योजना में अन्तर्गत बहुत से ऐसे घरेलू आपूर्तिकर्ता पहले ही लाभान्वित हो चुके है।

बीड़ी क्षेत्र में बेरोजगारी

2084. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार बीड़ी और तम्बाकू श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा प्रणाली बनाने का है;

(ख) इस सुरक्षा प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीड़ी और तम्बाकू श्रमिकों के लिए प्रस्तावित अन्य कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). देश में बीड़ी और तम्बाकू कर्मकारों के लिए बेरोजगारी के विरूद्ध सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि वर्तमान में बीड़ी कर्मकारों के बीच बेरोजगारी की विशेष संभावना नहीं है।

(ग) देश में बीड़ी कर्मकारों के लिए चालू कल्याणकारी योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम
1	2
	स्वास्थ्य
1.	बीड़ी कर्मकारों के लिए स्थिर-सह-सचल/स्थिर ऐलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2.	बीड़ी कर्मकारों के लिए टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
3.	बीड़ी कर्मकारों के घर पर उपचार संबंधी योजना।
4.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना।
5.	मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना।
6.	कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) के उपचार के लिए योजना।
7.	बीड़ी कर्मकारों को चश्में खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8.	महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति लाभ योजना।
9.	बीड़ी कर्मकारों को नसबंदी के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति की अदायगी की योजना।
10.	हृदय रोगों के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11.	गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

1	2
	सामाजिक सुरक्षा
1.	बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना।
	आवास
1.	बीड़ी कर्मकारों के लिए अपना मकान स्वयं बनाओ योजना।
2.	बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना।
3.	बीड़ी उद्योग की को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को वर्कशैडों और गोदामों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4.	बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक आवास योजना।
	शिक्षा
1.	बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) के बालकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
2.	बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों के लिए एक जोड़ा वर्दी, स्लेटों, कापियों और पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति के लिए कम्पोजिट योजना।
3.	हाईस्कूल से आगे अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन की अदायगी।
4.	बीड़ी कर्मकारों की लड़कियों को स्कूलों में हाजिरों के आधार पर 1/-रू. की प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
	मनोरंजन
1.	श्रव्य-दृष्य सैटों की स्थापना/सिनेमा वैन/फिल्में दिखाना।
2.	बीड़ी कर्मकारों के लिए स्पोर्टस, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन।
3.	बीड़ी कर्मकारों के लिए होली-डे होम योजना।
4.	बीड़ी कर्मकारों की औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए टी.वी. सैटों की आपूर्ति करना।
5.	बीड़ी कर्मकारों की आवासीय कालोनियों में रंगीन टी.वी. सैट वाले सामुदायिक केन्द्र की स्थापना।

[हिन्दी]

नैरोबी तथा केपटाउन के लिए सीधी विमान सेवा

2085. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अहमदाबार से जोहनसबर्ग होते हुए नैरोबी तथा केपटाउन के लिये सीधी विमान सेवा शुरू कि ये जाने के सबंध में गुजरात सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). अहमदाबाद से नैरोबी और जोहनसबर्ग के लिए सीधी उडानें शुरू करने हेतु गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ). अपर्याप्त यातायात के कारण प्रस्तावित सेवाएं फिलहाल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में सर्वेक्षण

2086. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु कच्चा चमड़ा और खाल एकत्रित करने में लगे असंगठित क्षेत्र के अनेक वर्गों के संबंध में कोई सांख्यिकी और जनसांख्यिकी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). कच्चा चमड़ा और खाल एकत्रित करने में लगे श्रमिकों के बारे में कोई विशेष सांख्यिकी-सह-जनसांख्यिकी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, अनुसूचित जाति के कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं सेसंबंधित सांख्यिकी सर्वेक्षण के भाग के रूप में, श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो ने चर्म-शोधन उद्योग में लगे हुए अ.जा./अ.ज.जा. कर्मकारों का सर्वेक्षण कराया है। इसमें शामिल किए गए क्षेत्र आगरा, शोलापुर, मद्रास और इंदोर हैं। इसी तरह का एक सर्वेक्षण गाजियाबाद में कराया जा रहा है।

शहतूत की खेती

2087. श्री एन.जे. राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में शहतूत की खेती के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गुजरात राज्य में शहतूत की खेती के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को उक्त राज्य से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी बैंक

2088. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनकी पूंजी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के नाम और उनकी पूंजी नीचे दी गई है :-

क्र. सं.	विदेशी बैंक का नाम	देश	31.3.95 की स्थिति के अनुसार पूंजी (करोड़ रू. में)
1	2	3	4
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	यूएसए	15.68
2.	बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एंड एसए	यूएसए	0.20
3.	सिटी बैंक एनए	यूएसए	158.00
4.	चेस मनहट्टण	यूएसए	38.08
5.	ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडल ईस्ट	यूके	12.75
6.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	यूके	39.00
7.	बार्कलेस बैंक	यूके	20.60
8.	बैंक नेशनल डी पेरिस	फ्रान्स	1.00
9.	बैंक इंडोस्यूज	फ्रान्स	7.00
10.	सोसियेट जेनरल	फ्रान्स	40.75
11.	क्रेडिट लियोनिस	फ्रान्स	15.65
12.	बैंक ऑफ टोकियों	जापान	55.18
13.	सकुरा बैंक	जापान	17.98
14.	सनवा बैंक	जर्मनी	0.20
15.	डयूश बैंक	जर्मनी	31.67
16.	ड्रेस्डनर बैंक	जर्मनी	
17.	(21.8.1995 को खोला गया कामर्स बैंक	10 एमआईओ अमरीकी डालर के बराबर रूपया	
18.	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी	आस्ट्रेलिया	2.20
19.	हांगकांग बैंक	हांगकांग	49.00
20.	अबु धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	यूएई	0.20
21.	मशरक बैंक	यूएई	8.63
22.	ओमान इन्टरनेशनल बैंक	सलतनत ऑफ ओमान	5.04
23.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	बहरीन	0.20
24.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	कनाडा	16.39
25.	एबीएम अमरो बैंक	नीदरलैंड	15.00
26.	आईएनजी बैंक	नीदरलैंड	31.33
27.	सोनाली बैंक	बंगलादेश	0.20
28.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	मारीशस	31.36
29.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	सिंगापुर	31.34
30.	बैंक ऑफ सीलोन (31.10.95 को खोला गया)	श्रीलंका	13.89

[अनुवाद]

असम में महिला श्रम प्रकोष्ठ

2089. श्री प्रबीन डेका : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात और असम में कितने महिला श्रम प्रकोष्ठ कार्यरत है;

(ख) क्या उक्त प्रकोष्ठ पूरे देश में कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित योजना के अन्तर्गत इनकी स्थापना के अब तक इन महिला श्रम प्रकोष्ठ की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा

2090. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को राज्य में हीरे की कटाई और पालिश करने, विद्युत चालित करघों, रसायन, पटाखों और अन्य इकाइयों में लगे बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा देने की कार्य योजना से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वयन के लिए ऐसी ही कार्य योजनाओं से सरकार को अवगत कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने हीरे को तरासने, पालिश करने, आतिशबाजी, रसायनों के विनिर्माण, खन्न, खान और अन्य जोखिमकारी प्रक्रियाओं में लगे हुए 5000 बाल कर्मकारों को शामिल करके एक कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए है। इसी बीच में, सरकार ने हाल ही में गुजरात राज्य के लिए दो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो पंच महल और सूरत जिलों के लिए एक-एक है और जिसमें कालीन बुनाई, हीरे की पालिश, पावरलूम उद्योग में कार्यरत बालकों को शामिल किया गया है। इन दो परियोजनओं के अधीन, कुल मिलाकर 2000 बालकों को उन 40 विशेष स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिनमे व्यावसायिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वृत्तिकाओं, पोषणहार आदि की व्यवस्था है।

(ग) और (घ). श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अधीन किया गया एक प्रमुख क्रियाकलाप जोखिमकारी व्यवसायों के रोजगार से निकाले गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण आहार आदि जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए विशेष स्कूलों का गठन करना है। तदनुसार, विभिन्न जोखिमकारी व्यवसायों जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकृति के हैं, में रोजगार से निकाले गए बालकों के लिए ऐसे स्कूलों को गठित करने से संबंधित परियोजना प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। इन परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय सहायता के लिए जांच-पड़ताल का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। चालू वित वर्ष के दौरान देश में 11 राज्यों के लिए 63 ऐसे परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है।

आयात-निर्यात नीति की समीक्षा

2091. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात नीति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पास-बुक योजना एवं निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना की भी समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). आयात-निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और उसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किए जाते है।

(ग) और (घ). जी, हाँ। पासबुक स्कीम को और अधिक उदार बनाया गया है ताकि निर्यातक निषेधात्मक आयात सूची में शामिल मदों को छोड़कर अन्य सभी मतों का आयात कर सके। ई.पी.सी.जी. स्कीम की भी समीक्षा की गई है और अब निःशुल्क लाइसेंस धारियों को पूंजीगत माल सप्लाई करने वाले स्वदेशी आपूर्ति कर्ताओं को बिना शुल्क के संघटकों का आयात करने की अनुमति दी गई है। जिससे वे अपनी सप्लाई का सामान प्रतियोगी दरों पर प्राप्त कर सके।

आई.टी.डी.सी. के बकाया बिल

2092. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित मंत्रालय पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जाने वाले होटलों के बिलों की कुछ धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि कब से बकाया है;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा होटल बिलों के भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बिलों का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार, वित मंत्रालय द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों को देय राशि का कुल बिल 1,17,740/-रुपए (एक लाख सत्रह हजार सात सौ चालीस रुपए मात्र) का है।

(घ) और (ङ). बिल तैयार करने की प्रक्रिया जारी है तथा जल्दी ही इस राशि के भुगतान किए जाने की संभावना है।

शुल्क छूट योजना में तबदीली

2093. श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने इंजीनियर सामान का उत्पादन करने वाले निर्यातकों की लगातार की जा रही मांग के फलस्वरूप शुल्क छूट योजना में तबदीलियां करने एवं निर्यात से जुड़े आयात को कारगर बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या अनेक निर्माता-निर्यातकों को, जिन्हें सुपर स्टार ट्रेडिग हाऊस का दर्जा प्राप्त नहीं था, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को बैंक गारंटी देने में नकदी समस्या का अत्यधिक सामना करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को मदद देने के लिए संशोधन किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (लोहा और इस्पात मध्यवर्तियों की पुनः पूर्ति) योजना में सुधार करने के लिए प्राप्त सुझावों के आधार पर अनेक परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि इस योजना को कार्यान्वित किया जा सके। इन परिवर्तनों में लोहा और इस्पात मध्यवर्तियों को दिए गए अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंसों की हस्तान्तरणीयता, ऐसे लाइसेंसों के सी.आई.एफ. मूल्य के 5% तक फालतू पुर्जों का आयात तथा इंजीनियरी सामान

के निर्यात को शुल्क वापसी की ब्राण्ड दर की अनुमति देना शामिल है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों को ब्राण्ड देने की सुविधा निर्यात घरानों सहित सभी ओहदा प्राप्त संस्थाओं को दी जाएगी। इसे अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी यह सुविधा दी गई है। इंजीनियरी उत्पादकों सहित अन्य उत्पादक निर्यातकों को सिर्फ बचाए गए शुल्क के सिर्फ 25% तक की ही बैंक गारंटी देनी होगी।

कारों का उपयोग

2094. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एम्बेसडर कारों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है; और

(ग) मारूति उद्योग लिमिटेड से कारें खरीदने के स्थान पर निजी क्षेत्र की कंपनी हिन्दुसतान मोटर्स से कारें खरीदने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मारूति उद्योग लिमिटेड एक गैर सरकारी कम्पनी है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद विमानपत्तन का रख-रखाव

2095. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हैदराबाद हवाई अड्डे पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है;

(ख) क्या कर्मचारियों का यात्रियों के प्रति रवैया ठीक नहीं है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). किसी भी हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद है। तथापि, यात्रियों की संख्या में वृद्धि और हैदराबाद आने वाली उड़ानों की संख्या मे वृद्धि को देखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी आधुनिक सुविधाओं सहित एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है।

भारत में बायो पाइरेसी

2096. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अक्टूबर, 1995 के "दि बिजनेस स्टेंडर्ड"

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की इस संबंध में तथा प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार दो अमरीकी फर्मों द्वारा इस बायो पाइरेसी में भारतीय सहकर्ताओं का पता लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) ऐसे बायो प्रोतपैक्टिंग अथवा बायो पाइरेसी के विरुद्ध क्या निवारक उपाय किये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (ड.). जैव-विविधता संबंधी शियो समझौते से पहले, पौध आनुवंशिक स्रोतों को मानव जाति की एक सामूहिक विरासत माना जाता था जिसे अनुसंधान के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता था। किन्तु, जैव विविधता के समझौते में, जिसका कि भारत द्वारा दिनांक 18.2.1994 को अनुसमर्थन किया गया था, जनन द्रव्य संबंधी सार्वभौमिक अधिकारों को सुस्पष्ट किया गया है। भारत द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के बाद आनुवंशिकी संसाधनों के बहिर्गमन को विनियमित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक विनियमित ढांचा तैयार कर रहा है। इस प्रकार की तथाकथित जैव-उकैतियों में भारतीय सहयोग कर्त्ताओं का पता लगाना तब संगत होगा जब विनियामक तन्त्र लागू हो जाए।

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सुझाव

2097. श्री हरी नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1995 के "द हिन्दू" में प्रकाशित "एक्सपोर्टर्स सजेस्ट पैकेज ओन ट्रेड एंड टैरिफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त किये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रशासकीय/नीतिगत परिवर्तनों के संबंध में निर्यातकों से प्राप्त प्रस्ताव/अन्य सुझावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) निर्यात नीति, प्रशासन ढांचा और संचालन के पुनर्गठन हेतु क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ) ने सन् 2001 ई. तक 100 मिलयन अमरीकन डालर का निर्यात स्तर प्राप्त करने के लिए हाल ही में निर्यात कार्यनीति संबंधी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। कार्यनीति संबंधी दस्तावेज में फिओ ने अन्य सुझावों के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के निर्णयों का निरीक्षण एवं विवाचन तथा उनमें समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार एवं टैरिफ आयोग (एन.सी.टी.टी.) स्थापना का सुझाव दिया है। तथापि यह कहा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है तथा फिओ सहित व्यापार उद्योग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके निर्यात बढ़ाने हेतु उपाय किये जाते है। निर्यात कार्यनीति संबंधी दस्तावेज में निर्यात संवर्धन संबंधी सभी सुझावों का स्वागत है इनमें फिओ के सुझाव भी शामिल हैं। निर्यातों को राष्ट्रीय

प्राथमिकता दी गई है तथा सरकार निर्यातक समुदाय को उचित अवस्थापना सहित, निर्यात के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए बहत उत्सुक हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के लिये नई निगरानी प्रणाली

2098. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा मार्च, 1995 से शुरू की गई कार्यालय निगरानी प्रणाली जिस उद्देश्य के लिये शुरू की गई थी, उसे प्राप्त करने मे असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त तंत्र के अन्तर्गत भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा यथा निर्धारित रूप से अनेक वाणिज्यिक बैंकों ने बैंक तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने मे अपनी कठिनाई व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकिग उद्योग पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए तिमाही प्रतिवेदनों के स्थान पर उन्होंने एक नई निगरानी प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई नई पर्यवेक्षण नीति के अनुसार, एक औपचारिक पर्यवेक्षण सूचना प्रणाली (एस.आर.एस) स्थापित करने का प्रस्ताव था जिस वित्तीय वर्ष अप्रैल, 1995 के प्रचालित किया जाना था। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 28 फरवरी, 1995 के परिपत्र के माध्यम से विवरणियों की जो प्रथम मांगी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य उत्तर देने वाले बैंकों की सूचना प्रेषित करने की क्षमता के संदर्भ में विवरणी की जांच करना था। तदनुसार, बैंकों को सितम्बर, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार स्थिति की रिपोर्ट करने को कहा गया था। बैंकों से यह भी कहा गया था कि बाद में प्राप्त सूचना के आधार पर अन्तिम रूप दिए गए विवरणियों से औपचारिक सूचना प्रणाली तैयार की जायेगी जो मार्च, 1995 के अन्त से पूरी तरह परिचालन में आएगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि विवरण को संकलित करने मे कुछ बैंक ने कुछ कठिनाई बताई है, इसलिए उसने प्रोफार्मा की पुनरीक्षा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि यह भी निर्णय लिया गया है कि संशोधित प्रोफार्मों से औपचारिक सूचना प्रणाली तैयार की जाएगी और यह दिसम्बर, 1995 के अन्त से प्रभावी होगी।

(ङ) और (च). जी, नहीं।

कालीकट विमानपत्तन का विकास

2099. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कालीकट विमानपत्तन के विकास के लिये विदेशों से धनराशि इकट्ठा करने के लिये किसी एजेंसी या संगठन को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एजेंसी द्वारा अब तक सरकार को कोई धनराशि दी गई है;

(घ) इस कालीकट विमानपत्तन पर केवल उन्हीं लोगों के लिये जिन्होंने कालीकट विमानपत्तन निधि में दान दिया है, कोई विशेष सुविधा प्रदान की गई है;

(ङ) क्या कालीकट विमानपत्तन परिसर में एजेंसी/अंशदाताओं के उपयोग के लिए कोई कमरा/क्षेत्र निर्यात किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). केरल के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में केरल राज्य सरकार ने मालाबार अंतरराष्ट्रीय विकास सोसाइटी (मियाडस) की स्थापना की है। यह सोसाइटी इस हवाई अड्डे के विकास के लिए विदेश से धन एकत्र करने के लिए प्राधिकृत है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मियाडस से अभी तक 14.60 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

नशीले पदार्थों की तस्करी

2100. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और भारत के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा पर जिन रास्तों से तस्करी की जाती है उनका पता लगाने और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). स्वापक औषध अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है अत: यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान और भारत में स्वापक औषधों की तस्करी बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, गोल्डन क्रिसेन्ट मूल में हेरोइन की जब्ती वर्ष 1993 से 220 कि.ग्रा. से बढ़कर वर्ष 1994 में 369 कि. ग्रा. हो गई तथा वर्ष 1995 में (अक्टूबर तक) 357 कि. ग्रा. हो गई। गोल्डन क्रिसेन्ट क्षेत्र की निकटता के कारण भारत पाक सीमा से लगे राज्य स्वापक औषधों की तस्करी के लिए संवेदनशील हैं।

सभी प्रवर्तन एजेंसियों का सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस.एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत् प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्याधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। भारत पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के

अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

बैंक प्रतिभूति घोटाला

2101. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई प्रगति की, अद्यतन रिपोर्ट क्या है;

(ख) 30 सितम्बर, 1995 तक हर्षद मेहता और उसके साथियों के विरूद्ध ब्याज सहित कुल कितनी धनराशि देय है;

(ग) 30 सितम्बर, 1995 तक बैंक-वार कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) शेष धनराशि की वसूली के लिये उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक घोटाले में शामिल और दोषी पाये गये विभिन्न अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) 30 सितम्बर, 1995 तक बैंक घोटले में बैंकिंग प्रणाली को कुल कितनी अनुमानित हानि हुई और बैंकों को घोटाले से उत्पन्न स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा बैंकों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ङ). संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई की संशोधित रिपोर्ट दिसम्बर, 1994 में संसद मे पेश किये जाने के पश्चात् हुई कुछ प्रगति निम्नानुसार है :—

(i) सीबीआई ने 64 मामले दर्ज किये हैं और 60 मामलों की जांच पूरी कर ली है। 21 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किये गए हैं। 14 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उनकी अनुषंगियों के 35 कर्मचारियों के संबंध में विभागीय कार्यवाहियां पूरी की जा चुकी हैं और इसके परिणामस्वरूप, 14 कर्मचारियों की बर्खास्तगी, 2 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृति और 4 कर्मचारियों को वेतनमान मे कमी/वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने दो और विदेशी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिन पर पीएमएस संबंधी भारतीय रिवर्ज बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 1.15 करोड़ रू का जुर्माना किया गया है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को सभी भारतीय वित्तीय संस्थाओं और पंजीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के पर्यवेक्षण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(v) लोक ऋण नियम, 1946 में संशोधन किया गया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित एसजीएल खातों में भारतीय रिजर्व बैंक में स्टॉक के अंतरण के लिये नया फार्म निर्धारित किया गया है।

(च). हर्षद मेहता समूह पर बैंकों द्वारा किये गए दावे लगभग 156ս रूपए (ब्याज के दावों को छोड़ कर) हैं। विशेष न्यायालय ने कुर्क की गई संपत्ति से अभी तक किसी बैंक को कोई राशि जारी नहीं की है। बैंकिंग प्रणाली को हुई वास्तविक कुल हानियों का पता विशेष न्यायालय धारा लम्बित मामलों को अंतिम रूप दिये जाने और निपटाये जाने और कुर्क परिसंपत्तियों के विवरण का निर्णय लिये जाने के बाद ही चलेगा। इस उद्देश्य के लिये बैंकों को कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को केवल पुनः पूंजीकरण सहायता प्रदान की है।

म्यूरपुर हवाई पट्टी

2102. श्री राम निहोर राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश एयरवेज के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा मे म्यूरपुर हवाई पट्टी का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान हवाई पट्टी को एक व्यावसायिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने/परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। यह यात्रा वाणिज्यिक उड़ानों के प्रचालन के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/अपेक्षित सुविधाओं के आकलन के लिए की गयी थी।

(ग) और (घ). हवाई पट्टी उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस हवाई पट्टी के विकास सम्बन्धी योजना का निर्णय लेने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

बेरोजगारी

2103. श्री हरिन पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रोजगार और बेरोजगारी का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रवृत्ति क्या रही है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उदारीकरण के कारण उच्च प्रौद्योगिकी के विकास से रोजगार के अवसरों में कमी न आए अथवा यह अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने में असफल न रहे क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1994-95 के अंत में देश में, रोजगार एवं बेरोजगारी क्रमश 320.51 मिलियन एवं 18.69 मिलियन अनुमानित है।

पिछले तीन वर्षों (1992-95) के दौरान विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों में रोजगार के अनुमान निम्नलिखित है :—

रोजगार के अनुमान : 1992-95

क्र. सं.	उद्योग/क्षेत्र	रोजगार (मिलियन)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्य	195.69	197.89	200.48
2.	खन्न एवं उत्खन्न	2.67	2.75	2.85
3.	विनिर्माण	33.73	34.46	36.11
4.	विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	1.10	1.12	1.14
5.	संरचना	12.91	13.07	13.58
6.	व्यवसाय एवं परिवहन आदि	32.59	33.62	35.00
7.	वित्त, बीमा, भौतिक संपदा एवं व्यापार सेवाएं	2.45	2.57	2.68
8.	समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	27.07	27.85	28.66
	योग	308.31	313.33	320.50

मार्च 1993, मार्च 1994, एवं मार्च 1995 के अंत तक बेरोजगारी क्रमश: 17.10 मिलियन, 18.87 मिलियन एवं 18.69 मिलियन अनुमानित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है जिसमें रोजगार सृजन की रफ्तार को तीव्र करने हेतु उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों का तीव्र वृद्धि की परिकल्पना की गई है। आठवीं योजना में रोजगार नीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :—

1. एक भौगोलिक एवं फसलवार कृषि का विविधीकृति विकास।

2. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित कार्यकलापों का तीव्र विकास।

3. बंजर भूमि का विकास एवं उत्पादक उपयोग।

4. ग्रामीण क्षेत्रों मे गैर कृषि, विशेषत: विनिर्माण कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन।

5. लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्रों मे विकास हेतु विशेष ध्यान।

6. आवास-सुविधा एवं आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु बढ़े पैमाने पर प्रसार।

7. मूलभूत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में तथा,

8. सुगमतापूर्वक प्रविष्टि एवं उपयुक्त समर्थन प्रणाली के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकलापों एवं सेवाओं में तीव्रतर वृद्धि।

[हिन्दी]

गैर सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा विमान सेवाओं का संचालन

2104. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर सरकारी विमान कम्पनियों ने केन्द्रीय सरकार से देश के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से विमान सेवाओं के संचालन की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). प्रचालनात्मक प्रतिबन्धों के अध्यधीन रहते हुए निजी विमान कम्पनियों को अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही विमानपत्तनों से प्रचालन करने की अनुमति है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं को रद्द करना

2105. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी निगमों के प्रतिनिधियों ने यह मत व्यक्त किया है कि एक बार स्वीकृति की गई परियोजनाओं को स्पष्ट कारणों के बिना रद्द नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले ही स्वीकृत की गई उन परियोजनाओं के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने का है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा बाद में रद्द कर दिया गया था;

(ग) क्या विदेशी निवेशों को स्वीकृति देने वाली समिति ने इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं के लिए कोई ठोस दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र कच्ची कपास (खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971 का विस्तार

2106. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कच्ची कपास (खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971 का दीर्घ अवधि तक के लिये विस्तार किये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र अपरिष्कृत कपास (अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम 1971 को 1 जुलाई, 1995 से 30 जून 1996 तक जारी रखने का अनुमोदन किया है।

राजकोषीय नीति/ऋण नीति में संशोधन

2107. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के उत्तरार्ध के लिए घोषित राजकोषीय नीति तथा बैंक ऋण नीति में व्यापक परिवर्तन/संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नीतियों अथवा संशोधनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमाणित वाणिज्यिक परिसंघों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) प्रमुख राजकोषीय परिवर्तनों की घोषणा सरकार के वार्षिक बजट में की जाती है जबकि मौद्रिक और ऋण-नीति संबंधी परिवर्तन सामान्यतः एक वर्ष में दो बार, मंदी के मौसम (अप्रैल-सितम्बर) और तेजी से मौसम (अक्तूबर-मार्च) की नीतियों के जरिए किए जाते हैं।

29 सितम्बर, 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित व्यस्त मौसम की ऋण नीति के कुछ प्रमुख तथ्य नीति परिवर्तनों के कार्यान्वयन की तारीखों सहित नीचे दिए गए हैं :—

क्र. सं.	नीति परिवर्तन	कार्यान्वित
1	2	3
(क)	बैंकों की 2 वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज दरें स्वयं निर्धारित करने की अनुमति दी जाए।	1 अक्तूबर 1995 से प्रभावी
(ख)	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के प्रति बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पुर्नवित्त सुविधा को बढ़ाना।	30 सितम्बर, 1995 से प्रभावी
(ग)	अनिवासी विदेशी (रूपया) जमाराशियों पर ब्याज की सीमा को बढ़ा कर 10 प्रतिशत करना।	1 अक्तूबर 1995 से प्रभावी (और बढ़कर 12 प्रतिशत किया गया जो 31 अक्तूबर, 1995 से प्रभावी हुआ,
(घ)	नकदी ऋण संघटक को 60 प्रतिशत तक घटाकर बैंक ऋण के वितरण की ऋण व्यवस्था का संशोधन।	31 दिसम्बर, 1995 से प्रभावी होगा।
(ङ)	सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार-वायदा लेन-देन की न्यूनतम अवधि को बढ़ाकर 3 दिन कर देना।	30 सितम्बर, 1995 से प्रभावी।

इसके बाद कार्यान्वित किए गए अन्य ऋण नीति परिवर्तनों में ये शामिल हैः-

(1) 27 अक्तूबर, 1995 के स्तर की तुलना में एनआरई. और अनिवासी, अप्रत्यावर्तनीय, जमाराशियों में वृद्धि के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात को हटाना, (2) लदान पश्च ऋण पर ब्याज दरों का अमरीकी डालर में सुव्यवस्थीकरण, दोनों 31 अक्तूबर, 1995 से प्रभावी होंगे; और (3) 11 नवम्बर, 1995 से लागू करके निवल मांग और सावधि देयताओं पर नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी करके उसे 15 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत करना।

संसद में केन्द्रीय सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने से पहले, सरकार उद्योग संघों तथा अन्य समूहों के साथ बैठकें आयोजित करती है।

अपनी ऋण नीतियों का निर्माण करते समय भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बैठकों, ज्ञापनों आदि में वाणिज्यिक और अन्य समूहों द्वारा प्रकट किए गए विचारों और दिए गए सुझावों को ध्यान में रखता है।

बेरोजगार बीड़ी श्रमिक

2108. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1995 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "आई एल ओ रिपोर्ट डीफाइम ओल्ड ब्यूज आन क्रीएटिंग जाब्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन बेरोजगार हुए लोगों, विशेषकर बीड़ी श्रमिकों के पुनर्वास हेतु इनकी बेरोजगारी और अल्प रोजगार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह महसूस किया जाता है कि फिलहाल बीड़ी कर्मकारों के सामने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और न ही, भाग (क) में उल्लिखित समाचार-पत्र की रिपोर्ट, जो प्रमुखतः विकसित देशों में स्थित बेरोजगारी की स्थिति के बारे में ब्यौरे देती है, और यह स्वीकार करती है कि दक्षिण-एशिया में बेरोजगारी की स्थिति में कुल मिलाकर सकारात्मक बदलाव आया है।

तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 की विकासगत रण-नीति में रोजगार को प्रमुख स्थान दिया गया है और उसमें क्षेत्रों, उप क्षेत्रों और अपेक्षाकृत उच्च रोजगार सम्भावना वाले क्षेत्रों में अधिक गति से विकास करके रोजगार सृजन को बढ़ाए जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, बहुत से विशेष रोजगार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें आई.आर.डी.पी., जे. आर. वाई, ई .ए. एस. एन .आर.वाई और पी.एम.आर.वाई प्रमुख है।

रोजगार के अवसर

2109. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आर्थिक उदारीकरण एवं विदेशी पूंजीनिवेश के पश्चात् गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार के अवसरों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त वृद्धि आशा के अनुरूप हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सरकार ने अपनी आर्थिक सुधार नीतियों में सतत् रोजगार गहन वृद्धि के संवर्धन का उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप, देश में 1991-92 के संकटपूर्ण वर्ष में सृजित 30 लाख रोजगार के अवसर बढ़कर वर्ष 1994-95 में 71.9 लाख हो गए। वर्ष वार सृजित रोजगार के अवसरों का अनुमान निम्नानुसार है :

वर्ष	दस लाख में सृजित रोजगार के अवसर
1991-92	3.00
1992-93	6.58
1993-94	5.02
1994-95	7.18

रोजगार कार्यालयों मे पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्ति

2110. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, विशेषकर गुजरात में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 30 सितम्बर, 1995 को पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विकलांग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकलांग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद भरे जा चुके हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इन आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जून 1994 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) तैयार सूचना विवरण I में संलग्न है।

(ख) वर्ष, 1992, 1993 एवं 1994 (जनवरी से जून) हेतु सूचना संलग्न विवरण II में प्रस्तुत है।

(ग) से (ड.). नियोक्ताओं की माग के अनुसार रोजगार कार्यालयों ने, विकलांग उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भी सूची उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु प्रस्तुत की है।

विवरण-I

जून, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शसित प्रदेश	अनुसूचिज जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	355.4	65.5	37.6
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.1	2.1	-
3.	असम	76.8	143.8	3.6
4.	बिहार	376.3	242.8	15.1
5.	गोवा	1.4	×	0.5
6	गुजरात	170.3	89.7	13.9
7.	हरियाणा	109.3	×	6.9
8.	हिमाचल प्रदेश	94.5	15.1	4.8
9.	जम्मू और कश्मीर	8.7	8.9	0.7
10.	कर्नाटक	194.9	31.2	20.0
11.	केरल	370.5	18.6	25.3
12.	मध्य प्रदेश	275.6	193.7	19.7
13.	महाराष्ट्र	535.7	118.9	24.5
14.	मणिपुर	1.9	61.5	1.2
15.	मेघालय	0.3	18.6	0.1

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	-	39.1	×
17.	नागालैंड	1.0	21.9	0.1
18.	उड़ीसा	111.7	71.9	9.1
19.	पंजाब	172.9	×	9.6
20.	राजस्थान	124.9	58.7	16.2
21.	सिक्किम*			
22.	तमिलनाडु	817.4	14.0	45.3
23.	त्रिपुरा	12.6	14.3	2.4
24.	उत्तर प्रदेश	426.1	9.5	25.1
25.	पश्चिम बंगाल	459.0	88.5	46.3
संघ शासित प्रदेश				
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	0.7	0.2
27.	चंडीगढ़	42.6	0.1	0.8
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.2	0.9	0.1
29.	दिल्ली	142.4	19.5	5.4
30.	दमन और द्वीव	0.2	6.4	×
31.	लक्ष्य द्वीप	-	6.4	0.1
32.	पांडिचेरी	10.4	×	1.2
	योग	4892.1	1348.3	335.7

टिप्पणी : 1.* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2.[x] पचास से कम।

3. हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

4. — कुछ नहीं —

5. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर सभी रोजगार चाहने वाले आवश्यक नहीं कि बेरोजगार हों।

[हिन्दी]

गुजरात के संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर

2111. श्री एन. के. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात के संगठित क्षेत्र में कितने कामगार कार्यरत हैं;

(ख) क्या गुजरात के संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) देश में 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में (सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र के 10 या इससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठान) रोजगार 274.09 लाख अनुमानित था, जिसमें से 17.18 लाख गुजरात में था।

(ख) जी, नही।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में बैंकों की शाखाएं

2112. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में सरकारी क्षेत्र के बैंक बैंक-वार कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) राज्य में गत तीन वर्षों में जमा की गयी राशि तथा दिए गए ऋणों का शाखा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों की शाखाओं ने ऋण वितरण हेतु अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद पाल) : (क) 20 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के बैंक-वार स्थान का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। [मंत्रालय में रखा गया विवरण देखिए सं.एल.टी. 8536/95]

(ख) बैंकों की जमाराशियों और ऋणों की शाखा-वार राशि से संबंधित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1994-95 की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय की राशि 8447.54 लाख रूपए थी। बैंको में 6249.56 लाख रू. की राशि के ऋण मंजूर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि असम में ऋण का स्तर कम होने के प्रमुख

विवरण-II

वर्ष 1992, 1993 एवं 1994 (जनवरी-जून) के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शसित प्रदेश	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			विकलांग		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994	1992	1993	1994 (जनवरी-जून)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	3.6	2.4	0.7	1.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1
2. अरूणाचल प्रदेश	×	×	-	-	×	×	-	-	-
3. असम	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	×	×	×
4. बिहार	0.9	1.6	1.2	1.9	4.0	1.9	×	×	×
5. गोवा	-	×	-	-	-	-	×	×	-
6. गुजरात	2.3	2.1	0.9	4.3	4.4	0.9	0.8	0.7	0.3
7. हरियाणा	1.0	1.3	0.4	-	×	-	0.1	0.1	×
8. हिमाचल प्रदेश	0.9	0.9	0.4	0.1	0.2	0.1	×	×	×
9. जम्मू और कश्मीर	×	×	×	×	×	-	×	×	×
10. कर्नाटक	1.7	2.6	1.2	0.6	0.7	0.3	0.2	0.3	0.1
11. केरल	1.3	1.5	0.8	0.1	0.2	0.1	0.5	0.6	0.6
12. मध्य प्रदेश	2.5	3.2	1.6	3.9	4.7	3.4	0.2	0.5	0.2
13. महाराष्ट्र	6.3	4.7	2.2	2.1	1.4	0.7	0.5	0.4	0.2
14. मणिपुर	×	×	×	×	0.1	0.1	×	-	-
15. मेघालय	×	×	×	0.1	0.1	×	-	-	-
16. मिजोरम	-	-	-	0.3	0.4	×	-	-	-
17. नागालैंड	×	×	×	0.4	0.1	0.1	-	-	-
18. उड़ीसा	1.1	0.7	0.2	1.3	0.9	0.4	0.1	0.1	×
19. पंजाब	2.5	1.7	0.4	-	-	-	0.1	0.1	×
20. राजस्थान	1.7	1.5	0.5	0.9	0.9	0.2	0.2	0.2	0.1
21. सिक्किम*									
22. तमिलनाडु	5.1	5.2	1.1	0.1	0.2	0.1	1.00	1.0	0.5
23. त्रिपुरा	×	×	×	0.1	×	×	×	×	×
24. उत्तर प्रदेश	5.6	3.8	1.2	8.3	0.2	0.1	0.1	0.1	×

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. पश्चिम बंगाल	1.0	0.9	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	×
संघ शासित प्रदेश									
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	×	-	-
27. चंडीगढ	0.4	0.3	0.1	-	-	-	×	×	×
28. दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	×
29. दिल्ली	0.5	0.2	0.2	0.1	×	×	0.1	0.1	×
30. दमन और द्वीप	×	×	×	×	×	×	-	×	×
31. लक्ष्य द्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	×
32. पांडिचेरी	-	×	×	-	-	-	×	×	×

कारण ये हैं : राज्य का अपेक्षाकृत कम औद्योगिकीकरण, सरकारी लेखे में निधियों के वर्ष की समाप्ति के दौरान प्राप्त होने के परिणामस्वरूप जमाराशि के स्तर में अस्थायी वृद्धि आदि। बैंकरों ने राज्य सरकार से अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का अनुरोध किया है, जिससे राज्य की ऋण खपाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए औद्योगिकीकरण और कृषि के विकास दोनों में आसानी होगी। बैंक ऋणों के अभिनियोजन से संबंधित मुद्दों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

आयकर अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही जांच

2113. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पुरुष/महिला आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध उनके आय-स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति रखने के आधार पर पिछले तीन वर्षों से जांच की जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सत्रह पुरूष अधिकारियों और एक महिला अधिकारी के विरूद्ध आय स्रोतों से अधिक परिसंपतियां रखने के आधार पर जांच कार्य पिछले तीन या उससे अधिक वर्षों से लंबित पड़ा है।

(ख) आठ मामलों में आपराधिक अभियोजना और/या विभागीय कार्रवाइयां आरंभ कर दी गई हैं। शेष दस मामले प्रारंभिक जांच के स्तर पर हैं।

(ग) जांच कार्य तेजी के साथ करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

ऋण माफी योजनायें

2114. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि तत्कालीन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गयी ऋण माफी योजना तत्काल बन्द कर दी जानी चाहिए;

(ख) क्या सेंट्रल बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र-संबंधी ऋणों के गिरते हुए स्तर, जो 1994-95 के दौरान बैंकों के लिए समस्या बन गया था, पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक लगातार इस बात पर दृढ़ रहा है कि सामायीकृत ऋण माफी या अलग-अलग मामलों के गुणावगुण का संदर्भ लिए बिना किसी भी तौर-तरीके से ऋणदायित्वों को बट्टे खाते में डालना ग्रामीण ऋण अभिकरणों या ग्रामीण निर्धनों के हित में नहीं है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक का समर्थन करती है।

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निरपेक्ष रूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम मार्च, 1994 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 53197 करोड़ रुपए थे, जो मार्च, 1995 के अन्तिम शुक्रवार को बढ़कर 61794 करोड़ रूपए हो गए। तथापि निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम मार्च, 1994 में 37.75 से घटकर मार्च 1995

में 36.56 हो गए। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की प्रतिशतता में गिरावट के लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं जिनमें बैंकों की लाभप्रदता पर अधिक बल देने, आय का पता लगाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता एवं अधिक लेन-देन तथा अन्तर्गस्त जोखिम साधन शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे कृषि संबंधी ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी तरफ से किए गए प्रयास असफल हो जाने पर बैंक विशिष्ट नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में, कई उपाय किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं : कृषि क्रेडिट कार्ड शुरू करना ताकि अच्छे कार्यनिष्पादन ट्रेक रिकार्ड वाले किसान तत्काल उत्पादन ऋण प्राप्त कर सकें, नकद ऋण सुविधा, नवीन एवं उच्च तकनीकी वाली कृषि परियोजनाओं को वित्तपोषित करना तथा ग्रामीण आधारिक विकास निधि स्थापित करना ताकि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ाना सुनिश्चित किया जा सके।

वाणिज्य मंत्री द्वारा म्यांमार की यात्रा

2115. श्री राम कापसे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष फरवरी माह में वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने म्यांमार की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा का उद्देश्य क्या था?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हाँ।

(ख) वाणिज्य राज्य मंत्री ने 17-19 फरवरी, 1995 को यांगोन का दौरा किया। उन्होंने 17-25 फरवरी, 1995 को यांगोन में आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का सह उद्‌घाटन किया। उन्हें म्यांमार के सरकारी प्राधिकारियों के साथ आपसी हित के मसलों पर विचार-विमर्श करने का अवसर भी मिला।

भारत में मानव विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

2116. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1995 के "द इकनामिक टाइम्स" में "यू.एन. रिपोर्ट रैंक्स इंडिया लो इन ह्यूमन डेवलपमैंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मानव विकास के संबंध में भारत के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां। यह रिपोर्ट दिनांक 28 अगस्त, 1995 को इकोनोमिक टाइम्स के नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुई थी।

(ख) और (ग). मानव विकास रिपोर्ट में भारत के विरूद्ध ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। उपयुक्त रिपोर्ट में देशों को रिपोर्ट में अभिकल्पित मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के अनुसार वरीयता दी गई है। इस सूचकांक के तीन घटक हैं : जन्म पर जीवन संभावना, शैक्षिक योग्यता, जिसमें दो-तिहाई महत्व वाली प्रौढ़ साक्षरता शामिल है और एक संयुक्त प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक नामांकन अनुपात, एक-तिहाई महत्व के साथ तथा आय सूचकांक की गणना हेतु आधारभूत आंकड़ों को जनसंख्या पर यू.एन. रिपोर्ट से, शिक्षा पर यूनेस्को से तथा आय के लिए विश्व बैंक से लिया गया है। इस तरह भिन्न देशों हेतु एच.डी.आई (मानव विकास सूचकांक) की गणना में रिपोर्ट के लेखकों की तरफ से किसी प्रकार की व्यक्तिपरकता की कम गुजाइंश है।

प्राइवेट एयरलाइनों के लाइसेंस

2117. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन निजी विमान कम्पनियों के लाइसेंस रद्द करने का है जिन्होंने निर्धारित हवाई मार्गे पर अपनी उड़ाने शुरू नहीं की हैं;

(ख) क्या नियमों के उल्लंघन के संबंध में जांच हेतु कोई जांच समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सभी अनुसूचित विमान कम्पनियों की अनुमोदित समयावलियों के अनुसार विमान सेवाओं के वास्तविक प्रचालन पर निगरानी नागर विमानन महानिदेशक द्वारा रखी जाती है और आवश्यक होने पर उपचारी उपाय किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हवाला रेकेट

2118. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना के महानिदेशक को जुलाई, 1995 में साउथ इंडिया बैंक की नरीमन पाइंड शाखा के सहयोग से लगभग 84 मिलियन डालर की भारी धोखाधड़ी/हवाला रेकेट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गयी छानबीन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या निवारक उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। महानिदेशक, राजस्व आसूचना द्वारा जांच किए जाने पर पता चला कि 8.42 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 270 करोड़ रूपये) बाहर भेजे गए थे जो माल के आयात के अनुरूप नहीं थे।

(ख) और (ग). इस सूचना पर बैंकिंग विभाग, भारतीय रिवर्ज बैंक, केन्द्रीय जांच ब्यूरों, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर प्राधिकारियों द्वारा आगे जांच की जा

रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जायेगी।

कपास का निर्यात

2119. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कपास के निर्यात के बढ़े हुये कोटे के लिये अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और कपास उत्पादक राज्यों को उनके द्वारा कपास के निर्यात के संबंध में मांगी गई अनुमति की तुलना में राज्यवार कितनी मात्रा में कपास के निर्यात की अनुमति दी गई है;

(ग) इसकी पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमति दिये कोटे से किस प्रकार तुलना की गई है और इसके पीछे क्या तर्क है; और

(घ) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या कार्यवाही की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (घ). जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने कम से कम 2 लाख गांठों का निर्यात कोटा रिलीज करने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग). निर्यात के लिए रिलीज की जाने वाली कपास की समग्र मात्रा सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश में मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती है।

चाय का निर्यात

2120. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैट समझौते से चाय के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). गैट संधि के परिणामस्वरूप भारतीय चाय के अनेक प्रमुख आयातकों ने टैरिफ शुल्क में कमी की है। ऐसी सम्भावना है कि इससे चाय के निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करेगा।

जोखिम वाले उद्योगों के लिये पूंजी और सीड मनी उपलब्ध कराने संबंधी बैंक

2121. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी एच डी चैम्बर आफ कामर्स और इण्डस्ट्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष जोखिम वाले उद्योगों के लिये पूंजी और सीड मनी उपलब्ध कराने के लिये विशेष बैंकों के गठन का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भुगतान संतुलन की स्थिति

2122. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भुगतान संतुलन की स्थिति में और ज्यादा सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). 1994-95 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में मजबूती और लचीलापन देखने को मिला है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार, जिसमें सोना भी शामिल है, में लगातार वृद्धि होती रही, जो मार्च, 1995 के अंत में 25.2 बिलियन अमरीकी डालर के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया।

1994-95 के दौरान निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि हुई। आर्थिक गतिविधि में विस्तार के अनुरूप ही आयातों में तीव्रता से वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष आय के निष्पादन में प्रशंसनीय सुधार हुआ। हालांकि 1994-95 में चालू लेखा घाटा, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा होने का अनुमान था, स्पष्ट रूप से संमंजित और वहनीय था। 1994-95 में प्रारक्षित भंडारों का संचय मुख्यतः सुदृढ़ पूंजी प्रवाह द्वारा समर्थित रहा, जो पिछले वर्ष की तरह ही प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियों विदेशी निवेश, के अन्तः प्रवाह से प्रभावित था।

(ग) भारत के भुगतान संतुलन में विकास का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा निरन्तर अनुवीक्षण किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार देश की व्यापार और भुगतान स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नीति संबंधी उपाय संशोधित तथा प्रतिष्ठापित किए जाते हैं।

एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत का बेड़ा

2123. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत के पास अलग-अलग कितने यात्री तथा अन्य विमान हैं;

(ख) क्या ये विमान पर्याप्त हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इनकी संख्या में बढोत्तरी करने का है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) इस समय एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के पास उपलब्ध प्रचालनात्मक विमानों की संख्या श्रेणी अनुसर नीचे दी गई है :–

कम्पनी का नाम	विमान का प्रकार	विमानों की संख्या
एयर इंडिया	बी 747-200	9
	बी 747-300 (कोम्बी)	2
	बी 747-400	4
	ए 310-300	8
	ए 300-बी 4	3
इंडियन एयरलाइन्स	ए-300	10
	ए-320	30
	ए-737	15
वायुदूत	डोर्नियर	3

(ख) चूंकि उपलब्ध विमान सेवा सम्बन्धी वर्तमान अनुसूची के अनुसार प्रचालन करने के लिए पर्याप्त हैं, एयर इंडिया ने वर्तमान मार्गों पर प्रचालन बढ़ाने तथा नये मार्गों पर सेवाओं को आरंभ करने के लिए विमान पट्टे पर लिये हैं।

(ग) और (घ) सन् 1994-95 से 2001/2002 तक की अवधि के लिए एयर इंडिया की एक अन्तिम मध्यम अवधि विमान बेड़ा योजना बनाई गई है जिसमें वर्ष 2001/2002 तक विमान बेड़े के विमानों की मौजूदा संख्या को 26 से बढ़ाकर 54 विमान तक करना शामिल है। इंडियन एयरलाइन्स की कम दूरी वाले मार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1996-97 के दौरान नये विमानें को विमान-बेड़े में जोड़ने की योजना है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े की संरचना

2124. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में कौन-कौन से और कितने विमान हैं;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किन-किन घरेलू हवाई अड्डों पर विमान सेवाए चलाई जा रही हैं और इसमें किस प्रकार के विमानों का प्रयोग हो रहा है;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों पर बड़े विमानों के लिए विमान संचालन और उतरने की सुविधाएं हैं;

(घ) किन-किन हवाई अड्डों पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) इन हवाई अड्डों पर सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े की स्थिति इस प्रकार थीः–

एयरबस	ए 300-10
एयरबस	ए 320-30
बोइंग 737	20
फोकर एफ-27	02

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की 737/ए320/ए300 प्रकार के विमानों के साथ 54 हवाई अड्डों को प्रचलान करती है। इन हवाई अड्डों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 20 हवाई अड्डों पर साधारण पहुंच प्रकाश की स्थापना करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और आगे सुविधाओं का उन्नयन कर रहा है।

विवरण

हवाई अड्डों की सूची

1. अगरतला
2. आगरा
3. अहमदाबाद
4. अमृतसर
5. औरंगाबाद
6. बागडौगरा
7. बंगलौर
8. भावनगर
9. भोपाल
10. भुवनेश्वर
11. भुज
12. बम्बई
13. कलकत्ता
14. कालीकट
15. चंडीगढ़
16. कोचीन
17. कोयम्बतूर
18. दिल्ली
19. डिब्रूगढ़
20. दीमापुर
21 गोवा

22. गुवाहाटी
23. ग्वालियर
24. हैदराबाद
25. इम्फाल
26. इन्दौर
27. जयपुर
28. जम्मू
29. जामनगर
30. जोधपुर
31. जोरहाट
32. खुजराहो
33. लेह
34. लखनऊ
35. मद्रास
36. मदुरई
37. मंगलौर
38. नागपुर
39. पटना
40. पोर्ट ब्लेयर
41. पुणे
42. राजकोट
43. रायपुर
44. रांची
45. सिल्चर
46. श्रीनगर
47. तेजपुर
48. त्रिची
49. त्रिवेन्द्रम
50. उदयपुर
51. बड़ोदरा
52. वाराणसी
53. विजाग
54. पुत्तायर्षी

पर्यटन का विकास

2125. श्री एन. जे. राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने हमारे देश में विशेष रूप से गुजरात में पर्यटन विकास के लिए पूंजी निवेश में दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ व्यक्तियों ने भी भारत में होटलों तथा भारत में पर्यटन से संबंधित अन्य परियोजना के विकास हेतु इक्विटी की भागीदारी या तकनीकी, विशेष विक्रय अधिकार तथा विपणन, प्रबन्धन, समझौतों के माध्यम से निवेश तथा सहयोग करने में गहरी रूचि दिखाई है। अगस्त, 1991 से लेकर सितम्बर, 1995 तक सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वदेशी कम्पनियों, व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयों से 1892.92 करोड़ रूपये के निवेश वाले 124 ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इनमें, गुजरात के सूरत शहर मे रेस्तरां के निर्माण हेतु एक अनिवासी भारतीय से प्राप्त 24.00 लाख रूपए के निवेश वाला एक प्रस्ताव शामिल है।

वस्त्र उत्पादन

2126. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल उत्पादन में सूती तथा सिंथेटिक वस्त्र का कितना-कितना हिस्सा (प्रतिशत) है; और

(ख) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने, कपास का मूल्य स्थिर करने तथा सूती कपड़ों एवं सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान बलोर्दिग और वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त हुए सूती, मानव निर्मित फाइबर फिलामेंट और अन्य फाइबर की मात्रा तथा प्रतिशत के अंशदान सहित निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मद	मात्रा प्रयुक्त (मि. किग्रा)	प्रतिशत अंशदान
1.	सूती	2051	65.4
2.	मानव निर्मित फाइबर फिलामेंट यार्न	981	31.3
3.	अन्य प्राकृतिक फाइबर (रेशम, ऊन, फ्लैक्स)	105	3.3

(ख) कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, कपास की कीमतों को स्थिर रखने तथा सूती फैब्रिक तथा परिधान का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : —

कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष कपास के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) की घोषणा करती है, भारतीय कपास निगम जब कभी भी कपास की कीमतें गिरने लगती है तथा न्यूनतम समर्थन कीमत के स्तर तक पहुंचने लगती हैं तब उस स्थिति में बाजार में प्रवेश करता है तथा कपास की खरीदारी करता है। भारतीय कपास निगम न्यूनतम समर्थन कीमत संबंधी नीति का क्रियान्वयन करने की एक मुख्य एजेंसी है। भारतीय कपास निगम के बाजार प्रचालन कपास की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं ताकि वे न्यूनतम समर्थन कीमत समर्थन से पर्याप्त रूप से ऊपर बने रहे। वस्त्रों और क्लोदिंग, जिनमें सूती फैब्रिक और परिधान भी शामिल है, के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात की अनुमति देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबन्ध करना, तथा निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

पति-पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त करना

2127. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त करने के संबंध में सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकार की इस नीति का सच्चे अर्थों में अनुपालन कराने के संबंध में सलाह देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। मार्गनिर्देश में प्रावधान है कि जहां पति पत्नी दोनों सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियोजित हैं पति और पत्नी उसी स्टेशन पर अलग-अलग शाखाओं में या पड़ौस के स्टेशन पर नियुक्त किये जा सकते हैं जो शाखाओं की अवस्थिति और शाखाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। बशर्ते कि, प्रशासन को ऐसा करने में सुविधा हो, रिक्त स्थान उपलब्ध हो, ग्रामीण/अर्द्ध सरकारी शाखाओं का अनुभव हो तथा बैंक यूनियनों के साथ समझौते से संबंधित निर्देशों का अनुपालन हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने संबंधी सीमा

2128. श्री सन्त कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गये ऋणों की नेट (शुद्ध) राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). जी, हां। 30.11.1995 की स्थिति के अनुसार तदर्थ राजकोषीय हुण्डियों का शुद्ध निर्गम 10195 करोड़ रूपए था। तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के शुद्ध निर्गम में तीव्र वृद्धि मूलतः दिन-प्रति-दिन की प्राप्तियों एवं भुगतानों में असमानता के कारण होती है और यह वर्षांत के संभावित आंकड़ों की सूचक नहीं है। तथापि, सरकार स्थिति का ध्यान पूर्वक अनुवीक्षण कर रही है।

प्राइमरी डीलर्स

2129. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रतिभूति बाजार मे प्राइमरी डीलरों को सूचीबद्ध करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्राइमरी डीलरों के मुख्य उद्देश्य/कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राइमरी डीलरों को सूचीबद्ध करने/उनके कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों/विनियमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राईमरी डीलरों के रूप में मान्यता दिए जाने हेतु निम्नलिखित छः प्रतिष्ठानों (एन्टीटीज) को "सिद्धान्त रूप" में मंजूरी दे दी है:

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान (एन्टटी) का नाम	मुख्यालय का स्थान
1.	डिसकाउण्ट एण्ड फाइनैन्स हाउस ऑफ इण्डिया लि.	मुंबई
2.	भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.	मुंबई
3.	आई.सी.आई.सी.आई. सिक्युरिटिज एंड फाइनैन्स कं. लि.	मुंबई
4.	भारतीय स्टेट बैंक (सहायक)	मुंबई
5.	पंजाब नेशनल बैंक (सहायक)	नई दिल्ली
6.	कनारा बैंक (अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से)	बंगलौर

(ग) प्राईमरी डीलरों के मुख्य प्रयोजन/कार्य के ब्यौरों में ये शामिल हैं:

(i) सरकारी प्रतिभूति बाजार में मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करना;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी का विकास और बाजार निर्माणकारी सामर्थ्य सुनिश्चित करना;

(iii) गौण बाजार व्यापार पद्धति का सुधार करना और वृहतर निवेशक आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों के स्वैच्छिक अधिकार को बढ़ावा देना;

(iv) नकदी उपलब्ध कराना और सरकारी प्रतिभूति बाजार में कुल बिक्री में सुधार करना; और

(v) मुक्त बाजार अभियान चलाने के लिए प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्य करना।

(घ) बैंकों का वित्तीय संस्थाओं की सहायक कंपनियां जो सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रमुख रूप में कारोबार कर रही हैं और जिनकी निवल स्वामित्व निधियां न्यूनतम 50 करोड़ रूपये हैं, प्राईमरी डीलरशिप के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

विमानपत्तनों पर प्रवेश हेतु पास जारी करना

2130. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नगर पुलिस को जारी किये गये प्रवेश पासों को दिल्ली स्थित विमान पत्तन पर सीमाशुल्क के अधिकारियों द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नगर पुलिस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को जारी किये गये प्रवेश पासों को दिल्ली स्थित विमानपत्तनों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान्यतया मान्य किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वृद्ध व्यक्तियों को रियायतें

2131. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री महेश कनोडिया :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमान यात्रा में वृद्ध व्यक्तियों को रियायतें देने का हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी रियायत दी जायेगी और यह कितनी आयु के पश्चात् दी जायेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस आयु सीमा में कमी करने का है जिससे अधिक लोग इस रियायत का फायदा उठा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स पहले से ही अंतर्देशीय सैक्टरों पर सामान्य इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा की तिथि को 65 वर्ष या अधिक आयु के यात्रियों को किराये में 50% की रियायत दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स में हानि के कारणों का पता लगाने संबंधी समिति

2132. डा. वसंत पवार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि के कारणों का पता लगाने हेतु गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा पता लगाये गये कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

निजी क्षेत्र द्वारा नयी विमान कम्पनियाँ शुरू करना

2133. श्री राम कापसे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र से भारत में नयी विमान कम्पनियाँ शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). विमान सेवा प्रारंभ करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एक सतत् प्रक्रिया है। फिलहाल, 6 अनुसूचित तथा 18 गैर-अनुसूचित/हवाई टैक्सी प्रचालक निजी क्षेत्र में प्रचालन कर रहे हैं। इसके अलावा, 28 आवेदकों को निजी विमान परिवहन सेवा आरंभ करने के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किए गए हैं।

हथकरघा वस्त्र निर्मित वस्तुएं

2134. डा. परशुराम गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी विभागों/मंत्रालयों को केवल खादी और

ग्रामोद्योग आयोग/महिला विकास संगठनों द्वारा निर्मित सभी हाथ से बुने खादी और हथकरघा वस्त्रों को ही खरीदने का निर्देश जारी किया है;

(ख) . यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग मंत्रालयों/विभागों के समग्र खरीद की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और ये वस्तुएं एसोशिएशन आफ कारपोरेशन एंड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैंडलूम्स (ए.सी.ए.एस.एच.) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसमें कितनी सरकारी सहायता प्राप्त है;

(च) महिला विकास संगठनों को इसके कितने ठेके दिये गये हैं और इनकी दरें क्या-क्या हैं ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ङ). वर्ष 1989 में सरकार ने आदेश जारी किये थे कि हाथ से बुने और हाथ से कते खादी के वस्त्रों की समस्त मांग हेतु खरीददारी केवल खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर, एकल निविदा पर की जानी अपेक्षित है। इसी तरह, हथकरघा वस्त्रों की समस्त मदों की अधिप्राप्ति, वस्त्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यों पर एकल निविदा पर, एसोसिएशन आफ कार्पोरेशनस एंड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैन्डलूमस (ए.सी.ए.एस.एच.) के केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से की जानी होती है। इसमें यह भी शर्त है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध मात्रा तक ही उनसे इन मदों की अधिप्राप्ति की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जितनी मात्रा में इन मदों की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं होगा, उतनी मात्रा में इन मदों की खरीद एसोसिएशन आफ कार्पोरेशनस एंड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैंडलूमस (ए.सी.ए.एस.एच.) से की जानी अपेक्षित होगी।

खादी और ग्राम्य उद्योग एककों को छोटे पैमाने के क्षेत्र के समकक्ष माना जाता है और उन्हें बड़े पैमाने के एककों द्वारा उद्धत (कोट) किये गये मूल्य के 15 प्रतिशत तक, मूल्य में छूट (प्राइस प्रिफरेन्स) दी जाती है। तथापि, मूल्य/खरीद में तरजीहं दिये जाने के उद्देश्य के लिये राज्य महिला विकास संगठनों और महिला श्रमिकों के संगठनों को खादी और ग्राम्य उद्योग के समकक्ष माना जायेगा।

(च) वर्ष 1992 मे एक महिला विकास संगठन को कम्बलों (बैरेक्स) के लिये दर संबंधी ठेका (रेट कंट्रेक्ट) दिया गया था।

(छ) प्रश्न ही नहीं होता।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनायें

2135. श्री अमर पाल सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई-अक्टूबर, 1995 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से पक्षियों के टकराने की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जुलाई से अक्टूबर, 1995 के दौरान पक्षी टकराने की 34 घटनाएं हुई थीं।

(ख) विमानों से पक्षी टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम (जैसे—शीघ्रता से कचरा हटवाना और विमानपत्तन के आस पास अवैध रूप से जानवरों की खाल उतारने से रोकना) उठाने के लिए प्रत्येक विमानपत्तन पर विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबन्ध समितियाँ गठित की गई हैं। पक्षी संत्रास की रोकथाम के लिए प्रमुख विमानपत्तनों पर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। विमान क्षेत्र की ओर पक्षियों को आकर्षित करने के स्रोतों को कम करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरियों ने प्रचालन क्षेत्रों को समतल करना, जल ठहराव रोकने के लिए प्रभावी निकासी प्रणाली का निर्माण करना, दूबघास लगाना, भवनों का ऐसा बनाना कि कबूतर उनमें न घुस सकें, निर्दाहक लगाना तथा पक्षियों को डराना आदि जैसे उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

हैरीटेज होटल

2136. श्री बलराज पासी :

श्री पंकज चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विरासत में मिली हवेलियों और भवनों को "हैरीटेज होटल" में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं। यद्यपि, भारत सरकार हैरीटेज परिसम्पत्तियों को हैरिटेज होटलों मे बदलने के लिए पूंजी/ब्याज इमदाद प्रदान करती है तथापि पुरानी हवेलियों तथा इमारतों को हैरीटेज होटलों में बदलने का काम मालिकों/पट्टेदारों द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इन्दौर हवाई अड्डे का विकास

2137. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इन्दौर हवाई अड्डे का अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन्दौर हवाई अड्डे का आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकास कर रहा है जहां आवश्यकतानुसार सीमित अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए सीमा शुल्क और अप्रावासन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इन्दौर हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों का राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर नामकरण

2138. श्री शंकरसिंह वाघेला :

श्री काशीराम राणा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत में देश में जिन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों का नामकरण राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों का नामकरण राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर करने के संबंध में राज्य सरकारों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम सरदार पटेल अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन, अहमदाबाद करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). दिल्ली और कलकत्ता के हवाई अड्डों का क्रमश: "इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा" और "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा" के रूप में पुन: नामकरण किया गया है। मद्रास हवाई अड्डे के अन्तरराष्ट्रीय और अन्तर्देशीय टर्मिनलों का क्रमश: मद्रास अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा—अन्ना अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल तथा मद्रास अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा—कामराज अन्तर्देशीय टर्मिनल के रूप में पुन: नामकरण किया गया है।

बम्बई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे के रूप में पुन: नामकरण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। परन्तु, इस हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लाये जाने के बाद इसका जवाहरलाल नेहरू अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में पुन: नामकरण किये जाने का निर्णय वर्ष 1988 में पहले से ही लिया जा चुका था।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा नीति के अनुसार, अन्तर्देशीय हवाई अड्डों के नाम उन शहरों/नगरों के नाम पर रखे जाते हैं जहां पर स्थित होते हैं और इसलिए अहमदाबाद हवाई अड्डे के नाम से परिवर्तन करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

पर्यटक आकर्षण

2139. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के किसी भी भाग से आने वाले पर्यटकों के लिए उनकी इच्छानुसार भारत में सभी पर्यटक आकर्षण उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार इसका पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हैं जब कि सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश इस क्षेत्र में हमसे काफी आगे है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं देश में पर्यटन के विकास में मुख्य रूकावट हैं। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करके व प्राइवेट सैक्टर से पूंजी-निवेश आकर्षित करके पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ना

2140. श्री शरत पटनायक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). देश में सभी जिला मुख्यालयों को वायुमार्ग से जोड़ने के लिए कोई समय ढांचा तैयार नहीं किया गया है। तथापि, पूरे देश में विमान परिवहन सेवाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए मार्ग विभाजन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जिनके अनुसार ट्रंक मार्गों के प्रचालकों के लिए, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में एक तयशुदा न्यूनतम क्षमता उपलब्ध कराना अपेक्षित है। दूरस्थ तथा अभी तक वायु मार्ग से न जोड़े गए जिलों और शहरों के लिए प्रचालन करने हेतु क्षेत्रीय विमान कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विदेशियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा

2141. श्री लाईता उम्बे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार कितने विदेशियों ने पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की;

(ख) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र में कुछ उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार नवम्बर, 1995 तक जो विदेशी पर्यटक पूर्वोत्तर राज्यों में आए उनकी संख्या नीचे दी गई हैं :–

क्र. सं.	राज्य	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1.	असम	212
2.	अरूणाचल प्रदेश	24
3.	मेघालय	903 (अक्तूबर तक)
4.	नागालैण्ड	194
5.	मणिपुर	207
6.	मिजोरम	56 (सितम्बर तक)
7.	त्रिपुरा	65

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किए जा रहे उत्सवों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. चाय उत्सव (असम)
2. नानग्रेन नृत्य उत्सव (मेघालय)
3. कूट उत्सव (मणिपुर)
4. चपचारकुट उत्सव (मिजोरम)
5. नौका दौड़ उत्सव (त्रिपुरा)

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

2142. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल इंडियन एयरलाइन्स की अधिकांश उड़ानों में विलम्ब हो रहा है और इसकी उड़ानों के समय के बारे में अनिश्चितता के कारण यात्रियों का रूझान प्राइवेट एयरलाइनों की तरफ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर-नवम्बर, 1995 के दौरान कौन-कौन सी उड़ानों में विलम्ब हुआ; और

(ग) उड़ानों को निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी नहीं। अक्टूबर, 1995 में खराब मौसम, विमानपत्तन प्रतिबन्धों तथा तकनीकी खराबियों आदि के कारण कुल 6543 उड़ानों में से 1881 उड़ानें या तो विलम्ब से की गई थीं या फिर रद्द हो गयी थीं। नवम्बर, 1995 के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) विलम्ब होने की सभी घटनाओं की जाँच की जाती है तथा आवश्यक होने पर उपचारी कार्रवाई की जाती है।

एयर टैक्सी आपरेटरों को एयरलाइनों का दर्जा देना

2143. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में अनेक एयर टैक्सी आपरेटरों को एयरलाइनों का दर्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एयर टैक्सी आपरेटरों को अधिसूचित एयरलाइनों का दर्जा दिये जाने हेतु अपनाया गया मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एयर टैक्सी आपरेटरों जिन्हें एयरलाइनों का दर्जा दिया गया है तथा जिनके आवेदन लंबित पड़े हैं के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) एयर टैक्सी आपरेटरों को एयरलाइनों का दर्जा दिये जाने से क्या लाभ होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा प्रचालक से कम से कम तीन विमानें का बेड़ा रखने प्रति विमान तीन कर्मीदल रखने, अनुमोदित अनुरक्षण सुविधाएं रखने तथा मार्ग विभाजन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन करने आदि की अपेक्षा की जाती है।

(ग) अब तक निम्नलिखित छः निजी प्रचालकों को अनुसूचित विमानकंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया है:–

1. मैसर्स अर्चना एयरवेज प्रा. लि. 2. मैसर्स दमानिया एयरवेज लि.

3. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस 4. मैसर्स जैट एयरवेज (इंडिया) प्रा. लि.

5. मैसर्स मोदीलुफ्त लि. 6. मैसर्स एनईपीसी एयरलाइंस

अन्य इच्छुक आवेदक जब भी निर्धारित मानदण्ड पूरा करेंगे उन्हे अनुसूचित विमानकम्पनी परमिट दे दिया जायेगा।

(घ) अनुसूचित प्रचालक के रूप में विमान कम्पनियाँ अपनी स्वीकृति अनुसूचियों का प्रचार कर सकती हैं, प्रत्येक उड़ान के लिए स्वीकृति लेना उनसे अपेक्षित नहीं है तथा अलग-अलग यात्रियों को टिकटें बेंच सकती हैं।

महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर जनता होटल

2144. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर जनता होटल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों, जहां पर ऐसे होटल खोले जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डिब्रूगढ़ हवाई-पट्टी का विस्तार

2145. श्री लाइता उम्ब्रे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिब्रूगढ़ विमानपत्तन की हवाई-पट्टी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). जी, हां। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में धावनपथ के 7500 फुट तक विस्तार का एक प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण पर है।

उद्योगपतियों पर छापे

2146. श्री हाराधन राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1995 "द स्टैटमैन" में "पी.एम.ओ. सौट डिटेल्स आव रेड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिला गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीरंगपट्टनम में यात्री निवास के निर्माण में निवेश

2147. श्री जी. माडे. गौडा : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक में पर्यटन परियोजनाओं एवं यात्री निवास के निर्माण हेतु कितनी राशि निवेश की गई; और

(ख) शुरू किए गए तथा पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 325.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत की चार यात्री निवासों सहित बारह पर्यटन परियोजनाएं/स्कीमों को प्राथमिकता दी गई है। केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ही उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी।

[हिन्दी]

विमानों की खरीद

2148. श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे, मझोले और बड़े एयर बस बोइंग आदि विमान खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). सन् 1994-95 से 2001/2002 तक की अवधि के लिए एअर इंडिया की एक अनन्तिम मध्यम अवधि विमान बेड़ा योजना बनाई गई है जिसमें वर्ष 2001/2002 तक विमान बेड़े के विमानों की मौजूदा संख्या को 26 से बढ़ाकर 54 विमान तक करना शामिल है।

एयर इंडिया ने जनवरी, 1995 में बोइंग एयर प्लेन कम्पनी के साथ दो बी 747-408 विमान प्राप्त करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान जुलाई-अगस्त, 1996 में मिलने हैं। इन विमानों को शामिल करके एयर इंडिया की एक पुराने बी 747-400 विमान को सेवाओं से हटाने की योजना है। इस योजना में 1997/98 से आगे मध्यम क्षमता के अधिक दूरी वाले विमान शामिल करना तथा इसके साथ ही बी 747-200 और 300 काम्बी विमानों के पूरे बेड़े को तरीके से हटाना भी शामिल है।

इंडियन एयरलाइन्स की विमान बेड़े के संवर्धन हेतु दस विमानों (150 सीट वाले) को शामिल करने की योजना है।

[अनुवाद]

प्राइवेट एयरलाइंस/एयर टैक्सियां

2149. श्री काशीराम राणा :

श्री पवन दीवान :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राइवेट एयरलाइनों/एयर टैक्सियों के परिचालकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों ने कब से उक्त एयरलाइनों का परिचालन शुरू किया है;

(ग) प्रत्येक कंपनियों पर घरेलू विमान यात्रा कर की कितनी राशि बकाया है;

(घ) दोषी कंपनियों पर सरकार ने क्या दंडात्मक कार्यवाही की है;

(ङ) इस धनराशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार दोषी कंपनियों को दी गई अनुमित/दिया

गया लाइसेंस निलंबित/रद्द करने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण II और III में दिए गए है।

(ङ) और (च) अंतर्देशीय विमान यात्रा कर नियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत शेष राशि वसूल करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

विवरण-I

निजी अनुसूचित/हवाई टैक्सी प्रचालकों के नाम तथा उन्हें परमिट जारी किये जाने की तारीखें

(क)	अनुसूचित प्रचालक	अनुसूचित स्थिति के लिए परमिट जारी करने की तारीख
	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	20.11.1994
	जेट एयरवेज	13.02.1995
	दमानिया एयरवेज	20.11.1994
	मोदी लुफ्त	20.11.1994
	एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स	20.11.1994
	अर्चना एयरवेज	20.11.1994

ख.	गैर-अनुसूचित/हवाई टैक्सी प्रचालक	हवाई टैक्सी प्रचालन के लिए परमिट जारी किए जाने की तारीख
1.	सहारा इंडिया एयरलाइन्स	30.12.1993
2.	जगसन एयरलाइन्स	13.02.1992
3.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	28.02.1990
4.	ट्रांस भारत एविएशन	28.02.1991
5.	एरियल सर्विसिज प्रा. लि.	04.01.1993
6.	दिल्ली गल्फ एयरवेज	08.03.1990
7.	सराया एविएशन	22.02.1993
8.	यू.पी. एअर	30.03.1990
9.	उड़ान एकाडमी	17.09.1992
10.	मेगापोड एयरवेज	15.11.1993
11.	सपन एविएशन (इंडिया) लि.	19.01.1995
12.	मेस्को एयरलाइन्स	20.01.1995
13.	वी.आई.एफ. एयरवेज	31.05.1995
14.	गुजरात एयरवेज लि.	19.07.1990
15.	एल.बी. एयरवेज.	16.10.1995
16.	के.सी.वी. एयरलाइन्स	18.04.1995
17.	यू.बी. एयर सर्विसिज	21.04.1995
18.	सपन एयर प्रा. लि.	24.11.1995

विवरण-II

क्र. सं.	वाहक के नाम	बकाया राशि (लाख रूपयों में)
1.	मै. जगसन एयरलाइन्स	3.31 (Jan. 94 To (Dec. 34 Except Nov. 94)
2.	मै. जगसन एयरलाइन्स	18.64
3.	मै दमानिया एयरवेज	155.00 (Sep. 1995)
4.	मै ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	152.00
5.	मै एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स	78.00
6.	मै मोदीलुफ्त	689.00
7.	मै सपन एविएशन	11.00
8.	मै कांटिनेंटल एविएशन	74.86 (1991-92 & 92-93)
9.	मै. सिटी लिंक एयरवेज	60.15 (1992-93)
10.	मै. राज एविएशन	46.44
11.	मै. एयर एशियाटिक	57.56
12.	मै. गोवावे	6.80

नोट :— वर्तमान में, क्रम संख्या ८ से १२ प्रचालन में नही हैं।

विवरण-III

क्र. सं.	वाहक का नाम	दिया गया दण्ड (रूपए में)
1.	मैसर्स दमानिया एयरवेज	4,00,000/-
2.	मैसर्स जैगसन एयरलाइंस	8,03,000/-
3.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	78,500/-
4.	मैसर्स सराया एविएशन	3,000/-
5.	मैसर्स यू.बी. एयरवेज	12,000/-
6.	मैसर्स सहारा एयरलाइंस	18,70,500/-
7.	मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	12,52,500/-
8.	मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज	18,47,000/-
9.	मैसर्स एयर एशियाटिक	18,20,000/-
10.	मैसर्स राज एविएशन	15,00,000/-

मैसूर के लिए पर्यटन परियोजनाएँ

2150. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर शहर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ). कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसूर में निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 57.30 लाख रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की है:–

क्र. सं.	परियोजनाओं/स्कीमों के नाम	स्वीकृत की गई राशि (रू लाखों में)
1993-94	मैसूर में गोल्फ कोर्स का स्तारोन्नयन	37.30
1993-94	सेंट फिलोमिना चर्च, मैसूर की प्रकाश पुंज व्यवस्था	20.00
	जोड़	57.30

नए हवाई अड्डों का निर्माण

2151. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों से नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). जी, हां। विभिन्न राज्य सरकारों ने नये हवाई अड्डों की स्थापना का सुझाव दिया है। ये हैं कर्नाटक मे बंगलौर के निकट देवनहाली और मंगलौर, केरल में नेदुम्बसेरी, लक्षद्वीप, द्वीपसमूह में अन्दरोथ, मेघालय में तुरु, मिजोरम में लेंगपुई, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर, महाराष्ट्र में शिर्डी और सिन्धुदुर्ग, जम्मू और कश्मीर में कारगिल और किश्तवार, हरियाणा में कुण्ढली, पंजाब में फिल्लौर और राजस्थान में अजमेर। केन्द्रीय सरकार ने निजी भागीदारी से हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कर्नाटक और केरल की सरकारों को अपनी अनापत्ति दे दी है। अन्दरोथ, तरा और लेंगपुई में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध करा दी गयी हैं। चूंकि ईटानगर में उपयुक्त स्थल नहीं है, इसलिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अरूणाचल प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असम में लीलाबाड़ी हवाई अड्डे का विकास कर रही है। महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान राज्य सरकारों को क्रमशः शिर्डी, किश्तवार और अजमेर में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। सिन्धुदुर्ग में, महाराष्ट्र सरकार को "बनाओ और प्रचालन करो" आधार पर हवाई अड्डे का निर्माण करने का कहा गया है। फिल्लौर में पंजाब राज्य सरकार को हवाई अड्डे की स्थापना की साध्यता का अध्ययन करने हेतु भूमि का पता लगाने की सलाह दी गई है। हरियाणा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली हवाई अड्डा यातायात प्रवाह से निपटने के लिए पर्याप्त है। जम्मू और कश्मीर में कारगिल हवाई अड्डे का कार्य सितंबर, 1995 में आरंभ हो चुका है।

हेरिटेज होटल के लिए पूंजीगत राज्य सहायता

2152. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हेरिटेज होटल के लिए पूंजीगत राज्य सहायता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उन हेरिटेज होटलों के स्थान-वार नाम क्या हैं जिन्हें पूंजीगत राजसहायता प्राप्त हुई है तथा स्वीकृत की गई और दी गई धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) उन हेरिटेज होटलों के स्थान-वार नाम क्या हैं जिनके पूंजीगत राज्य सहायता हेतु आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या पर्यटन विकास निधि से विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रों के लिए सहायता हेतु अन्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :

(क) हेरिटेज होटलों के लिए पूंजीगत, इमदाद स्कीम की प्रमुख विशेषताएं हैं:–

(i) 75 वर्ष पुराने किसी भी स्मारक/ढांचे का हैरिटेज होटल में विकास करने के लिए तथा परियोजना भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए के लिए 5 लाख अथवा लागत का दस प्रतिशत जो भी कम हो, की पूंजीगत इमदाद उपलब्ध है।

(ii) परियोजना निगम/नगर पालिका द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के बाहर स्थित होनी चाहिए। वहां पर क्षेत्र में अनुमोदित श्रेणी में सौ से अधिक होटल के कमरे नहीं होने चाहिए।

(iii) परियोजना यथोचित वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। इमदाद केवल उन परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध है जिनके लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा राज्य वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए हों।

(ख) केवल एक परियोजना "क्रास कंट्री होटल्स" जो मुकन्दगढ़, राजस्थान में है, ने ही 5 लाख रूपए की पूंजीगत इमदाद प्राप्त की है।

(ग) केवल एक आवेदन पत्र ने जो मै. रीगल स्पलैंडर (प्रा.) लिमिटेड, पेहर्सर, राजस्थान में है से संबंधित है जिसने सभी शर्तें पूरी की हैं, पर कार्रवाई हो रही है।

(घ) पर्यटन विकास कोष का गठन नहीं किया गया है।

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

2153. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के बारे में 11 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इसमें और कितना समय लगेगा और जांच को शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा फिलहाल दिए गए संकेतों के अनुसार जून, 1996 तक मामला तय हो जाने की संभावना है।

11.09 म.पू. तत्पश्चात् लोक सभा 12.00 मध्याह्न पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

12.00 मध्याह्न

लोक सभा 12.00 मध्याह्न पर पुनःसमवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

. . . . **(व्यवधान)** . . . .

12.01 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 3.30 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.14 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा 3.30 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.33 म.प.

लोक सभा 3.33 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझार पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सुखराम जी का इस्तीफा दिलाया जाये, 65000 करोड़ रूपये का घोटाला है, राष्ट्रीय सम्पत्ति का इतना बड़ा घोटाला है. . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया मेरी बात सुनिये। शून्य काल समाप्त हो गया है। अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं। श्री गुलाम नबी आज़ाद।

3.34 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रेल अधिनियम, 1989 आदि के अन्तर्गत रेल सुरक्षा आयोग का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आज़ाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.8414/95]

(2) कंपनी अधिनियम, 1995 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8415/95]

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं श्री कमल नाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अथवा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.8416/95]

निर्यात (गुणवत्त नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान और विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं श्री पी. चिदम्बरम् की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) निर्यात निरीक्षण परिषद अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1995, जो 14 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 2064 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ताजा, हिमशीतित और संसाधित मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात

1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 730(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) संसाधित मांस उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1995, जो 7 अक्टूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2681 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8417/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8418/95]

(ख) (एक) भारतीय निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद (2) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गये। देखिए संख्या एल.टी. 8419/95]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 8420/95]

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 8421/95]

(तीन) भारतीय निर्यात प्रत्यक्ष गारंटी निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समीक्षा ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 8422/95]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 आदि की धारा 38 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उतपाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अर्न्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक)सा.का.नि. 529(अ) जो 4 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो कतिपय शर्तों के अधीन, राज्यों में भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए दान किए गए अथवा दान की गई नकद राशि में से खरीदे गए, सभी प्रकार के माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 563(अ) जो 26 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 30/88 के.उ.शु. मे कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि "औषधि" (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 को "औषधि मूल्य नियंत्रण" आदेश, 1995 का स्थान ले सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 569(अ) जो 1 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय सूती अपशिष्ट, जब उसका, मुक्त व्यापार जोन या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम की इकाई से निकासी की जाती है, को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 589(अ) जो 11 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय संसाधित एम्ब्रोयडरी को सम्पूर्ण मूल उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 590(अ) जो 11 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा सूती, कृत्रिम, रेशमी या ऊनी फैब्रिकों के आधार पर नग में, पट्टियों में या मोटिफ में कशीदाकारी के लिए उपयोग की जाने वाली कशीदाकारी मशीनों के लिए 30 रूपए प्रति मीटर लंबाई प्रति पारी मशीन की शुल्क दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 601(अ) जो 28 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 82/92 के.उ.शु. मे कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 602(अ) जो 28 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो सभी माल जब उनका संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उनके शासकीय उपयोग के लिए प्रदान किया जाए या उक्त संयुक्त राष्ट्र अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वितपोषित परियोजनओं को सप्लाई किया जाए और जिसका भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया हो को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 608(अ) जो 31 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 60/88-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 609 (अ) जो 31 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन पालिएस्टर फिलामेंट सूत, रंजित, छापित, विरंजित या मर्सरीकृत को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 617(अ) जो 6 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 15/94 के.उ.शु. मे कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 714 (अ) जो 3 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 35/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) केन्दीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1995 जो 16 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 591 (अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 639 (अ) जो 15 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 23/95-के.उ.श. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) दिनांक 21 जून, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 28/9/95 सी.एक्स. जिसका आशय चाइल्ड रिलीफ एंड यू (क्राई), डी डी ए स्लम विंग (बारात घर), बापू पार्क, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली द्वारा उपाप्त और कैलेण्डरों, टेलीफोन/एड्स बुकों आदि से प्रयुक्त तथा प्राप्त किए गए कागज को उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) दिनांक 31 जुलाई, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 33/14/95-सी.एक्स. जो दिल्ली भारत विकास, नई दिल्ली द्वारा खरीदी जा रही "मोबाइल विकलांग सहायता वेन" को उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक, व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 8423/95]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का.आ. 2518, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "विक्टोरिया टेक्निकल इंस्टिट् यूट, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2519, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र के प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सर्वेन्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2520, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2521, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री नासिक पंचवटी पंजरापोल, नासिक" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2522, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नवजीवन न्यास, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ.2523, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री राम चन्द्र मिशन, उत्तर प्रदेश" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2525, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2526, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पश्चिमी जोन सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2527, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एशियाटिक सोसाइटी आफ बम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2528, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2529, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पंजाब स्त्री सभा सहायता न्यास, पंजाब को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ.2530 जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र स्टेट भारत स्काउंटस एण्ड गाइड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2531, जो सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2532, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2533, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय न्यास, अजमेर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2534, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 23(ग) के अंतर्गत "दि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया लिमिटेड फोर्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 और 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2535, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 23(ग) के अंतर्गत "रमण महर्षि सेंटर फार लर्निंग, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2536, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र के प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 और 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2537, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द तिब्बतन होम्स फाउंडेशन, ब्यूरो आफ हिज होलीनेस दि दलाई लामा, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2538, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राजीव गांधी फाऊंडेशन (जनरल फंड), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2539, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि जर्मन लीप्रोसी रीलिफ एसोसिएशन रिहेबिलिटेशन फंड, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2540, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दयानन्द एंग्लों वैदिक कालेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2541, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "स्वामीनारायण अक्षरपीठ, शाहीबाग, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995''96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2542, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारत स्काउट्स एण्ड गाईड, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2543, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारत स्काउट्स एण्ड गाईड, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2544, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, गोविन्दपुरा, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 और 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे मे है।

(सत्ताईस) का.आ. 2545, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एशिया परिवहन विकास संस्थान, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 और 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 2548, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जवाहर लाल नेहरू स्मारक, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 और 1998-99 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2549, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) अंतर्गत "पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद्, कलकता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 और 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कतीस) का.आ. 2550, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री अरविन्दो सोसाइटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 और 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बतीस) का.आ. 2551, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि एसओएस चिल्ड्रन्स" विलेज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 और 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैतीस) का.आ. 2553, जो सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत, "श्री आनन्दपुर न्यास" नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2554, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 और 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2555, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 और 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1995, जो 5 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 612 (अ) मे प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1995, जो 7 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) आय-कर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 27 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8424/95]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का. नि. 568 (अ) जो 1 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1988 और 13 जुलाई, 1994 की क्रमशः अधिसूचना संख्या 229/88-सी.शु. और 152/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 581 (अ) जो 7 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फैब्रिक्स (एडीशनल ड्यूटी) रूल्स, 1995 के द्वारा निर्धारित बुने कपड़ों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) दि फैब्रिक्स (एडीशनल ड्यूटी) रूल्स, 1995 जो 7 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 582(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 583 (अ) जो 7 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 357-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अतिरिक्त शुल्क संशोधन नियम, 1995 जो 7 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 584 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा. का. नि. 587 (अ) जो 9 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी प्रकार की टायफाईड वैक्सीन्स पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. का. नि. 593 (अ) जो 21 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयुधादि के विनिर्माण के लिए आर्डिनेंस फैक्ट्री में देशी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, कलकत्ता द्वारा भारत में आयात किए जाने वाली मशीनरी, उपकरणों, औजारों पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा. का. नि. 596 (अ) जो 24 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 93/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा. का. नि. 603 (अ) जो 28 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 607 (अ) जो 31 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 39/94 सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा. का. नि. 614 (अ) जो 4 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 155/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा. का. नि. 615 (अ) जो 4 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, फालतू पुर्जे जब उनका नासिक स्थित करेंसी नोट प्रैस और देवास स्थित बैंक नोट प्रैस के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उसकी ओर से आयात किया जाये, पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा. का. नि. 627 (अ) जो 8 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 31 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 177/90-सी. शु. की वैधता अवधि को 31 दिसम्बर, 2000 तक बढ़ाये जाने के बारे में है तथा व्याख्यातमक ज्ञापन।

(चौदह) सा. का. नि. 638 (अ) जो 15 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 73/94-सी.शु. की वैधता अवधि को 21 मार्च, 1996 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा. का. नि. 666 (अ) जो 26 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 257/92-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) 21 सितम्बर, 1995 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 258/95 की एक प्रति जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 31 अक्टूबर, 1995 को या इससे पूर्व खुले रूप में आयात किए जाने वाले 55,000 (पचपन हजार) मीट्रिक टन खाद्य ग्रेड के वनस्पति तेलों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है ताकि खाद्य तेलों की उपयुक्त मूल्य पर उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8425/95]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995, जो 28 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 525 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1995, जो 30 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 595 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों के पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1995 जो 30 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 596 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी एक अधिकारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1995, जो 30 जून 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 597 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 जो 27 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 669 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 846/95]

(5) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995, जो 28 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 585 (अ) में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) साधारण बीमा (वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण तथा अधिकारियों की सेवाओं की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 1995 जो 30 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 592 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण तथा विकास कर्मचारियों की सेवाओं की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 1995, जो 30 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 593 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) साधारण बीमा (वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण तथा पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 1995, जो 30 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 594 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8427/95]

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन :–

(एक) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8428/95]

(दो) [redacted] ग्रामीण बैंक, सेहोर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8429/95]

(तीन) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8430/95]

(चार) झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8431/95]

(पांच) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नानदेड़ (महाराष्ट्र)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8432/95]

(छह) ककठिया ग्रामीण बैंक, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8433/95]

(सात) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल.टी. 8434/95]

(आठ) इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8435/95]

(नौ) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बारांबकी (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8436/95]

(दस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8437/95]

(ग्यारह) चन्द्रपुर-गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8438/95]

(बारह) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8439/95]

(तेरह) गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8440/95]

(7) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त पांच रुपये का सिक्का जो "खाद्य और कृषि संगठन 1945-95 की पचासवीं वर्षगांठ" के अवसर को मनाने के लिए निर्मित किया गया है तथा जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) नियम, 1995 जो 20 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 512 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8441/95]

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनिमय, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोज़गार की स्वीकारोक्ति) (संशोधन) विनियम, 1994, जो 1 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई आर एस/1:656:95 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की स्वीकारोक्ति (संशोधन) विनियम, 1995, जो 15 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच ओ/लीगल/0285 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आन्ध्र बैंक अधिकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोज़गार की स्वीकारोक्ति (संशोधन) विनियम, 1995, जो 23 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/लीगल/407 में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि पत्र, हिन्दी संस्करण जो 18 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8442/95]

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.8443/95]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8444/95]

(दो) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8445/95]

(तीन) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापो संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8446/95]

(चार) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापो संबंध प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एलटी. 8447/95]

पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक पर प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8448/95]

(छ) यूनियन बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8449/95]

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8450/95]

(आठ) यूको बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.8451/95]

(नौ) आन्ध्र बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8452/95]

(दस) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8453/95]

(ग्यारह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8454/95]

(बारह) विजया बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या 8455/92]

(11) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8456/95]

(12) (एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अंतर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1993-94 के लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्क-

(तीन) दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथलय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8457/95]

3.35 म.प.

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

चौवनवां तथा छप्पनवां प्रतिवेदन

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय—तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के बयालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौवनवां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)—भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे मे छप्पनवां प्रतिवेदन।

3.36 म. प्र.

[अनुवाद]

सरकारी आश्वासनों सबंधी समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, मैं सरकारी आवश्वासनों संबंधी समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

3.37 म.प.

पैट्रोलियम और रसायन सबंधी स्थायी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं "रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग की वर्ष 1995-96 की अनुदान मांगो" के संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पैट्रोलियम और रसायन सबंधी स्थयी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

3.38 म.प.

सभा का कार्य

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री विद्याचरण शुक्ल की तरफ से यह सूचित करता हूँ कि 11 दिसबर, 1995 से प्रारम्भ होने सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1995 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार पर पारित करना।

3. वर्ष 1995''96 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) पर चर्चा और मतदान।

4. निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, विधेयक, 1995 पर विचार और पारित करना।

5. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 1995 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार और पारित करना।

6. जे.सी.एम. योजना के अन्तर्गत 1991 के सी.ए. संदर्भ संख्या 1 में दिए गए माध्यस्थम् पंचाट को नामंजूर करने वाले संकल्प पर चर्चा।

7. आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की 20 हजार से कम जनसंख्या से पेयजल प्रबन्ध करने के प्रस्ताव तथा भूमिगत जल स्तर के संरक्षण एवं संवर्द्धन सम्बन्धी योजना प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृति दी जाए तथा धनराशि उपलब्ध कराई जायें।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना की स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार स्वीकृत लागत के अनुसार नौ नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 106.59 करोड़ तथा राष्ट्रीय तालाब संरक्षण योजना के लिए 188.66 करोड़ रूपये शीघ्र उपलब्ध करायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रेम धूमल—अनुपस्थित

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर पूर्व स्वीकृत एवं पूर्व घोषित उच्च शक्ति का टी.वी. ट्रान्समीटर (एच.पी.टी.) स्थापित करने हेतु शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता है।

दिल्ली अजमेर वाया जयपुर के मध्य निर्मित ब्रोडगेज पर आम जनता के सुविधार्थ शीघ्र ही नई रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस–अनुपस्थित

श्री भोगेन्द्र झा–अनुपस्थित

श्री राम पूजन पटेल–अनुपस्थित

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़े जाएं–

1. शिकोहाबाद रेलवे लाइन फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाए।

2. फिरोजाबाद के अंतर्गत तहसील बाह को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को चर्चा हेतु सम्मिलित कर लें–

1. संचार मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित दूसरा परिमंडल, जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है, तो संबंधित जनपदों की सुविधा एवं औचित्य को धयान में रखते हुए बरेली भी परिवर्तित किया जाए।

2. बरेली (उत्तर प्रदेश) के उत्पादकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था करे।

3.41 म. प.

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के बारे में संबंधी संकल्प–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम निजी सदस्यों के कार्य संबंधी श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे बहस करेंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन–अनुपस्थित

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने हेतु मैं आपको अत्याधिक धन्यवाद देती हूं। मैं इस संकल्प के पक्ष में कुछ शब्द ही कहूँगी।

यह बहस काफी लम्बे समय से चल रही है तथा मैं समझती हूं कि दलगत सीमाओं के ऊपर उठकर सभी सदस्यों की यह समान राय है कि रूग्ण उद्योगों तथा इनकी बढ़ती हुई संख्या से निपटने हेतु सरकार को अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नजरंदाज किया जाए, जैसा कि इसे लम्बे समय से किया गया है। सरकार ने उद्योगों की रुगणता को एक लम्बे अर्से से नजरंदाज किया है। रुग्ण उद्योगों की स्थिति में सुधार हेतु उन्होंने समुचित धनराशि जारी नहीं की है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है उनकी गुप्त कार्यसूची में अधिक से अधिक रूग्ण उद्योगों की जहाँ तक संभव हो सके बंद किए जाने की बात है। बी.आई.एफ.आर. को समुचित अधिकार नहीं दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, बी.आई.एफ.आर. को जहाँ तक सरकार को निर्देश देने का प्रश्न है। इसे कोई अधिकतर प्राप्त नहीं है। यदि बी.आई.एफ.आर. यह समझती है कि किसी विशेष रूग्ण उद्योग हेतु कोई पुनरूद्धार पैकेज उपयुक्त है तथा यदि सरकार प्रस्तावित पुनरूद्धार पैकेज हेतु आवश्यक धनराशि का निवेश नहीं करती है तो उक्त पुनरूद्धार पैकेज खटाई में पड़ जायेगी। बी.आई.एफ.आर. इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती है, अतः बी.आई.एफ.आर. की कोई शक्ति, कोई निर्देशात्मक अधिकार नहीं दिया गया है तथा विशेष रूप से कुछ अत्याधुनिक उद्योगो में हम यह स्थिति पाते हैं जहाँ अत्यंत कुशल कामगार हैं, जिसकी कुशलता एक लम्बें समय के अंतराल में विकसित हुई है, जहाँ हम वास्तव में हमारे देश की उद्योगों पर गर्व कर सकते हैं। रूग्णता की स्थिति हम इन्हीं क्षेत्रों में पाते हैं। लेकिन जेसा कि मैं कह रही थी, कि इस रूग्णता का निदान करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

मै वैगन उद्योगों का संदर्भ देना चाहूँगी। वैगन उद्योग कमीबेश रूप से सरकार के रक्षित उद्योगों में शामिल है। वैगन उद्योग रेलवे के लिए कार्य करती है। अब जबकि रेल मंत्रालय अपनी रहस्यपूर्ण बुद्धिमता से पर्याप्त संख्या में उपदेश देने का निर्णय लेती है जिससे उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है तो उद्योग स्वाभाविक ढ़ंग से रूग्ण हो जाता है। सरकारी आदेशों के बिना उद्योग नहीं चला सकता है।

जैसा कि मैं कह रही थी, इस संबंध में वैगन उद्योग एक उदाहरण हैं जिसे सरकार द्वारा उचित ढ़ंग से चलाया जाना संभव था लेकिन यहाँ भी यह नहीं किया गया है। यह सरकार द्वारा शुरू की गयी नई आर्थिक नीतियों का एक परिणाम है।

जहाँ तक वैगन उद्योग का संबंध है, एक लम्बे समय से संघर्ष जारी है। हम यहाँ बारम्बार आये हैं, बारम्बार मंत्री महोदय से मिले हैं तथा रेल मंत्रालय गये हैं चूँकि अधिकांश वैगन उद्योग पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं अतः पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चा सरकार तथा मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कुछ पहल की है। इस संघर्ष के बाद हम पाते हैं कि सरकार द्वारा कुछ वैगन उद्योगों जैसे ब्रेट्टवेट तथा ऐन्गस के संबंध में कुछ पुनरूद्धार पैकेजों को स्वीकार किया गया है। गत कुछ वर्षों के आधार पर हमारा यह अनुभव है कि पैकेज पर सभी दलों की सहमति तथा उद्योग को चलाने हेतु कार्मिकों द्वारा किए गए भरपूर प्रयासों के बावजूद धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। जब तक सरकार किसी विशेष पुनुर्द्धार पैकेज हेतु आवश्यक धनराशि नहीं देती है तब तक यह पुनरूद्धार पैकेज कैसे सफल होगा। कोई उद्योग रूग्णता से किस प्रकार उबर सकता है? इसलिए मुझे अत्याधिक खुशी है कि ब्रेटटवेट के संबंध में पैकेज पर सहमति हुई है और हम बी.आई.एफ.आर. से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्तु जब तक सरकार तथा उद्योग मंत्रालय यह सुनिश्चित नहीं करते है कि आवश्यक धनराशि वैगन उद्योगों को ही जाए तथा जबतक रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित नहीं करता है कि इन उद्योगों को आवश्यक क्रयादेश दिए जाएं तब तक इन उद्योगों का रूग्णता की स्थिति से उबर कर अर्थक्षमता नहीं बन पायेंगे। अतः मैं सरकार से इस क्षेत्र के संबंध में यह आश्वासन प्राप्त करना चाहूँगी कि पुरूद्धार पैकेज के अंतर्गत जितनी धनराशि जारी करने की सहमति हुई है उतनी धनराशि उचित समय तक सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती थी वह रूग्णता के निदान के प्रश्न से संबंधित है। ऐसा क्यों है कि आज हम कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च पदों पर ऐसे अधिकारियों को पाते हैं जिन पर कई अनियमितताओं मे लिप्त होने का आरोप है। जब कभी भी किसी निजी क्षेत्र के शीर्ष पर कार्यरत कोई अधिकारी अवकाश प्राप्त करते है अथवा बदले जाते हैं तो इसके तुरंत बाद कई तरह के

लोकापवाद सामने आते हैं। प्रबन्धकों द्वारा की जाने वाली कई अनियमितताओं के संबंध में कार्मिकों द्वारा ध्यान दिलाया जाता है किन्तु सरकार का कार्मिकों की शिकायतों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। हम सरकार के ध्यान में इस बात को लम्बे समय से ला रहे हैं कि एन.बी.सी.सी. जिसे अब आर.बी.एन.एन. के नाम से जाना जाता है में कई अनियमितताएं की जा रही हैं। सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है। यदि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सरकारी धन का दुरूपयोग होगा तब ऐसे उद्योग स्वभाविक रूप से रूग्ण होंगे। हम मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहेंगे कि जब कभी भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शीर्ष पर आसीन किसी अधिकारी के विरूद्ध इस प्रकार के कोई आरोप लगाए जाते हैं तो इसकी तुरंत जाँच करायी जाए। सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा अवश्य ही सुनिश्चित करायी जाए।

अंत में जो बात मैं कहना चाहती थी वह ऐसे रूग्णता के संबंध में हमारे तथा हमारी पार्टी द्वारा किए गए एक विशेष विशलेषण पर आधारित है। हम पाते हैं कि किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो सही ढंग से चल रहा है, मुनाफा कमा रहा है, के शेयर काफी निम्न दर पर बेचे जाते हैं। अत: सरकार इन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के शेयरों को बेचकर भारी नुकसान उठाती है। हमें ज्ञात हुआ है कि सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयरों की बिक्री बंद कर दी है क्योंकि ये कम्पनियाँ भारी घाटे में चल रही थी। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि सरकारी क्षेत्रों के शेयरों की बिक्री से होने वाले नुकसान की कुल धनराशि तथा आंकड़ा क्या है? हम सरकार से इस बात पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। वस्तुत: यदि आप तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को देखें तो यह एक मुनाफा कमाने वाला उद्यम है। अब हाल ही में निजी निवेश विशेषत: विदेशी निवेश को लाने में सरकार जिस सुखप्रांति का प्रदर्शन कर रही है, हम पाते हैं कि बम्बई के निकट समुद्र में मुक्ता तथा पन्नी के नये तेल क्षेत्रों में, जहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कार्य सौंपा गया था, एक नई कम्पनी स्थापित की गयी है जिसमें मैसर्स रिलायन्स तथा मेसर्स एनरॉन हैं। तेल क्षेत्र मे मैसर्स एनरॉन का प्रवेश ध्यान देने योग्य है। इस अनकही कहानी में अत्यंत ही अस्पष्ट बातें है जिसे यदि प्रकाश में लाया गया तो यह सम्पूर्ण राष्ट्र में एक हंगामा खड़ा कर देगा। मैं नहीं जानती कि सरकार किस प्रकार एनरॉन तथा रिलायन्स के साथ इस प्रकार के समझौते पर पहुंची। एनरॉन, रिलायन्स तथा ओ.एन.जी.सी. की भागीदारी में ओ.एन.जी.सी. सबसे छोटा भागीदार है। इस अनुबंध, इस समझौते में हम पाते हैं कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा अपने संस्थापित संसाधनों तथा विकसित कुशलता के आधार पर उत्पादित किए जाने वाले तेल को दो भागों में रखा गया है—लागत तेल तथा मुनाफा तेल। इस कार्य मे ठेकेदार जो एनरॉन है, की लागत को लागत तेल में पूरा किया जायेगा। इससे पूर्व कि ओ.एन.जी.सी. इस तेल का कोई उपयोग करे एनरॉन द्वारा किए गए सभी खर्चों की वसूली इस तेल से की जायेगी तथा इतना ही नहीं बल्कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा संस्थापना तथा विकास में किए गए सभी निवेश को लागत के आँकलन में शामिल नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, हम क्या कर रहे है? एक भारतीय सरकारी क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपने संसाधनों पर उत्पादित अपने तेल को एक विदेशी कम्पनी को बिना किसी लागत के दिया जा रहा है जिसे हमें ही और अधिक दर पर बेचा जायेगा।

यदि यही चलता रहा तो सरकारी क्षेत्र के उद्यम क्यों नहीं रुग्ण होगें? रूग्णता के पीछे यही कारण है। मैं महसूस करती हूँ कि राष्ट्र यह जानना चाहता है कि इस प्रकार के समझौते पर क्यों हस्ताक्षर किए गए। आज हम दूर संचार घोटाले पर बहस कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि तेल क्षेत्र घोटाला एक अन्य घोटाला है जिसमें हमे जाँच करने की आवश्यकता है।

मैं अब आगे नहीं बोलकर आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करूंगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जिस पर हम सरकार से जवाब मांगना चाहेंगे क्योंकि इसमे तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के रूग्णता हेतु सरकार ही जिम्मेवार है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव का समर्थ करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज किसी राज्य में देख ले, आपको वहां कोई न कोई उद्योग सिक दिखायी देगा। इस कारण वहां मजदूर बेकारी के शिकार है।

3.56 म.प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

भारत सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह सिक यूनिट्स को चलाने के लिए धन का प्रोवजीन कर सके। उद्योगों के सिक हो जाने से प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे कई बार माल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अच्छा माल न होने के कारण घाटा होता है। उद्योगों के रूग्ण होने का दूसरा कारण यह है कि बड़े-बड़े अधिकारियों जिन की सरकार नियुक्ति करती है, उनके टी.ए.डी.ए. पर बहुत अधिक खर्चा हो जाता है। अच्छे पढ़े-लिखे अफसरों की इसलिये नियुक्ति की जाती है जिससे कि वे कारखाने को ठीक ढंग से चला सके लेकिन इन पर खर्चा बहुत अधिक करना पड़ता है। वे अपनी जिन्दगी अच्छी व्यतीत करते के लिये पूरे उद्योग का इस्तेमाल करते है जिससे उद्योगों में घाटा होता है।

इस प्रस्ताव में बंगाल का खास तौर पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि बंगाल मे बहुत से उद्योग सिक पड़े हुए हैं। बम्बई में भी उद्योगों का यही हाल है। हमें हर राज्य में जाने का मौका मलता है। हर राज्य मे कई करोड़ रूपये के कारखाने लगे हुए हैं। मान लो 21 हजार करोड़ रूपये के सारे देश में कारखाने है तो आज उनकी कीमत कई अरबों रूपये तक पहुंच गई है। कई उद्योगों में अभी भी पुरानी टैक्नॉलोजी काम कर रही है। टैक्सटाइल मिलों का भी यहां जिक्र हर वक्त होता है। वहां नई मशीनरी और नई टैक्नॉलोजी लगायी जानी चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ेगा। यह चीज हो नहीं पाती है क्योंकि घाटा लगातार जारी रहता है। हमारे वर्कर्स नारेबाजी मे लगे रहते हैं। इससे भी उत्पादन कम होता है। एशिया और चाईना जैसा हालात यहां नहीं है। वहां तो काले बैच लगाकर वर्कर्स का काम करते रहते हैं।

कारखाने बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तान की काया पलट करने के लिये यह सोच कर लगाये गये थे कि इनके जरिये देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा यह सपना पूरा नहीं हुआ। बाहर के लोग यहां आकर जो कारखाना लगा रहे है, वे रोजगार देने की बात करते हैं। इससे कई लोगों को ऐतराज है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वे यहां आकर डुप्लिकेट कारखाने लगाते हैं। वे कारखानों में जो चीजें तैयार करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ऐसा होने से देश की हालत में सुधार नहीं आ सकता है और देश आगे नहीं बढ़ पाता है। जो नये कारखाने खुले, उनमें मजदूरो को अधिक से अधिक रोजगार मिलना चाहिए। अगर नये तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वहां नई मशीन और नई टैक्नोलॉजी प्रोवाइड की जानी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है। वहां सेब और आलू बहुत होता है और दूसरे कई फल पैदा होते है। इनसे संबंधित जितने उद्योग लगते हैं, वे सब सिक हो जाते है। इसका कारण यह है कि उनको कोई मदद नहीं मिलती है। मदद उन लोगों को मिलती है जो यू. पी. से भागकर राजस्थान में और फिर हरियाणा में जाकर उद्योग लगाते है और

उद्योग लगाने के लिए सब तरफ से मदद ले लेते हैं। यह आयाराम, गयाराम इस देश को खोखला कर रहा है। वह कोई अपना पैसा नहीं लगाते है। विभिन्न राज्य सरकार से लोन लेकर और अपना लिंक बनाकर उसे पैसे को यूटिलाइज करते हैं।

4.00 म.प.

उसकी मॉनीटरिंग नहीं होती है। अगर ठीक से उसकी मॉनीटरिंग हो, बैंक उसको देखे, इंडस्ट्री विभाग उसको देखे कि यह पैसा यूटिलाइज हुआ, उसने जो नक्शा बनाकर पेश किया है, जिस पर उसने लोन लिया है कि हम इतने मजदूरों को रखेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह भी हमारी कमजोरी है और हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में कोई कमी न आए और जो इस तरह से फायदा उठाने वाले लोग है, इनको आगे हिम्मत न हो कि वह सरकार का पैसा लेकर उसका दुरुपयोग करें।

सभापति जी, इनकम टैक्स की बात की जाती है। कितने कारखाने वाले हैं जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं? वहां भी सैकड़ों करोड़ों रूपए इनकी तरफ बकाया है। अगर मजदूरों के लिए कुछ बात आती है तो सबसे आगे आकर ये लोग कहते है कि मजदूरों का कुछ हक नहीं होगा। मजदूर बेचारा रो-रो कर अपनी जिन्दगी के दिन पूरे करता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार इस पर ध्यान दें और यह सरकार जो खास तौर से मजदूरों के उत्थान के लिए काम करती रही है, उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे। जो लोग यह समझते हैं कि इस सरकार ने मजदूरों के लिए काम नहीं किया, वह अच्छी बात नहीं है। कुछ आदमी बेईमान हो सकते है, मगर सारे लोगों को बेईमान कहना ठीक नहीं होगा। मै समझता हूँ कि चाहे इधर का बेईमान हो या उधर का बेईमान हो, उसके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आदमी पैसों को अपने साथ नहीं ले जाएगा, न ही उसके पास लिखा हुआ है कि इतने करोड़ रूपए का आदमी है तो स्वर्ग में उसको वह सुविधा मिलें जो यहां मिली हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बेईमानी करता है, राष्ट्र के हित में चोट पहुंचाता है, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, मैं समझता हूँ कि वह ठीक बात नही है। उसके लिए हम सब लोग एक होकर यह बात उठाते हैं और हम समझते है कि हमारी भावनाएं भी इस तरह की होनी चाहिए। यह तरीका अच्छा नहीं होता है कि हम बिना कोई बात सुने और बिना नापे-तोले इस तरह से सोच ले कि यह बात सही लगती है। उस पर हमको फिर सोचना चाहिए। हमारे जितने भी नेता हुए है चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी हों, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। कभी भी अगर इस मुल्क में किसी ने बेईमानी की है तो उसको छोड़ा नहीं गया है। आज भी मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इसके लिए उचित कदम उठाएगी। यह ठीक है कि BIFR में सौ केस चले जाते है। केस मे एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख दी और कोई फैसला नहीं होता। फैसला यह होता है कि कारखाने की हालत को देखें कि BIFR में जाने क्या कारण हुआ। इस कारण की जांच करके उसकी पूरी तरह से मौनीटरिंग करके फिर उसके लिए वह इंतजाम करें कि किस तरह मे यह चल सकता है। अगर वह नहीं चलता है तो हमारे देश के मजदूर बेकार हो जाते हैं। जहां बहुत ज्यादा मजदूर हों, वहां सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर सरकार उस कारखाने को नहीं चला सकती तो उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उनको कारखाना देना चाहिए। कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये भी मामला हल हो सकता है।

श्री सोमनाथ (बोलपुर) – सुखराम ने क्या किया?

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : वह आप जाने और पंडित जी जानें। यह बहस भी नही चल रही है। मैंने इस बारे मे कुछ कहा ही नहीं है। वह आएंगे तो आपको स्थिति से अवगत कराएंगे। अगर आपको उनकी बतायी बात ठीक नहीं लगती हैं तो आप वाक आउट करेंगे और ठीक लगती है तो उनको एप्रिशियेट करेंगे। लेकिन मै समझता हूँ कि जो कारखाने हैं वह कोआपरेटिव सेक्टर में दे दिये जाएं।

जहां इस किस्म की हालत है कि सरकार नहीं चला सकती, तो मैं समझता हूं कि बहुत उचित कदम होगा। जैसे नैफेड है, वह सारा बिजनेस कर रहा है। फ्रूट्स का कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें घाटा नही पड़ता। अगर कोई घाटा भी है तो वह बराबर हो जाता है। हमारे देश के अंदर मजदूरों का मसला बहुत गम्भीर है। टी.वी. पर दिखाते हैं कि ये खेत मजदूर हैं, इनके पास अपना मकान नहीं है। मैं देख रहा था टी.वी. पर कि इनके पास ठहरने का स्थान भी नहीं है। राष्ट्र के भले के लिए, देश के लोगों के लिए वे काम करते हैं लेकिन उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। जब मकान ही नहीं है तो वह क्या करेगा—वह आयेगा और फुटपाथ पर सो जायेगा जिससे बीमारी पैदा हो जायेगी। अब अगर इस देश के अंदर मजदूर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान रखिये कि मजदूर की आवाज बड़ी सख्त होती है, मजदूर बहुत उग्र रूप मे अपना रोष प्रकट करता है और उस रोष में कुछ क्रांति होती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की नौबत हमारे देश में नही आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बड़े-बड़े आदमी प्रोडक्शन में पैसा खाते है, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में ट्रक वालों को टाटा की एजेंसियां दी गई है लेकिन वे ट्रक ही नहीं देते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो लोग ट्रक की बुकिंग कराते है लेकिन उनको ट्रक प्राप्त नही होते हैं। कोई उनके पास अपना नाम दर्ज करा देता है तो उसको मिल जाता है लेकिन रोजमर्रा ऐसी शिकायत आती है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वे मुख्य मंत्री भी रहे है, आज सैण्टर मे मंत्री है और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप इस तरफ पूरा ध्यान दें। जितने बैकवर्ड स्टेट है चाहे वह अरूणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, सिक्किम है, गढ़वाल का इलाका है या कश्मीर का पहाड़ी इलाका है, इनके विकास में कोई खास योगदान आज तक रेलवे का नहीं रहा है। जो ब्रिटिश काल में रेलवे नीति बनी थी आज तक वही रेलवे नीति चल रही है। विकास के बारे मे मैं कह सकता हूं और जो बात इन्होंने कही है कि कलकत्ता में रेल के डिब्बे बनते हैं, बहुत भारी प्रोडक्शन बोगियों का होता है, उसके लिए मैं भी चाहता हूं कि जब मैदानी क्षेत्रों मे रेलवे किलोमीटर की दृष्टि से ज्यादा है तो उसे देखते हुए हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसे कारखाने लगाने चाहिए, ताकि हिली एरिया मे जो बेकार मजदूर हैं उनको काम मिल सके। पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से हिमाचल प्रदेश में सेब का जूस अगर वहीं मौके पर निकालकर देश भर में लोगों को सप्लाई किया जाये तो लोग जहां जूस भी पी सकेंगे, वहीं हमारे यहां कारखाने भी लगेंगे और मजदूरों को लाभ भी मिलेगा।

इसी तरह से मै कहना चाहूंगा कि मजदूरों की हालत को बेहतर करने के लिए एक कदम तो वह है जो चौधरी साहब ने प्रस्ताव रखा है वह उचित है। दूसरी बात मैं चौधरी साहब से कहना चाहूंगा कि यह सरकार हमेशा गरीब आदमियों की मदद करती रही है। इस सरकार ने जो कारखाने लगाये हैं चाहे वे बम्बई में लगाये या कलकत्ता में, हर जगह गरीबों की मदद की है। हर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गरीबों की मदद कर रहे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया है और मै समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के सिवाय कोई दूसरी सरकार मजदूरों का भला नहीं कर सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज तक मजदूरों को उठाती रही है। आज जिस तरह उनकी गिनती बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सुई जल्दी घूम रही है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है और हमकों इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मजदूरों

को टी.वी. सैट दिये जाएं और दूसरी चीजें भी दी जाएं, ताकि उनको पता लग सके कि हमारी आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। हम देखते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है तो उसके चलते कितने आदमियों को रोजगार दे सकते हैं? हमारी सकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इन्दिरा रोजगार योजना चलाई है, गरीबों को हाउस बनाने के लिए, लोन देने के लिए। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री राव साहब बहुत चुस्ती के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस काम को करते जा रहे है। आप लोगों को पता नहीं कुछ मजर भी आता है या नहीं कि इस देश में काफी काम हो रहे है। आपको तो सारा उल्टा ही नजर आता है। उल्टा तो सब हो रहा था जब आपकी सरकार इस देश में थी, जिसे आप लोग सपोर्ट करते थे जिसके लिए आप रात-दिन तालियां बजाते थे। उन्होंने इस देश का भट्टा बैठा दिया। आपने कई लोगों के लोन माफ कर दिये। मैं कहना चहता हूं कि हमारा लोन बांटने का एक मौका था लेकिन आपने लोन माफ करके, बैकों का पैसा माफ करके लुटिया डुबों दी, सारा देश तबाह कर दिया। दस-दस हजार रूपये लोन के माफ कर दिये मगर वह पैसा मजदूरों को नहीं मिला। यदि किसी मजदूर को मिला हो तो आप मुझे यहां खड़े होकर बताइये कि किस राज्य में फलां मजदूर को मिला। मजदूर के हित में कोई ऐसी चीज नहीं हुई है. . . . . **(व्यवधान)**

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : तमाम भ्रष्टाचार तो आप लोग कर रहे है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे है . . . **(व्यवधान)**

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : मै मानता हूं कि जब तक टैली-कम्युनिकेशन नही लगेगा, हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियली एडवांस हो नही सकता, लेकिन हमारे बिहार की तरफ भी तो ध्यान दीजिये। बंगाल में ये लोग तरक्की कर रहे है क्योंकि वहां लगा दिया गया है लेकिन बिहार में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आप हमारे यहां भी टैली-कम्युनिकेशन का कुछ इंतजाम कराईये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अब्दुल गफूर, कृप्या आप सभापति को सम्बोधित करें।

...........**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री के.डी. सुल्तानपुरी, कृप्या आप अब अपनी बात समाप्त करें। सूची लम्बी है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : चूंकि चाचा ने बीच में दखल दे दिया मुझे रूकना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति रही है, हमारी पार्टी की जो नीति रही है, उसी के कारण इस देश का कल्याण हुआ है और लाखों मजदूरों को देश में रोजगार मिला है। जहां तक बेडा गर्क करने का संबंध है जितनी बड़ी-बड़ी यूनियने है, उन्होंने कारखानों में तालाबंदी करवाकर, घेराव करके इस देश में एनार्की पैदा कर दी और देश को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिये। इसके स्थान पर यदि मजदूरों का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से किया गया होता तो वह देश के हित में होता। मजदूरों को मार्गदर्शन तब मिलेगा जब राज्यों की गाइडलाइन्स ठीक हो। यदि इस काम में राज्यों का योगदान न हो और हम यहां भारत सरकार को सुबह से शाम तक क्रीटिसाइज करते रहे कि फलां काम गलत हो गया, तो उससे काम चलने वाला नहीं। हमारे जितने मंत्री या प्रधानमंत्री जी हैं, वे सब मजदूरों के हित में काम करने वाले है लेकिन यहां ड्रामा करने से बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं कि देश में मजदूरों की हालत अच्छी होनी चाहिये। किसी शायर ने कहा है—

रेशम के गलीचों पर, धनवान के बेटे सोते है,

जिनकी बदौलत सब कुछ है, वे रात में बैठे रोते है।

धनवान खजाना भरता है, कानून हिफाजता करता है,

मजदूर बेचारे अपनी तकदीर की स्याही पर रोते है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, आप मुझे माफ करेगी। मैं प्रस्ताव के मूवर से कहना चाहता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले ले क्योंकि सरकार इस मामले पर पहले से विचार कर रही है। यदि अपना प्रस्ताव वापस लेकर वे कोई दूसरा प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो उसके गुण-दोषों के आधार पर हम उसके बारे में फैसला करेंगे और अच्छी बातों को मानेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मै केवल एक क्षण का समय लूगा। चूंकि आवंटित समय करीब 20 मिनट है और अब भी छह या सात वक्ता शेष है अत मैं यह निवेदन करता हूं कि सदस्यगण जैसा कि आमतौर पर करते है अपनी बाता संक्षेप में कहे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : काफी लोग चले गये हैं, इस प्रस्ताव के लिये निर्धारित समय को बढ़ा देना चाहिये क्योंकि यह मजदूरों के हित का सवाल है, जिसे हम हाउस मे डिस्कस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये समय बढ़ा देना चाहिए।

श्री रतिलाल वर्मा : सभापति महोदय, आज सारा देश मजदूरों के प्रश्न के कारण चिन्तित है। देश मे जितनी राष्ट्रीय इकाईयां चलती थीं, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गयी है कि धीरे-धीरे करके वे सारी रूग्ण होती जा रही है जिसके कारण उन रूग्ण इकाईयों में काम करने वाले मजदूरों के सामने समस्या पैदा हो गयी है और वे इसी चिन्ता में डूबे हुए हैं कि कैसे अपनी जिन्दगी चलाये। देश के आजाद होने के बाद सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग स्थापित किये गये क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लोग इतने बड़े उद्योग स्थापित नहीं कर सकते थे। जब सरकार की तरफ से कुछ बड़े उद्योग स्थापित हुए तो उनकी प्रशंसा होने लगी। कुछ इकाईयों ने नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये जो देश के लिए सम्मान की बात हो गयी लेकिन धीरे-धीरे वे उद्योग आज ऐसी स्थिति में आ गये जो सारे देश के लिये एक शर्मनाक बात बन गई है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये कारखाने आज रूग्ण बन रहे हैं। वित मंत्री के द्वारा बार-बार कहा जाता है कि हम किसी भी इकाई को बंद नहीं होने देंगे, उसे सहायता देंगे, आगे बढ़ायेंगे। लेकिन सहायता तो दूर रही, धीरे-धीरे उनकी स्थिति और खराब होती जा रही है।

वे इकाइयां रूग्ण क्यों हुई, इसके भी कारण है। कहीं अफसरशाही जिम्मेदार है, कहीं कच्चा माल समय पर मिलना चाहिए वह नहीं मिला, कहीं बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, कहीं परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई और धीरे-धीरे ये इकाइयां रूग्ण होती गई। जो इकाइयां रूग्ण हुई उनके मजदूरों की क्या स्थिति है यह सब जानते हैं। यह सवाल आज देश के लिए चिन्ता का विषय बन गया

है। हमारे एक साथी ने कहा कि देश में मजदूर की बात नहीं सुनी जायेगी, उसे रोजी-रोटी नहीं दी जाएगी, उसकी समस्याओं का हल नहीं किया जाएगा तो मजदूर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा है—

मांगने से किसे मिला है तख्त-ए-ताउस।

आंखों के आसुंओं से न पत्थर पिघलने वाले हैं।

इसलिए लौह बनकर टकराओ और नव जागृति लाओ। जब देश का मजदूर लौह बनकर खड़ा होगा तो सबके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मजदूर का सम्मान होना चाहिए, मजदूर की मांग को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। आज मजदूर के बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पाते, रूग्ण इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। जो बच्चा खेलना चाहिए उसे कड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। मजदूर के बच्चे का बचपन छीना जा रहा है। उसकी हालत दयनीय है। किसी मजदूर के घर जाकर देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मजदूरों के लिए व्यर्थ आंसू बहाये गए लेकिन जो मदद करनी चाहिए थी वह नहीं की गई।

पहले जो इकाइयां रूग्ण होती थीं तो उनको भारत सरकार की ओर से सहायता दी जाती थीं, लेकिन आज तुरन्त सहायता नहीं दी जाती। जब तक कोई मरणासन्न नहीं हो जाती तब तक उसकी तरफ नहीं देखा जाता। उसके बाद भी जब हल्ला किया जाता है, कहीं मजदूर हल्ला करते हैं, कहीं यूनियन वाले हल्ला करते हैं उसके बाद सहायता दी जाती है। जब इकाई रूग्ण होती है उसी वक्त अगर आर्थिक सहायता दी जाती तो वह इकाई रूग्ण नहीं बनती।

आज सरकारीकरण की जगह निजीकरण की होड़ मची है। पहले सरकारीकरण का माहौल था। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के वक्त में सरकारीकरण की बात की जाती थी। धीरे-धीरे पण्डित नेहरू का समाजवादी मॉडल ही बदल दिया। आज कांग्रेस के साथ समाजवाद के स्थान पर निजीकरण की ओर भाग रहे है। सोचकर दिल बैठ जाता है कि भविष्य में क्या होगा? यहां के एकक कहां जायेंगे, यहां का उत्पादन कहां जाएगा? आज जवान बहनें कहती है कि आप अमरीका की जॉर्जट साड़ी लाना, जापान की साड़ी लाना, जापान की घड़ी लाना। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ गई है। ऐसी स्थिति में देश के गांवों में, छोटे शहरों में जो उत्पादन होता है वह कहां जायेगा? यहां के लोग भूखे मरेंगे, यहां के लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिलेगी, यहां की इकाइयां डूब जायेगी। अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारी मदद करना चाहती हैं, हमारा उद्धार करना चाहती हैं तो ऐसे राज्यों में जायें जो पिछड़े राज्य है। वहां जाकर सड़क बनाये, बिजली का उत्पादन करें, पानी की सुविधा मुहैया कराये, उसके बाद वे अपनी इकाइयां खड़ी कर सकती हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करती हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण इकाइयां है उनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को एक व्यापक योजना बनानी चाहिए। वह योजना अभी तक नहीं बनायी गई है।

सभापति महोदय, सरकार को व्यापक योजना बनानी चाहिए। आज भेल और एच.एम.टी. जैसे कुछ अच्छे उद्योग हैं, लेकिन उनको पहले जो सुविधाएं मिलती थीं, वे अब नहीं मिल रही हैं, उनको वे सुविधाएं पहले की तरह से मिलनी चाहिए। बहुत से उद्योग जो बन्द पड़े हैं, उनके अधिकारियों को दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रूपए तनख्वाह दी जाती है। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। देश को बहुत बड़ी आर्थिक सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है। मेरा कहना है कि उन्हें नई जगह पर रोजी-रोटी देनी चाहिए अथवा उन पुरानी और बन्द पड़ी हुई मिलों को तुरन्त नई टैक्नौलॉजी लाकर चलाना चाहिए।

सभापति महोदय, आज सारे देश में मजदूरों को वालन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम लागू करके घर बैठा दिया गया है, लेकिन उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। इस स्कीम पर जबर्दस्ती अमल हो रहा है और जो घर गए हैं, उनका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। जबर्दस्ती कामगारों की छंटनी हो रही है। एक समय ऐसा था जब हमारे देश मे मजदूरों को प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि मजदूरों को निरुत्साहित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आज एन.टी.सी. की मिलें बन्द हैं। मैं आपके माध्यम से देश का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक भी ऐसा सत्र नहीं है जब एन.टी.सी. की बन्द मिलों को खोलने की चर्चा न होती हो, लेकिन मिलें बन्द है, आज तक नहीं खुली है। एन.टी.सी. की मिले हमारे गुजरात के वीरमगांव में हैं और भावनगर में हैं। महाराष्ट्र में हैं और राजस्थान में भी हैं, लेकिन सभी जगह बन्द हैं। आज उन मिलों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब हो गई है। हर त्यौहार को एक-दो मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। हमारे यहां गुजरात में हर दीवाली पर तालाब मे मजदूर आत्महत्या करते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजने की बजाय मजदूरी करने के लिए भेजने पर विवश हैं। वे अपनी बहन और पत्नी द्वारा मजदूरी करने के लिए विवश हो गए है। उनकी इतनी दीन और हीन हालत हो गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकत है।

सभापति महोदय, आज उन मिलों में चोरी हो रही है। वहां जो अधिकारी हैं, वे तो अपनी तनख्वाहें ले रही हैं और वे तो चाहते हैं कि अपनी सेवा के वर्ष इसी प्रकार पूरे कर ले। वहां जो अच्छी-अच्छी मशीनें हैं वे बेची जा रही हैं। सब मिले बन्द पड़ी हैं। एक समय वीरमगांव हमारे प्रदेश मे आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज एन.टी.सी. की मिलें बन्द होने के कारण बहुत खराब हालत में पहुंच गया है। आज इन मिलों के बन्द होने के कारण मजदूरो की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई है। इसके कारण मजदूर की लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सामाजिक स्थिति बिगड़ गई है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उसका जीना मुश्किल हो गया है। जो थोड़ी बहुत सम्पत्ति गहने बर्तन आदि उसके घर में थी वह बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज मजदूर अपनी लड़की के हाथ पीले करने में अपने आपको असमर्थ पा रहा है।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि बी.आई.एफ.आर. में केस चला गया है। इस बी.आई.एफ.आर. में क्या हो रहा है, कितने आंकड़े दर्ज हुए हैं। मैं उस सम्बन्ध मे कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। बी.आई.एफ.आर. में गुजरात में गैर-लघु उद्योग मार्च, 1992 में 155 लघु उद्योग 6531 थे। वे अब 1994 में बढ़कर 184 और 7812 हो गए हैं। भारत सरकार की ओर से जो उपचार किया जाता है, उसके कारण क्या हुआ, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भारत सरकार के ही आंकड़े हैं। उपचार करने के बाद गैर-लघु उद्योगों की संख्या 1992 में चार, 1993 मे 11 और 1994 में 16 थीं। यानी सिर्फ इतने उद्योग ही अपनी स्थिति संभाल पाए जबकि बीमार होने वाले उद्योग 1992 में 13982 और 1994 में 11376 और उपचार कितने उद्योगों का हुआ 1992 में 4 का और 1994 में 16 का। यह क्या संख्या है। क्या इसको देखकर हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे है। इस तरह से अगर हम चलेंगे, तो सारे देश के सारे उद्योग रूग्ण हो जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी गति बढ़नी चाहिए। जो सुविधाएं इसके अन्तर्गत दी जाती हैं, वे सुविधाएं वास्तव में उद्योगों को नही मिलती है।

गुजरात की कैलिको मिल है, लेकिन उसमे भी इन्कम टैक्स का झगड़ा पड़ा हुआ है। उस मिल को इन्कम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। बी.आई.एफ.आर. में इन्कमटैक्स के कारण बात रुक जाती है। बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ती है। कुछ लोग साहस का परिचय देते हैं, लेकिन और आगे आते हैं, उन्हें भी दबाया जाता है, काम करने से रोका जाता है। गुजरात के जो बैंक हैं, उनके अन्दर भारत सरकार की ओर से पैसा मिलता नहीं है। गुजरात कोआपरेटिव सैक्टर में नम्बर वन है, वहां सहकारी बैंक हैं, सरकारी बैंकों के द्वारा उद्योगों को लोन दिया जाता है, लेकिन उनकी जो ब्रांचेज खुलनी चाहिए, उसके लिए रिजर्व बैंक की ओर से परमीशन नहीं मिल रही है तो रिजर्व बैंक की तरफ से ग्रामीण शाखाओं को प्रोत्साहन मिले, ऐसा काम करना चाहिए।

उसके साथ-साथ जो बैकवर्ड एरियाज हो, उनमें गुजरात के अन्दर जहां राज्य की ओर से सेल्स टैक्स की माफी जाती है, वहां भारत सरकार की ओर से भी इन्कमटैक्स की माफी मिलनी चाहिए, सिर्फ सेल्स टैक्स की माफी से काम नहीं चलता है। अगर भारत सरकार की ओर से इन्कम टैक्स की माफी मिलेगी तो लोग वहां उद्योग ज्यादा स्थापित करेंगे। जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उन एरियाज के अन्दर उद्योग लगाने के लिए इन्कमटैक्स की छूट मिलनी चाहिए।

दूसरे गुजरात के अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के अन्दर डिपाजिट बहुत है। हम बहुत डिपाजिट देते हैं, लेकिन उसके अनुपात में लोन का जो रेश्यो है, वह बहुत कम है। गुजरात के डिपाजिट अन्य जगह पर जाते है, उससे मैं खुश हूं, लेकिन गुजरात को भी उसमे से ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे गुजरात के अन्दर जो रुग्ण एकक स्थापित हो गये हैं, वह मिट जाये।

अन्त में मैं बताना चाहता हूं कि आज सारे देश के अन्दर अगर यह इकाइयां रुग्ण रहेंगी तो कृषि प्रधान देश के लिए, विकासशील देश के लिए यह दुखदायी बात है। विकासशील देश में कोई भी एकक रुग्ण नहीं होना चाहिए। पार्टी से ऊपर उठकर सभी पक्षों से मेरी यही प्रार्थना है कि किसी पार्टी को महत्व न देते हुए जहां भी कोई रुग्ण एकक होता है, वहां सब साथ मिलकर जो भिन्न-भिन्न पक्षों की यूनियन होती हैं, वह यूनियन भी उस रुग्ण इकाई को आगे लाने के लिए, मदद करने के लिए एक हों ओर जहां मजदूर लोग इकट्ठा होकर उस इकाई को अपने हस्तगत करना चाहते हैं, वहां सरकार की ओर से उन्हें सहयोग देना चाहिए, ताकि उनके प्रतिनिधि उसे चलायें। जब उनके प्रतिनिधि साथ में रहते हैं, कहा जाता है कि अपने घर को फूंकने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, जब प्रतिनिधि का हिस्सा उसमें रहेगा, प्रतिनिधि उसे चलायेगा, प्रतिनिधि उसे सहयोग देगा तो कोई भी इकाई रुग्ण नहीं बनेगी और हिन्दुस्तान के अन्दर जो मजदूरों का सवाल है, वह हल हो सकेगा। मजदूर और सेठ, मजदूर और मालिक, दोनों के बीच में जो दरार है, जो खाई है, वह मिट जाय, ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा।

इसके साथ मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चार बजकर इकतीस मिनट पर निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा। मेरे विचार में हम समय को आधे घंटे के लिए बढ़ा सकते है।

श्रीमती सरोज दुबे : महोदया, कृपया एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : इसके बाद एक और संकल्प प्रस्तुत किया जाने वाला है।

कुछ माननीय सदस्य : महोदया, समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है हम निर्धारित समय में एक घंटा और जोड़ रहे हैं। अब श्रीमती दुबे बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदय, मैं श्री सुदर्शन रायचौधरी के द्वारा पेश किये गये रैजोल्यूशन को ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : थोड़ा ठहरें। हां, अब श्री इन्द्रजीत जी बोलें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदया, मेरा एक निवेदन है। अन्य वक्ताओं के बोलने के पश्चात माननीय मंत्री को भी उत्तर देना है। और एक दूसरा संकल्प भी है—अगसर संकल्प है। मेरा यह मात्र निवेदन यह है . . .

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : मंत्री जी तो चले जा रहे है, सुनेगा कौन?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सभा का सहयोग चाहता हूं कि अगले प्रस्ताव को कम-से-कम प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए अन्यथा यह व्यपगत हो जाएगा। इस पर मूल चर्चा बाद में हो सकती है लेकिन इसे रोका नहीं जाए।

सभापति महोदय : हां, मैंने पहले ही कहा है कि यदि सभी वक्ता अपनी बात संक्षेप में कहें तो उन्हें शामिल किया जा सकता है। तब हम निर्धारित समय में अगले संकल्प पर भी चर्चा कर सकते हैं।

अब श्रीमती दुबे कृपा आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : आदरणीय सभापति महोदया, मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा पेश किये गये रैजोल्यूशन का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

वर्तमान परिवेश में सार्वजनिक उपक्रमों की बढ़ती हुई रुग्णता तथा उससे उत्पन्न कर्मचारियों और मजदूरों के उत्पीड़न के समय इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। ऐसे समय में इस रैजोल्यूशन को लाने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं।

जिस समय देश आजाद हुआ था तो देश की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की वयवस्था की गई थी और जब बड़े-बड़े कल कारखाने लगाये गये थे तो हमारे प्रथम भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यह बड़े-बड़े कलकारखाने हमारे देश के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसी दल की सरकार ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के सपने को चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

बाबरी मस्जिद—मंदिर के ढ़ांचे को तोड़कर संविधान का अपमान किया, इसके साथ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जिन कल-कारखानों को मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे का एक सम्मान का एक सम्मान दिया था, उनकी भी रक्षा करने में यह सरकार पूरी तरह से असमर्थ रही है। सार्वजनिक उपक्रमों को बीमार कर दिया गया और वे संक्रात्मक रोग की तरह हो गये हैं। जिधर देखो वही सार्वजनिक उपक्रम रुग्ण होने की अवस्था में है। सरकार नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के आधार पर देश को चलाना चाहती है और विदेशी कम्पनियों को यहां आमंत्रित कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी निवेश ही पर्याप्त नहीं है। यदि सरकार इसी तरह से अंधाधुंध ढंग से सार्वजनिक उपक्रमों को बंद होने पर मजबूर करती रहेगी तो देश में बेरोजगारों की लम्बी फौज खड़ी हो जायेगी। इसका परिणाम यह होगा कि लोगों में असंतोष फैलेगा और उनका सारा गुस्सा देश में फैल जायेगा। इसलिए इसके ऊपर नये सिरे से सोचना पड़ेगा। सार्वजनिक उपक्रमों की रुग्णता की वास्तविक समीक्षा करने के लिए नये सिरे से कदम उठाकर और नये सिरे से विचार करके देश की आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति के लिए कदम उठाना होगा। विकासशील देश के विकास के लिए सार्वजनिक उपक्रम जोकि देश की मजबूत रीढ़ ही हड्डी के समान होते हैं, उन्हें मजबूत बनाना पड़ेगा।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिए हमें नये सिरे से समीक्षा करनी पड़ेगी। कोई भी उद्योग सिक होता है तो आज उसको एकतरफा बी.आई.एफ.आर. में रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी लम्बी-लम्बी तारीखें पड़ती हैं। सरकार की तरफ से अधिकारी बी.आई.एफ.आर. जायेगा और जवाब नहीं देने के लिए अगली तारीख ले आयेगा। इस कारण रुग्ण उद्योग की रुग्णता को और अधिक बढ़ा दिया जाता है। बी.आई.एफ.आर. की आपरेटिंग एजेंसी आई.सी.आई.सी.आई. के आदमी कम्पनी में जायेंगे और देखेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे। उसके बाद रिवाइवल पैकेज आयेगा और उसको प्रूव करेगा। यह एक लम्बी प्रक्रिया है कि इसमें सरकार की जो भूमिका है, वह संदिग्ध लगती है। क्योंकि यदि सरकारी तौर पर सही समय मे जवाब मिलता रहे, सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करती रहे, अगर बी.आई.एफ.आर. में बार-बार तारीखें न ले तो हो सकता है रुग्ण इकाई की तकदीर बदल जाये। लेकिन लम्बी प्रक्रिया ओर उनके रवैये से हमारे बीमार उद्योग कराहते रहते हैं। इस वजह से उनमें काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी और उनके परिवार वालों की पीड़ा और बढ़ जाती है।

जिस समय ये कम्पनीज बी.आई.एफ.आर. में रेफर होती हैं, सरकार उन कम्पनीज की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती है। हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लि. और भारत पम्प एंड प्रेशर कम्पनी रुग्ण होकर बी.आई.एफ.आर. को रेफर हो गई। ये अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान हैं, जो सिक है। इन्होंने रुग्ण अवस्था में भी दो-ढाई करोड़ रुपये के वर्क आर्डर अपने देश से और विदेश से प्राप्त किये, लेकिन उनके पास वर्किंग केपिटल नहीं थी, उत्पादन करने के लिए पैसा नहीं था। मैं इस बाबत उद्योग मंत्री के पास गई, वित मंत्री के पास गई और यहां से वहां तथा वहां से यहां भटकती रही कि इनको थोड़ी सी आर्थिक सहायता दे दो तो ये कम्पनीज अपने इन आर्डर्स को समय पर पूरा करके दे सकेंगी और इससे अपनी आमदनी कर सकती है। लेकिन मेरी पुकार अरण्य-रोदन ही साबित हुई। उद्योग मंत्री के पास गई तो उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के पास जाओ। जब वित्त मंत्री के पास गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उद्योग मंत्रालय के पास है, वहां जाओ। मैं फिर उद्योग मंत्री के पास गई तो उन्होंने कहा कि यह केस बी.आई.एफ.आर. को रेफर किया हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से इन दो बड़े अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्योगों को बंद करने का पूरा काम किया गाय। उसके बावजूद बड़े प्रयास के बाद त्रिवेणी स्ट्रक्चर लि. और भारत पम्प एंड प्रेशर कम्पनी बी.आई.एफ.आर. से बाहर आई तो उनको बजटरी हैल्प देने की बात हुई, बैंक गारंटी देने की भी बात हुई। लेकिन तीन महीने हो गये, अभी तक किसी प्रकार की सहायता इन उद्योगों को नही दी गई है।

नतीजा यह हुआ कि आज भी ये सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक अभाव में छटपटा रहे हैं और जो भी उनको वर्क आर्डर मिलते जा रहे हैं, उनको वे समय से पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहती हूं, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत रहने वाली जो इन्डस्ट्रीज है, उनको अपने एकतरफा बी.आई.एफ.आर. झोंक दिया, बी.आई.एफ.आर. के पास मरने के लिए रेफर कर दिया। बी.आई.एफ.आर. की धीमी प्रक्रिया ने उसको और अधिक रुग्ण करा दिया। उसके बावजूद भी मैं तो भारत पम्पस एंड कम्प्रैशर और टी.एस.एल. के यूनियन के लोगों को बहुत बधाई देना चाहूंगी, मैनेजमेंट को भी बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर उसके पुनरुद्धार के लिए इतना संघर्ष किया। इसी का कारण है कि सबसे पहले ये कम्पनियां बी.आई.एफ.आर. से बाहर निकलीं लेकिन निकलने का नतीजा क्या निकला? इनको आज भी कोई सरकारी आर्थिक सहायता नहीं मिली। पहले तो आर्थिक सहायता इसलिए नहीं मिली कि वे बी.आई.एफ.आर. के पास रेफर हैं, फिर बाहर निकल आने के बाद भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके बाद वे स्केल रिवीजन का मामला सामने आ गया। अब बी.आई.एफ.आर. का कहना यह है कि आपने जो अपना रिवाइवल पैकेज दिया था, उसमें पे स्केल के रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं था। नतीजा यह रहा कि अब फिर रिवीजन ऑफ पे स्केल के लिए एक पैकेज बी.आई.एफ.आर. के यहां दिया जाये। फिर से ये कम्पनियां बी.आई.एफ.आर. में वापस आ जायें, फिर से उन पर विचार हो, फिर सरकार आर्थिक मदद देने से अपना हाथ खींच ले। इस प्रकार की साजिशें चल रही हैं।

मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि यह जो करोड़ों-अरबों रुपए की मशीनें लगी हुई है और जो बड़े-बड़े कारखाने हैं चाहे बी.सी.सी.एल. हो, चाहे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज हो चाहे त्रिवेणी स्ट्रक्चर लि. हो चाहे स्वदेशी कॉटन मिल हो, चाहे स्कूटर इंडिया हो, इन इंडस्ट्रीज में अरबों रुपए की मशीनें हैं जिनमें जंग लग रहा है। सरकार को इनमें लगा हुआ जनता का पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। इन इंडस्ट्रीज को विदेशो से आर्डर नहीं मिले हैं। इन विदेशी कंपनियों ने आर्डर इसलिए दिया था कि समय से उनको माल मिल जाएगा। लेकिन इस सरकार को न तो देश की प्रतिष्ठा का और न उस कंपनी की प्रतिष्ठा का ध्यान है। यह केवल बी.आई.एफ.आर. को रेफर करके अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रही है और उन कंपनियों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। इन कंपनियों में वी.आर.एस. योजना प्रारंभ की गई जब प्रबंधक वर्ग चाहता है कि किसी को वी.आर.एस. देना है तो उस मजदूर या कर्मचारी का उत्पीड़न शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि आप मद्रास चले जाओ नहीं तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उनको डराया जाता है कि अपके ऊपर यह चार्ज फ्रेम कर दिया गया है कि आप बी.आर.एस. ले लो नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब मजदूर या कर्मचारी वी.आर.एस. लेना चाहता है तो उनको नहीं दिया जाता लेकिन अभी मेरे सामने कुछ ऐसे मामले आए है कि कुछ कर्मचारी या इंजीनियर लोग यह चाहते है कि उन्हें वी.आर.एस. मिल जाए, उसके लिए कंपनी तैयार नहीं है। वी.आर.एस. की धनराशि 200 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ हो गया है। इस धनराशि की उपयोगिता की समीक्षा करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। प्रबंधक वर्ग अपनी मनमानी कर रहा है और बदले की भावना से भी ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि मजदूर तो कंपनी में काम करना चाहता है लेकिन मजदूर को अगर कंपनी में काम नहीं मिलता है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है।

प्रबंधक वर्ग अपने लिए नयी गाड़ी, एयरकंडीशन्ड कमरों का इंतजाम करता है और रुग्ण मिलों के काम के बहाने से बम्बई, दिल्ली और विदेशों का दौरा करता है लेकिन मजदूरी का पैसा नहीं देता है। मजदूर वर्ग अगर गेट-मीटिंग या किसी तरह से अपनी मांगे उठाने की कोशिश करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है उसके साथ अत्याचार किया जाता है। मजदूरों को आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसमें किसका दोष है?

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक तरफ तो आप छंटनी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाकर आप देश में रोजगार के अवसरों को समाप्त कर रहे हैं। अगर लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाएगा, अगर देश में रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्या हमारा देश इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? देश में बेरोजगारों की सेना अगर खड़ी हो जाएगी तो क्या हमारा देश तरक्की कर सकेगा। अगर देश का नौजवान बेरोजगार हो जाएगा तो देश की रीढ की हड्डी ही टूट जाएगी और फिर देश कैसे खड़ा रह पाएगा?

मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो देश की सबसे बड़ी और पुरानी इंडस्ट्री थी और जिसने देश में जब टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी तो देश की बेसिक सेवा, मूलभूत सेवा की थी। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आई.टी.आई. ने ही तैयार किया था ओर आज वही आई.टी.आई. जब आर्डर के अभाव में तड़प रही है।

इतने करोड़ों रुपए की मशीनें खड़ी हैं और हमारे आई.टी.आई. चाहे रायबरेली हो, इलाहाबाद हो या कहीं का भी हो, तो यहां के जो बड़े-बड़े ऑफिसर है, हिमाचल कंपनी जो आज बहुत चर्चित हैं इनको वहां पर नौकर रख लिया गया है और बड़े-बड़े औहदों पर रख लिया गया है। वे हमारे आई.टी.आई. की सारी बातों को जानते है, ये हमारे यहां की आई.टी.आई. को खोखला व खाली कर रहे हैं और तमाम सरकारी आर्डर उन्हीं कम्पनियों में जा रहे हैं और यह जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है/बैठी जा रही है, यह सिक होकर बंद होने के कगार पर है। 5 हजार मजदूरों के रोजगार का सवाल है। कर्मचारी और मजदूर परेशान हैं मगर प्रबंधक वर्ग परेशन नहीं हैं क्योंकि वहां पर मंत्री का चहेता अधिकारी बैठा हुआ है। वह मजदूरों और कर्मचारियों की नही सुनता है, न ही यूनियन की सुनता है। वह क्यों सुनेगा, क्योंकि वह मंत्री का खास आदमी है। उसका आई.टी.आई. को उठाने में कोई रूचि नहीं है, उसको केवल मंत्री जी की हाजिरी बजानी है। मंत्री जी की कम्पनी को आर्डर मिलता जाए इसलिए जब भी कोई टैंडर होता है वह जानकार छोड़ दिया जाता है। एक जगह भारत पंपसैट कम्प्रैसर, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड सिक होने के बाद भी तमाम आर्डर देश और विदेश से ले आते है वही इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जहां बड़े काबिल ऑफिसर हैं वे सारे आर्डर छोड़ देते है और वे आर्डर हिमाचल कम्पनी में चले जाते हैं। इसके अंदर भी एक घोटला इसलिए है क्योंकि उस कपनी के अंदर भारी घोटला है। हमारे यहां के अधिकारी जाकर प्राइवेट कम्पनियों को . . . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिये।

श्रीमती सरोज दुबे : मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि इस तरह से बीमार कंपनियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लाने का जो सुदर्शन जी का मकसद था कि एक बाद फिर से रुग्ण इंडस्ट्रीज पर विचार किया जाना चाहिये। इन को केवल इसलिये नहीं बंद होना चाहिये कि इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। मंत्री जी को चाहिये कि इन के ऊपर एक बार फिर से विचार करे। बी.आई.एफ.आर. जिस उद्देश्य को लेकर गठित की गई थी, वह उद्देश्य पूरा नही कर रही है। बी.एफ.आई.आर. के गठन और उसके अधिकार को बढ़ाया जाये। उसको कुछ ऐसी पावर दी जाये ताकि इन इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के सम्बन्ध में वह कुछ और कदम उठा सके। वी.आर.एस. के अंतर्गत जिस राशि का दुरुपयोग हो रहा है, उसके नाम पर मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है, उन सब को आपको देखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं पुरजोर समर्थन करते हुए एक बार फिर से मांग करती हूं कि इस देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिये सार्वजनिक उपक्रमों का जिन्दा रहना बहुत जरूरी है। इसके लिये सरकार का आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक के निर्देशों पर चलना छोड़ कर अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इन सब को जिन्दा करने के लिये इनको पूरा सपोर्ट करना चाहिये ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम देश की सेवा कर सके और देश का आर्थिक तथा औद्योगिक विकास कर सकें।

जय हिन्द।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं पुनः सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे यथा संभव संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की बीमारियों से उत्पन्न जो मजदूरों को परेशानी है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये यह जो प्रस्ताव आया है, हर किसी को इसका समर्थन करना चाहिये। हमारे खुद के इलाके में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जयपुरिया की एक मिल में कुछ मजदूरों के साथ अन्याय हुआ और उसको लेकर जयपुरिया की जितनी भी इकाइयां थीं, स्वेदीशी कॉटन मिल और साथ-साथ हमारे बगल की एक आनन्द नगर की चीनी मिल का सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। केवल इसलिये राष्ट्रीकरण किया गया, सरकार के स्वामित्व में लाया गया, नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की यूनिट के रूप में उसको लाया गया, केवल इसलिए कि जो मजदूरों और उससे सम्बद्ध किसानों की समस्या है, उसका सरकार समाधान करेगी लेकिन आज हालत उससे भी बदत्तर है।

भारत सरकार पिछले 5 साल से रुग्ण कपड़ा मिलों के जीर्णोद्धार के लिये हल्ला कर रही है लेकिन कर कुछ नहीं रह है। आनन्दनगर की चीनी मिल, क्योंकि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की एक इकाई है, सूत मिल, कपड़ा मिल नहीं है इसलिये उसके जीर्णोद्धर, विस्तारीकरण और उसके विकास के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज गन्ना काश्तकारों का हमारे इलाके की उस मिल के ऊपर 4 करोड़ रुपया बाकी है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी एक तिरछी नजर उस मिल पर दें और उससे संबंधित जो मजदूर और किसान हैं, उस पर भी दृष्टि डालने की कोशिश करें।

इसी तरह ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के तहत कानपुर शुगर वर्क्स, जिसकी 4 इकाइयां हैं, चीनी मिलें हैं, जिसमें 2 चीनी मिले मेरे लोकसभा क्षेत्र में हैं, गौरी बाजार, पडरौना कठकुआं, और बिहार में मढौरा। इनकी हालत बहुत खराब है। आज की तारीख में इन चारों मिलों पर किसानों का 28 करोड़ रुपया बकाया है। भारत सरकार कहती है कि किसानों की जो उत्पादन लागत बढ़ रही है, उसकी पूर्ति उत्पादित वस्तुओं की मूल्य वृद्धि करके कर दी जाएगी। गन्ने का मूल्य बढ़ रहा है,

लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है। पिछले साल तक का किसानों का 28 करोड़ रुपया बकाया था और इस साल ये मिलें चलने की स्थिति में नहीं हैं। चारों मिलों के प्रकरण बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए और बी.आई.एफ.आर. से निर्णय दिया, जिस पर अमल करने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि कानपुर शुगर वर्क्स की चार इकाइयों के बारे में भारत सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने उत्तर में बताएं, इन इकाइयों के बारे में अपनी राय प्रकट करें।

सभापति महोदया, इंडियन फर्टिलाइजर, फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, गोरखपुर यूनिट से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को यूरिया की आपूर्ति होती थी। पिछले 4 सालों से यह इकाई बंद पड़ी है और रोजाना मंत्री जी के वक्तव्य अखबारों मे पढ़ने को मिलते हैं कि 2200 करोड़ का पैकेज इनका मंत्रालय निर्धारित कर रहा है बी.आई.एफ.आर. में जो 12 उर्वरक उत्पादक इकाइयां हैं, उनके नए सिरे से जीर्णोद्धार के बारे में भारत सरकार सोच रही है। लेकिन बी.आई.एफ.आर. में भारत ने जो पक्ष रखा है, उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें भारत सरकार कहती है कि 2200 करोड़ का पैकेज है, लेकिन 2200 करोड़ कहां से आएगा, इसके बारे में अभी तक भारत सरकार को कोई स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उर्वरक की इन इकाइयों के बारे मे जो रिन्यूवल पैकेज है, उसको सरकार पूरा करने वाली नहीं है, यह सिद्ध है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जिस तरह से "सेल" धीरे-धीरे बरबाद हो रहा था, सरकार ने संकल्प लिया और उसकी हालत ठीक हो गई। इसी तरह से भारत सरकार का बड़ा भारी उद्यम एच.एम.टी. था, पिछले 3-4 साल में उसकी हालत खराब हुई, लेकिन भारत सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया और पिछले वर्ष से उसमें जागृति आ रही है और वह स्वस्थ होने की स्थिति में आ रहा है। इस तरह से लखनऊ का स्कूटर इंडिया लिमिटेड कारखाना था, जिसकी हालत पिछले 4 वर्षों से खराब थी। भारत सरकार ने कह दिया कि इसको बंद कर देंगे। मजदूरों का आंदोलन हुआ, सारी राजनीतिक पार्टियां उसमें सम्मिलित हुई। सरकार ने मजबूरन उसके जीर्णोद्धार की बात को स्वीकार किया और पिछले दो साल से स्कूटर इंडिया की हालत काफी सुधर रही है, अब वह ठीक हालत में है।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार संकल्पबद्ध हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयां ठीक न की जा सकें, जरूरत है संकल्प करने की। इसलिए सरकार अपने अंदर इस संकल्प को जागृत करे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण की जो आधारशीला है, गोरखपुर फर्टीलाइजर, कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड और आनंद नगर की शुगर मिल, इनके जीर्णोद्धार, विकास तथा नवीनीकरण के बारे में सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और इनको नए सिरे से चालू करने की कोशिश करे।

इस आशय के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह जी, आपने वास्तव में अत्यंत संक्षेप में अपनी बातें कही है। अब भी सात आठ वक्ता है। अतः यदि प्रत्येक वक्ता तीन से चार मिनट का समय लें तो मैं समझती हूं कि हम अपना निर्धारित समय में पूरा कर लेंगे।

हां, अब श्री पी.सी. चाक्को कृपा बोलें :

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचुर) : सभापति महोदया, इस संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका अत्यन्त अभारी हूं। वास्तव में मुझे समय की कमी की याद दिलाइयी गयी है। इस विषय के लिए आवंटित समय को आगे बढ़ाने की भी आपने कृपा की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत अन्य महत्वपूर्ण संकल्प पर आज चर्चा की जाए, फिर भी इस पर चर्चा आज ही पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि अन्य माननीय सदस्य गण भी इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे।

शायद यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस देश की जनता का ध्यान टिका है और माननीय सदस्यों द्वारा संसद में जाने वाले सुझाव इस समस्या के निदान में अत्याधिक सहायक सिद्ध होंगे।

सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि इस संकल्प में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे मित्र श्री राय चौधरी जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा है कि यह सभा बढ़ाते हुए रुग्ण सार्वजनिक उपक्रम की बढ़ती हुई संख्या एवं अन्य बातों के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त करती है। महोदया, श्री राय चौधरी समेत कुछ माननीय सदस्यों जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए है और कुछ विद्वान सदस्यों विशेषकर सी.पी.एम. के सदस्यों ने औद्योगिक रुग्णता के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे उपक्रमों का उदाहरण दिया। सरकार को पूरी तरह से इसके लिए दोषी ठहराना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि सरकारी उपक्रमों का संरक्षक सरकार है। लेकिन सच यह है कि उद्योगों को अर्थक्षम बनाने संबंधी कार्यक्रम सरकार, श्रमिक और अन्य संबंद्ध व्यक्तियों का सम्मिलित प्रयास होगा।

संभवतया इस संकल्प को दूसरी तरह से रखा जाना था ताकि बिना मतदान किए हुए हम इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर पाते। एक हाल का उदाहरण जो मैं पेश करना चाहता हूं—मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

यहां उद्योग मंत्री सदन में उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर देने के लिए बैठे है। उद्योग मंत्री शासक दल के काफी वरिष्ठ नेता होने के कारण, जो कि दल की नीतियों को भी मूर्त रूप दे रहे हैं, वे सरकार की ओर से कुछ बातें आधिकारिक रूप से कह सकते हैं तथा कुछ चीजों के संबंध में सरकार के रवैये के बारे में बता सकते हैं।

उसके बाद एक बात हमें अपनी दिमाग में रखनी चाहिए, राँची का हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इस देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक हैं जिसके बारे में ओद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सिफारिश की थी। यह बंद होने की कगार पर था, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। मुझे विश्वास है कि श्री राय चौधरी तथा अन्य सदस्य नए उद्योग मंत्री के सत्ता संभालने उनके के बाद उनके द्वारा किए गए पहले कार्य को याद रखेंगे। सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड-यूनियन नेता तथा इस सदन की सभी पार्टियों से संबधित ट्रेड यूनियन नेता जाकर मंत्री से मिले जब यह बन्द होने की कगार पर था। जब कोई चारा नहीं था, जब सबों ने कह दिया कि यह मृतप्राय है और कोई पुनर्जीवि करने की प्रक्रिया कारगर नहीं हो रही थी, उद्योग मंत्री ने सभी सिफारिशों को दर किनार करवाते हुए यह निर्णय लिया कि यह बंद नहीं की जायेगी। महोदया, इस उपक्रम को इस सरकार द्वारा 175 करोड़ रूपये की गारंटी दी गई और आज अगर यह उपक्रम कार्य कर रहा है, तो यह सरकार की नीति का नतीजा है।

बिना इस मुख्य तथ्य को समझे हुए, वे कहते हैं कि यह सरकार की उपेक्षा का नतीजा है। मैं काफी दुख के साथ सुन रहा हूँ कि सी.पी.एम. बेंच के एक काफी विद्वान व्यक्ति-जिन्होंने आज बहस शुरू की-यह कह रहे थे कि सरकार उपेक्षा कर

रही है और यही इसकी रुग्णता का कारण है। क्या यह कहने की बात है?

महोदया, वास्तव में औद्योगिक रुग्णता औद्योगिकरण के दिनों से शुरू हुई। अब, वे व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की हिमायत कर रहे थे वे इनको भला-बुरा कह रहे हैं। जब इस देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा हुई, वे सभी व्यक्ति जो आज सरकार क्षेत्र के पक्षधर हैं-ऐसा मानों कि केवल वही सरकारी क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं-वे सभी नेहरू सरकार की नीतियों से यह कहकर भला बुरा कह रहे थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए, सरकारी क्षेत्र मुख्य आधार था, और यह नेहरू सरकार की औद्योगिक नीति का मुख्य आधार था और आज भी यह सरकार इस नीति को बढ़ावा दे रही है तथा घोषणा कर रही है।

औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कोई माननीय सदस्य इस समस्या की गहराई मे नहीं गया है। वे केवल एक समस्या पाते हैं और वह यह कि, सरकार इसका समर्थन नहीं कर रही है क्योंकि यह भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। उन्हें वित्त देना चाहिए, उन्हें गारंटी देनी चाहिए, उन्हें खरीददारी करनी चाहिए, उन्हें पर्याप्त क्रयादेश देना चाहिए, उन्हें कच्चा माल देना चाहिए, और उन्हें सब कुछ देना चाहिए और तब, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी भूमिका क्या रहेगी?

मैं उत्पादकता परिषद् से संबंद्ध रहा हूँ। अपने राज्य में उद्योग मंत्री के नाते, मैं कुछ समय तक उत्पादकता परिषद् का अध्यक्ष था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे लोग जो औद्योगिक रुग्णता के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि जब तक वे उत्पादकता की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते है, इस देश में कई और उद्योग रुग्ण होंगे।

मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और न ही किसी पार्टी का नाम लेना चाहता हूँ। महोदया, लेकिन इस देश के कुछ श्रमिक वर्ग की पार्टियाँ इस उत्पादकता की अवधारणा के खिलाफ हैं। कुछ ट्रेड यूनियन, विशेषरूप से "सीटू" जिसका नेतृत्व राय चौधरी करते हैं किसी प्रकार की उत्पादकता की अवधारणा को मानने को तैयार नहीं हैं।

वामपंथी पार्टियां भी, जैसे कि सी.पी.आई., आर.एस.पी. तथा अन्य उत्पादकता की अवधारणा से सहमत हो रही है तथा उत्पादकता परिषद के सदस्य बन रही हैं। उत्पादकता ही वह आधार है जिस पर हम इन संस्थाओं को बना सकते हैं तथा इस आधार पर इन संस्थाओं को लाभ कमाने वाली संस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं।

सभापति महोदया, आप पश्चिम बंगाल से है। एक जूट उत्पादक निगम है। केन्द्र सरकार चाहती थी कि पश्चिम बंगाल सरकार इकाई का अधिग्रहण करे तथा उसे चलाए। उन्होंने कहा कि वे सभी संभव सहायता देंगे। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे इसे लेने को तैयार नहीं है। अतएव, जिम्मेदारी किस पर जाती हैं?

कुछ लोग कहते हैं कि माल डिब्बा उद्योग संकट में है, इसमें कुछ रक्षित इकाईयां है। सरकार को क्रयादेश देना चाहिए। सरकार को कार्यकारी पूंजी देनी चाहिए। वर्ष दर वर्ष, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बजट सहायता बढ़ रही है और हम इस बिन्दु पर पहुँच गए हैं जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं।

1991 से 1995 के बीच-सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति लागू करने के बाद-भारत सरकार द्वारा 19,000 करोड़ रुपये की कुल बजट सहायता दी गई। श्री वेंकट स्वामी पर कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार था, वे राष्ट्रीय कपड़ा मिल के संबंध में एक प्रस्ताव ले कर आए। ये औद्योगिक रुग्णता कपड़े के क्षेत्र में किस प्रकार आई? क्या आपने इसका विश्लेषण किया? जब निजी क्षेत्र में मिलें रुग्ण हैं तो श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए सरकार कुछ मिलों का अधिग्रहण कर लेती है। इसका मतलब है कि रुग्ण मिल सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए गए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक रुग्णता सरकार की नीति की वजह से नहीं आई।

महोदया, 2835 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार पैकेज अब लागू की जा रही है। इसपर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच चर्चा हो रही है तथा एक जनमत तैयार हो रहा है तथा भारत सरकार बराबर केवल राष्ट्रीय कपड़ा मिलों के पुनरूद्धार के लिए ही 3000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटा रही है।

मैं सुदर्शन राय चौधरी को जानता हूँ जो मेरे भी अच्छे मित्र हैं। वे काफी प्रतिबद्ध तथा निष्ठावान व्यक्ति है। मेरी उनके बारे में कोई दो राय नहीं है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि यह सरकार उपेक्षा कर रही है। हम राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पुनरुद्धार के लिए 3000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को 170 करोड़ रुपये देने की गारंटी दी थी। हजारों कर्मचारी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कार्य कर रहे हैं। वे इस सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। वे इस सरकार के प्रति आभारी हैं। क्या हम इसके प्रति आभार नहीं प्रकट करें?

यह सरकार उदारीकरण के पथ पर अग्रसर है। हम यह महसूस करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतियोगी होना चाहिए। हमें और ज्यादा उत्पादन करना चाहिए तथा हमें निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए। तभी हम जीवित रह पाएँगे। सरकारी खजाने से गरीब लोगों के पैसे खर्च करके हम जमीन-जायदाद, मशीनरी इत्यादि खरीद रहे हैं। हम आज कहाँ जा रहे हैं? इन चीजों के बावजूद, यदि हम अपने लक्ष्य का केवल 50 प्रतिशत ही प्राप्त कर सके, तो हम किसे दोष देंगे? यदि औद्योगिक इकाइयाँ रुग्ण हैं, यदि वे लंगड़ा कर चल रही है, और यदि ये हानि उठा रही हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह पैसा कहाँ जा रहा है। हम इस सरकार को भला बुरा कह रहे हैं। हम केन्द्र सरकार के खिलाफ यह उंगली उठा रहे है कि वे यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के पास उनकी अपनी धनराशि नहीं है। मंत्री, प्रधानमंत्री तथा अन्य की अपनी पारिवारिक सम्पत्ति नहीं है। वे अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। यह भारत के गरीब लोगों की मेहनत से कमाये पैसे से की जा रही है। जब यह पैसा कहीं लगाया जा रहा है, तब हमें यह नहीं कहना चाहिए कि पर्याप्त उत्पादकता होनी चाहिए? क्या हमें उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि हमें अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करनी चाहिए? उनमें बाजार में निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करने की शक्ति होनी चाहिए।

अतएव, औद्योगिक रुग्णता काफी महत्वपूर्ण विषय है। समूचे सदन से आगे माना चाहिए तथा कहना चाहिए कि वे सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए उसकी सराहना करते हैं। वे इस सरकार से औद्योगिक रुग्णता के मामले में अधिक सजग रहने को कह सकते हैं।

अपने एक बजट में डा. मनमोहन सिह ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की शुरूआत की। इसके खिलाफ कई आलोचनाएं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यह छंटनी प्रतिपूर्ति की तरह है। पिछले चार वर्षों में क्या हुआ? कितने लोग छांटे गए? जब तकनीकी उन्नयन आवश्यक है, तब, श्रमिकों को कम किया जाना आवश्यक

है। इसीलिए, राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया था। हम राजनीति के रंगीन चश्में से सभी कुछ देख रहे हैं। दुर्भाग्यवश, यही समस्या है। अन्यथा राय चौधरी जैसे लोग इसे बेहतर रूप में रखे होते जिससे हम सहमत होते।

5.00 म.प.

इस विषय पर इस सदन में आम सहमति होनी चाहिए तथा इस पर इस देश की सभी राजनितिक पार्टियों में आम सहमति होनी चाहिए। इस देश के लोगों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे वे संकीर्णता से भरे हो तथा आप सरकार को भला-बुरा कहने की कोशिश कर रहे हैं तथा इन्हीं चीजों के सहारे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। यह वह सरकार है जिसका नेतृत्व उस पार्टी के हाथ में है जिसने इस देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खड़ा किया, उन्हें विकसित किया तथा पिछले पचास वर्षों से देखभाल की और हमें अभी भी विश्वास है कि यहीं सरकारी क्षेत्र का दर्शन है तथा सरकारी क्षेत्र चालू रहें तथा प्रगति करें। इसके लिए, पूरे दिल से प्रयास तथा संयुक्त कार्य आवश्यक है। और इसके आगे यदि हम जाकर किसी की खामी निकालें तो हम इस विषय के साथ काफी अन्याय करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्षा महोदया, मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : सदन इस पर सहमत हो गया है कि यह बहस 5 बजकर 31 मिनट तक चालू रखी जाएगी। अभी भी कई सदस्यों का बोलना बाकी हैं। जब तक कि सदस्य अपने विचार संक्षिप्त रूप से व्यक्त न करें हम सदन के सहमत निर्णय से सहमत नहीं हो सकते हैं।

मैं अब श्री रामेश्वर पाटीदार को बोलेने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगौन) : सभापति महोदया, यह बात स्पष्ट है कि नयी सरकार के जून 1991 में बनने के बाद आज 1995 तक सरकारी और गैर-सरकारी 1165 उधोग बंद हो गये हैं। छोटे, मध्यम एवं बड़े उधोग कुल मिलाकर 3 लाख बीमार है। यह निश्चित है कि सब कुछ सरकार के निर्देश पर चलते हैं और सरकार के निर्देश के अन्तर्गत बीमार होते रहते हैं। चाहे बीमार हों, या बंद हों, इसके लिये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिये। इसके लिये सरकार को दोष दिया जाना अनुचित नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आज कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार की गलत नीयत और नीति उद्योगों को बीमार करती चली जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट है जिसके साथ एक बी.आर.पी. हुआ करता था जिससे भिलाई स्टील प्लांट के लिये प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये की ईंटें खरीदी जाती थी। पिछले वर्ष कानून बनाकर उस यूनिट को अलग कर दिया गया और उसके बाद अब टाटा रिफ्रैक्ट्री, उड़ीसा से ईंटें आ रही हैं।

5.02 म.प.

[श्री पी.सी.चाको पीठासीन हुए]

इस पर ट्रांसपोर्ट पर 15 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष लगता है। बी.आर.पी. जो भिलाई प्लांट का एक यूनिट था, उसे अलग कर देने से सैल्ज टैक्स और एक्साईज़ ड्यूटी 25-30 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अलग से लगता है यदि सरकार दोनों को एक साथ मिला दे तो घाटा नहीं होगा। न सैल्ज टैक्स और न ही ट्रांसपोर्ट चार्जेज देने होंगे। आज हालत यह है कि वहां कर्मचारी और अधिकारी 1980 से भर्ती है। वहां की 75 प्रतिशत मशीनें काम नहीं कर रही हैं और सिर्फ 25 प्रतिशत मशीनों से काम लिया जा रहा है। इसी कारण से उद्योग बीमार होते हैं। और यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हल्दिया का फर्टिलाईज़र यूनिट बनाने में 800 करोड़ रुपये व्यय किये गये लेकिन वह यूनिट आज तक चल नहीं पाया है। पिछले दिनों टैक्नीकल कमेटी ने सिफारिश की है कि इस यूनिट को बंद कर देना चाहिये और इसे चलाने की जरूरत नहीं है। इस सब के बावजूद वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों पर 18 करोड़ रुपया वेतन के रूप में प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है। बोनस के अलावा प्रोमोशन भी दिये जा रहे हैं। इस संबंध में सरकार को अपनी नीतियों के लिये दो तरफ से देखना पड़ेगा कि जो उद्योग चलाये जाने के योग्य हैं, उनको सहायता प्रदान कर चालू करना चाहिए और दूसरे ऐसे उद्योग जिनके लिये टैक्नीकल कमेटी ने सिफारिश की है कि जो नहीं चल पाते हैं, उनको बंद कर देना चाहिये और उन पर एक दिन भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं स्वयं लोकसभा की पैट्रोलियम एंड कैमिकल्स की स्थायी समिति का सदस्य हूं। जब हल्दिया प्लांट के अधिकारियों का साक्ष्य लिया गया तो उन्होंने कहा कि यह कारखाना नहीं चल सकता है तो इसपर प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपया कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन पर क्यों खर्च कर रहे हैं तो बोले कि इसको नीलामी के लिये निकाल दिया है। मेरे प्रश्न पूछने पर कि अब तक नीलाम क्यों नहीं किया गया तो कहा गया कि इसकी बोली एक रुपये की लगायी गयी। मैने कहा कि जिस प्लांट के निर्माण पर 800 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसकी बोली एक रूपये? तो कहा गया कि बोली लगाने वाला बाद में बदल गया। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज सार्वजनिक उद्योगों और सरकारी उपक्रमों की ऐसी स्थिति क्यो हो रही है? इस पर विचार किया जाना चाहिये। यदि समय से इन पर विचार किया जायेगा तो रूग्ण उद्योगों को ठीक किया जा सकता है अन्यथा यह बीमारी बढ़ती चली जायेगी।

मेरे प्रदेश में मेरे ही संभाग में नेपा कागज़ मिल है जिसमें न्यूज़प्रिण्ट तैयार होता है। वहां 30,000 टन कागज़ तैयार पड़ा है पर भारत सरकार ने कनाडा और रूस से कागज़ आयात करना शुरु कर दिया है। इस कारण वहां माल की डंपिंग हो रही है और कारखाने के मज़दूर बेकार पड़े हैं और कारखाना बंद होने की स्थिति में है। सरकार की नीति के कारण यह उद्योग बीमार हो रहे हैं। सरकार की नीयत के कारण ये उद्योग बीमार हो रहे हैं। सरकार उनको ठीक समय पर सहायता नहीं देती, ठीक समय पर इलाज नहीं करती इस कारण ये उद्योग बंद होते जा रहे हैं। राजनीतिक हस्क्क्षेप भी इनकी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश राव साहब का प्रदेश है। वहां टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट थी कि रामागुण्डम का कारखाना चल नहीं सकता लेकिन वहां पॉच सौ करोड़ रुपए की सहायता दी गई। उड़ीसा में ताल्चेर का कारखाना जो चल नहीं सकता था, उसको भी पॉच सौ करोड़ रुपए की सहायता देकर चालू कर दिया। किन्तु गोरखपुर का कारखाना जो 200 करोड़ रुपए की सहायता से चलाया जा सकता है, उसको सहायता नहीं दी जा रही है। यह इनफ्लुएंस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकार राजनीतिकरण से सहायता देती है या नहीं देती है उस कारण जो उद्योग समय पर चलना चाहिए वह नहीं चल पाता है। जिन उद्योगों को बी.आई.एफ.आर. ने सहायता देने के लिए धनराशि की सिफारिश की, वह उनको समय पर नहीं दी जाती है। टुकड़ों में सहायता दी जाती है और उस कारण पैसा भी समय पर पहुंचता नहीं है और उद्योग की बीमारी भी बढ़ती जाती है। इससे मजदूरों की समस्या भी हल नहीं

होती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय रामलखन सिंह जी यादव ने कहा कि गोरखपुर के कारखाने को हम रिवाइव करेंगे और उसको सहायता देंगे। परन्तु जिस तरह से बी.आई.एफ.आर. ने समर्थन का पक्ष रखा उससे नहीं लगता कि उसको समय पर सहायता दी जाएगी और वह चालू हो पाएगा।

जो बी.आई.एफ.आर. बनाया गया है वह शक्तिहिन है और समय पर सहायता नहीं दे पाता है। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि कलकता में एक सैन्ट्रल जूट मिल है। यह मिल वर्षों तक बंद रही। जब हमारी नई उद्योग नीति बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि इन बंद मिलों को कॉपरेटिव सैक्टर में चलाया जाता है और मजदूर उन्हें चलाते हैं तो हम उनको सारी सुविधाओं के साथ-साथ पुराना कर्जा भी माफ करेंगे और सहायता भी देगें जिससे वे चल सकें। सैन्ट्रल जूट मिल पर 45 करोड़ रुपए की देनदारियां और पुराना कर्ज है। परन्तु जब से मजदूरों ने उसको चलाना शुरू किया उसके बाद से चार-पांच करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लाभ में वह मिल चल रही है। चार-पॉच करोड़ रुपए का तो ब्याज ही कुछ समय में मूलधन के बराबर हो जाता है। सरकार को इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि कोआपरेटिव सैक्टर में मजदूर जो उद्योग चला रहे है उनको पूरी तरह से सहायता दे और समय पर सहायता दे तभी काम बन सकता है। इस सैन्ट्रल जूट मिल को हर तरह से सहायता देने के लिए कई मंत्रियों ने लिखा। बी.आई.एफ.आर. ने सितम्बर, 1995 में एक सिफारिश करके कहा कि उसको 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जानी चाहिए, चाहे वह नेशनल रैन्युअल फण्ड से दे या कहीं और से सहायता दे। हमारे लेबर मिनिस्टर ने लिखा कि इसको 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के स्टेट लैबर मिनिस्टर 3 जुलाई, 1995 को पत्र लिखा कि इनको केन्द्रीय वित मंत्री महोदय सहायता दे, किन्तु आज तक सहायता नहीं दी गई। जूट कमिश्नर को लैटर दिया, परन्तु उनकी तरफ से भी कोई सहायता नहीं दी गई। टैक्सटाईल मिनिस्ट्री ने रिकमण्डेशन की परन्तु सहायता नहीं दी गई। बी.आई.एफ.आर. की सिफारिश हो गई कि 10 करोड़ रुपया एन.आर.एफ. से सहायता जानी चाहिए, लेकिन वह सहायता नहीं दी गई। इस तरह से जो मजदूर अपनी तरफ से उद्योग चला रहे हैं वे उद्योग सहायता न मिलने से पुनः बीमार हो रहे हैं। आज की तारीख में बी.आई.एफ.आर. केवल कारखाने बंद करने की एक मशीन बन गया है। उस ऐक्ट में था कि बी.आई.एफ.आर. में मजदूरों का प्रतिनिधि भी होगा, परन्तु आज तक भी उनका प्रतिनिधि नहीं है। बी.आई.एफ.आर. में विषय के जानकार विशेषज्ञ होने चाहिए। जब तक उसमें विशेषज्ञ नहीं बैठेंगे तब तक काम समय पर नहीं होगा। आज की तारिख में सैकड़ो केस BIFR में पैण्डिग है। उनका निर्णय नहीं हो पाता और उद्योगों की बीमारी बढ़ती जाती है।

और बीमार उद्योग कभी ठीक होने वाले नहीं है, उनकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी।

बी.आई.एफ.आर. में जाने के लिये पहले कानून बना हुआ था कि 7 वर्ष तक जब कोई उद्योग बीमार होगा तभी वह बी.आई.एफ.आर. के सामने जा सकता है। आज की तारीख में उस अवधि को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है मगर हम किसी उद्योग को 3 वर्ष तक क्यों बीमार रहने दे, क्यों 3 वर्ष तक उसे घाटा उठाने दे और 3 वर्ष बाद ही उसका औपरेशन करें। किसी छोटी सी फुंसी को बड़ा फोड़ा क्यों बनने दे। इस तरह व्यवहार करके कोई डाक्टर अपना नाम तो कमा सकता है कि मैंने फोड़े का औपरेशन कर दिया, इस प्रकार का औपरेशन करके आप भी नाम भले ही कमा ले लेकिन उससे देश का हित नहीं हो सकता और उद्योगों की बीमारी बढ़ती चली जायेगी। मैं चाहता हूं कि इस कानून को बदला जाना चाहिये। एक इफैक्टिव कमेटी बनाई जा सकती है जो बीमार उद्योगों की बीमारी का इलाज ठीक ढंग से कर सके, उन्हें ठीक कर सके।

अभी केवल केन्द्रीय स्तर पर एक बी.आई.एफ.आर. है जिसके सामने मामलों का ढेर लगा हुआ है, हजारों मामले लम्बित हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक बड़े राज्य में, कुछ बड़े शहरो में और हर राज्य की राजधानी में बी.आई.एफ.आर. स्थापित किये जाये और वे उसी राज्य से संबंधित मामलों का निपटारा करे। इस तरह मामलों का जल्दी निपटारा होगा अन्यथा निपटारा होने वाला नहीं है।

मैं यहां खासकर सैन्ट्रल जूट मिल, कलकता के लिये मांग करना चाहता हूं, जिसे मजदूर कोआपरेटिव सैक्टर में चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी 45 करोड़ रुपये की देनदारी को सरकार माफ करे। उसे एन.आर.एफ. से 10 करोड़ रुपये का कर्ज दिलाया जाये और एक इफैक्टिव कमेटी बनाई जाये जो बीमार उद्योगों की बीमारी का इलाज ठीक समय पर करे, तभी उद्योगों की बीमारी ठीक हो सकती है। उद्योगों की बीमारी को ठीक करने के लिये जब तक सरकार अपनी नीति और नीयत साफ नहीं करेगी, बीमारी ठीक नहीं हो सकती हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे मजदूरों को लाभ मिले, यहीं मैं कामना करता हूं और समय देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार (चिंगल पटटु) : सभापति महोदय, मैं अपने दल ए.आई.ए.डी.एम.के. की तरफ से सरकारी उपक्रमों के रूग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने संबंधी इस संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, देश में सरकारी उपक्रमों के एककों जिसमें लगभग 250 उद्यम आते हैं मैं अब तक 160 हजार करोड़ से भी अधिक रुपयों का निर्वेश किया गया है। यदि सूक्ष्म अध्ययन उठाया जाए तो पता चलेगा कि उनमें से करीब 50 प्रतिशत उद्यम घाटे में चल रहे हैं अथवा अधिकांश एककों में लाभ नहीं हो रहा है। यह समझा जाता है कि 50 से अधिक उद्यम ऐसे हैं जो अपने सारे खर्चों के बावजूद लाभ कमा रहे हैं। करीब 90 उद्यम ऐसे हैं जो जैसे-तैसे बिना लाभ-अथवा हानि की स्थिति में चल रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकारी उपक्रमों का प्रतिवर्ष कुल लाभ 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है। जबकि निजी क्षेत्र के मामले में एक एकक द्वारा सभी खर्चों के बाद अनुमानित तथा अर्जित लाभ 10 प्रतिशत से अधिक मिलेगा। अब, प्रश्न यह है कि क्या लगातार अनेक वर्षो तक हमेशा रूग्ण रहने वाले एककों को बनाये रखा जा सकता है या उसे फिर से अर्थक्षम बनाया जायगा ? मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि सरकारी उपक्रमों अर्थक्षम क्यों नहीं हैं। लेकिन मैं उनमें से कुछ बातों यथा, अक्षमता, नौकरशयही प्रबंधन, जटिल विनियमन जिसके परिणामस्वरूप कार्य संचालन में कमी आती है, पेशागत प्रबंधन का आभाव, रोजमर्रे के कामों में राजनीतिक दखल अंदाजी, नियंत्रण का पूर्ण कैंन्द्रीकरण, प्रशासन में व्याप्त लालफीता शाही अनेक एककों में जरूरत से अधिक निवेश, हमें चाटिचों का आधिकय इत्यादि उजागर होते हैं जो कि एककों के रूग्ण बनने के मुख्य कारण है।

इस समय जबकि सरकार व्यापारिक फर्मों के निजीकरण, उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन दे रही है और निजी तथा विदेशी निवेशों को आमन्त्रित कर रही है, रूग्ण एककों को फिर से चालू कर उन्हें लाभकारी बनाना और भी कठीन है चूंकि निजी तथा विदेशी निवेशों से चलने वाले एकक 3 चिंह्न मूल्यों पर ही उपभोकता वस्तुओं औधौगिक वस्तुओं दोनों का ही उत्पादन कर सरकारी उपक्रमों के उत्पादन से जहाँ उपरोक्त कारणों से वस्तुओं के मूल्य अधिक होते हैं, आगे निकल जाएंगे। उस स्थिति में वे एकक अर्थक्षम बनने के बजाय और अधिक रूग्ण

हो जाएंगे। इसलिए रूग्ण एककों को फिर से चालू करने के मामले पर चयनित आधार पर काफी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एकक दो प्रकार के होते हैं। एक एकक ऐसे होते हैं जो पहले निजी क्षेत्र में थे और बाद में रूग्ण हेने के कारण सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिए गए। यदि वैसे एककों को पाँच वर्षों से अधिक समय तक चलाने के बावजूद अर्थक्षम अथवा लाभकारी नहीं बनाया जा सका हो तो उन्हें फिर से चलाने का कोई कारण नहीं है। हमारा देश उन एककों चालू रखने की स्थिति में नहीं है। रूग्ण एककों में पहले से ही कार्यरत कामगारों का रोजगार लगातार बहाल रखने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के रूग्ण एककों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए था।सरकार को उन्हें अन्यत्र सरकारी क्षेत्र के एककों में वैकल्पिक रोजगार मुहय्या कराने पर विचार करना चाहिए था। निजी क्षेत्र की कुछ कपड़ा मिलों को रूग्ण हो जाने के पश्चात सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत उनमें से कई एकक पुनः रूग्ण हो गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के दूसरे प्रकार के रूग्ण एकक वे हैं जो कुप्रबंधन के कारण रूग्ण है जिससे उनमें उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हैं तथा जिसकी वजह से वे एकक लगातार घाटे में चल रहे हैं। इन एककों को फिर से चालू करने की बात अत्यधिक सोंच-समझ कर अनेक उत्पादों को तथा प्रशासनिक एककों को विवेक सम्मत बनाकर प्रत्येक संगठन में अनुसंधान तथा विकास एककों की स्थापना कर और उतम नई तकनीक को अपनाते हुए वस्तुओं का उत्पादन दोनों राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाते हुए तथा इस तरह लाभ कमा कर उन रूग्ण एककों को लाभकारी एकक बनाकर की जा सकती है।

हाल ही में सरकार सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों के शेयर बेच कर चालू वित्त वर्ष के बजट घाटे को पूरा करना चाहाती थी। वे शेयरों को बेचकर 7,000 करोड़ रुपये अर्जित करना चाहते थे लेकिन वे केवल 2,000 करोड़ रुपये की लघु राशि ही अर्जित कर पाये। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों का सरकारी एककों के शेयरों की ओर झुकाव नहीं है। इन परिस्थितियों में सरकारी एककों को पुनः चालू करने के पहले सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। वास्तव में, सरकार कई एककों में प्रभावी विनिवेश करना चाहती थी।

इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य तमिलनाडु में पुरानी थलाइवी के कुशल नेतृत्व में राज्य के अर्न्तगत आने वाले एकक अर्थक्षम हैं तथा लाभ कमा रहे हैं तथा उन एककों के रूग्ण होने का कोई प्रश्न नहीं हैं।

इन्हीं शब्दों के साथमैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

मूलतः मलयालम के दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय रुग्ण कम्पनियों के संबंध में मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। वर्तमान नीति के अनुसार यदि कोई कम्पनी रुग्ण घोषित की जाती है तो कम्पनी की सभी यूनिटों को चाहे वे लाभ में हो या घाटे में रुग्ण माना जाता है। मुझे लगता है कि यह सकारात्मक रवैया नहीं है। न्यायोचित तो यह है कि यदि कोई यूनिट विशेष नाफे में चल रही हो तो उस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह दुख की बात है कि ऐसी कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों की उत्पादनशीलता तथा कुशलता को अन्य यूनिटों की अनुपयुक्तता उनके कुप्रबंधन के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता है। अनुपयुक्तता तथा कुशलता का एक साथ नहीं रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूँगा। मामला इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड का है जो एक सरकारी उपक्रम है। कम्पनी 1993 में रुग्ण घोषित कर दी गई तथा इसे बी.आई.एफ.आर. के अन्तर्गत पुनः अर्थक्षम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस कम्पनी की पालाघाट यूनिट अपनी स्थापना वर्ष 1994 से ही लाभ में चल रही हैं।

आंकड़े ही बताते हैं। मैं उस यूनिट क्षेत्र गत कुछ वर्षों के लाभ तथा हानि रखने से कुछ आंकड़े उद्धृत करता हूं।

वर्ष	कुल कारोबार (लाख में)	लाभ (लाख में)
1990-91	2961.00	813.00
1991-92	3309.00	845.00
1992-93	3345.00	820.00
1993-94	3718.00	890.00
1994-95	3415.00	650.00

सभापति महोदय, ये आंकड़े खुद ही बोलते हैं। गत 5 वर्षों की अवधि के दौरान इस यूनिट में प्रतिवर्ष कुल कारोबार तथा लाभ में अच्छी प्रगति हुई है। केवल 1994-95 के दौरान प्रगति की राह में भी थोड़ी गिरावट आई। इस सर्वाधिक गिरावट का कारण यूनिट की कम उत्पादनशीलता नहीं कही जा सकती। असल कारण कम्पनी को रूग्ण घोषित करने से उत्पन्न असमंजस तथा अनिश्चितता की स्थिति है। यदि सरकार इस स्थिति को समाप्त कर पाती है जिसमें कुछ अनिश्चित है तभी उक्त यूनिट अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस संबंध में यह याद करना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पालाकाड यूनिट को उच्च गुणवता वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए आई.एस.ओ. 9001 प्रमाणपत्र दिये गए थे। सभापति महोदय, मुझे यह बात बिल्कुल नहीं जंचती कि एक यूनिट जो अपने उत्पादनशीलता तथा गुणवत्ता के लिए जाना जाता है उसे रूग्ण घोषित कर दिया जाए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसकी तुलना अन्य सहयोगी यूनिटों, जो अनुपयुक्तता तथा कुप्रबंधन के लिए जानी जाती हैं, के साथ कैसे की जा सकती है। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रूग्ण कम्पनियों को अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज पर चर्चा करते समय वे पालाकाड यूनिट पर विशेष तौर, पर विचार करें।

सभापति महोदय, मैं इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के पालाकाड यूनिट के संबंध में दो सुझाव देना चाहूंगा।

(1) पालाकाड यूनिट को एक स्वतंत्र यूनिट में परिणत कर दिया जाए। यह बिना किसी बजट सहायता के लाभ कमा सकती हैं।

(2) अथवा, इस यूनिट का 'भेल' के नीची यूनिट के साथ विलय कर दिया जाए। इन दो कम्पनियों के उत्पाद कमोबेश एक जैसे हैं। विदित हो कि 'भेल' ने इस यूनिट को अपनाने के संबंध में रूचि दिखाई है। पालाकाड यूनिट को अनिश्चितता तथा असमंजस की वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए यहीं दो संभव विकल्प हैं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार इस यूनिट को "पूरी कम्पनी के आधार पर" निजी क्षेत्र में देने अथवा इसे संयुक्त क्षेत्र में शामिल करने जैसा कोई कदम न

उठाए। मैं आशान्वित हूं कि मेरे द्वारा सुझाए गए दो सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

मुझे माननीय उद्योग मंत्री जो कि एक वरिष्ठ तथा अनुभवी नेता हैं, पर पूरा भरोसा है। वे मजदूरों की समस्याओं के संबंध में काफी जागरूक हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध हैं कि अंतिम निर्णय लेते समय वे पालाकाड यूनिट के उत्साही तथा कुशल मजदूरों के साथ न्याय करेंगे।

दूसरी बात यह है कि 1992 के बाद न तो वेतनमान का पुर्नीक्षण किया गया है और न ही उचित बोनस का वितरण किया गया है। मजदूरों की मात्र 8.33% अल्प बोनस दिया जाता है। इस पर प्रतिशत का निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया जाता है क्योंकि इसका कम्पनी के लाभ से कोई लेना देना नहीं होता है। यूनिट प्रबंधन मंडल मजदूरों को उचित लाभ देने को उत्सुक है, लेकिन इस के लिए सरकार की स्वीकृति हेतु इंतजार करना पड़ता है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त करता हूं। बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद।

सभापति महोदय : इसके पहले कि मैं दूसरे वक्ता को बोलने के लिए कहूं, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध पूर्वक कहना चाहूंगा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा एक महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया जाना है जिसे कम से कम आज अवश्य लिया जाना चाहिए, 91 सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीमित समय में ही अपनी बात कहें।

अब मैं श्री लाल बाबू से बोलने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : सभापति महोदय, मैं श्री सुदर्शन रायचौधरी जी द्वारा पेश किए गए रिजोल्यूशन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश की आर्थिक और औद्योगिक नीति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को लाया गया था। भारत का अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ विदेशी विनियोग ही पर्याप्त नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की एक मिल जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत है और जो कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड के अंदर आती है, सारन इंजीरियरिंग वर्कस और मढ़ौरा शुगर मिल्स जो टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अन्दर आती है, उनको चालू करने के लिए मैं मंत्री जी के यहां कई बार गया, लेकिन वे मिले चालू नहीं हुई।

सभापति महोदय, सरकार ने रूग्ण मिलों को चालू करने के लिए 500-500 करोड़ और 200-200 करोड़ रुपए दिए हैं और कई कारखानों को चालू भी किया है, लेकिन मैं मात्र छः करोड़ रुपए इस सारन इंजीनियरिंग वर्क्स को चलाने के लिए मांगने गया, जिससे 10 हजार मजदूर जो आज भूखे मर रहे हैं और कुछ भूखों मरने के कगार पहुंच गए हैं, परन्तु मंत्री महोदय छः करोड़ रुपए नहीं दे सके। यह देश का वह एक मात्र कारखाना है जो यू.पी., बिहार, बंगाल और उड़िसा की मिलों के लिए यंत्र बनाने वाला कारखाना है। उसको आप चालू नहीं कर सके। इसी तरह से मढ़ौरा शुगर मिल बंद होने के कगार पर है। अशोक पेपर मिल, सिन्दरी खाद कारखाना, एच.ई.सी. हटिया जो आज घाटे में चल रहे हैं, ये भी बन्द हो जाएंगे। इनके घाटे में चलने के कारण भी मैं बताता हूं कि आपका जो बोकारो स्टील कारखाना हैं, जो सरकारी उपक्रम है, लेकिन एच.ई.सी. से आपको माल नहीं मिलता है और इस कारण से वह किसी प्राइवेट से माल लेता है जिसकी वजह से वहां पर हालत खराब है और वह घाटे में जा रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपका वह एच.ई.सी. हटिया कारखाना है, जो हर किस्म का प्रोडक्शन करता है और आपका ही बोकारो का कारखाना है।

वह उससे सामन नहीं लेता है और दूसरे कारखाने से महंगे रेट पर सामान लेता है, लेकिन उससे नहीं लेता है। मैं आपका विशेष समय नहीं लेना चाहता, मैं आपसे यहीं आग्रह करता हूं कि जो नेहरु जी का सपना था, कलकारखाने जब देश में लगे थे तो वह कहते थे कि यहीं कारखाने हमारे देश के मंदिर और मस्जिद है। उन्हीं मंदिर और मस्जिद को आप थोड़े से पैसे के लिए बर्बाद कर रहे है, जिसमें मजदूरों की भी समस्या है।

आपसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा पैसा देकर रूग्ण अवस्था में जो अशोक पेपर मिल, दरभंगा को चालू कराये, उसकी भी वहीं हालत है, आपके थोड़ा सा पैसा नहीं देने की वजह से वह कारखाना बन्द है। बिहार के बारे में हम लोग इसलिए बार-बार सरकार से कहते है कि क्या बिहार भारत के मानचित्र में है कि नहीं है। बिहार के साथ जो विमाता की नीति अपनाई जा रही है, बिहार के छोटे-छोटे कारखाने पांच करोड़, छह करोड़ रुपये के लिए बन्द पड़े हुए हैं और बी.आई.एफ.आर. को हर कारखाने को दिया जा रहा है। अभी यह सुनने में आया है कि बी.सी.सी.एल.और ई.सी.एल. के हमारे जो कोल में करखाने लगे हैं, उनको भी रुग्ण करके बी.आई.एफ.आर. में देने का काम किया गया है। इस तरह से जो सारे उपक्रमों को आप बी.आई.एफ.आर. में देकर एक लम्बा समय लेते हैं और लम्बा समय लेकर, फंसाकर सारे मजदूरों और गरीबों को उपक्रमों को बन्द करके भूखा मारने का काम कर रहे हैं। बी.आई.एफ.आर. यहीं काम है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप छोटे-छोटे जो कारखाने हैं, खाद के या दूसरे कारखाने हैं, जैसा हमारे बहुत से साथियों ने कहा है, उनको आप थोड़ा-थोड़ा पैसा देकर चालू कराये, ताकि मजदूर जो भूखा मरने के कगार पर हैं, मजदूरों की समस्या है, हमारे देश में जो समस्या है, भुखमरी की जो समस्या होती जा रही है, वह खत्म हो सके। आज आपके हजारों कारखाने रुग्ण हैं और बन्द पड़े हुए हैं, उनको आप पैसा देकर खुलवायें। आप नये-नये कारखाने खुलवाने के लिए विदेशियों को बुला रहे हैं, जबकि आप अपने ही कारखाने थोड़ी सी पूंजी देकर चालू करने का काम कर सकते हैं, वह आपसे पार नहीं लग रहा है और विदेशियों को नये-नये कारखानों में अधिक से अधिक पूंजी इन्वैस्ट करने के लिए तैयार हैं, यह आपसे मेरा आग्रह है।

यह जो रैजोल्यूशन श्री सुदर्शन रायचौधरी द्वारा पेश किया गया है, मैं पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, मेरे मित्र जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम सारे देश के अन्दर हैं, जो छोटी से लेकर बड़ी इकाइयां बीमार हैं, जितने भी हिन्दुस्तान के अन्दर बन्द उद्योग हैं, मेरे मित्र बोल रहे थे कि तीन लाख के आसपास यह आंकड़ा हैं, यह कलंक का विषय है।

मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि उद्योगों की जो मंदिर मस्जिद वाली व्याख्या की थी, उसमे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह बीमारी कैसे फैली ? सत्ता में 1947 से लेकर, आजादी के बाद से आप लोग इसपर वर्चस्व बनाये बैठे हैं, इस देश में सरकार कांग्रेस की रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आखिर यह बीमारी कैसे फैली ?

यह बड़ी चिन्ता का विषय है, इसमें भाषण देने से काम नहीं चलेगा, इसपर हमारे तमाम वक्ता भाषण दे चुके हैं, लेकिन भाषण देने से काम नहीं चलेगा, इसपर विचार करना पड़ेगा, चिन्तन करना पड़ेगा। इस देश की सरकार सिर्फ चिन्ता, चिता

और चिन्तन करती है। अगर चिता में यह भस्म हो रही हैं, करोड़ों रूपये का इस देश का आम गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों को जो पैसा हैं, वह करोड़ों रूपया घोटाले में जा रहा है, आप चिन्ता कर रहे हैं, चिता में जल रहे हैं, जब तक इस देश के लिए चिन्ता, चिन्तन नहीं करेंगे तो देश के जो बीमार उद्योग हैं, यह प्रगति नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, एक प्रश्न के ऊपर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। हम लोग समूचे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते है। अगर हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। यह बीमारी कैसे फैली, इस पर हमे ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्तान के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या अन्य किसी प्रदेश का मामला हो, तमाम उद्योग ऐसे हैं जो बीमार पड़े हुए हैं। अभी आधुनिकीकरण की बात आई थी। सरकार बताये कि वह किस प्रकार से आधुनिकीकरण करना चाहती है ? अहम् प्रश्न चिन्तन का है। सरकार की नीयत सही होनी चाहिए। हमारी सरकार नीतियां तो अच्छी बनाती है, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं है। यह एक भयावह स्थिति बन गई है। देश में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश में मेरे चुनाव क्षेत्र फिरोजाबाद में करीब 450 छोटी-बड़ी इकाइयां काम करती है। वहां ग्लास का उत्पादन होता है और यह पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। अभी कोर्ट ने आगरा के ताजमहल की सुरक्षा के लिए इन उद्योगों को बंद करने के बाबत कहा। इस सम्बन्ध में ऐलान किया गया कि शीघ्र से शीघ्र यह कार्य किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि ताजमहल हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं और उसकी प्रदूषण से रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन फिरोजाबाद के अगर इन उद्योगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं, हमने कहा था कि सरकार इसकी व्यवस्था करे। औरैया से एल.पी.जी. की लाइन आ रही है। इसको शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और आगरा से जोड़ दिया जाये। जिससे केरोसिन पर आधारित हमारे यहां उद्योग चलते है और प्रदूषण करते हैं, उनको गैस मिले और प्रदूषण भी न हो। इससे ताजमहल की सुरक्षा भी हो जायेगी। ऐसे ही हमे इंडियल आयल से फैरनेस आयल मिलता था। वह भी मथुरा रिफाइनरी से मिलना बंद हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार की नीति क्या है ? अगर सरकार सही तरीके से देखभाल नहीं करेगी तो छोटी-बड़ी इकाइयां बंद होती चली जायेगी ग्रामीण क्षेत्र से अगर लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की जायेगी तो बड़ी मात्रा में गांवों से बेरोजगार लड़कों की शहरों की ओर पलायन जो हो रहा है वह और बढ़ेगा। बड़े-बड़े शहरों की स्थिति भी इससे दूषित हो रही है। अगर गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले तो यह पलायन नहीं होगा और मजदूर भी खुश होगा। अगर इस देश का मजदूर खुश रहेगा तो देश खुशहाल होगा। इसलिए मजदूरों की जो इतनी बड़ी अवहेलना हो रही है, उस पर आप ध्यान दें, छोटी लाइट से लेकर रेल और बस तक का उत्पादन ये मजदूर ही करते हैं। लेकिन इसके बदले इनको पर्याप्त मजदूरी भी नहीं मिलती है। इससे बड़ी संख्या में मजदूर बेकार होते चले जा रहे हैं। तीन लाख छोटी और बड़ी इकाइयां बंद हैं। इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, यह बताये ?

गोरखपुर की फर्टिलाइजर मिल बंद पड़ी है। सरकार थोड़ी सी व्यवस्था कर दे तो शायद हमें विदेशों से फर्टिलाइजर न लेना पड़े। हमने देखा है कि जो भी उद्योग हमारे प्रदेश में बंद होता है उसको बी.आई.एफ.आर. को रेफर कर दिया जाता है। वहां तमाम ऐसे केस हैं जो वर्षों से लम्बित पड़े हैं। अगर इन पर ध्यान दिया जाये तो इनको चालू किया जा सकता है और हमारे देश में प्रगति हो सकती है।

समयाभाव के कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मजदूरों की भावना को ध्यान में रखते हुए जो बदं पड़े हुए उद्योग हैं उनके लिए सरकार अधिक धन की व्यवस्था करे जिससे इस देश के करोड़ो मजदूर बेकारी से बच सकें और अपनी रोजी-रोटी कमा सके। इन बातों पर सरकार विचार करे और बंद इकाइयों को चालू कराये। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद कठेरिया जी, श्री एस.सी.दास उपस्थित नहीं हैं। अब श्री मोहन रावले बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि रेजोल्यूशन मूव करना है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में मेजगान डॉक में जो पब्लिक सैक्टर है और रिचर्डसन क्रूड में जो दो कंपनियां है, पब्लिक सैक्टर है। ओ.एन.जी.सी. भी पब्लिक सैक्टर है।ओ. एन. जी. सी. अगर मेजगॉन डॉक को प्लेटफार्म का कॉन्ट्रैक्ट देती है तो मेजगॉन डॉक के लोग बेरोजगार नहीं हो सकते। हमारी रिचर्डसन एंड क्रूडस जो रेलवे के लिए लीम्स का उत्पादन कर रही है, उसको रेलवे का कॉन्ट्रैक्स नहीं दिया गया। अगर दिया जाए तो हमारी रिचर्डसन एंड क्रूडस जो बी.आई.एफ.आर. में आ गयी है, वह चल सकती है। मिल के लिए अगर आप कच्चा माल और कपास दे देंगे तो मिल चल सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे सभी सदस्य, जिन्होंने अपना नाम दिया हैं, उन्हें अब तक इस विषय विशेष पर न बोलना हो तब तक न बोले श्री संतोष गंगवार क्या आप बोलेगें ?

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर, मैं अपने भाई श्री सुदर्शन राय चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह यह संकल्प लाए हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें है लेकिन अगला संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी भी उस संकल्प से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे सुदर्शन चौधरी जी ने जो संकल्प दिया है, वास्तव में कुछ ऐसी विडम्बना हो गयी है कि सरकारी नियंत्रण में जितनी भी इकाइयां आती है उनमें रूग्णता बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि ढाई लाख से ज्यादा की संख्या और करीब 10 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा उनके ऊपर बकाया है। कर्मचारी जो बेरोजगार हैं, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं और यह ऐसी व्यवस्था चलती जा रही है जिसका कोई हल नहीं निकल पर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के साथी ने बताया कि ऐसी बहुत सी सरकारी नियंत्रण की इकाइयां हैं, चाहे वे चीनी मिलें हो या गोरखपुर का कारखाना हो, सरकार के द्वारा उनका कोई सुनिश्चित योजना माननीय मंत्री महोदय बनाएं। क्योंकि लोगों के दिमाग में यह भावना घर करती जा रही है कि सरकारी नियंत्रण में अगर इकाई चली जाए तो वह काम करती है। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था के खिलाफ बात उठ रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में विचार करे और उपयुक्त फैसला ले। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इस विषय में आप कई बार बोल चुके हैं।

डा. सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : हजार बार बोलना होगा सरकार यदि माने तो कोई परेशानी नहीं है। मैं यह कहूगां कि "मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की, दर्द बढ़ता ही गया, हर्ज होता ही गया, किसी को क्या मिला। किसी की रोजी गयी, कोई मौज मनाकर चला गया।" मुश्किलें इस बात के लिए है कि सरकार

को ध्यान आता नहीं है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जाती हैं।

हमारे यहां पर इस्को का कारखाना है। बढ़िया फाउंड्री है, इस कारखाने में पाइप बनाते है। कारखाने के पास अच्छे आर्डर भी आ रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान इसकी ओर जाता नहीं है जिसके कारण वह पूरी फैक्टरी बैठ गई है। सरकार उसकी मदद नहीं करना चाहती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जाटिया जी, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए मैं आपको पुनः बुलाऊंगा। यहां एक तकनीकी समस्या है। इस संकल्प के लिए 5.30 म. प. तक का समय किया गया था; अभी एक और सदस्य को बोलना है और तब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। अतः हम इस संकल्प के लिए कम से आधे घंटे का समय और बढ़ाते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्तावकर्ता को उत्तर देने का अधिकार है।

सभापति मोहदय : महोदय, मुझे पता है।

डा. सत्यनारायण जाटिया : महोदय, गैर सरकारी सद्स्यों संबंधी कार्य आज 12 मिनट विलंब से शुरू हुआ। अतः हम इसका समय 12 मिनट बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

आज का प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस 12 मिनट लेट शुरू हुआ है इसलिए छः बजकर बारह मिनट तक हाउस चला सकते हैं। वैसे भी हाउस 7 बजे तक चलाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। मैं बता रहा था कि जिस तरीके से हम उद्योग और रोजगार बढ़ाने की बात करते थे, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर बात करते थे, लेकिन सारी की सारी सरकारी इकाइयां बीमार होती जा रही हैं और बीमार होने का कारण भी यहीं है कि वास्तव में, हमारी संरचना में ऊर्जा, बिजली और पानी के लिए जितने स्रोत हमें चाहिए थे उसके लिए उतने उपाय हमने नहीं किए। कारखानों की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से भी हमारा पक्ष काफी कमजोर रहा, हमारी जो सरकारी इकाइयां और सार्वजनिक उपक्रम हैं, वे एक साथ बीमार होते गए।

यह केवल सार्वजिक उपक्रमों का मामला नहीं है। उसी के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हो रहे हैं। सार्वजिक उपक्रम खराब होने के कारण सारे विदेशी कोलैबरेशन को लाने का फैशन हो गया है। औद्योगिक दृष्टि से सारा कारोबार ठप्प हो गया। हमने सोच लिया कि हम में ऐसी ताकत नहीं कि हम अपने उद्योगों को सुचारू रूप से चला सकें। विकास करने की दृष्टि से ऊर्जा, बिजली, पानी का उत्पादन हम नहीं कर पाये हैं। हमने उद्योगों का काम शुरू किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उद्योगों का विकास हो सके। हमारे यहां सिक फैक्ट्रियां हैं, हमारे यहां "इस्को" पाइप उत्पादन की फैक्ट्री है जिसके अभी भी पाइप की मांग के आदेश आये हुए हैं किन्तु फैक्ट्री बंद है। इसके कारण सप्लाई नहीं हो रही है। इस कारण हर रोज लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ माडर्न फूड इंडस्ट्री का भी यही हाल है। उद्योग बंद हो गये हैं और मजदूर बेकार हैं। इसी प्रकार से नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत हीरा मिल ने उत्पादन बंद कर दिया है और वहां के मजदूर बेकार हो गए है।

इसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में पीयरलैस कंपनी काम करती है। उसमें काम करने वाले लाखों कर्मचारी सरकार की गलत नीति के कारण प्रभावित हुए हैं और वे जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे है। उनमें कुछ लोग अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। सरकार को इस समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए।

कलकत्ता की न्यू सैंट्रल जूट मिल को बी.आई.एफ.आर. ने 10 करोड़ का रिन्यूवल फंड देने की अनुशंसा की है, जिसे एन.आर.एफ. ने स्वीकृति देनी है। इस मिल को सहकारी आधार पर चला रहे हैं। इसलिए इसे सरकारी सहायता देकर पुनर्जीवित करना चाहिए। सरकार ने समाजवाद के आधार पर उद्योगों का सरकारीकरण करने का काम शुरू किया था किंतु समाजवाद में वाद-विवाद हो गया है और इसलिए सारी औद्योगिक प्रगति ठप हो गई है। अतएव इसके कारण सारे उद्योग बंद हो गए और मजदूर बेकार हो गए हैं।

महिदापुर के शक्कर कारखाने को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता देने की जरूरत है, जिससे कि यह कारखाना अपना उत्पादन प्रारम्भ कर सके तथा किसानों और मजदूरों को राहत मिल सके।

महोदय, अब आगे हम हिन्दुस्तान का क्या करने वाले हैं, यह स्पष्ट नीति होनी चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मजदूरों के अंदर जो असंतोष हो रहा है वह इसी प्रकार से प्रकट होगा-

"उठो कि अब नयी आंधिया चलाओ, अरमानों के मचलते तूफान उठाओ,

क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे, जो रोकेंगे रास्ता मजदूरों का,

वे नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, आज जिस प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सहीं मायनों में जितनी सिक मिलें हैं, इनमें अगर सही मायनों में कोई दोषी है तो जिस वक्त से देश आजाद हुआ है उस वक्त से कांग्रेस सरकार अधिकांश समय तक सरकार में रही है। उसके बावजूद भी मिलों की जो स्थिति बनी हुई है उसका सारा दोष इस सरकार का है।

सभापति महोदय, सबसे पहला दोष देश को आगे बढ़ाने में रूग्ण मिले रूकावट है। पब्लिक सैक्टर की जो रूग्ण मिलें हैं उनके बीमार पड़ने से देश के लाखों परिवार भुखमरी के कगार पर है। जो कर्मचारी और लेबर्स हैं, जो मजदूरी का काम इन सिक मिलों में करते थे उनकी भी भुखमरी की समस्या है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, दवा के लिए जो भी स्थिति बनी हुई है उसमें सारा दोष हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यह जो वर्तमान सरकार है उन्हीं की देन है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे कटिहार में, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया, एक ऐसी फैक्ट्री थी, उसमें पूरे उत्तरी-भारत में जितनी भी मिलें थी उसका पार्टस बनता था। उसके बीमार होने से उस फैक्ट्री की जो हालत है उनसे लाखों लोग बेरोजगार पड़े है। यहां उद्योग मंत्री जी बैठे हुए हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो सिक मिलें हैं, आपको जो भी नीति निर्धाण करनी है वह नीति आप निर्धाण करके जो सिक मिलें हैं उनकों चलाएं। ताकि देश के करोड़ों युवकों, कर्मचारियों के परिवारों को होने वाली कठिनाई, उनके बाल-बच्चों की शिक्षा में आने वाली कठिनाई दूर हो सके, देश का विकास अवरूद्ध न हो, विकास कार्य आगे बढ़ें, इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद, श्री चार्ल्स अंतिम वक्ता है परन्तु श्री चार्ल्स

को बुलाने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : महोदय, मुझे एक मुद्दा उठाना है। इस संकल्प पर चर्चा के बाद एक और संकल्प आएगा___

सभापति महोदय : यहीं बात मैं कहना चाहता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : इसी लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संकल्प की समयावधि बढ़ा दिए जाने के कारण एक्त संकल्प व्यपगत न हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और हम चाहते हैं कि उक्त संकल्प पर विचार विमर्श शुरु किया जाए। यदि मंत्री महोदय के उत्तर के बाद उस पर चर्चा नहीं शुरु की गई तो यह अनुरोध है कि इसे व्यपगत न होने दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार (बरेली) : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण इशू है और हम सब लोगों की उसमें रूचि है। इसलिए हमारा आग्रह है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सभापति महोदय, सूची के सभी वक्ताओं द्वारा बोले जाने के बाद और मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के पूर्व आप सदस्य से उनका संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कह सकते है और तब मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : प्रक्रिया चाहे जो भी हो इसे व्यगत नहीं होने दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : दिये गये सुझावों का स्वागत है। परन्तु एक समस्या है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने एक ऐसा सुझाव दिया है, जिसे प्रक्रिया नियम के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, जिसे आज श्री इन्द्रजीत गुप्त को प्रस्तुत करना है। मैं अध्यक्ष के निर्देश में से

उद्धृत करना चाहता हूं। निर्देश 9 क में दिया गया है :

"यदि किसी दिन की कार्यसूची में दर्ज ऐसे संकल्प पर, जिस पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है, चर्चा के लिए निर्धारित समय को सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जाता है तो उस संकल्प को, आंशिक रूप से चर्चा किये गये संकल्प, यदि कोई होने के पश्चात् गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये उसी सत्र के दौरान नियत अगले दिन के कार्य की पहली मद के रूप में रखा जायेगा।"

यह अध्यक्ष का निर्देश है। अतः श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प के लोप होने का प्रश्न नहीं उठता। इसे संरक्षण मिल रहा है। अगले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत दिवस अर्थात् 22 तारीख को पहला संकल्प श्री इन्द्रजीत गुप्त का होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : अनेक बाते उठायी गई हैं और इस पर मंत्री महोदय उत्तर देंगे और तत्पश्चात् श्री सुदर्शन रायचौधरी भी बोलेंगे। अतः मेरा अनुरोध कि श्री चार्ल्स संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री ए.चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, देर शाम के इस समय, आपके हस्तक्षेप के कारण मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। कुछ समय में अपने विचार व्यक्त करने के लिये मुझे इसलिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि यह विषय ऐसा है जिसपर भारत सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

औद्योगिक रूग्णता एक अत्यन्त ही गम्भीर समस्या है, जो अर्थव्यवस्था, उत्पादन, रोजगार और वस्तुतः आर्थीक जीवन के सम्पूर्ण आधार को प्रभावित करती है। परन्तु मुझे खेद है कि यह संकल्प केवल सरकारी उपक्रमों में स्थापित उद्योगों में व्याप्त रूग्णता पर चर्चा तक ही सीमित है। यदि इस चर्चा का क्षेत्र लघु उद्योग और छोटी इकाइयों तक भी विस्तृत होता तो मुझे प्रसन्नता होती। जैसा कि आप जानते हैं कि लघु उद्योग और छोटी इकाइयां हमारे उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक रोज़गार के अवसर भी इस क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन लघु उद्योग में होता है। अतः लघु उद्योग और छोटी इकाइयों को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिये सुझाये गये उपाय और सुझाव को क्रियान्वित करते समय इस पहलू पर भी विचार करें।

जब मैं, यह बात कहता हूँ तो अपने प्रिय (स्व) नेता राजीव जी को कृतज्ञ एवम् भाव विभोर होकर याद करता हूं।यह उनके समय की बात है जब 1985 में वे प्रधानमंत्री बने थे, वे उद्योगों की रूग्णता और इसे ठीक करने की तुरन्त आवश्यकता से भली भांति परिचित थे। वह अपने कार्यकाल के दौरान एक विधेयक अर्थात् रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 लाये थे। मुझे याद है कि एक नये सदस्य के रूप में मैंने उस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मैंने सुझाव दिया था - यह सरकारी उपक्रमों के अर्थक्षम अथवा पुनर्निर्माण अथवा पुनर्वास तक ही सीमित है - कि छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिये भी इसी प्रकार के तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिये और उस पर सभा में एक आश्वासन दिया गया था कि सरकार छोटी औद्योगिक इकाइयों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिये एक विधेयक ला सकती है और इसी प्रकार के एक बोर्ड का गठन कर सकती है। परन्तु, मुझे खेद है कि एक दशक के बाद भी इस दिशा में कोई लाभदायक कार्य नहीं किया गया है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

महोदय, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। यह रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) आधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। समयाभाव के कारण मैं सभी ब्यौरे नहीं दे रहा हूं। 240 सरकारी उपक्रमों में से लगभग 120 उपक्रम लाभकारी उपक्रमों हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम इतना लाभ तो हैं। परन्तु शेष 120 सरकारी उपक्रमों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं। लाभकारी उपक्रमों ने 1992-93 में कुछ अधिक लाभ कमाया है घाटे तथा में चल रहे उपक्रमों में और अधिक घाटा हुआ है। अतः हमें इन घाटे में चल रहे उपक्रमों के घाटे के कारण का पता लगाना होगा और हमें इस पहलू की भी जांच करनी होगी।

महोदय, मैं इसमें राजनीति को सम्मिलित नहीं करना चाहता हूं। परन्तु, मुझे पिछले वक्ता द्वारा यह कहे जाने पर आश्चर्य हुआ कि वस्त्र उद्योग में घाटे के लिये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। यदि मेरे पास समय होता तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करता। मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा मिलों की रूग्णता का क्या कारण है। इनमें से अधिकांश मिलें पहले से ही रुग्ण थी, हाथ में लिया था। अतः रूग्ण मिलों के अधिग्रहण के पश्चात् सरकार की नीति की आलोचना करना उचित

नहीं है।

सरकार की यह नीति है कि एक भी श्रमिक को उद्योग में उत्पन्न समस्या के कारण नौकरी से न निकाला जाये। आप एक्ज़िट नीति को ही देखें। इसके बारे में अत्यधिक आलोचना हुई है। परन्तु सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि एक भी श्रमिक को रोज़गार विहीन न किया जाये। इस नीति के अनुरूप करोड़ों रूपया राष्ट्रीय नवीकरण कोष में दिया गया है जिससे श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर पुनः कार्य पर लगाया जा सके। अतः सरकार की यहीं प्रमुख चिन्ता है।

महोदय, इस मामले में मुझे अभी तक याद है - मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता हूं - कि जब मैं प्राक्कलन समिति में था तो मुझे पश्चिम बंगाल जाकर मात्र वस्त्र उद्योग की रूग्णता का अध्यन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय सातवीं योजना में लगभग 750 करोड़ रूपये वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए खर्च किये गये थे। आधुनिकीकरण का क्या परिणाम निकला ? आधुनिकीकरण से रोजगार के अवसरों में और अधिक कमी आयी और कुछ नहीं हुआ। समिति के साथ पश्चिम बंगाल की एक मिल का हमने मुआयना किया था। किसी खास राज्य का नाम लेने के लिए कृपया क्षमा करें। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता परन्तु मुझे यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक सदस्य ने यहां पर यह कहा है कि केवल खराब नीतियों के कारण ही वस्त्र उद्योग में रूग्णता आयी है। परन्तु मुझे एक वर्ष के लिये केलानोर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने वहां पर विद्युत करघों को देखा था। मैंने देखा कि उस मिल में श्रमिक चार विद्युत करघों का निरीक्षण कर रहा था। परन्तु पश्चिम बंगाल में जिस मिल को हमने देखा था वहां पर एक श्रमिक द्वारा केवल दो करघों चलाये जा रहे थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कहां ?

श्री ए.चार्ल्स : मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका मुझे यहां उल्लेख करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उस मिल में विद्युत करघा था अथवा करघा था ?

श्री ए.चार्ल्स : उस मिल में करघा था। उस समय यही सामान्य मानदण्ड था। मुझे यह नहीं पता है कि इस समय क्या स्थिति है। परन्तु वहां पर एक श्रमिक दो करघे देख रहा था और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों और सरकार के बीच की व्यवस्था है। अतः जिस मिल में 500 श्रमिक होने चाहिये 1000 श्रमिक होते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी मिलों की रूग्णता किस प्रकार ठीक हो पायेगी। इन सभी पहलुओं पर हमें गौर करना होगा।

महोदय, रूग्णता के अनेक कारण हैं। यह सही है कि श्रम अशान्ति एक कारण हो सकता है परन्तु मेरी राय में यह अन्तिम कारण है क्योंकि किसी एकक को रूग्ण बनाने में सभी अन्य कारणों का योगदान होता है। यदि श्रमिकों को उचित रूप से मजदूरी दी जाये, उनके कल्याण का उचित ध्यान रखा जाये और कार्य करने के लिये उचित सुविधायें दी जाये और तो मुझे यकीन है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति देश विरोधी या उद्योग विरोधी नहीं होगा और वह नहीं चाहेगा कि जिस मिल या फैक्ट्री में वह कार्यरत है वह बन्द कर दी जाये, क्योंकि उसके माध्यम से उसकी जीविका चलती है। परन्तु जब उचित समय पर कच्चा माल न मिले, ऊर्जा की कमी हो, ऋण के लिये कोई उचित सुविधा न हो, विपणन की उचित सुविधा न हो और जो माल वे तैयार करते हैं उसकी बिक्री न हो और अन्त में जब वे अपना रोज़गार खो देने की स्थिति में आ जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि इस बात का प्रयास करेंगे कि उनकी मांगें पूरी की जायें। अतः अन्य सभी पहलुओं को देखना होगा। हमारे भूतपूर्व मुखमंत्री अब हमारे उद्योग मंत्री हैं। मुझे इसके बारे में बात करने में थोड़ा संकोच हो रहा है क्योंकि उन्हें इसके बारे में अच्छी जानकारी है। केरल में ऊर्जा की गम्भीर कमी है। अद्यतन उपक्रम कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र है। मैं इस सभा का 1988 में भी सदस्य था जिस समय तत्कालीन विद्युत मंत्री, श्री वसन्त साठे ने यह वायदा किया था कि कायमकुलम ताप विद्युच संयंत्र अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ तत्काल चालू हो जाएगा क्योंकि यह ताप विद्युत संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया जा रहा था। यह बताया गया था कि इस परियोजना के चालू होने की कुल अवधि केवल चार वर्ष थी और चौथे वर्ष के अन्त में हमें ऊर्जा प्राप्त होना आरम्भ हो जायेगी। यह बात रिकार्ड में दर्ज है। यह 1988 की बात है। परन्तु किसी को ऐसा आभास नहीं था कि सोवियत संघ का विम्बण्ढन हो जायेगा और हम सोवियत संघ की सहायता से इस बिजली घर का निर्माण नहीं कर पायेंगे। अन्ततः हमें विफलता हाथ लगी और इतने वर्षों के बाद भी प्रारम्भिक कार्य भी कायमकुलम में ठीक से आरम्भ नहीं हो पाया। हमें ऊर्जा की प्राप्ति किस स्त्रोत से होगी ? यह एक दूसरा क्षेत्र है। ऋण सुविधा की भी यही स्थिति है। मुझे यह कहते हुये दुःख हो रहा है कि इस क्षेत्र में केरल के साथ भेदभाव हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत ऋण जमा अनुपात 60:40 है। साथ ही साथ लगे हुये दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक की ऋण सुविधा बढ़कर 100 प्रतिशत अथवा 120 प्रतिशत अथवा 130 प्रतिशत हो गई है जबकि केरल का अनुपात केवल 40 प्रतिशत तक ही बढ़ पाया है। जब यह पूछा गया तो यह बताया गया कि कोई लाभप्रद परियोजना नहीं है। अतः खाड़ी और प्रवासी भारतीयों के मेहनत से कमाये गये पैसे को बैंकों द्वारा इकठ्ठा कर के अन्य राज्यों में निवेश किया जा रहा है। मैं संकीर्ण अथवा क्षेत्रवााद की भावना से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि हमें अपने देश को आरंभिक स्थिति में ही रखना है।

सभापति महोदय : अभी माननीय मंत्री को उत्तर देना है और उसके बाद श्री रायचौधरी बोलेंगे। इसलिए, कृपया दो मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयास किजिए।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री के बीच में नहीं आऊंगा अतः मुझे कम से कम दो या तीन मिनट चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री, अपना उत्तर थोड़ी देर बाद दे सकते हैं।

सभापति महोदय : हमने सभा की कार्यवाही 12 मिनट देर से शुरू की है अतः समय की कार्यवाही 6.12 म.प. तक चलेगी। हम माननीय मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि क्या माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय मिल पायेगा। क्या मंत्री जी आज अपना उत्तर आरम्भ करके अगली बार पूरा करेंगे ? अथवा क्या यह जरूरी नहीं है ?

श्री ए.चार्ल्स : महोदय, मैं तो केरल की समस्या भी नहीं रख पाया।

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : मुख्य मुद्दा रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने और वेतन के भुगतान के बारे में है। यद्यपि इसका सीमित प्रयोजन है अतः हम अन्य सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। परन्तु, हमें इन दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

सभापति महोदय : चार्ल्स जी, कृपया आप अपने भाषण को इन दो मुद्दों तक ही सीमित रखिए। मंत्री जी की बात बहुत ही सुसंगत है। राज्यों को ऋण सुविधाएं और अन्य बातें ये सभी बाहरी मुद्दे हैं। अतः, कृपया मुख्य विषय पर आइए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

6.00 म. प्र.

श्री ए.चार्ल्स: जी हाँ, महोदय।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उन्हें मुख्य मुद्दे से नहीं हटना चाहिए।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक,ये बातें इस विषय से संबंधित हैं।

श्री हन्नान मोहल्लाह: चर्चा के विषय क्षेत्र से बाहर की बातें मत बोलिए।

श्री ए. चार्ल्स : आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप मुख्य-मुख्य मुद्दों पर बोल सकते हैं।

श्री ए. चार्ल्स : मैं एक विशेष बात बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केरल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की पांच कपड़ा मिलें हैं। इनमें से अधिकांश मिलों को रूग्ण बनाया जा रहा है। अभी हाल में एक पखवाड़े के पहले 'मलयाला मनोरमा' में चौंकाने वाला एक समाचार प्रकाशित हुआ था। यह देश में सर्वाधिक बिकने वाला दैनिक समाचार पत्र है। उस समाचार में यह बात कहीं गई है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा इन कपड़ा मिलों को कपास उपलब्ध कराने के लिए इनसे आग्रिम धनराशी ले ली पाती है। अग्रिम के रूप में भारी राशी लेने के बाद उन्हें खरीदा हुआ कपास नहीं दिया जाता है।

विजय मोहिनी मिल्स राजधानी में स्थित मिलों में से एक है जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। अकेले कम्पनी में 5.4 करोड़ रूपये की धनराशी अग्रिम के रूप में ली गई है। परन्तु, उस कम्पनी को अब तक कपास उपलब्ध नहीं कराया गया है। श्रमिकों को उनकी मज़दूरी नहीं दी जा रही है। इस तरह से यह उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। आपके निर्वाचन क्षेत्र, त्रिचूर, में एक मिल है।

सभापति महोदय : कृपया प्रशासकीय समस्याओं की बात न करें।

श्री ए.चार्ल्स : अब मैं एक विशेष बात कह रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पूरे मामले की जांच कराकर पता लगाएं कि अग्रिम राशी क्यों मांगी गई है। यहां तक कि ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है। इन मिलों को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ली गई धनराशि पर बैंकों के ब्याज चुकाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जांच कराकर केरल स्थित इन पांच कपड़ा मिलों की हालत बिगड़ने से बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद, चार्ल्स जी। अब माननीय मंत्री जी अपनी बात रखेंगे। धावा नहीं बोलेंगे।

श्री पी.सी.चाको : पहले आप सुनिए और फिर निर्णय लीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : धावा नहीं तोलेंगे।

श्री के.करूणाकरण : सभापति महोदय, मैंने सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुना और नोट किया है। आरम्भ में ही मैं, यह सुस्पष्ट कर दूं कि यह कहना सरासर गलत है कि सरकार का केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थिति दयनीय और श्रमिकों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। इस सभा के कुछ माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि मैंने एक सारधारण से कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा आरम्भ की थी। और मजदूर संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा ही मजदूरों की भलाई में गहरी रूचि ली है। अतः आज आपके समक्ष उद्योग मंत्रालय में मजदूरों को एक सबसे अच्छा मित्र मौजूद है। मैंने हमेशा ही मजदूरों के हितों को सर्वाधिक महत्व दिया है अतः आप इस मामले में निश्चित रहिए और मैं अपनी यह भावना हमेशा बरकरार रखूंगा। मैं इस मामले में आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं।

सरकार केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रूग्णता की समस्या के प्रति सचेत है और इसके लिए बहुत ही चिंतित है और कामगारों के हितों, रोजगार और आर्थिक आवश्यकताओं की सुरक्षा किस तरह की जाये इन सब बातों का पता लगने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

इससे पहले कि मैं और कुछ कहूं मुझे सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के बारे में बोलने की अनुमति दीजिए। माननीय सदस्य यह जानते ही होंगे कि सरकारी क्षेत्र के कई रूग्ण उपक्रमों की ऐसी दुर्दशा सरकार के हाथ में आने से नहीं हुई है। जब ये एकक रूग्ण थे और बंद होने की स्थिति में थे तो सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करके इन एककों का अधिग्रहण किया ताकि इन एककों को बंद होने से और श्रमिकों की बेरोजगार होने से बचाया जा सके। कुल मिलाकर हमने ऐसे 46 एककों का अधिग्रहण किया है जिन्हें निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने बेकार करार किया था।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि रूग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के संबंध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। परन्तु, यह बात सही नहीं है। यहां यह कहना गलत होगा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ बनाने के लिए सरकार की और से कभी भी किसी तरह का निश्चित प्रयास नहीं किया गया। सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के बारे में सरकार की नीति संसद के दोनों सदनों में समय-समय पर स्पष्ट की गई है।

सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है और वह रूग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए हर सम्भव कदम उठा रही है। यहां मैं उन उपायों की रूपरेखा रखना चाहूंगा जो सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों को अर्थक्षम बनाये। पुनर्गठन के लिए उठाए गए हैं। इसके लिए सरकार सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे श्रमिकों और मजदूर संघ के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके ऐसी योजनाएं बनाए जिससे इन एककों को सुदृढ और अर्थक्षम बनाया जा सके। यदि कम्पनी को अर्थक्षम बनाने के लिए उसे ऋणों की गारण्टी के रूप में सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है तो सरकार ऐसे प्रस्तावों पर जो आर्थिक रूप व्यक्त कार्य होते हैं, सकारात्मक रवैय्या अपनाती है। उदाहरण के लिए सरकार ने हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेक्षण, रांची को 177 करोड़ रूपये का गारण्टी दी है। मैंने इसका पहले ही उल्लेख किया है।

दूसरी बात यह है कि जब कोई सरकारी क्षेत्र का एकक बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द किया जाता है तो उसे अर्थक्षम बनाने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए एक आपरेटिंग एजेंसी नियुक्ति की जाती है। बी.आई.एफ.आर सभी पक्षों को सुनने के बाद अर्थक्षम बनाने पुनर्गठन संबंधी कतिपय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर सकती है। इस में भी सरकार ने कुछ चुनिंदा मामलों में ऋण प्राप्त करने के लिए काउन्टर गारण्टी प्रदान की है। हमने पहले ही नौ और एककों के पूंजीगत पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं जैसे विशाखा पट्टनम स्टील प्लान्ट, हिन्दुस्तान एन्टीबयोटिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बगांल केमिकल और फार्म्यास्यूटिकल लिमिटेड आदि।

तीसरी बात यह है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के एककों को योजना और गैर योजनागत सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान क्षेत्र के एककों को योजना और गैर योजनागत दोनों ही रूप में बजटीय सहायता के माध्यम से 19,085 करोड़

रूपये से भी अधिक राशि प्रदान की है।

चौथी बात यह है कि किसी सरकारी क्षेत्र के एकक को अन्य सरकारी संगठनों से सहायता मिल सकती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सहायता दिलाने के लिए उद्योग मंत्रालय ऐसे संगठनों के हाथ तेजी से कार्यवाही करता रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में उद्योग मंत्रालय के हस्तक्षेप से रेल मंत्रालय ने बी.बी.यू.एन.एल. को 10,000 वेगनों के लिए 400 करोड़ रूपये मूल्य का क्रयादेश दिया गया। इससे कम्पनी में एक नई आशा का संचार हुआ। मुझे विशवास है कि जिन माननीय सदस्यों ने वेगन बनाने वाले कारखाने के बारे में शिकायत की है वह अब संतुष्ट होंगे।

हम सरकारी क्षेत्र के एककों को स्वायत्तता भी दे रहे है ताकि वे एककों को अर्थक्षम बनाते और इनमें प्रतिस्पर्धा बढाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ गठबंधन कर सकें।

प्रो. रासा सिंह रावत : आई.डी.पी.एल. के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री के. करूणाकरण : कृपया मेरी बात सुनिए और मुझे पूर्ण बात कहने दीजिए।

उपरोक्त बातों से यह काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने की सभी स्थावनाओं को ढूंढने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन होने के बावजूद हमारी कार्यसूची में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, मैं यह भी बताना चाहूगां कि सरकार ने श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु श्रम मंत्रालय में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की है जो सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के संबंध में प्रबंधन, मजदूरों और सरकार की राय प्राप्त करके कोई सर्वसम्मत निर्णय कर सके। माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का भी गठन किया गया है जो सरकारी क्षेत्र के विशेषत: घाटे पर चल रहे एककों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगा।

इसके अलावा हमने यह निर्णय लिया है कि यदि श्रमिक किसी एकक को पुन: चालू करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में सभा को यह सूचित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अर्थक्षम बनाने संबंधी योजनाओं में सभी मजदूर संघों के नेताओं का सहयोग और सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के लिए मैंने इस वर्ष के अगस्त माह में उनके साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी। सरकार श्रमिक सहकारिता के माध्यम से प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का समर्थन करती है। कहने का मतलब यह है कि हम रूग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए जहां कहीं भी सम्भव हो किसी तरह का उपाय करने में कोई कमी न करेंगे चाहे वह श्रमिकों की सहकारिता बनाने अथवा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अथवा अन्य कोई बात ही क्यों न हो और सरकार यहीं चाहती है।

कई माननीय सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में तथाकथित विलम्ब पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने श्रमिकों की तरफ से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया है। इस वर्ष जुलाई महीने में हमने वेतन संशोधन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1992 से लम्बित थी। इस योजना के माध्यम से हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकरियों और श्रमिकों संघों से असम्बद्ध पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारियों का वेतन निर्धारण करने की स्वंत्रता दी थी। इससे पहले वर्ष 1993 में हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने आन्तरिक संसाधनों के अन्तर्गत वेतन समझौतों पर बातचीत करने की स्वंत्रता देते हुए श्रमिकों हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे।

वेतन भुगतान में विलम्ब का कारण यह है कि सरकार की नीयत में कोई खोट है। बल्कि इसका कारण सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पास धनराशि की कमी होना है। इस सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के श्रमिकों को पुरस्कृत करने के लिए कदम उठाए हैं जिन्होंने अतिरिक्त बजरसीय सहायता की माँग किए बिना अर्थक्षम बनाने और पुनर्गठन करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि एच.एम.टी. लिमिटेड घाटे में चल रहा है लेकिन इसे वेतन संशोधन करने की अनुमति दी गई है।

सभापति महोदय : श्री करूणाकरण जी, कृपया कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। समय समाप्त हो रहा है।

अब यदि हम सभी सहमत हों तो हम मंत्री महोदय का भाषण सुन सकते हैं और भाषण के पश्चात् . . . .

श्री सुदर्शनराय चौधरी (सीरमपुर): हम मंत्री महोदय का भाषण अगले दिन सुनेंगे।

सभापति महोदय: नहीं, अगले दिन आपको उत्तर देना पड़ेगा। अभी श्री गुप्त जी का भाषण भी होना है। अब यदि हम मंत्री महोदय का उत्तर पूरा होने तक प्रतिक्षा कर सकते हैं तो आप उत्तर अगले दिन दे सकते हैं और तब हम मामले को समाप्त कर सकते हैं।

तब ठीक है, श्री करूणाकरण जी आप आपना भाषण जारी रखें।

श्री के. करूणाकरण : हालांकि वेतन का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी विषय जब भी सरकार की जानकारी में किए जाते हैं तो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की निदानात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। सरकार ने श्रमिकों को वेतन भुगतान के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता और दायित्व को समय-समय पर दोहराया भी है। इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि समुचित कोषीय नहीं होने के बावजूद वायदे को पूरा करने के लिए धनराशि आंवटित करने से पूर्व इस सभा में अनुपूरक अनुदान मंजूर कराने होंगे।

इस प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि उपक्रमों के रुग्ण होते हुए भी श्रमिकों को वेतन का भुगतान समय से हो।

सरकार के लिए श्रमिकों के लिए सर्वोपरि हैं। राष्ट्रीय नवीकरण को रुग्ण उपक्रमों को पुन: चालू करने अथवा ऐसे एककों के बन्द होने के कारण श्रमिकों की फौरी जरूरतों को पूरा करता है।

इस कोष से सहायता इन बातों के लिये प्रदान की जाती है :

(1) श्रमिकों हेतु परामर्श पुन: प्रशिक्षण और पुन: नियुक्ति संबंधी योजनाएं।

(2) एककों के बन्द करने या पुन: चालू करने की स्थिति में श्रमिकों को सांविधिक बकाया और वी.आर.एस. सहित मुआवजे का भुगतान।

(3) कमजोर एककों में श्रमिक युक्तिकरण हेतु कम ब्याज पर श्रम उपलब्ध कराना।

श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षण देने और पुन: काम देने के लिए ऐसे स्थानों पर

जहाँ समुचित संख्या में कर्मचारी है, कर्मचारी सहायता केन्द्र खोलने का विचार है। कर्मचारी सहायता और क्षेत्रीय पुर्नउत्पादन परिषदें शहरी आर्थिक पुनरूद्धार और श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण, पुनः काम देने संबंधी कार्मक्रमों के पर्यवेक्षण का कार्य करेंगी। एकक स्तर पर माननीय सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मचारी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी संसाधन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

कहा गया है कि निजी क्षेत्र के एकक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय आदान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह सुविधा देने से इंकार किया जा रहा है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को पुनः चालू करने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित नही किया जा रहा है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं वित्तीय सहायता करने की इच्छुक नही हैं। जैसा कि मैने पहले कहा था जहाँ भी संभव है हम काउन्टर गारण्टी प्रदान कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री एस. चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम लिमिटेड के संबंध में सरकार की नीति के बारे में जानकारी चाही है। सरकार इस एकक को पुनः चालू करने की इच्छुक है। श्रमिकों ने अपनी सहकारी गठित करके प्रबंध में भागीदारी करने से मना कर दिया है।

पश्चिम बगांल सरकार को बिना किसी विगत देनदारी के इस इकाई का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई।

माननीय सदस्य श्री सुदर्शन रायचौधरी ने संकल्प लाते हुए यह कहा है कि सरकार रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अर्थक्षम बनाने के संबंध में प्रायोजक की भूमिका अदा नहीं कर पा रही है। यह दावा सही नहीं है तथा इसका जोरदार ढंग से खंडन भी किया जा चुका है और हसके कारण भी बताये जा चुके हैं। कुछ सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के संबंध में भी अपनी चिंता व्यक्त की है। यदि कोई उपक्रम लगातार नुकसान में चल रहा है और इसके पुनर्गठन के बाद भी इसे अर्थक्षम नहीं बनाया जा सका है तो सरकार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार के बोझ को और बर्दाशत नहीं कर सकती है। मुझे विश्वास है कि दलगत विचारों से ऊपर उठकर सदस्य इससे सहमत होंगे।

इस परिस्थिति में, इन इकाइयों को बंद करने के संबंध में विचार करना पड़ेगा। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि हम भरसक प्रयास करेंगे किया एकक बन्द न हो। अन्ततः यदि कुछ नहीं हो पता और यदि कोई विकल्प नहीं बचता है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। फिर भी, इससे पूर्व सरकार श्रमिकों द्वारा इन इकाइयों को चलाने का प्रस्ताव करना चाहेगी और इसके लिए सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में यदि अर्थक्षम होना, संभव हो तो कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है।

जब मैं ट्रेड यूनियन के नेताओं से बातचीत कर रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि केवल कुछ आर्थिक सहायता दी ही नहीं बल्कि सरकार जिस तरह से भी सहायता कर सकती है, वह करेगी।

माननीय सदस्य श्री रायचौधरी ने कुछ ऐसे सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के नाम भी गिनाए है जिन्हे अर्थक्षम बनाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार नौ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा ब्रेथवाइट् एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भारत ब्रेम्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड तथा भारत आण्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड तथा अन्य में नई पूंजी लगाकर तथा पूर्व घाटों आदि को माफ करके इन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु सहमत हो चुकी है। टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संबंध में माननीय सदस्यों को पहले से ही ज्ञात है कि काकीनाड़ा इकाई के पुनर्गठन और अर्थक्षम बनाने संबंधी कार्य शुरू किया गया है तथा पूरा कर लिया गया है। बी.पी.एम.ई.एल, साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे मामलों के बी.एफ.आई.आर, इस लिए वर्ष पर पहुंची है कि ये अलाभप्रद हैं। इस पर आगे की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। अतः यह अभी भी जारी है। उस समय तक यदि इसमें कोई प्रगति होगी तो हम इसे जारी रखेंगे।

माननीय सदस्य श्री सुदर्शन रायचौधरी ने एशिया प्रशान्त देशों में बेहतरीन आर्थिक प्रगति में देश की नीति और स्वामित्व के प्रभाव पर जोर देने के लिए श्री राल्फ मिलिबेंड श्री जेफरी हेंडरसन और रिचर्ड एप्पलबाम के लेखों का उल्लेख किया है। यह प्रशंसनीय है कि सरकार ने सामाजिक और कल्याणकारी हितों के साथ समझौता न करके अंतराष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तनों को मद्दे नजर रखते हुए समय-समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करके विकास किया है और औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति हांसिल की है। सरकारी क्षेत्रों के एककों ने कई वर्षों से मजबूत ढांचा प्रदान करने के अलावा कुछ लाभ को भी बढ़ाया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के बारे में किए गए उल्लेख के संबंध में मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित सभा के सदस्य यह जानते होंगे कि सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अर्थक्षम बनाने संबंधी योजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

प्रो.रासा सिंह रावत : यह प्रक्रिया बहुत ही लम्बी और जटिल है। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री के.करूणाकरण : सभी तरह की जटिलताओं से निपटने के बाद अंततः हमने इसे पूरा करने का निर्णय लिया है।

माननीय सदस्य श्री गोपीनाथ गजपति ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवाशर्तों का उल्लेख करते हुए उनके वेतन में संशोधन का सुझाव दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि सरकार ने बोर्ड स्तर के और इससे निचले स्तर के अधिकारियों के वेतन में संशोधन ने निर्देश और मार्ग निर्देश 19.7.95 को जारी कर दिए हैं।

माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह ने कहा है कि "आप सरकार चलाइए"। आप व्यापार क्यों करते हैं ? सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। आप सेना के रख रखाव का कार्य देखिए, श्रमिकों और लोगों पर नियंत्रण रखिए और जो चाहे कीजिए । परन्तु, व्यापार की बात अलग ही है और यह सिर्फ व्यापारियों का कार्य है।" . . . .

वह अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रकों के कार्यकरण के विरूद्ध हैं। लेकिन हमारे पास एक संकेत है और वह संकेत भी स्वयं माननीय सदस्य ने ही उपलब्ध कराया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अब तक आरक्षित क्षेत्रों को 17 से घटाकर 6 कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन पहले से शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन को कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा पेशेवर प्रबंधन जैसे काम पहले ही उठाए जा चुके हैं लेकिन रातों रात परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यह तो सतत् चलाने वाली प्रक्रिया है। आप सभी इस बात को समझ ले कि अब से कुछ वर्षों बाद ही आप इसके अच्छे परिणाम देखेंगे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को अर्थक्षम बनाने और श्रमिकों के हितों और कल्याण योजनाओं को केवल केन्द्र सरकार ही कार्यान्वित

नही कर सकती है बल्कि राज्य सरकारों को भी इन एककों को पुनः चालू करने संबंधी कार्यक्रमों में भागीदार होने चाहिए। इसलिए सभी क्षेत्रों में समस्यायें हैं। इस के लिए सर्वोत्तम उपाय है साथ-साथ प्रयास करना और उन सार्वजनिक उपक्रमों जो हमारे परिवार के रत्न की तरह हैं मैं रुग्णता को दूर करने के लिए अर्थक्षम साधन विकसित करना है। किसी की आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन जिम्मेदारी लेना और कार्यक्रमों को चालू आसान नहीं हैं।

जहाँ तक सरकार का संबंध है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास करके देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और श्रमिकों के हितों को पूरा करने में उसकी गहरी रुचि है। लेकिन चाहें वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हों या निजी क्षेत्र के यदि वे आगे आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगें और उन्हें प्रोत्साहन देंगे।

माननीय सदस्य द्वारा कतिपय सुझाव दिए गए हैं लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सभी सुझावों को अपनी चर्चा में शामिल नहीं कर पाऊंगा लेकिन आमतौर पर मैंने यहां पर उठाएं गए सभी सवालों की अपनी चर्चा में शामिल किया है। लेकिन यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो मैं उसे अलग उठाऊंगा और उसमे व्यक्तिगत रुचि लूँगा।

मैं सभा को पुनः आश्वस्त करता हूं कि मैं कारखानों को हरगिज बन्द करने के पक्ष में नहीं हूं। श्रीमान् मेरा ताल्लुक कामकाजी वर्ग से है। मैं जीवन भर उनके साथ रहा हूं और लिए संघर्ष किया है। अतएव मैं सारी उम्र कामकाजी वर्ग के साथ रहा हूं।

मैं किसी भी पद पर रहूं मेरी सहानुभूति सैदेव श्रमिकों के साथ है। फिर भी मै माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा किए वे अपने प्रस्ताव पर जोर न दें।

सभापति महोदय : यह उचित सुझाव है और इसके प्रस्ताव का अगली बार उत्तर देगें।

अब सभा, सोमवार 11 दिसम्बर, 1995 को 11.00 म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.26 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार, 11 दिसम्बर, 1995 /20 अग्रहायण 1917 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।